



सत्यमेव जयते

# विनियोग लेखे

2019-20



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

**Dedicated to Truth in Public Interest**

राजस्थान सरकार

विनियोग लेखे

वर्ष 2019-2020 के लिए

राजस्थान सरकार

## विषय सूची

विनियोग लेखे की भूमिका	1
विनियोग लेखों का सारांश	2-15
भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	16-17
विनियोग लेखे :	
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	18
ब्याज अदायगियां	19
लोक सेवा आयोग	20
लोक ऋण	21
001. राज्य विधान मंडल	22-23
002. मंत्रि परिषद्	24
003. सचिवालय	25-28
004. जिला प्रशासन	29-30
005. प्रशासनिक सेवाएं	31-33
006. न्याय प्रशासन	34-37
007. निर्वाचन	38-39
008. राजस्व	40-41
009. वन	42-48
010. विविध सामान्य सेवाएं	49
011. विविध सामाजिक सेवाएं	50-52
012. अन्य कर	53-56
013. आबकारी	57
014. बिक्री कर	58-60
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	61-63
016. पुलिस	64-70
017. कारागार	71-72
018. जन-सम्पर्क	73-74
019. लोक निर्माण कार्य	75-89
020. आवास	90-93
021. सड़कें एवं पुल	94-103
022. क्षेत्र का विकास	104-109

023.	श्रम तथा रोजगार	110-114
024.	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	115-135
025.	कोषागार व लेखा प्रशासन	136-137
026.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	138-160
027.	पेय जल योजना	161-183
028.	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	184-187
029.	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	188-201
030.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	202-268
031.	पुर्नवास एवं सहायता	269
032.	नागरिक आपूर्ति	270-272
033.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	273-291
034.	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	292-303
035.	विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	304-310
036.	सहकारिता	311-312
037.	कृषि	313-325
038.	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	326-327
039.	पशुपालन एवं चिकित्सा	328-332
040.	राजकीय उपक्रम	333
041.	सामुदायिक विकास	334-337
042.	उद्योग	338-341
043.	खनिज	342-345
044.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	346-347
045.	राज्य कर्मचारियों को ऋण	348
046.	सिंचाई	349-371
047.	पर्यटन	342-373
048.	विद्युत्	374-377
049.	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन	378
050.	ग्रामीण रोजगार	379
051.	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	380-445
परिशिष्ट - व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदानवार विवरण		446-447

## विनियोग लेखे की भूमिका

राजस्थान सरकार के वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखों का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में:-

“मू” मूल अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“अ” अनुपूरक अनुदान या विनियोग के लिए प्रयुक्त है,

“पु” सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, प्रत्याहरणों या अभ्यर्णों के लिए प्रयुक्त है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे अंकों से दिखाये गये हैं।

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	( ₹ सहस्र में )		
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक प्रभारित	17,32,35	..	16,12,76
ब्याज अदायगियां प्रभारित	2,37,59,04,46	..	2,36,43,26,93
लोक सेवा आयोग प्रभारित	40,55,73	..	28,36,89
लोक ऋण प्रभारित	..	2,00,49,79,30	..
001. राज्य विधान मंडल दत्तमत प्रभारित	82,99,42 51,01	.. ..	73,47,15 24,15
002. मंत्रिपरिषद् दत्तमत	16,90,00	..	14,88,45
003. सचिवालय दत्तमत प्रभारित	3,03,71,82 2	.. ..	2,49,36,72 ..
004. जिला प्रशासन दत्तमत प्रभारित	5,33,13,46 3,13	.. ..	4,77,12,55 3,09
005. प्रशासनिक सेवाएं दत्तमत प्रभारित	2,71,92,58 3,91	1 ..	2,29,08,46 3,88
006. न्याय प्रशासन दत्तमत प्रभारित	11,42,95,46 1,59,18,60	.. ..	9,52,65,79 1,36,45,35

## लेखों का सारांश

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में )				
..	1,19,59	..	..	..
..	1,15,77,53	..	..	..
..	12,18,84	..	..	..
2,00,32,68,31	..	17,10,99	..	..
..	9,52,27	..	..	..
..	26,86	..	..	..
..	2,01,55	..	..	..
..	54,35,10	..	..	..
..	2	..	..	..
..	56,00,91	..	..	..
..	4	..	..	..
..	42,84,12	1	..	..
..	3	..	..	..
..	1,90,29,67	..	..	..
..	22,73,25	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
007. निर्वाचन दत्तमत प्रभारित	6,18,20,50 20,26	.. ..	4,69,43,54 20,26
008. राजस्व दत्तमत प्रभारित	8,36,54,04 54	.. ..	7,12,18,13 50
009. वन दत्तमत प्रभारित	7,99,13,19 69,00	79,08,03 ..	7,03,42,88 45,71
010. विविध सामान्य सेवाएं दत्तमत	5,91,97,25	..	5,91,51,56
011. विविध सामाजिक सेवाएं दत्तमत प्रभारित	59,36,01 3	10,71,36 ..	43,92,02 ..
012. अन्य कर दत्तमत प्रभारित	8,41,06,18 61,74	24,00,06 ..	7,43,25,30 58,55
013. आबकारी दत्तमत प्रभारित	1,68,79,19 1,61	1 ..	1,48,42,74 1,61
014. बिक्री कर दत्तमत प्रभारित	9,44,53,77 13	2 ..	8,57,87,27 7
015. पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ दत्तमत प्रभारित	2,25,67,68,05 12,00,04	.. ..	2,07,59,75,71 1,55,67
016. पुलिस दत्तमत प्रभारित	64,37,38,87 78,88	2,17,69,91 ..	61,69,33,19 78,60
017. कारागार दत्तमत प्रभारित	2,06,76,16 5,57	.. ..	1,97,14,46 5,55



## लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
..	1,48,76,96	..	..	..
..	..	..	..	..
..	1,24,35,91	..	..	..
..	4	..	..	..
60,45,58	95,70,31	18,62,45	..	..
..	23,29	..	..	..
..	45,69	..	..	..
3,75,22	15,43,99	6,96,14	..	..
..	3	..	..	..
12,84,56	97,80,88	11,15,50	..	..
..	3,19	..	..	..
..	20,36,45	1	..	..
..	..	..	..	..
..	86,66,50	2	..	..
..	6	..	..	..
..	18,07,92,34	..	..	..
..	10,44,37	..	..	..
1,50,60,83	2,68,05,68	67,09,08	..	..
..	28	..	..	..
..	9,61,70	..	..	..
..	2	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	( ₹ सहस्र में )		
018. जन-सम्पर्क दत्तमत प्रभारित	1,04,63,01 1	.. ..	87,35,43 ..
019. लोक निर्माण कार्य दत्तमत प्रभारित	5,56,19,40 29,66	8,05,24,04 ..	4,42,64,48 27,47
020. आवास दत्तमत प्रभारित	71,99,25 1	89,99,50 ..	59,01,90 ..
021. सड़कें एवं पुल दत्तमत प्रभारित	25,92,20,56 1,30,11	37,59,47,65 ..	22,17,59,17 1,20,47
022. क्षेत्र का विकास दत्तमत प्रभारित	23,60,37 3	2,68,04,62 8,75	20,09,76 ..
023. श्रम तथा रोजगार दत्तमत प्रभारित	10,33,97,30 9	31,00,05 ..	8,93,63,52 ..
024. शिक्षा, कला एवं संस्कृति दत्तमत प्रभारित	3,22,86,17,54 11,00,30	6,01,22,45 ..	2,85,44,98,16 10,30,40
025. कोषागार व लेखा प्रशासन दत्तमत प्रभारित	2,93,48,37 3,32	.. ..	2,62,46,33 3,26
026. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई दत्तमत प्रभारित	1,02,85,17,87 1,19,17	2,52,08,46 ..	95,93,02,43 84,83
027. पेय जल योजना दत्तमत प्रभारित	40,50,39,12 87,40	32,44,50,36 ..	36,28,51,09 87,07

## लेखों का सारांश (क्रमशः)

पूंजीगत	बचत		आधिक्य	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ सहस्र में)				
..	17,27,58	..	..	..
..	1	..	..	..
4,22,11,78	1,13,54,92	3,83,12,26	..	..
..	2,19	..	..	..
26,40,90	12,97,35	63,58,60	..	..
..	1	..	..	..
32,99,50,53	3,74,61,39	4,59,97,12	..	..
..	9,64	..	..	..
1,31,37,58	3,50,61	1,36,67,04	..	..
8,69	3	6	..	..
- 43,91		1,40,33,78	31,43,96	..
..	9	..	..	..
4,95,23,93	37,41,19,38	1,05,98,52	..	..
..	69,90	..	..	..
..	31,02,04	..	..	..
..	6	..	..	..
1,74,06,84	6,92,15,44	78,01,62	..	..
..	34,34	..	..	..
22,21,97,73	4,21,88,03	10,22,52,63	..	..
..	33	..	..	..

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	( ₹ सहस्र में )		
028. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
दत्तमत	6,45,23,90	3,08,25,00	4,31,44,91
प्रभारित	1	..	..
029. नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास			
दत्तमत	49,16,82,39	13,00,86,75	40,16,24,15
प्रभारित	56,03	20	56,00
030. जनजाति क्षेत्रीय विकास			
दत्तमत	1,41,09,45,77	31,90,76,31	1,25,89,35,11
प्रभारित	12,01	..	11,92
031. पुनर्वास एवं सहायता	..	..	..
032. नागरिक आपूर्ति			
दत्तमत	3,55,33,02	3,87,91	3,28,32,02
प्रभारित	3,19	..	3,19
033. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
दत्तमत	79,42,83,59	2,71,69,72	74,76,66,47
प्रभारित	12,60	..	12,29
034. प्राकृतिक आपदाओं से राहत			
दत्तमत	50,44,44,03	..	38,26,68,25
प्रभारित	41,71	..	21,35
035. विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत	5,37,67,50	1,53,25,33	4,90,38,88
036. सहकारिता			
दत्तमत	37,10,82,36	10,47,22	36,82,96,82
प्रभारित	1	..	..

## लेखों का सारांश (क्रमशः)

	बचत		आधिक्य		
	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	
	(₹ सहस्र में)				
	2,52,81,00	2,13,78,99	55,44,00	..	..
	..	1	..	..	..
	8,11,25,47	9,00,58,24	4,89,61,28	..	..
	..	3	20	..	..
	25,52,83,72	15,20,10,66	6,37,92,59	..	..
	..	9	..	..	..
	..	..	..	..	..
	2,07	27,01,00	3,85,84	..	..
	..	..	..	..	..
	2,40,28,41	4,66,17,12	31,41,31	..	..
	..	31	..	..	..
	..	12,17,75,78	..	..	..
	..	20,36	..	..	..
	1,27,64,17	47,28,62	25,61,16	..	...
o	8,78,17	27,85,54	1,69,05	..	...
	..	1	..	..	...

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	(₹ सहस्र में)		
037. कृषि			
दत्तमत	25,02,33,97	2,46,79,96	21,68,47,89
प्रभारित	10,24	..	9,22
038. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण			
दत्तमत	1,33,42,96	28,35	1,30,53,52
प्रभारित	4	..	..
039. पशुपालन एवं चिकित्सा			
दत्तमत	16,96,20,46	26,78,43	15,35,16,09
प्रभारित	6,71	..	6,19
040. राजकीय उपक्रम			
दत्तमत	1,39,03	2	1,01,17
प्रभारित	1	..	..
041. सामुदायिक विकास			
दत्तमत	63,05,83,71	9,61,80	55,37,12,02
प्रभारित	7,41	..	..
042. उद्योग			
दत्तमत	4,28,63,76	95,06,13	3,27,44,33
प्रभारित	3	..	..
043. खनिज			
दत्तमत	1,96,05,90	1,73,52,85	1,37,66,90
प्रभारित	7,23	..	7,16
044. लेखन सामग्री एवं मुद्रण			
दत्तमत	32,27,84	2	28,39,30
प्रभारित	1	..	..

## लेखों का सारांश (क्रमशः)

		बचत		आधिक्य	
पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
(₹ सहस्र में)					
1,18,39,35	3,33,86,08	1,28,40,61	..	..	
..	1,02	..	..	..	
28,15	2,89,44	20	..	..	
..	4	..	..	..	
18,04,09	1,61,04,37	8,74,34	..	..	
..	52	..	..	..	
..	37,86	2	..	..	
..	1	..	..	..	
1,54,50	7,68,71,69	8,07,30	..	..	
..	7,41	..	..	..	
18,70,98	1,01,19,43	76,35,15	..	..	
..	3	..	..	..	
1,60,30,30	58,39,00	13,22,55	..	..	
..	7	..	..	..	
..	3,88,54	2	..	..	
..	1	..	..	..	

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
	( ₹ सहस्र में )		
045. राज्य कर्मचारियों को ऋण दत्तमत	..	..	..
046. सिंचाई दत्तमत	20,18,76,79	18,96,86,55	18,53,52,86
प्रभारित	4,26,41	1,48	4,04,92
047. पर्यटन दत्तमत	53,62,91	30,88,47	41,19,81
प्रभारित	1	..	..
048. विद्युत दत्तमत	1,74,18,42,81	27,87,48,33	1,53,12,60,59
049. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन दत्तमत	21,23	..	6,88
050. ग्रामीण रोजगार दत्तमत	22,96,76,76	1,86,38	22,15,43,64
051. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना दत्तमत	1,66,97,54,59	41,78,82,90	1,46,69,46,60
प्रभारित	1	..	..
<b>दत्तमत</b>	<b>17,47,65,04,02</b>	<b>2,40,70,24,96</b>	<b>15,59,42,36,40</b>
<b>योग</b>			
<b>प्रभारित</b>	<b>2,40,11,60,78</b>	<b>2,00,49,89,73</b>	<b>2,38,47,05,31</b>
<b>कुल योग</b>	<b>19,87,76,64,80</b>	<b>4,41,20,14,69</b>	<b>17,97,89,41,71</b>



## लेखों का सारांश (क्रमशः)

		बचत		आधिक्य	
पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
(₹ सहस्र में)					
..	..	..	..	..	..
16,35,33,73	1,65,23,93	2,61,52,82	..	..	..
1,47	21,49	1	..	..	..
5,68,57	12,43,10	25,19,90	..	..	..
..	1	..	..	..	..
25,70,75,80	21,05,82,22	2,16,72,53	..	..	..
..	14,35	..	..	..	..
1,79,51	81,33,12	6,87	..	..	..
31,94,19,68	20,28,07,99	9,84,63,22	..	..	..
..	1	..	..	..	..
<b>1,87,16,59,24</b>	<b>1,88,22,67,62</b>	<b>53,53,65,72</b>	..	..	..
<b>2,00,32,78,47</b>	<b>1,64,55,47</b>	<b>17,11,26</b>	..	..	..
<b>3,87,49,37,71</b>	<b>1,89,87,23,09</b>	<b>53,70,76,98</b>	..	..	..

## 2019-20 के विनियोग लेखों का सारांश- (क्रमशः)

अनुदान पर आधिक्य का नियमन आवश्यक है :-

क्र.स.	अनुदान की संख्या और नाम	आधिक्य	
		राजस्व	पूंजीगत
-----शून्य-----			

## 2019-20 के विनियोग लेखों का सारांश- (समाप्त)

चूंकि अनुदान और व्यय इस सकल राशि के लिये है जिनका व्यय करना अपेक्षित है तो उनके प्रति दर्शाये गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दिखाये जाते हैं ।

वर्ष 2019-20 के लिये विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिये वित्त लेखे में दिखाये गये आंकड़ों के बीच मिलान नीचे दर्शाया गया है:-

दत्तमत			
	राजस्व 1	पूंजी 2	योग 3
( ₹ सहस्र में )			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	15,59,42,36,40	1,87,16,59,24	17,46,58,95,64
<b>घटाइये : वसूलियों का योग</b>	33,04,30,68	17,43,46,20	50,47,76,88
	<b>15,26,38,05,72</b>	<b>1,69,73,13,04</b>	<b>16,96,11,18,76</b>
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय			
प्रभारित			
	राजस्व 4	पूंजी 5	योग 6
( ₹ सहस्र में )			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	2,38,47,05,31	2,00,32,78,47	4,38,79,83,78
<b>घटाइये : वसूलियों का योग</b>	61	..	61
	<b>2,38,47,04,70</b>	<b>2,00,32,78,47</b>	<b>4,38,79,83,17</b>
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया निवल कुल व्यय			

ऊपर दी गयी वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में पृष्ठ संख्या 446-447 पर दिया गया है ।

## भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्त्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले राजस्थान सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 3 फरवरी 2021

स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासक  
(समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2012. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल,  
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	16,91,43	17,32,35	16,12,76	- 1,19,59
अनुपूरक	40,92			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित  
राशि (31 मार्च 2020)

1,04,43

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

1. फरवरी, 2020 में वाहनों की खरीद हेतु लिया गया ₹ 40.92 लाख का अनुपूरक विनियोजन अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 1,19.59 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 15.16 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2012. राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
03. राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
103. पारिवारिक स्थापना			
(01) गृह स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	5,68.46	4,77.45	4,77.44
पु.	- 91.01		

₹ 91.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

ब्याज अदायगियां (समस्त प्रभारित)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2049. ब्याज अदायगियां

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व			
मूल	2,31,32,65,66		
अनुपूरक	6,26,38,80	2,37,59,04,46	2,36,43,26,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			-1,15,77,53
			1,13,30,83

टिप्पणियां तथा टीकाएं :

राजस्व

1. ₹ 1,15,77.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2020 में लिया गया ₹ 6,26,38.80 लाख का अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक था।
2. ₹ 1,15,77.53 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,46.70 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

**लोक सेवा आयोग (समस्त प्रभारित)**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2051. लोक सेवा आयोग**

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
मूल	40,27,22			
अनुपूरक	28,51			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)		40,55,73	28,36,89	- 12,18,84

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

- फरवरी, 2020 में लिया गया ₹ 28.51 लाख का अनुपूरक विनियोजन अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- बचत मुख्यत निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2051. लोक सेवा आयोग					
102. राज्य लोक सेवा आयोग					
(01) राजस्थान लोक सेवा आयोग-प्रतिबद्ध					
मू.	40,27.22				
अ.	28.51				
घ.	- 12,15.84				

फरवरी, 2020 में अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 28.51 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

31 मार्च 2020 को ₹ 12,15.84 लाख का प्रावधान (i) विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 143 पदों के रिक्त रहने, (ii) राजस्थान लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्यों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होने, (iii) जिला कलेक्टर्स द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित अनुपयोजित राशि वापिस लौटाये जाने, (iv) माह मार्च, 2020 में कोषालय द्वारा बिलों को पारित नहीं करने, (v) कोविड-19 महामारी को देखते हुए माह मार्च, 2020 में राज्य में लॉकडाउन की स्थिति होने से विभिन्न परीक्षाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय मूल्यांकन का कार्य प्रभावित होने तथा (vi) आयोग में नेटवर्किंग तथा वाई फाई पॉइन्ट्स की निविदा रद्द करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



लोक ऋण ( समस्त प्रभारित )

मुख्य शीर्ष : पूंजी - 6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण और  
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ सहस्र में )	आधिक्य + बचत -
पूंजी				
मूल	2,00,43,52,87	2,00,49,79,30	2,00,32,68,31	- 17,10,99
अनुपूरक	6,26,43			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				17,10,98

टिप्पणी तथा टीका :

पूंजी

1. फरवरी, 2020 में लिया गया ₹ 6,26.43 लाख का अनुपूरक विनियोजन अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

**अनुदान संख्या 001 – राज्य विधान मण्डल**  
**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	73,46,32	82,99,42	73,47,15	- 9,52,27
अनुपूरक	9,53,10			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	51,01	51,01	24,15	- 26,86
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				

**राजस्व****दत्तमत**

- ₹ 9,52.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2020 में वेतन तथा भत्तों के बढ़े हुए व्यय की पूर्ति तथा माननीय सदस्यों द्वारा फर्नीचर की खरीद की प्रतिपूर्ति हेतु लिया गया ₹ 9,53.10 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल				
101. विधान सभा				
(04) भूतपूर्व सदस्यों को निःशुल्क यात्रा सुविधा-प्रतिबद्ध				
मू.	2,50.00	1,22.64	1,22.64	..
पु.	- 1,27.36			

31 मार्च 2020 को ₹ 1,27.36 लाख का प्रावधान भूतपूर्व सदस्यों द्वारा निःशुल्क यात्रा सुविधा का कम लाभ उठाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 001 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
103. विधान मण्डल सचिवालय			
(01) विधान मण्डल			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	40,96.93		
अ.	53.10	33,88.60	- 0.19
पु.	- 7,61.43		

फरवरी 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 53.10 लाख का प्रावधान माननीय सदस्यों द्वारा फर्नीचर की खरीद की प्रतिपूर्ति हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

31 मार्च 2020 को ₹ 7,61.43 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 002 – मंत्रिपरिषद् (समस्त दत्तमत)**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2013. मंत्रिपरिषद्**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
मूल	15,01,23	16,90,00	14,88,45	– 2,01,55
अनुपूरक	1,88,77			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2,00,65

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

1. फरवरी, 2020 में लिया गया ₹ 1,88.77 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
<b>2013. मंत्रिपरिषद्</b>				
101. मंत्रियों और उप मंत्रियों का वेतन				
(01) संस्थापन व्यय				
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	5,50.00	4,44.71	4,43.94	– 0.77
पु.	– 1,05.29			

31 मार्च 2020 को ₹ 1,05.29 लाख का प्रावधान मंत्रीमंडल में मंत्रियों की संख्या कम होने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 74.83 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 30.46 लाख) किया गया।

## अनुदान संख्या 003 – सचिवालय

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2052. सचिवालय – सामान्य सेवाएं,  
2251. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं और  
3451. सचिवालय – आर्थिक सेवाएं

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,03,71,81			
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)		3,03,71,82	2,49,36,72	- 54,35,10
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)		2	..	- 2

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. ₹ 54,35.10 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 35.03 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
2. वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 25,14.74 लाख, ₹ 18,99.59 लाख, ₹ 61,34.53 लाख, ₹ 21,92.95 लाख तथा ₹ 54,35.10 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 5.49 प्रतिशत से 17.90 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
<b>शीर्ष</b>				
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं				
090. सचिवालय				
(01) मंत्रिमंडल एवं सामान्य सेवाएं (मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन, नागरिक उड्डयन के वेतन भत्ते)				
[01] कार्मिक विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध				
मू.	46,13.00			
पु.	- 8,53.76			
		37,59.24	37,59.24	..

₹ 8,53.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 में देय महंगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 003 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
090. सचिवालय			
(01) मंत्रिमंडल एवं सामान्य सेवाएं (मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन, नागरिक उड्डयन के वेतन भत्ते)			
[02] सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	6,00.01	4,46.98	4,12.00
पु.	- 1,53.03		
			- 34.98
31 मार्च 2020 को ₹ 1,53.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि कम संख्या में राज्य अतिथि का दौरा किया गया।			
₹ 34.98 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
090. सचिवालय			
(01) मंत्रिमंडल एवं सामान्य सेवाएं (मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन, नागरिक उड्डयन के वेतन भत्ते)			
[07] निवासीय आयुक्त कार्यालय, दिल्ली (सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से)-प्रतिबद्ध			
मू.	6,80.62	4,67.57	4,67.56
पु.	- 2,13.05		
			- 0.01
₹ 2,13.05 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सम्पदा नियंत्रक, अतिरिक्त आवासीय आयुक्त तथा लेखाधिकारी के पद रिक्त रहने, (ii) निजी निक्षेप खाते में अनुदान का कम हस्तान्तरण होने तथा (iii) नियमित पदों पर पदस्थापन नहीं होने को आरोपित की गयी।			
090. सचिवालय			
(02) कार्मिक विभाग			
[01] कार्मिक विभाग (कार्मिक विभाग, मुख्य सचिव कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक मामलात, स्टेट मिशन के वेतन तथा भत्ते)-प्रतिबद्ध			
मू.	69,34.73	56,35.39	56,35.37
पु.	- 12,99.34		
			- 0.02
₹ 12,99.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 में देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) माह मार्च, 2020 में फर्नीचर, फोटो कॉपी, माइक प्रणाली इत्यादि के बिल पारित नहीं होने, (iii) कार्मिक विभाग से संबंधित विभिन्न मामलों में मुकदमों तथा कोर्ट फीस के भुगतान के बिल प्राप्त नहीं होने, (iv) माह मार्च, 2020 में संविदा सेवाओं के बिल पारित नहीं होने तथा (v) मैन विद् मशीन कम अनुबन्धित करने के कारण कम्प्यूटर तथा संचार पर कम व्यय को आरोपित की गयी।			
090. सचिवालय			
(04) वित्त विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	39,17.03	34,08.93	34,08.93
पु.	- 5,08.10		
			..

## अनुदान संख्या 003 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
090. सचिवालय			
(05) गृह विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	11,37.50	9,80.66	..
पु.	- 1,56.84		
090. सचिवालय			
(06) राजस्व विभाग एवं देवस्थान विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	10,05.50	8,75.14	+ 0.01
पु.	- 1,30.36		
090. सचिवालय			
(07) विधि विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	14,46.04	12,46.38	..
पु.	- 1,99.66		
090. सचिवालय			
(08) विभागीय जांच विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	4,72.00	2,63.28	..
पु.	- 2,08.72		

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 12,03.68 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 में देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

2251. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं

090. सचिवालय			
(01) शिक्षा विभाग, कला एवं संस्कृति-प्रतिबद्ध			
मू.	13,90.00	11,30.75	..
पु.	- 2,59.25		
090. सचिवालय			
(02) चिकित्सा, जन स्वास्थ्य विभाग एवं आयुर्वेद-प्रतिबद्ध			
मू.	10,57.00	9,20.40	- 0.01
पु.	- 1,36.60		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 3,95.85 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 में देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 003 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2251. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
090. सचिवालय			
(04) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास एवं टीएडी-प्रतिबद्ध			
मू.	3,46.00	2,20.85	2,20.85
पु.	- 1,25.15		..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,25.15 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 में देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## 3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

090. सचिवालय			
(01) राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी			
[10] राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी-प्रतिबद्ध			
मू.	10,82.26	9,03.26	9,03.25
पु.	- 1,79.00		- 0.01

31 मार्च 2020 को ₹ 1,79.00 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 में देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

090. सचिवालय  
(07) कृषिमय सहकारिता विभाग, पशुपालन, डेयरी,  
ग्रामीण विकास, उद्यानिकी विभाग-प्रतिबद्ध

मू.	11,40.00	9,52.95	9,52.95
पु.	- 1,87.05		..

₹ 1,87.05 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 में देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।



**अनुदान संख्या 004 – जिला प्रशासन**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2053. जिला प्रशासन**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	5,33,13,46	5,33,13,46	4,77,12,55	– 56,00,91
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				55,67,72
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4	3,13	3,09	– 4
अनुपूरक	3,09			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				4

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 56,00.91 लाख की अन्तिम बचत में से राशि ₹ 33.19 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2053. जिला प्रशासन				
093. जिला स्थापनाएँ				
(01) जिलाधीश कार्यालय				
मू.	4,50.00	69.21	67.72	– 1.49
पु.	– 3,80.79			
₹ 3,80.79 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।				
094. अन्य स्थापनाएँ				
(01) सब डिवीजनल स्थापनाएं-प्रतिबद्ध				
मू.	90,39.02	76,16.51	76,12.87	– 3.64
पु.	– 14,22.51			

₹ 14,22.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों तथा संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 004 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2053. जिला प्रशासन			
094. अन्य स्थापनाएँ			
(02) तहसील कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,83,29.22		
		2,51,67.89	2,51,54.99
पु.	- 31,61.33		- 12.90

₹ 31,61.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों, मुद्रण, स्टेशनरी तथा संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

₹ 12.90 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

अनुदान संख्या 005 – प्रशासनिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2051. लोक सेवा आयोग,  
 2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं,  
 2062. सतर्कता और  
 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं  
 पूंजी – 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,71,92,58	2,71,92,58	2,29,08,46	- 42,84,12
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				42,62,46
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1,51	3,91	3,88	- 3
अनुपूरक	2,40			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				3
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 42,84.12 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 21.66 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 10,06.12 लाख, ₹ 12,08.71 लाख, ₹ 21,85.89 लाख, ₹ 27,10.14 लाख तथा ₹ 42,84.12 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 5.84 प्रतिशत से 15.75 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 005 – (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2051. लोक सेवा आयोग			
103. कर्मचारी चयन आयोग			
(01) राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड- प्रतिबद्ध			
मू.	17,07.57		
पु.	- 4,54.05	12,53.52	12,45.72
			- 7.80
<p>₹ 4,54.05 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) परीक्षाओं का आयोजन नहीं होने, (ii) मार्च, 2018 से बोर्ड के सदस्य का वेतन निर्धारण नहीं होने, (iii) वेतन का निर्धारण नहीं होने के कारण कनिष्ठ लेखाकारों द्वारा वेतन के बकाया का आहरण नहीं करने तथा (iv) सहायक सचिव के स्थानान्तरण होने के कारण पद रिक्त रहने को आरोपित की गयी ।</p> <p>₹ 7.80 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।</p>			
2062. सतर्कता			
103. लोकायुक्त/उप लोकायुक्त			
(01) लोकायुक्त सचिवालय-प्रतिबद्ध			
मू.	10,20.84		
पु.	- 2,97.15	7,23.69	7,23.70
			+ 0.01
<p>31 मार्च 2020 को ₹ 2,97.15 लाख का प्रावधान लोकायुक्त, प्रधान सचिव, सचिव आदि सहित विभिन्न संवर्गों में 27 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।</p>			
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
003. प्रशिक्षण			
(01) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
[02] फर्म प्रशिक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	16,34.00		
पु.	- 6,99.41	9,34.59	9,34.30
			- 0.29
<p>₹ 6,99.41 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राज्य सेवाओं के प्रशिक्षुओं की संख्या कम होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020, से लॉकडाउन की स्थिति के कारण प्रशिक्षण के कम आयोजन तथा समय पर बिलों का भुगतान नहीं करने तथा ठेकेदारों द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं करने को आरोपित की गयी ।</p>			
003. प्रशिक्षण			
(01) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
[08] संचालन एवं प्रशासन-प्रतिबद्ध			
मू.	21,02.62		
पु.	- 3,20.55	17,82.07	17,81.58
			- 0.49
<p>₹ 3,20.55 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण समय पर बिलों के भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी ।</p>			

## अनुदान संख्या 005 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
114. वाहन का क्रय तथा रख रखाव			
(01) राज्य गैराज तथा आटोमोबाइल विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	56,06.81	46,38.22	46,38.10
पु.	- 9,68.59		

₹ 9,68.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत वाहन चालकों का सातवें वेतनमान में वेतन स्थरीकरण नहीं होने, (ii) मंत्रीमंडल का विस्तार नहीं होने तथा लोकसभा और पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कार्यालय वाहनों के संचालन तथा रखरखाव पर कम व्यय होने तथा (iii) बोर्डस तथा आयोगों के सदस्य के पदों पर नियुक्ति नहीं होने के कारण किराये के वाहनों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

114. वाहन का क्रय तथा रख रखाव

(05) किराए पर वायुयान/हेलिकॉप्टर-प्रतिबद्ध

मू.	20,00.00	17,29.37	17,29.37	..
पु.	- 2,70.63			

31 मार्च 2020 को ₹ 2,70.63 लाख का प्रावधान लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण अति विशिष्ट लोगों की चार्टर्ड उड़ान कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

114. वाहन का क्रय तथा रख रखाव

(06) नागरिक विमानन निदेशालय

[01] नागरिक विमानन निदेशालय-प्रतिबद्ध

मू.	16,74.25	14,15.14	14,14.97	- 0.17
पु.	- 2,59.11			

₹ 2,59.11 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण राजकीय वायुयान के स्पेयर पार्ट्स के बिल पास नहीं होने को आरोपित की गयी।

115. अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि

(09) परिधि गृह

[01] विश्राम भवन राजस्थान-प्रतिबद्ध

मू.	44,95.02	39,73.16	39,72.25	- 0.91
पु.	- 5,21.86			

₹ 5,21.86 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वर्ष के दौरान 28 अधिकारियों की सेवानिवृत्ति तथा मंहगाई भत्ते की बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 में देय मंहगाई भत्ते की किस्त को 2019-20 में जारी नहीं करने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 006 – न्याय प्रशासन**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2014. न्याय प्रशासन**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	11,42,95,46	11,42,95,46	9,52,65,79	– 1,90,29,67
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,89,95,21
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1,59,18,60	1,59,18,60	1,36,45,35	– 22,73,25
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				22,73,15

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 1,90,29.67 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 34.46 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2014. न्याय प्रशासन				
105. सिविल और सेशन न्यायालय				
(01) जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय				
मू.	10,52.20	2,83.66	2,83.12	– 0.54
पु.	– 7,68.54			

31 मार्च 2020 को ₹ 7,68.54 लाख का प्रावधान (i) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण फर्म द्वारा नवीन मर्दों की आपूर्ति नहीं करने, (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की ई-कमिटी से नवगठित न्यायालयों के लिये हार्डवेयर की खरीद की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण खरीद प्रक्रिया आरम्भ नहीं होने तथा (iii) फर्म द्वारा अभिलेखों का डिजिटल इजेशन की धीमी प्रक्रिया के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 006 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(02) व्यवहार तथा अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीशों एवं मुख्य न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,95,58.83	1,58,27.68	1,58,24.00
पु.	- 37,31.15		
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(03) मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायकों के न्यायालय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,94,08.75	1,53,68.88	1,53,65.66
पु.	- 40,39.87		
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(09) अनुसूचित जाति और जन जाति (अत्याचार निवारण) के लिए विशेष न्यायालय-प्रतिबद्ध			
मू.	20,37.88	15,95.47	15,94.77
पु.	- 4,42.41		
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(11) एन.डी.पी.एस. प्रकरणों के लिए विशेष न्यायालय-प्रतिबद्ध			
मू.	8,70.08	6,23.54	6,23.54
पु.	- 2,46.54		
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(15) एन.आई.एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय -प्रतिबद्ध			
मू.	33,84.66	28,00.88	28,00.84
पु.	- 5,83.78		
105. सिविल और सेशनस न्यायालय			
(17) ग्राम न्यायालय			
मू.	14,72.28	11,57.77	11,57.77
पु.	- 3,14.51		

उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 93,58.26 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः न्यायालयों में विभिन्न पदों के रिक्त रहने तथा न्यायिक अधिकारियों द्वारा एल.टी.सी. का कम उपभोग करने को आरोपित की गई।

**अनुदान संख्या 006 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2014. न्याय प्रशासन				
105. सिविल और सेशनस न्यायालय				
(19) जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय				
[01] जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय-प्रतिबद्ध				
मू.	4,29,57.63	3,65,04.29	3,64,82.81	- 21.48
पु.	- 64,53.34			

₹ 64,53.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) न्यायालयों में विभिन्न पदों के रिक्त रहने, (ii) न्यायिक अधिकारियों द्वारा एल.टी.सी. की सुविधा का कम उपभोग करने, (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण फर्म द्वारा नये मदों की आपूर्ति नहीं करने, (iv) संवर्ग-घ कर्मचारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध होम गार्डस की कम संख्या में सेवा लेने तथा (v) चालकों के रिक्त पदों के विरुद्ध रेक्सों के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की उपलब्धता नहीं करवाये जाने को आरोपित की गयी।

₹ 21.48 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

105. सिविल और सेशनस न्यायालय				
(20) वाणिज्यिक न्यायालय				
[01] वाणिज्यिक न्यायालय-प्रतिबद्ध				
मू.	9,35.70	5,44.18	5,44.08	- 0.10
पु.	- 3,91.52			

31 मार्च 2020 को ₹ 3,91.52 लाख का प्रावधान वाणिज्यिक न्यायालयों में विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत 32 पदों के रिक्त रहने, कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण फर्म द्वारा वाणिज्यिक न्यायालयों के लिये नवीन मदों तथा आई.टी. उपकरणों की आपूर्ति नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

116. राज्य प्रशासनिक अधिकरण				
(01) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण-प्रतिबद्ध				
मू.	18,81.20	16,88.71	16,88.70	- 0.01
पु.	- 1,92.49			

₹ 1,92.49 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

117. परिवार न्यायालय				
(01) विधि विभाग के माध्यम द्वारा-प्रतिबद्ध				
मू.	40,05.88	30,81.86	30,79.67	- 2.19
पु.	- 9,24.02			

₹ 9,24.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः न्यायालयों में विभिन्न पदों के रिक्त रहने तथा न्यायिक अधिकारियों द्वारा एल.टी.सी. सुविधा का कम उपभोग करने को आरोपित की गई।



अनुदान संख्या 006 – (समाप्त)

प्रभारित

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2014. न्याय प्रशासन			
102. उच्च न्यायालय			
(01) उच्च न्यायालय प्रशासन-प्रतिबद्ध			
मू.	1,59,18.57	1,36,45.44	1,36,45.35
पु.	- 22,73.13		- 0.09

31 मार्च 2020 को ₹ 22,73.13 लाख का प्रावधान (i) माननीय न्यायाधीशों के पदों के रिक्त रहने, (ii) कनिष्ठ न्यायिक सहायक तथा चालकों के पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण फर्म द्वारा नवीन मर्दों की आपूर्ति नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 007 – निर्वाचन**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2015. निर्वाचन और  
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	6,18,20,50	6,18,20,50	4,69,43,54	- 1,48,76,96
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2	20,26	20,26	..
अनुपूरक	20,24			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				
..				

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 1,48,76.96 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,44.15 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
<b>2015. निर्वाचन</b>			
103. निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण			
(01) चुनाव संबंधी प्रभार-प्रतिबद्ध			
मू.	61,50.00	53,17.18	53,05.45
पु.	- 8,32.82		
₹ 8,32.82 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 11.73 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

**अनुदान संख्या 007 – (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(01) पंचायत निर्वाचनों पर व्यय			
[02] महानिर्वाचन-प्रतिबद्ध			
मू.	2,15,63.00	79,06.04	78,72.93
पु.	- 1,36,56.96		- 33.11

₹ 2,15,63.00 लाख का प्रावधान पंचायती राज संस्थानों के चुनाव आयोजित करने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2020 को ₹ 1,36,56.96 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) 2019-20 में प्रस्तावित जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों के चुनाव राज्य सरकार द्वारा पंचायत समितियों का पुनर्गठन हेतु जारी की गई अधिसूचना के पश्चात्, अधिसूचना को उच्च न्यायालय में चुनौती देने तथा उच्च न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका लंबित होने के कारण नहीं कराये जाने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए माह मार्च 2020 के अन्तिम परखाड़े में लॉकडाउन की स्थिति के कारण पंचायत चुनावों से संबंधित कुछ बिलों का भुगतान न होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,17,85.14 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 18,71.82 लाख) किया गया।

₹ 33.11 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

800. अन्य व्यय  
(02) राज्य निर्वाचन आयोग-प्रतिबद्ध

मू.	23,04.54	11,36.52	11,36.51
पु.	- 11,68.02		- 0.01

₹ 11,68.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष के दौरान मल्टीपोस्ट सिंगल वोट ईवीएम की आपूर्ति नहीं करने को आरोपित की गयी।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत निम्नलिखित शीर्ष में हुए आधिक्य व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित की गयी, यद्यपि, अंतिम बचत को देखते हुए प्रावधान का आवर्द्धन अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2015. निर्वाचन			
105. संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार			
(01) चुनाव संबंधी प्रभार-प्रतिबद्ध			
मू.	2,45,27.00	2,58,14.54	2,56,32.48
पु.	12,87.54		- 1,82.06

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,87.54 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने तथा ₹ 1,82.06 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 008 – राजस्व

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2029. भू-राजस्व और  
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	8,36,54,04	8,36,54,04	7,12,18,13	- 1,24,35,91
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	54	54	50	- 4
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
1,24,17,63				
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				

**राजस्व****दत्तमत**

- ₹ 1,24,35.91 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 18.28 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 1,14,46.44 लाख, ₹ 2,01,71.85 लाख, ₹ 81,02.85 लाख, ₹ 82,35.98 लाख तथा ₹ 1,24,35.91 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 9.88 प्रतिशत से 23.60 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये लेकिन विभागों द्वारा वर्ष के दौरान बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व			
102. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य			
(01) प्रधान कार्यालय कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	7,14.76	5,34.29	5,34.30
पु.	- 1,80.47		
+ 0.01			

31 मार्च 2020 को ₹ 1,80.47 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 008 – (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2029. भू-राजस्व 102. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य (02) जिला कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	46,98.56	31,70.46	31,70.30
पु.	- 15,28.10		

31 मार्च 2020 को ₹ 15,28.10 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

103. भू-अभिलेख (02) जिला व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	7,24,32.44	6,26,57.05	6,26,39.41
पु.	- 97,75.39		

31 मार्च 2020 को ₹ 97,75.39 लाख का प्रावधान मुख्यतः वेतन तथा भत्तों, मजदूरी, मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 97,33.68 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 41.71 लाख) किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 17.64 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

103. भू-अभिलेख (03) प्रशिक्षण विद्यालय [03] राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर-प्रतिबद्ध			
मू.	17,72.67	13,65.22	13,65.17
पु.	- 4,07.45		

₹ 4,07.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः नये चयनित प्रशिक्षु, आठ नायब तहसीलदार जो पद ग्रहण करने से पूर्व राजकीय सेवा में कार्यरत थे, को वेतन तथा भत्तों का भुगतान नहीं होने तथा संस्था को उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा वेतन पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

103. भू-अभिलेख (09) वैश्विक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला [01] वैश्विक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला			
मू.	1,00.03	..	..
पु.	-1,00.03		

31 मार्च 2020 को ₹ 1,00.03 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान भी शीर्ष के अन्तर्गत समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं 099. राजस्व बोर्ड (01) मण्डल और उसकी स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	26,30.73	23,62.02	23,61.70
पु.	- 2,68.71		

₹ 2,68.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

### अनुदान संख्या 009 – वन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी

पूंजी – 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	7,80,23,31	7,99,13,19	7,03,42,88	– 95,70,31
अनुपूरक	18,89,88			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				95,39,00
<b>प्रभारित</b>				
मूल	30,00	69,00	45,71	– 23,29
अनुपूरक	39,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				22.77
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	79,08,03	79,08,03	60,45,58	– 18,62,45
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				18,59,98

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. फरवरी, 2020 में लिया गया ₹ 18,89.88 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।
2. ₹ 95,70.31 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 31.31 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 43,33.52 लाख, ₹ 79,58.79 लाख, ₹ 86,45.74 लाख, ₹ 1,04,71.32 लाख तथा ₹ 95,70.31 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.78 प्रतिशत से 12.82 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।



## अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
102. समाज तथा फार्म वानिकी			
(25) बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज- II			
मू.	27,12.30	6,54.00	6,64.66
पु.	- 20,58.30		+ 10.66
31 मार्च 2020 को ₹ 20,58.30 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 10.66 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. वानिकी			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) अधीनस्थ तथा दक्ष कर्मचारी वर्ग			
[01] संस्थापन-प्रतिबद्ध			
मू.	14,00.00	11,87.65	11,87.65
पु.	- 2,12.35		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,12.35 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(01) बाघ परियोजना, रणथम्भौर			
मू.	20,75.90	6,23.16	6,22.09
पु.	- 14,52.74		- 1.07
31 मार्च 2020 को ₹ 14,52.74 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(02) बाघ परियोजना, सरिस्का			
मू.	8,81.07	6,15.96	6,14.91
पु.	- 2,65.11		- 1.05
31 मार्च 2020 को ₹ 2,65.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव परिरक्षण			
(03) वन क्षेत्रों का संधारण			
मू.	7,59.78	5,06.87	5,06.70
पु.	- 2,52.91		- 0.17
31 मार्च 2020 को ₹ 2,52.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			



## अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी 02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110. वन्य जीव परिरक्षण (08) मुकुन्दरा नेशनल पार्क			
मू.	3,73.50		
पु.	- 1,27.44	2,46.06	2,46.05
			- 0.01
₹ 1,27.44 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 110. वन्य जीव परिरक्षण (11) वन्य जीव क्षेत्रों का संधारण [01] राज्य वन्यजीवन संरक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	63,29.36		
पु.	- 8,77.88	54,51.48	54,44.11
			- 7.37
₹ 8,77.88 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 7.37 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 112. सार्वजनिक उद्यान (01) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	21,15.50		
पु.	- 4,04.83	17,10.67	17,07.97
			- 2.70
₹ 4,04.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी 01. वानिकी 001. निदेशन तथा प्रशासन (04) जैव विविधता की पौधशालाएं [01] पौध तैयारी-प्रतिबद्ध			
मू.	0.01		
पु.	1,61.44	1,61.45	1,61.45
			..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,61.44 लाख की अतिरिक्त निधियां पोधारोपण पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।

## अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एससीए)			
(01) प्रतिकरात्मक वनरोपण			
[01] प्रतिकरात्मक वनरोपण के तहत व्यय			
मू.	0.01		
		3,86.88	3,70.48
पु.	3,86.87		- 16.40

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,86.87 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रतिकरात्मक वन रोपण के लिए अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, इसके तथा ₹16.40 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एससीए)			
(03) समेकित वन्य जीव प्रबन्धन योजना			
[01] समेकित वन्य जीवन प्रबन्धन योजना के तहत व्यय			
मू.	0.01		
		1,88.91	1,88.91
पु.	1,88.90		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,88.90 लाख की अतिरिक्त निधियां समेकित वन्य जीव प्रबन्धन योजना के लिए अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एससीए)			
(04) वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य			
[01] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य के तहत व्यय			
मू.	0.01		
अ.	18,89.88	43,82.83	44,07.37
पु.	24,92.94		+ 24.54

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,92.94 लाख की अतिरिक्त निधियां वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य के लिए अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, इसके तथा ₹ 24.54 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## पूंजी

## दत्तमत

- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 14,40.26 लाख, ₹ 13,20.50 लाख, ₹ 12,99.00 लाख, ₹ 40,03.16 लाख तथा ₹ 18,62.45 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 10.00 प्रतिशत से 38.29 प्रतिशत के बीच थी। विभाग द्वारा इन निरन्तर बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

अनुदान संख्या 009 – (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
070. संचार तथा भवन			
(02) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,54.00	..	..
पु.	- 1,54.00	..	..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,54.00 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(11) जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक			
मू.	11,35.58	9,10.42	..
पु.	- 2,25.16	9,10.42	..

31 मार्च 2020 को ₹ 2,25.16 लाख का प्रावधान जलवायु परिवर्तन तथा मरु प्रसार को रोकने हेतु कम पौधारोपण के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,20.85 लाख ) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 4.31 लाख ) किया गया,। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(12) एकीकृत वन सुरक्षा योजना			
[01] सुरक्षा एवं विकास कार्य			
मू.	3,59.24	93.10	..
पु.	- 2,66.14	93.10	..

31 मार्च 2020 को ₹ 2,66.14 लाख का प्रावधान लघु निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

01. वानिकी			
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
(14) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में पुर्नवृक्षारोपण			
[01] वनारोपण			
मू.	11,90.00	10,49.46	- 0.26
पु.	- 1,40.54	10,49.20	- 0.26

31 मार्च 2020 को ₹ 1,40.54 लाख का प्रावधान इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में कम पौधारोपण के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 009 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
800. अन्य व्यय			
(03) बड़े पौधों की तैयारी			
[01] विकास कार्य			
मू.	3,86.00		
पु.	- 1,14.64	2,71.36	2,70.89
			- 0.47

31 मार्च 2020 को ₹ 1,14.64 लाख का प्रावधान कम पौधारोपण के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव			
(01) वन क्षेत्रों का संधारण			
मू.	7,50.00		
पु.	- 2,46.38	5,03.62	5,03.62
			..

31 मार्च 2020 को ₹ 2,46.38 लाख का प्रावधान वन क्षेत्रों में लघु निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव			
(16) आकल बुड फोसिल पार्क			
[01] विकास कार्य			
मू.	1,50.00		
पु.	- 1,50.00	..	..
			..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110. वन्य जीव			
(17) प्रोजेक्ट लेपर्ड			
[01] विकास कार्य			
मू.	5,00.00		
पु.	- 2,02.66	2,97.34	2,97.34
			..

31 मार्च 2020 को ₹ 2,02.66 लाख का प्रावधान लघु निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

अनुदान संख्या 010 – विविध सामान्य सेवाएं  
मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2075. विविध सामान्य सेवाएं

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
राजस्व				
दत्तमत				
मूल	5,03,62,37	5,91,97,25	5,91,51,56	– 45,69
अनुपूरक	88,34,88			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				45,24

टिप्पणी तथा टीका :

दत्तमत

- ₹ 45.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 88,34.88 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

**अनुदान संख्या 011 – विविध सामाजिक सेवाएं**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,  
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान और  
 3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण  
 पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय और  
 5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान  
 पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	59,36,01	59,36,01	43,92,02	- 15,43,99
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				15,41,13
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3	3	..	- 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				3
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	10,71,36	10,71,36	3,75,22	- 6,96,14
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				6,95,98

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 34,12.26 लाख, ₹ 18,95.83 लाख, ₹ 28,94.92 लाख, ₹ 12,16.97 लाख तथा ₹ 15,43.99 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 17.95 प्रतिशत से 33.77 प्रतिशत के बीच थी। इन निरन्तर बचतों के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये है।

## अनुदान संख्या 011 – (क्रमशः)

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
102. धार्मिक तथा पूर्त अक्षयनिधि अधिनियमों का प्रशासन			
(01) देवस्थान तथा धर्मपुरा-प्रतिबद्ध			
मू.	20,10.31	15,83.15	15,82.70
पु.	- 4,27.16		
₹ 4,27.16 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 451 स्वीकृत पदों में से 255 पदों के रिक्त रहने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने को आरोपित की गयी।			
800. अन्य व्यय			
(02) तीर्थ यात्रा योजना			
[01] वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना			
मू.	10,75.00	9,59.17	9,59.17
पु.	- 1,15.83		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,15.83 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा स्थगित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(03) ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिरों के पुनरुत्थान हेतु सहायता			
मू.	2,90.00	80.00	80.00
पु.	- 2,10.00		
31 मार्च 2020 को ₹ 2,10.00 लाख का प्रावधान आयोजना विभाग द्वारा व्यय सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
800. अन्य व्यय			
(03) सरसेक/सेट कॉम नेटवर्क			
मू.	1,91.00	21.18	21.18
पु.	- 1,69.82		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,69.82 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
800. अन्य व्यय			
(12) विज्ञान एवं तकनीकी			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	7,15.08	5,81.30	5,81.22
पु.	- 1,33.78		
₹ 1,33.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 011 - (समाप्त)

### पूंजी

#### दत्तमत

1. वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 29,60.68 लाख, ₹ 25,95.72 लाख, ₹16,04.48 लाख, ₹ 5,63.77 लाख तथा ₹ 6,96.14 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 59.21 प्रतिशत से 76.39 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण दिये गये।
- 2 बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) तीर्थ यात्रियों के लिए पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से निर्माण कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू. 5,19.47	2,58.40	2,58.40	..
पु. - 2,61.07			

31 मार्च 2020 को ₹ 2,61.07 लाख का प्रावधान आयोजना विभाग द्वारा व्यय सीमा में कटौती करने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय
800. अन्य व्यय
- (02) विज्ञान एवं तकनीक

मू. 4,50.01	77.90	77.90	..
पु. - 3,72.11			

31 मार्च 2020 को ₹ 3,72.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।



अनुदान संख्या 012 - अन्य कर

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण,  
2041. वाहन कर,  
2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क और  
3055. सड़क परिवहन  
पूंजी - 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय और  
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	6,36,83,94	8,41,06,18	7,43,25,30	- 97,80,88
अनुपूरक	2,04,22,24			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				93,94,98
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4	61,74	58,55	- 3,19
अनुपूरक	61,70			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				3,19
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	24,00,06	24,00,06	12,84,56	- 11,15,50
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				11,15,50

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 97,80.88 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2020 में लिया गया ₹ 2,04,22.24 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 97,80.88 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 3,85.90 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 1,38,00.58 लाख, ₹ 80,24.66 लाख, ₹ 69,51.68 लाख, ₹ 1,28,82.14 लाख तथा ₹ 97,80.88 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.17 प्रतिशत से 28.63 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

### अनुदान संख्या 012 – (क्रमशः)

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण			
03. पंजीकरण			
001. निदेशन और प्रशासन			
(03) जिला संगठन			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	60,94.68	45,70.54	45,70.14
पु.	- 15,24.14		
			- 0.40

₹ 15,24.14 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कुल 710 स्वीकृत पदों में से कुल 98 पद जिनमें संयुक्त विधि सलाहकार (01), उप महानिरीक्षक (वृत्त)(04), प्रोग्रामर (01), उप पंजीयक (89) तथा सहायक लेखाधिकारी (03) के पद रिक्त रहने, (ii) कम्प्यूटर्स का वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (ए एम सी) में देरी होने के कारण कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने, (iii) डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अभिलेखों की स्कैनिंग तथा अनुक्रमण के कार्य की स्वीकृति जारी करने, (iv) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा निगमित (एन आई सी एस आई) द्वारा ई-रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर संचालित करने हेतु दावे प्रस्तुत न करने, (v) कम्प्यूटर संचालक हेतु निविदा में स्वीकृत दर से कम दरें प्राप्त होने तथा (vi) कोविड-19 महामारी को देखते हुए मार्च, 2020 के अन्तिम पखवाड़े में लॉकडाउन की स्थिति के कारण बकाया बिलों का भुगतान न होने को आरोपित की गयी।

2041. वाहन कर  
001. निदेशन और प्रशासन  
(04) संचालन परिवहन  
[01] मुख्यालय-प्रतिबद्ध

मू.	12,40.30	10,86.07	10,86.04
पु.	- 1,54.23		
			- 0.03

₹ 1,54.23 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

101. संग्रहण प्रभार  
(03) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण

मू.	16,06.51	12,45.05	12,45.05
पु.	- 3,61.46		
			..

31 मार्च 2020 को ₹ 3,61.46 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

101. संग्रहण प्रभार  
(04) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी  
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध

मू.	82,86.05	62,44.44	62,42.65
पु.	- 20,41.61		
			- 1.79

₹ 20,41.61 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों, कार्यालय व्ययों तथा संविदा व्ययों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 012 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(12) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त/ रियायती यात्राओं की राशि का पुनर्भरण			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	2,00,00.00	1,74,99.94	1,74,99.94
पु .	- 25,00.06		
800. अन्य व्यय			
(08) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	66,40.55	10,07.03	10,06.58
पु .	- 56,33.52		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 81,33.58 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण			
01. स्टाम्प- न्यायिक			
101. स्टाम्पों की लागत			
(01) स्टाम्प मुद्रण			
[01] ज्यूडिशियल स्टाम्प का मुद्रण -प्रतिबद्ध			
मू .	1,10.00	8,03.69	8,03.69
पु .	6,93.69		
02. स्टाम्प- न्यायिकेतर			
101. स्टाम्पों की लागत			
(01) स्टाम्प मुद्रण			
[01] नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का मुद्रण -प्रतिबद्ध			
मू .	20,00.00	36,64.79	36,64.79
अ .	4,22.25		
पु .	12,42.54		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,36.23 लाख की अतिरिक्त निधियां ज्यूडिशियल तथा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्पों की अधिक मांग हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 012 - (समाप्त)

6. निम्नलिखित शीर्ष में अन्तिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्द्धन अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण			
02. स्टाम्प- न्यायिकेत्तर			
102. स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय			
(01) स्टाम्प विक्रय			
[01] अभिकर्ताओं को विक्रय पर कमीशन-प्रतिबद्ध			
मू.	12,30.00	19,34.61	15,59.77
पु.	7,04.61		
			- 3,74.84

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,04.61 लाख की अतिरिक्त निधियां स्टाम्पों की बिक्री के अनुसार अभिकर्ताओं को कमीशन के भुगतान के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, कमीशन का वास्तविक भुगतान कुल अनुमानों से कम था, परिणामतः शीर्ष में ₹ 3,74.84 लाख की अंतिम बचत रही।

### पूँजी

#### दत्तमत

- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 1,49,00.06 लाख, ₹ 2,01,00.02 लाख, ₹ 93,50.03 लाख, ₹ 3,76.28 लाख तथा ₹ 11,15.50 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 10.38 प्रतिशत से 92.57 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5055. सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			
050. भूमि तथा भवन			
(01) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि			
[01] सिविल कार्य			
मू.	20,00.01	12,54.56	12,54.56
पु.	- 7,45.45		
			..

31 मार्च 2020 को ₹ 7,45.45 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

- अन्य व्यय
- (01) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि
- [01] सड़क सुरक्षा गतिविधियों पर पूँजीगत परिव्यय

मू.	3,00.01	..	..
पु.	- 3,00.01		
			..

31 मार्च 2020 को ₹ 3,00.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 013 - आबकारी

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2039. राज्य उत्पाद शुल्क  
पूंजी - 5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,68,79,19			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)		1,68,79,19	1,48,42,74	- 20,36,45
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	1,60			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		1,61	1,61	..
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)		1	..	- 1

**टिप्पणी तथा टीका:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
<b>शीर्ष</b>				
2039. राज्य उत्पाद शुल्क				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध				
मू.	22,62.66			
पु.	- 9,29.38			
		13,33.28	13,33.27	- 0.01

₹ 9,29.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 224 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 73 पदों के रिक्त रहने, कुछ कार्मिकों का अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने तथा महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 में देय महंगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) मीडिया प्लान के अनुमोदन नहीं होने के कारण विज्ञापन एवं प्रचार पर कम व्यय होने, (iii) प्रोत्साहन तथा मानदेय के लिये कम निधियां जारी होने तथा (iv) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण फर्म द्वारा मदों की आपूर्ति नहीं होने तथा फर्म के बिल पारित नहीं होने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 014 – बिक्री कर**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर और  
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार  
पूंजी – 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	9,44,53,77	9,44,53,77	8,57,87,27	– 86,66,50
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	6	13	7	– 6
अनुपूरक	7			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
6				

**पूंजी**

<b>दत्तमत</b>				
मूल	2	2	..	– 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
2				

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 86,66.50 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 41.00 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(02) डिजीजनल कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध				
मू.	29,47.73	26,19.56	26,19.55	– 0.01
पु.	– 3,28.17			

₹ 3,28.17 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 में देय महंगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 014 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) राजस्थान कर बोर्ड-प्रतिबद्ध			
मू.	5,16.91	4,08.58	4,08.59
पु.	- 1,08.33		
₹ 1,08.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सभापति, सदस्यों, रजिस्ट्रार इत्यादि सहित विभिन्न संवर्गों में स्थानान्तरण तथा सेवानिवृत्ति के कारण पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
101. संग्रहण प्रभार			
(02) अन्य जिला कार्यकारी कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	1,71,13.79	1,43,31.14	1,43,27.52
पु.	- 27,82.65		
₹ 27,82.65 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 में देय महंगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी			
[02] ब्याज अनुदान			
मू.	5,25.00	..	..
पु.	- 5,25.00		
31 मार्च 2020 को ₹ 5,25.00 लाख का समस्त प्रावधान वित्तीय वर्ष में निर्धारित अवधि के दौरान प्रकरणों का निपटान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
वर्ष 2018-19 के दौरान भी इसी कारण से ₹ 1,70.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी			
[05] एम्प्लॉयमेन्ट जनरेशन सब्सिडि			
मू.	37,78.38	14,95.29	14,95.29
पु.	- 22,83.09		
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी			
[07] इन्वेस्टमेंट सब्सिडि (रिप्स-2014)			
मू.	68,35.20	54,16.00	54,16.00
पु.	- 14,19.20		

## अनुदान संख्या 014 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी			
[08] एम्पलायमेन्ट जनरेशन सब्सिडि (रिफ्स-2014)			
मू.	10,46.93		
		4,07.98	
पु.	- 6,38.95		
		4,07.98	..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 43,41.24 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए माह मार्च, 2020 के अंतिम पखवाड़े में राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण प्रकरणों के निपटान नहीं होने तथा कोषालय द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार

101. संग्रहण प्रभार

(02) शीर्ष 2040 बिक्री कर से स्थानान्तरित संयुक्त

स्थापना का आनुपातिक व्यय

[01] आनुपातिक व्यय का स्थानांतरण-प्रतिबद्ध

मू.
 92,05.37 |  |  |

 78,93.03 | 79,11.69 | + 18.66 |

पु.
 - 13,12.34 |  |  |

31 मार्च 2020 को ₹ 13,12.34 लाख का प्रावधान "बिक्री कर", "विद्युत कर", "मनोरंजन कर" तथा "वस्तु एवं सेवा कर" के तहत राजस्व प्राप्तियों के संग्रह के अनुपात में स्थानान्तरित संयुक्त स्थापना के आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 18.66 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।



अनुदान संख्या 015 – पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,25,67,68,05	2,25,67,68,05	2,07,59,75,71	- 18,07,92,34
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	12,00,04	12,00,04	1,55,67	- 10,44,37
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
4,19,37				

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 18,07,92.34 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 72,15.21 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ				
01. सिविल				
101. अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते				
(01) राज्य कर्मचारियों को पेंशन-प्रतिबद्ध				
मू.	1,02,11,55.00	96,16,08.24	95,65,89.75	- 50,18.49
पु.	- 5,95,46.76			
31 मार्च 2020 को ₹ 5,95,46.76 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 50,18.49 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।				
01. सिविल				
104. उपदान				
(02) कर्मचारियों के इयूटी पर रहते हुए मृत्यु के फलस्वरूप अनुग्रह अनुदान-प्रतिबद्ध				
मू.	15,00.00	6,12.36	6,12.31	- 0.05
पु.	- 8,87.64			
31 मार्च 2020 को ₹ 8,87.64 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।				

**अनुदान संख्या 015 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
115. छुट्टी नगदीकरण हितलाभ			
(01) सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नगदीकरण हित लाभ			
[01] कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नगदीकरण हित लाभ-प्रतिबद्ध			
मू.	18,50,00.00	11,39,33.35	11,38,33.38
पु.	- 7,10,66.65		
			- 99.97

31 मार्च 2020 को ₹ 7,10,66.65 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 6,75,53.41 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 35,13.24 लाख) किया गया, जिसके तथा ₹ 99.97 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

01. सिविल			
117. निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान			
(01) निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान-प्रतिबद्ध			
[01] राज्य सरकार का नियमित अंशदान-प्रतिबद्ध			
मू.	23,53,46.00	19,54,80.50	19,54,80.50
पु.	- 3,98,65.50		
			..

31 मार्च 2020 को ₹ 3,98,65.50 लाख का प्रावधान एन एस डी एल द्वारा अनुमान से कम परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्राण) जारी करने तथा कर्मचारियों के वेतन निर्धारण नहीं होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार का मैचिंग अंशदान हस्तांतरित नहीं हो सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. सिविल			
117. निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान			
(01) निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान-प्रतिबद्ध			
[02] सेवानिवृत्ति के अंतिम तीन माह हेतु राज्य सरकार का अंशदान-प्रतिबद्ध			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00		
			..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान आई एफ एम एस के पे-मैनेजर पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से एक माह पूर्व के राजकीय अंशदान का भुगतान सीधे ही आहरण एवं वितरण अधिकारियों के माध्यम से किया जाना प्रक्रियाधीन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. सिविल			
800. अन्य व्यय			
(01) पेंशन हित लाभ भुगतान में विलम्ब पर ब्याज का भुगतान -प्रतिबद्ध			
मू.	3,00.00	1,48.81	1,48.67
पु.	- 1,51.19		
			- 0.14

31 मार्च 2020 को ₹ 1,51.19 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 015 - (समाप्त)**

3. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्धन अत्यधिक था:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
105. परिवार पेंशन			
(01) कर्मचारियों के आश्रितों को परिवार पेंशन			
[01] कर्मचारियों के आश्रितों को परिवार पेंशन-प्रतिबद्ध			
मू.	25,28,60.00		
	25,49,46.90	25,34,18.26	- 15,28.64
पु.	20,86.90		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,86.90 लाख की अतिरिक्त निधियां तथा ₹ 15,28.64 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**प्रभारित**

- ₹ 10,44.37 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 6,25.00 लाख अनूअभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ			
01. सिविल			
106. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार			
(01) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन सम्बन्धी प्रभार			
[01] उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन सम्बन्धी प्रभार (प्रभृत) -प्रतिबद्ध			
मू.	12,00.00		
	7,80.67	1,55.67	- 6,25.00
पु.	- 4,19.33		

31 मार्च 2020 को ₹ 4,19.33 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 6,25.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 016 - पुलिस

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2055. पुलिस और  
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं  
पूंजी - 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	63,62,99,11			
अनुपूरक	74,39,76	64,37,38,87	61,69,33,19	- 2,68,05,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2,72,14,29
<b>प्रभारित</b>				
मूल	26,66			
अनुपूरक	52,22	78,88	78,60	- 28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				29
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,74,60,78			
अनुपूरक	43,09,13	2,17,69,91	1,50,60,83	- 67,09,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				65,34,74
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				

### राजस्व

#### दत्तमत

1. फरवरी, 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 74,39.76 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 2,68,05.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, राशि ₹ 2,72,14.29 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।

**अनुदान संख्या 016 – (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2055. पुलिस			
003. शिक्षा और प्रशिक्षण			
(03) पुलिस विश्वविद्यालय			
[01] सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर को अनुदान			
मू.	5,23.01	3,92.25	3,92.25
पु.	- 1,30.76		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,30.76 लाख का प्रावधान पिछले वर्ष के अनुपयोजित अनुदान के उपयोग के कारण विश्वविद्यालय को कम अनुदान जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
109. जिला पुलिस			
(02) केन्द्रीय कार्यालय, बैंक आदि के लिए रक्षादल			
[01] केन्द्रीय कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	25,75.30	19,64.63	19,63.99
पु.	- 6,10.67		
109. जिला पुलिस			
(03) मेवाड भील निकाय-प्रतिबद्ध			
मू.	67,53.50	56,77.47	56,74.68
पु.	- 10,76.03		

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 16,86.70 लाख का प्रावधान (i) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने, (ii) कर्मचारियों से समर्पित अवकाश के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होने, (iii) सिपाहियों की भर्ती में देरी होने तथा (iv) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण मार्च, 2020 के अन्तिम दिनों में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

109. जिला पुलिस			
(06) यातायात पुलिस			
[01] यातायात व्यवस्था-प्रतिबद्ध			
मू.	1,66,72.00	1,47,49.03	1,47,48.60
पु.	- 19,22.97		

₹ 19,22.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने, (ii) कर्मचारियों से समर्पित अवकाश के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होने, (iii) सिपाहियों की भर्ती में देरी होने तथा (iv) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण मार्च, 2020 के अन्तिम दिनों में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने को आरोपित किया गया।

**अनुदान संख्या 016 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2055. पुलिस			
109. जिला पुलिस			
(10) पुलिस आयुक्त प्रणाली			
[03] जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन-प्रतिबद्ध			
मू.	30,06.00		
पु.	- 5,82.46	24,23.54	24,23.35
			- 0.19

31 मार्च 2020 को ₹ 5,82.46 लाख का प्रावधान (i) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने, (ii) कर्मचारियों से समर्पित अवकाश के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होने, (iii) सिपाहियों की भर्ती में देरी होने तथा (iv) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण मार्च, 2020 के अन्तिम दिनों में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

109. जिला पुलिस

(11) सामान्य पुलिस

[01] सामान्य पुलिस निष्पादन-प्रतिबद्ध

मू.	33,69,57.80		
अ.	61,69.74	32,90,16.45	32,88,79.23
पु.	- 1,41,11.09		- 1,37.22

फरवरी, 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 61,69.74 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों, यात्रा व्यय तथा कार्यालय व्यय पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से भी कम था।

₹ 1,41,11.09 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने, (ii) कर्मचारियों से समर्पित अवकाश के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होने, (iii) सिपाहियों की भर्ती में विलम्ब तथा (iv) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण मार्च, 2020 के अन्तिम दिनों में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने को आरोपित किया गया।

₹ 1,37.22 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण

(03) विधि विज्ञान शाला का आधुनिकीकरण

मू.	9,13.00		
पु.	- 2,51.73	6,61.27	6,26.22
			- 35.05

₹ 2,51.73 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण मार्च, 2020 के अन्तिम दिनों में उपकरणों की आपूर्ति नहीं होने तथा आपूर्ति किये गये मर्दों के बिल पास नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

₹ 35.05 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण उपकरण की आपूर्ति नहीं होने तथा फर्म द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्री के बिल पास नहीं होने के कारण रही।

115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण

(08) भ्रष्टाचार ब्यूरो का आधुनिकीकरण

मू.	2,20.45		
पु.	- 1,83.21	37.24	37.14
			- 0.10

31 मार्च 2020 को ₹ 1,83.21 लाख का प्रावधान मशीनों तथा उपकरणों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 016 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2055. पुलिस			
115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण			
(09) स्टूडेंट पुलिस केडेट (एस.पी.सी.)			
[01] पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रशिक्षण			
मू.	10,03.73	29.99	29.99
पु.	- 9,73.74		..
31 मार्च 2020 को ₹ 9,73.74 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए 23 मार्च 2020 से राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण मार्च, 2020 के अन्तिम दिनों में कोषालयों द्वारा बिल पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण			
(10) सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फार सिव्योरिटी काउण्टर टेरेरिज्म एवं एंटी इंसरजेंसी			
[01] केन्द्र की स्थापना			
मू.	1,00.04	..	..
पु.	- 1,00.04		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,00.04 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			
800. अन्य व्यय			
(01) पुलिस डवलपमेन्ट फण्ड			
मू.	4,99.99	3,86.38	3,86.38
पु.	- 1,13.61		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,13.61 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण मार्च, 2020 के अंतिम दिनों में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
106. सिविल रक्षा			
(02) अग्नि सेवा-प्रतिबद्ध			
मू.	7,56.84	5,63.79	5,64.60
पु.	- 1,93.05		+ 0.81
₹ 1,93.05 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों, प्रोत्साहन तथा मानदेय पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			

**अनुदान संख्या 016 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
106. सिविल रक्षा			
(03) सिविल सुरक्षा			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	17,99.20	15,44.08	15,43.55
पु.	- 2,55.12		
₹ 2,55.12 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों, प्रोत्साहन तथा मानदेय पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
107. होम गार्ड			
(01) नगरीय गृह रक्षा			
मू.	77,04.40	67,52.97	67,52.63
पु.	- 9,51.43		
₹ 9,51.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों, प्रोत्साहन तथा मानदेय पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

4. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान में कटौती अनावश्यक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2055. पुलिस			
109. जिला पुलिस			
(01) समान्य पुलिस			
[04] रेलवे वारंट-प्रतिबद्ध			
मू.	6,00.00	6.00	6,68.26
पु.	- 5,94.00		
31 मार्च 2020 को ₹ 5,94.00 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण मार्च, 2020 के अंतिम दिनों में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 6,62.26 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. फरवरी, 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 43,09.13 लाख प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 67,09.08 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,74.34 लाख अनुअभ्यर्पित रही।



**अनुदान संख्या 016 – (क्रमशः)**

3. वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 21,99.47 लाख, ₹ 4,70.27 लाख, ₹ 29,60.32 लाख, ₹ 34,48.37 लाख तथा ₹ 67,09.08 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल प्रावधान की 11.27 प्रतिशत से 31.84 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
207. राज्य पुलिस			
(01) पुलिस आधुनिकीकरण			
[01] आपराधिक शाखा			
मू.	6,41.27	4,54.25	4,54.08
पु.	- 1,87.02		
207. राज्य पुलिस			
(01) पुलिस आधुनिकीकरण			
[02] सामान्य पुलिस			
मू.	87,96.77	68,63.15	68,63.15
पु.	- 19,33.62		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 21,20.64 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण मार्च, 2020 के अंतिम दिनों में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
207. राज्य पुलिस			
(01) पुलिस आधुनिकीकरण			
[03] वितंतु पुलिस			
मू.	3,75.00	3,48.36	1,74.18
पु.	- 26.64		
₹ 26.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण मार्च 2020 के अंतिम दिनों में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने को आरोपित की गयी।			
₹ 1,74.18 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
207. राज्य पुलिस			
(01) पुलिस आधुनिकीकरण			
[04] कम्प्यूटर पुलिस			
मू.	17,00.01	..	..
पु.	- 17,00.01		

31 मार्च 2020 को ₹ 17,00.01 लाख का समस्त प्रावधान ग्राहक स्थानों और डेटा डिजिटिजेशन के बुनियादी ढांचे को उपलब्ध करवाने के लिए विभाग के नियमों और शर्तों के अनुसार निविदाएं न मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 016 – (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
207. राज्य पुलिस			
(02) जिला पुलिस			
[01] सामान्य पुलिस			
मू.	15,00.01		
अ.	43,09.13	37,72.38	37,72.38
पु.	- 20,36.76		..

फरवरी, 2020 में ₹ 43,09.13 लाख का अनुपूरक अनुदान पुलिस वाहनों की खरीद हेतु लिया गया जो शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्याधिक था।

31 मार्च 2020 को ₹ 20,36.76 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण मार्च, 2020 के अंतिम दिनों में कोषालयों द्वारा बिलों के पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 20,12.58 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 24.18 लाख) किया गया।

211. पुलिस आवास  
(01) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण  
निगम लिमिटेड के माध्यम से  
[90] निर्माण कार्य

मू.	17,00.00		
पु.	- 3,50.00	13,50.00	13,50.00

31 मार्च 2020 को ₹ 3,50.00 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

211. पुलिस आवास  
(03) आवास विकास के माध्यम से  
[90] निर्माण कार्य

मू.	27,47.71		
पु.	- 3,00.68	24,47.03	24,47.03

31 मार्च 2020 को ₹ 3,00.68 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 017 - कारागार

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2056. जेल

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,94,37,97	2,06,76,16	1,97,14,46	- 9,61,70
अनुपूरक	12,38,19			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2	5,57	5,55	- 2
अनुपूरक	5,55			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
9,42,36				

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

राजस्व

दत्तमत

- फरवरी, 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 12,38.19 लाख का प्रावधान अनुदान के अन्तर्गत ₹ 9,61.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अत्यधिक था।
- ₹ 9,61.70 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 19.34 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) प्रशासन			
[01] मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	11,26.98	10,16.35	- 2.39
पु.	- 1,10.63		

₹ 1,10.63 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुये राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय, (ii) 2015 में प्रहरी भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय को जी.एस.टी. का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि यह अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार देय नहीं था तथा (iii) बंदी कल्याण कोष और कर्मचारी कल्याण कोष की व्यय सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 017 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2056. जेल			
101. जेल			
(06) जेलों में विडियों कांफ्रेंसिंग सुविधा			
मू.	6,48.45		
		3,94.83	3,89.29
पु.	- 2,53.62		- 5.54

31 मार्च 2020 को ₹ 2,53.62 लाख का प्रावधान (i) कोविड-19 महामारी के कारण यू.पी.एस. की स्थापना नहीं होने, (ii) क्रय किये जाने वाले उपकरणों के लिए राज्य समिति द्वारा विनिर्देश के निर्धारण में देरी तथा (iii) कुछ वस्तुओं की खरीद के लिए निविदा में कम दर प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,79.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 74.61 लाख) किया गया ।

₹ 5.54 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।

**अनुदान संख्या 018 - जन-सम्पर्क**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2220. सूचना तथा प्रचार**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,04,63,01	1,04,63,01	87,35,43	- 17,27,58
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
				17,24,85
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
				1

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2220. सूचना तथा प्रचार				
60. अन्य				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) निदेशन तथा प्रशासन				
[01] निदेशालय संस्थापन-प्रतिबद्ध				
मू.	87,86.61	74,89.79	74,87.15	- 2.64
पु.	- 12,96.82			

₹ 12,96.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 242 स्वीकृत पदों में से 90 पदों के रिक्त रहने, (ii) वित्त विभाग द्वारा 'प्रकाशन' के अन्तर्गत व्यय सीमा में कटौती करने तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन स्थिति के कारण कोषालय में बिलों के पारित नहीं होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 018 - (समाप्त )

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2220. सूचना तथा प्रचार			
60. अन्य			
102. सूचना केन्द्र			
(01) सामान्य सूचना सेवायें			
[01] जिला स्तरीय संस्थापन-प्रतिबद्ध			
मू.	6,06.21	4,79.86	4,79.78
पु.	- 1,26.35		
			- 0.08

31 मार्च 2020 को ₹ 1,26.35 लाख का प्रावधान मुख्यतः 160 स्वीकृत पदों में से 78 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

60. अन्य			
106. क्षेत्र प्रचार			
(01) जिला स्तर पर क्षेत्र प्रचार			
[01] जिला स्तर पर क्षेत्र प्रचार-प्रतिबद्ध			
मू.	10,38.99	7,37.32	7,37.31
पु.	- 3,01.67		
			- 0.01

31 मार्च 2020 को ₹ 3,01.67 लाख का प्रावधान मुख्यतः 175 स्वीकृत पदों में से 86 पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 019 – लोक निर्माण कार्य

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2059. लोक निर्माण कार्य  
 पूंजी – 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4211. परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और  
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	5,56,19,40			
अनुपूरक	..		5,56,19,40	4,42,64,48 – 1,13,54,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020 )				1,13,25,60
<b>प्रभारित</b>				
मूल	5,00			
अनुपूरक	24,66		29,66	27,47 – 2,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2,19
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	8,05,24,03			
अनुपूरक	1		8,05,24,04	4,22,11,78 – 3,83,12,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				3,79,75,32

**अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)**

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. ₹ 1,13,54.92 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 29.32 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
2. वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 38,04.05 लाख, ₹ 67,32.22 लाख, ₹ 47,36.46 लाख, ₹ 62,47.55 लाख तथा ₹ 1,13,54.92 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 8.65 प्रतिशत से 20.42 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[02] अधीक्षण-प्रतिबद्ध			
मू. 67,13.09	53,80.69	53,79.47	- 1.22
पु. - 13,32.40			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[03] निष्पादन-प्रतिबद्ध			
मू. 2,79,77.66	2,19,92.44	2,19,81.67	- 10.77
पु. - 59,85.22			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन			
[11] प्रधान कार्यालय एवं संभागीय कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू. 57,80.38	49,42.39	49,39.49	- 2.90
पु. - 8,37.99			

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 81,55.61 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, जिसके तथा शीर्ष "2059-80-001(01) [03]" के अंतर्गत ₹ 10.77 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।"

80. सामान्य
004. योजना तथा अनुसंधान
- (01) अनुसंधान-प्रतिबद्ध

मू. 22,52.60	19,10.45	19,08.87	- 1.58
पु. - 3,42.15			

₹ 3,42.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।



**अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (य लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2059. लोक निर्माण कार्य				
80. सामान्य				
052. मशीनरी तथा उपस्कर				
(01) मशीनों का संधारण				
[02] जीर्णोद्धार एवं ढुलाई व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	12,24.50	10,89.65	10,89.07	- 0.58
पु.	- 1,34.85			

₹ 1,34.85 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

80. सामान्य				
053. रखरखाव तथा मरम्मत				
(04) पंजीयक, राजस्व मण्डल-प्रतिबद्ध				
मू.	5,00.00	82.28	82.18	- 0.10
पु.	- 4,17.72			

31 मार्च 2020 को ₹ 4,17.72 लाख का प्रावधान मजदूरी एवं मरम्मत तथा रखरखाव कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

80. सामान्य				
053. रखरखाव तथा मरम्मत				
(06) महानिरीक्षक, जेल विभाग-प्रतिबद्ध				
मू.	9,00.00	7,97.72	7,97.74	+ 0.02
पु.	- 1,02.28			

31 मार्च 2020 को ₹ 1,02.28 लाख का प्रावधान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया तथा कार्य आदेश देरी से जारी करने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन प्रभावी होने के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों के इ.सी.एस./पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य				
053. रखरखाव तथा मरम्मत				
(08) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग-प्रतिबद्ध				
मू.	5,00.00	65.68	65.68	..
पु.	- 4,34.32			

₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान 59 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के लिए अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2020 को ₹ 4,34.32 लाख की प्रत्याशित बचत कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नये भवन निर्माण की स्वीकृति जारी न होने के कारण अभ्यर्पित की गयी।

**अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(12) महानिरीक्षक, पुलिस विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	15,00.00	10,66.36	10,66.04
पु.	- 4,33.64		
			- 0.32

31 मार्च 2020 को ₹ 4,33.64 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन प्रभावी होने के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(21) कार्मिक विभाग, सचिवालय-प्रतिबद्ध			
मू.	4,79.80	3,66.49	3,65.59
पु.	- 1,13.31		
			- 0.90

31 मार्च 2020 को ₹ 1,13.31 लाख का प्रावधान मरम्मत तथा रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

80. सामान्य			
053. रखरखाव तथा मरम्मत			
(22) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग-प्रतिबद्ध			
मू.	4,00.00	2,39.77	2,39.77
पु.	- 1,60.23		
			..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,60.23 लाख का प्रावधान मरम्मत तथा रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**4. उच्चत -** लघु शीर्ष "उच्चत" अस्थायी रूप से प्राप्तियों एवं संवितरणों को सम्मिलित करता है जो अंतरिम संव्यवहारों की प्रकृति के हैं। यद्यपि, उनको पूर्ण रूप देने और अंतिम रूप से लेखांकित करने के पूर्व मूल्यों का आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदनुसार, "उच्चत" में राशि वर्षानुवर्ष अग्रनीत की जाती है।

लोक निर्माण कार्यों के लेखों में उच्चत के तीन उप-भाग हैं, यथा (i) स्टॉक, (ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम तथा (iii) वर्कशाप उच्चत, जैसा नीचे स्पष्ट किया गया है :-

**(i) स्टॉक -** इस शीर्ष में किसी विशेष निर्माण कार्य हेतु नहीं अपितु खण्ड में सामान्य उपयोग हेतु जो सामग्रियां प्राप्त की जाती हैं, का मूल्य लेखांकित किया जाता है। विशेष कार्यों पर प्रयोग के लिए जारी की गयी या बेची गयी अथवा अन्य खण्डों को स्थानान्तरित सामग्रियों का मूल्य, अन्तरण द्वारा इस उपभाग के अन्तर्गत लेखों से हटाया जाता है। प्राप्त सामग्रियों के मूल्य जिसका, उसी माह में भुगतान नहीं किया गया हो, का अभिलेख रखने के लिये अब एक ब्यौरेवार शीर्ष "खरीद" भी परिचालित किया गया है। अतः उप भाग स्टॉक, भण्डार में रखी गयी सामग्रियों का पुस्तक मूल्य (बाजार मूल्यों से पृथक) और विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, जो इस उप भाग को प्रभारित किया जाता है जिसके द्वारा अभी भुगतान किये जाने वाले या समायोजित किये जाने वाले सामान का मूल्य घटाकर, रहे शेष को दर्शाता है।

**(ii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम -** इस शीर्ष के अंतर्गत उधार बेची गयी सामग्री का मूल्य जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा से अधिक किया गया व्यय, खोई गयी नकद राशि, भण्डार का मूल्य जो अभी अपलिखित नहीं किया गया हो तथा सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूली योग्य राशियां लेखा बद्ध की जाती हैं। शेष वसूली योग्य राशि का द्योतक है।

### अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

(iii) **वर्कशाप उचन्त** –सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कशापों में निष्पादित कार्यों अथवा अन्य संकायों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन होने तक, इस उप शीर्ष में पुस्तांकित किये जाते हैं।

2019-20 में इस अनुदान में “उचन्त” लेन देनों का विश्लेषण “उचन्त” के विभिन्न उप-शीर्षों के अधीन प्रारम्भिक तथा अन्त शेष सहित दिया गया है :-

“उचन्त” लघु शीर्ष का उपभाग	प्रारम्भिक शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
(₹ लाख में)				
स्टॉक	(+) 4,53.61	..	..	(+) 4,53.61
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 2,23.33	..	..	(+) 2,23.33
योग	(+) 6,76.94	..	..	(+) 6,76.94

### पूँजी

#### दत्तमत

- ₹ 3,83,12.26 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 3,36.94 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 3,19,13.49 लाख, ₹ 8,98,16.59 लाख, ₹ 6,25,15.12 लाख, ₹ 4,64,45.00 लाख तथा ₹ 3,83,12.26 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 27.94 प्रतिशत से 55.52 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों के मूल अनुमान से धीमी प्रगति/कम निष्पादन होने के कारण बतायी गयी।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय 211. पुलिस आवास (02) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से [90] निर्माण कार्य			
मू.	20,34.20	14,36.61	14,35.89
पु.	- 5,97.59		
31 मार्च 2020 को ₹ 5,97.59 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
211. पुलिस आवास (02) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से [91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,62.74	48.45	48.45
पु.	- 1,14.29		

31 मार्च 2020 को ₹ 1,14.29 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू. 28,89.75	8,67.15	8,67.16	+ 0.01
पु. - 20,22.60			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू. 10,83.60	3,25.19	3,25.18	- 0.01
पु. - 7,58.41			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 27,81.01 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(01) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू. 23,18.19	17,46.21	17,33.35	- 12.86
पु. - 5,71.98			
31 मार्च 2020 को ₹ 5,71.98 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 12.86 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(02) सामान्य भवन (अन्य प्रशासनिक सेवाएं-सामान्य प्रशासनिक भवन)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू. 19,98.16	13,59.10	13,59.10	..
पु. - 6,39.06			
31 मार्च 2020 को ₹ 6,39.06 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[01] नवीन उच्च न्यायालय भवन, जोधपुर (आर.एस.आर.डी.सी.सी. के माध्यम से)			
मू.	36,50.00	15,74.83	15,74.83
पु.	- 20,75.17		
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[02] राजस्थान न्यायिक अकादमी भवन, जोधपुर (आर.एस.आर.डी.सी.सी. के माध्यम से)			
मू.	2,70.55	1,00.00	1,00.00
पु.	- 1,70.55		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 22,45.72 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[03] अन्य न्यायिक भवन			
मू.	1,73,98.68	68,53.57	68,13.91
पु.	- 1,05,45.11		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,05,45.11 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,02,26.90 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,18.21 लाख) किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 39.66 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)			
[06] न्याय प्रशासन विभाग			
मू.	8,84.96	6,11.57	6,11.57
पु.	- 2,73.39		
31 मार्च 2020 को ₹ 2,73.39 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(04) सामान्य भवन (जेलों)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू. 8,55.75	5,37.55	5,37.55	..
पु. - 3,18.20			
31 मार्च 2020 को ₹ 3,18.20 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)			
[01] मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू. 51,59.29	23,64.59	23,62.29	- 2.30
पु. - 27,94.70			
31 मार्च 2020 को ₹ 27,94.70 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)			
[02] गृह रक्षा विभाग			
मू. 3,45.13	2,00.00	2,00.00	..
पु. - 1,45.13			
31 मार्च 2020 को ₹ 1,45.13 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(06) सामान्य भवन (पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत बनने वाले भवन)			
मू. 4,42.48	3,28.68	3,26.84	- 1.84
पु. - 1,13.80			
31 मार्च 2020 को ₹ 1,13.80 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन प्रभावी होने के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(13) सामान्य भवन (स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग)			
मू. 6,72.40	2,53.19	2,52.45	- 0.74
पु. - 4,19.21			
31 मार्च 2020 को ₹ 4,19.21 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(15) सामान्य भवन (राज्य आबकारी)			
मू. 9,11.50	4,25.53	4,21.55	- 3.98
पु. - 4,85.97			
31 मार्च 2020 को ₹ 4,85.97 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(22) सामान्य भवन (वाणिज्यिक कर विभाग)			
मू. 13,19.81	10,44.64	10,44.64	..
पु. - 2,75.17			
31 मार्च 2020 को ₹ 2,75.17 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(26) सामान्य भवन (रोजगार कार्यालय)			
मू. 2,43.80	0.05	0.05	..
पु. - 2,43.75			
31 मार्च 2020 को ₹ 2,43.75 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(27) सामान्य भवन (विधान सभा भवन का निर्माण)			
मू. 1,62.14	20.60	20.60	..
पु. - 1,41.54			
31 मार्च 2020 को ₹ 1,41.54 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

**अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(29) सामान्य भवन (यातायात भवनों का निर्माण)			
[01] भवनों का तथा ड्राइविंग ट्रेक का निर्माण			
मू.	3,33.94		
पु.	- 1,43.29	1,90.65	1,90.11
			- 0.54
31 मार्च 2020 को ₹ 1,43.29 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(30) सामान्य भवन (राजभवन में निर्माण)			
मू.	4,56.16		
पु.	- 2,68.03	1,88.13	1,88.13
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,68.03 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(36) कार्मिक विभाग का निर्माण कार्य (सचिवालय)			
मू.	3,45.65		
पु.	- 2,96.88	48.77	48.77
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,96.88 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(55) सामान्य भवन (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला)			
मू.	6,41.59		
पु.	- 2,59.51	3,82.08	3,82.08
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,59.51 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
051. निर्माण			
(58) सामान्य भवन (राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)			
[01] कार्यालय भवन निर्माण			
मू.	3,09.73		
पु.	- 1,32.75	1,76.98	1,76.98
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,32.75 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			



**अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
052. मशीनरी तथा उपस्कर			
(01) प्रतिशतता व्यय (सामान्य क्षेत्र)			
[92] औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू. 7,22.41	2,16.79	2,16.79	..
पु. - 5,05.62			
31 मार्च 2020 को ₹ 5,05.62 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
003. प्रशिक्षण			
(01) हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू. 9,01.65	5,83.13	5,74.83	- 8.30
पु. - 3,18.52			
31 मार्च 2020 को ₹ 3,18.52 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 8.30 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू. 13,49.56	12,29.56	11,63.58	- 65.98
पु. - 1,20.00			
31 मार्च 2020 को ₹ 1,20.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 65.98 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(03) चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू. 7,96.47	6,89.14	6,81.56	- 7.58
पु. - 1,07.33			
31 मार्च 2020 को ₹ 1,07.33 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 7.58 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

**अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(04) चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	9,65.19		
पु.	- 7,63.22	2,01.97	2,01.97
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 7,63.22 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(05) चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	7,07.96		
पु.	- 4,83.33	2,24.63	2,24.63
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 4,83.33 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(11) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,66,66.67		
पु.	- 85,36.07	81,30.60	81,30.60
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 85,36.07 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
4211. परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
101. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा			
(01) भवनों का निर्माण			
	..	..	- 1,58.59
			- 1,58.59
₹ 1,58.59 लाख का ऋण व्यय एस.एस.एन. योजना की अवशेष राशि जमा कराने के कारण था।			
4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
101. भवन			
(02) अन्य कार्य			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,18.53		
पु.	- 91.74	1,26.79	1,11.50
			- 15.29
31 मार्च 2020 को ₹ 91.74 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 15.29 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 03. पिछड़े वर्गों का कल्याण 277. शिक्षा (01) छात्रावास भवन निर्माण [90] निर्माण कार्य	मू. 2,52.21 पु. - 2,52.21	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,52.21 लाख का समस्त प्रावधान लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य शुरू नहीं करने के कारण बालिकाओं के छात्रावास भोपाल सागर (चित्तौड़गढ़) के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति रद्द किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02. समाज कल्याण 102. बाल कल्याण (01) भवन [90] निर्माण कार्य	मू. 5,84.07 पु. - 5,30.34	53.73	53.73 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 5,30.34 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. समाज कल्याण 800. अन्य व्यय (02) रैबारी एवं अन्य माइग्रेटरी समुदाय के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण [90] निर्माण कार्य	मू. 5,30.97 पु. - 2,14.12	3,16.85	3,16.85 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,14.12 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 800. अन्य व्यय (01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड [02] सैनिक विश्राम गृह का निर्माण	मू. 3,87.07 पु. - 3,40.01	47.06	47.06 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,40.01 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 019 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(04) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के लिए भवन निर्माण एवं सुदृढीकरण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	2,44.79	15.77	15.77
पु.	- 2,29.02		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,29.02 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
201. श्रम			
(02) खण्डीय एवं जिला कार्यालय			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,02.25	..	..
पु.	- 1,02.25		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,02.25 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
203. रोजगार			
(02) प्रशिक्षण			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	2,44.04	1,38.82	1,38.82
पु.	- 1,05.22		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,05.22 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
(07) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. XIX के अन्तर्गत पशु चिकित्सालयों एवं डिस्पेंसरियों के भवन निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,94.69	66.83	66.83
पु.	- 1,27.86		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,27.86 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 019 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(14) इण्डिया स्ट्रेथनिंग स्टेटिस्टिकल प्रोजेक्ट			
[90] निर्माण कार्य			
मू .	1,15.05	8.40	8.40
पु .	- 1,06.65		..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,06.65 लाख का प्रावधान सांख्यिकी भवन के निर्माण के लिए कुछ आपत्तियों के कारण वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 020 – आवास

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2216. आवास  
पूंजी – 4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय

			कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>					
<b>दत्तमत</b>					
मूल	71,13,39				
अनुपूरक	85,86		71,99,25	59,01,90	– 12,97,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)					12,76,59
<b>प्रभारित</b>					
मूल	1				
अनुपूरक	..		1	..	– 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)					1
<b>पूंजी</b>					
<b>दत्तमत</b>					
मूल	89,99,50				
अनुपूरक	..		89,99,50	26,40,90	– 63,58,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)					63,57,97

### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. फरवरी, 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा सरकारी आवासीय भवनों के मरम्मत हेतु लिया गया ₹ 85.86 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 12,97.35 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 20.76 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

**अनुदान संख्या 020 – (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2216. आवास				
05. साधारण पूल आवास				
053. रख रखाव तथा मरम्मत				
(01) सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय)				
[01] कार्य प्रभारित स्थापना-प्रतिबद्ध				
मू.	17,06.05	13,15.32	13,13.38	- 1.94
पु.	- 3,90.73			

31 मार्च 2020 को ₹ 3,90.73 लाख का प्रावधान मुख्यतः मजदूरी पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,47.53 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 43.20 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

05. साधारण पूल आवास				
053. रख रखाव तथा मरम्मत				
(02) न्याय विभाग				
[02] अन्य रख रखाव व्यय -प्रतिबद्ध				
मू.	7,30.00	4,67.98	4,67.58	- 0.40
पु.	- 2,62.02			

31 मार्च 2020 को ₹ 2,62.02 लाख का प्रावधान न्याय विभाग के आवासों की मरम्मत एवं रख-रखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

05. साधारण पूल आवास				
053. रख रखाव तथा मरम्मत				
(07) राजस्व विभाग के रिहायशी भवन-प्रतिबद्ध				
मू.	1,50.00	37.13	37.13	..
पु.	- 1,12.87			

31 मार्च 2020 को ₹ 1,12.87 लाख का प्रावधान राजस्व विभाग के आवासों की मरम्मत एवं रख रखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

05. साधारण पूल आवास				
053. रख रखाव तथा मरम्मत				
(08) पुलिस विभाग के रिहायशी भवन-प्रतिबद्ध				
मू.	20,00.00	17,54.08	17,43.81	- 10.27
पु.	- 2,45.92			

31 मार्च 2020 को ₹ 2,45.92 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रख रखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 10.27 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 020 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2216. आवास			
05. साधारण पूल आवास			
800. अन्य व्यय			
(02) साज सामान			
[01] सार्वजनिक निर्माण विभाग (सामान्य व्यय) - प्रतिबद्ध			
मू.	3,86.31	2,61.69	2,54.55
पु.	- 1,24.62		- 7.14

31 मार्च 2020 को ₹ 1,24.62 लाख का प्रावधान मजदूरी, मशीनरी एवं उपकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 7.14 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## पूँजी

## दत्तमत

- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 3,07.62 लाख, ₹ 8,36.59 लाख, ₹ 14,69.95 लाख, ₹ 8,99.43 लाख तथा ₹ 63,58.60 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट का 31.51 प्रतिशत से 70.66 प्रतिशत तक रही। निरन्तर बचत के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये हैं।
- बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत रहे आधिक्य से प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)			
[90] निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)			
मू.	64,85.62	9,07.78	9,07.78
पु.	- 55,77.84		..

31 मार्च 2020 को ₹ 55,77.84 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित (₹ 52,10.38 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,67.46 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	5,18.85	22.22	22.22
पु.	- 4,96.63		..



अनुदान संख्या 020 –(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)			
[92] औजार व संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	1,29.71	5.56	5.56
पु.	- 1,24.15		..
01. सरकारी रिहायशी भवन			
700. अन्य आवास			
(01) सामान्य आवासीय भवन (न्यायिक आवास)			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू.	1,94.57	8.33	8.33
पु.	- 1,86.24		..

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 8,07.02 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

### अनुदान संख्या 021 – सड़कों एवं पुल

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 3054. सड़क तथा सेतु  
 पूंजी – 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय और  
 7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	25,28,33,94	25,92,20,56	22,17,59,17	– 3,74,61,39
अनुपूरक	63,86,62			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				9,39,41,57
<b>प्रभारित</b>				
मूल	21,00	1,30,11	1,20,47	– 9,64
अनुपूरक	1,09,11			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				9,64
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	37,59,47,64	37,59,47,65	32,99,50,53	– 4,59,97,12
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				4,91,69,10

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. फरवरी, 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 63,86.62 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 3,74,61.39 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 9,39,41.57 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
3. वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 4,36,22.26 लाख, ₹ 1,43,84.87 लाख, ₹ 3,17,66.53 लाख, ₹ 3,06,30.27 लाख तथा ₹ 3,74,61.39 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.98 प्रतिशत से 24.18 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)**

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
03. राजकीय राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[01] सड़कों का संधारण-प्रतिबद्ध			
मू .	1,37,19.50	1,14,21.94	1,14,18.33
पु .	- 22,97.56		
			- 3.61

31 मार्च 2020 को ₹ 22,97.56 लाख का प्रावधान मजदूरी तथा सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

03. राजकीय राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(03) एशियन विकास बैंक द्वारा पोषित निजी सहभागिता परियोजना			
[01] अतिरिक्त परिचालन लागत			

मू .	1,32.00	9.25	9.25	..
पु .	- 1,22.75			

31 मार्च 2020 को ₹ 1,22.75 लाख का प्रावधान वाहन किरायों पर लेने तथा संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

03. राजकीय राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(03) एशियन विकास बैंक द्वारा पोषित निजी सहभागिता परियोजना			
[02] आधुनिकीकरण			

मू .	1,65.00	19.57	19.47	- 0.10
पु .	- 1,45.43			

31 मार्च 2020 को ₹ 1,45.43 लाख का प्रावधान विशिष्ट एवं वृत्तिक सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

03. राजकीय राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(04) विश्व बैंक द्वारा पोषित निजी सहभागिता परियोजना			
[02] आधुनिकीकरण			

मू .	1,44.00	..	..	..
पु .	- 1,44.00			

31 मार्च 2020 को ₹ 1,44.00 लाख का समस्त प्रावधान आधुनिकीकरण पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[01] जिला सड़कें-प्रतिबद्ध			
मू.	78,07.50		
पु.	- 12,29.53		
	65,77.97	65,79.44	+ 1.47

31 मार्च 2020 को ₹ 12,29.53 लाख का प्रावधान मजदूरी तथा सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(01) जिला सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार			
[03] अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	20,00.00		
पु.	- 4,45.90		
	15,54.10	15,53.80	- 0.30

31 मार्च 2020 को ₹ 4,45.90 लाख का प्रावधान त्यौहारों तथा प्रदर्शनियों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(06) महानगरीय सड़कों का संधारण एवं जीर्णोद्धार-प्रतिबद्ध			
मू.	13,53.05		
पु.	- 2,19.80		
	11,33.25	11,31.73	- 1.52

31 मार्च 2020 को ₹ 2,19.80 लाख का प्रावधान मजदूरी पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) ग्रामीण सड़कें			
[06] प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
मू.	1,00.00		
पु.	3,65.00		
	4,65.00	4,65.00	..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,65.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
80. सामान्य			
107. रेल सुरक्षा निर्माण कार्य			
(01) संधारण एवं जीर्णोद्धार-प्रतिबद्ध			
मू .	1,00.00	3,00.00	3,00.00
पु .	2,00.00		
			..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(04) रोड़ कट की मरम्मत-प्रतिबद्ध			
मू .	2,00.00	3,30.97	3,30.97
पु .	1,30.97		
			..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,30.97 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

6. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान में कटौती अत्यधिक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3054. सड़क तथा सेतु			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(01) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से			
(100% केन्द्र)			
[02] संधारण एवं जीर्णोद्धार			
मू .	1,73,49.00	..	1,49,81.60 + 1,49,81.60
पु .	- 1,73,49.00		

₹ 1,73,49.00 लाख का प्रावधान गत वर्षों के व्यय के रूझान के अनुसार अनुमानित था क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया गया जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गयी तथा बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा सड़कों पर किए गए वास्तविक व्यय को सूचित करता है।

31 मार्च 2020 को ₹ 1,73,49.00 लाख का समस्त प्रावधान सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा व्यय नहीं होने की प्रत्याशा में अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा रखरखाव के तहत ₹ 1,49,81.60 लाख का वास्तविक व्यय सूचित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1,49,81.60 लाख का व्यय बिना प्रावधान दर्शाता है, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
3054. सड़क तथा सेतु			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण (100% केन्द्र)			
मू.	7,50,00.00		
पु.	- 7,50,00.00	.. 4,15,16.70	+ 4,15,16.70

31 मार्च 2020 को ₹ 7,50,00.00 लाख का समस्त प्रावधान इस प्रत्याशा में अभ्यर्पित (₹ 7,06,30.65 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 43,69.35 लाख) किया गया कि केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होगी।

यद्यपि, केन्द्रीय सड़क निधि के तहत भारत सरकार से ₹ 4,15,16.70 लाख प्राप्त हुए, जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 4,15,16.70 लाख का व्यय बिना प्रावधान दर्शाता है, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**7. केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता:-** मोटर स्प्रीट पर उत्पाद एवं आयात शुल्कों से प्राप्त राजस्व का एक भाग भारत सरकार द्वारा गठित 'केन्द्रीय सड़क निधि' में जमा किया जाता है। उस निधि से राज्यों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास योजनाओं पर व्यय करने के लिए कुल जमाओं का 80 प्रतिशत अर्थ सहाय्य प्रदान किया जाता है। अर्थ सहाय्य के रूप में प्राप्त राशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में लेखों में जमा की जाती है तथा इन अनुदान में किये गये प्रावधान में से लोक लेखे के अंतर्गत निक्षेप शीर्ष 'केन्द्रीय सड़क निधि' में अन्तरित कर दी जाती है।

प्रति वर्ष इस अनुदान के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया व्यय, सरकार द्वारा निर्णित सीमा तक, इस अनुदान के अंतर्गत व्यय में से कम करके निक्षेप शीर्ष में से राशि के अंतरण द्वारा पूरित किया जाता है। वर्ष के दौरान ₹ 4,15,16.70 लाख का अर्थ सहाय्य प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान अनुमोदित योजनाओं पर ₹ 3,28,73.60 लाख व्यय हुए।

31 मार्च 2020 को निक्षेप शीर्ष में ₹ 1,54,49.65 लाख का शेष था।

2019-20 के दौरान निक्षेप शीर्ष के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2019-20 के विवरण संख्या 21 तथा 22 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "8449" में दर्शाया गया है।

## पूँजी

### दत्तमत

- ₹ 4,59,97.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए ₹ 4,91,69.10 लाख का अभ्यर्पण अत्यधिक था।
- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 6,05,49.40 लाख, ₹ 12,63,40.86 लाख, ₹ 1,86,88.73 लाख, ₹ 9,03,75.53 लाख तथा ₹ 4,59,97.12 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 4.49 प्रतिशत से 36.45 प्रतिशत के बीच थी। विभाग द्वारा इन निरन्तर बचतों के कारण सूचित नहीं किये गये।

**अनुदान संख्या 021 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(05) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू. 5,19,37.89	2,19,28.63	2,15,82.95	- 3,45.68
पु. - 3,00,09.26			
31 मार्च 2020 को ₹ 3,00,09.26 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 67,14.96 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 2,32,94.30 लाख) किया गया, जिसके तथा ₹ 3,45.68 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(11) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)			
मू. 5,52,42.48	4,10,94.75	4,11,20.96	+ 26.21
पु. - 1,41,47.73			
31 मार्च 2020 को ₹ 1,41,47.73 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 26.21 लाख के अन्तिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(17) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[01] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू. 60,73.45	..	..	..
पु. - 60,73.45			
31 मार्च 2020 को ₹ 60,73.45 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[20] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXIV (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू. 2,76,34.39	2,17,42.67	2,17,19.20	- 23.47
पु. - 58,91.72			
31 मार्च 2020 को ₹ 58,91.72 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 23.47 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

**अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू. 4,80,08.85	4,23,61.95	4,23,51.78	- 10.17
पु. - 56,46.90			
31 मार्च 2020 को ₹ 56,46.90 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, जिसके तथा ₹ 10.17 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू. 38,40.70	33,21.66	33,21.66	..
पु. - 5,19.04			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[92] औजार एवं संयंत्र हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू. 9,60.18	8,30.42	8,30.42	..
पु. - 1,29.76			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(14) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[93] सड़क व सेतु हेतु प्रतिशतता व्यय (3054)			
मू. 14,40.27	12,45.62	12,45.62	..
पु. - 1,94.65			
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 8,43.45 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(22) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़के			
मू. 67,69.00	36,56.40	36,56.40	..
पु. - 31,12.60			
31 मार्च 2020 को ₹ 31,12.60 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			



**अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,74,77.88	2,92,18.72	2,92,16.43
पु.	1,17,40.84		
			- 2.29
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,17,40.84 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(07) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	13,98.22	16,54.66	16,54.66
पु.	2,56.44		
			..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,56.44 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. राज्य राजमार्ग			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(12) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- II (विश्व बैंक)			
मू.	89,57.08	1,03,25.66	1,03,25.66
पु.	13,68.58		
			..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,68.58 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- II के लिए विश्व बैंक से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	7,12,83.25	7,83,96.91	7,82,76.57
पु.	71,13.66		
			- 1,20.34
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 71,13.66 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 1,20.34 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

**अनुदान संख्या 021 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[15] सड़क उन्नयन परियोजना (नवदशम्)			
मू. 60.79	3,48.00	3,44.85	- 3.15
पु. 2,87.21			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[17] सड़क उन्नयन परियोजना (एकविंशतित्मः)			
मू. 3,03.94	4,18.35	4,17.12	- 1.23
पु. 1,14.41			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(11) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[18] सड़क उन्नयन परियोजना (द्विविंशतित्मः)			
मू. 9,11.81	13,03.67	12,95.68	- 7.99
पु. 3,91.86			
<p>उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,93.48 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।</p>			
<p>शीर्ष "5054-04-800(11) [18]" के अंतर्गत ₹ 7.99 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।</p>			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
800. अन्य व्यय			
(21) विश्व बैंक द्वारा पोषित राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना			
[01] ग्रामीण सम्पर्क सड़कें			
मू. 11,88.30	13,41.38	12,88.99	- 52.39
पु. 1,53.08			
<p>31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,53.08 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 52.39 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।</p>			

## अनुदान संख्या 021 - (समाप्त)

5. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान में कटौती अनावश्यक थी:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337. सड़क निर्माण कार्य			
(03) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से			
मू .	42,00.00		
पु .	- 42,00.00		
		..	37,74.17 + 37,74.17

₹ 42,00.00 लाख का प्रावधान गत वर्षों के व्यय के रूझान के अनुसार अनुमानित था क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों पर व्यय सीधे ही सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा किया गया जिसके लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी की गयी। बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा सड़कों पर किए गए वास्तविक व्यय को सूचित करता है।

31 मार्च 2020 को ₹ 42,00.00 लाख का समस्त प्रावधान सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल द्वारा व्यय नहीं होने की प्रत्याशा में अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण के अन्तर्गत ₹ 37,74.17 लाख का वास्तविक व्यय सूचित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 37,74.17 लाख का व्यय बिना प्रावधान दर्शाता है, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 022 – क्षेत्र का विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और  
2705. कमान क्षेत्र विकास  
पूंजी – 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय और  
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय

			कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>					
<b>दत्तमत</b>					
मूल	23,60,36				
अनुपूरक	1		23,60,37	20,09,76	– 3,50,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)					3,50,32
<b>प्रभारित</b>					
मूल	3				
अनुपूरक	..		3	..	– 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)					3
<b>पूंजी</b>					
<b>दत्तमत</b>					
मूल	2,68,04,61				
अनुपूरक	1		2,68,04,62	1,31,37,58	– 1,36,67,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)					1,36,42,25
<b>प्रभारित</b>					
मूल	5				
अनुपूरक	8,70		8,75	8,69	– 6
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)					6

अनुदान संख्या 022 - (क्रमशः)

टिप्पणियां तथा टीकाएं:

राजस्व

दत्तमत

1. बचत (अन्य शीर्षों में हुए आधिक्य से प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			
02. पिछड़े क्षेत्र			
102. मेवात क्षेत्र का विकास			
(01) मेवात विकास बोर्ड			
[01] मुख्यालय			
मू.	60.00	..	..
पु.	- 60.00	..	..

31 मार्च 2020 को ₹ 60.00 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यतः अध्यक्ष तथा निजी सहायक के पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा परिणामस्वरूप शीर्षों के अन्तर्गत कोई अन्य व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था।

02. पिछड़े क्षेत्र			
105. मगरा क्षेत्र का विकास			
(01) मगरा विकास बोर्ड			
[01] मुख्यालय			
मू.	96.00	42.49	..
पु.	- 53.51	42.49	..

₹ 53.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अध्यक्ष तथा निजी सहायक के पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

2705. कमान क्षेत्र विकास			
102. चम्बल क्षेत्र का विकास			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] निदेशन एवं प्रशासन			
मू.	5,06.17	3,93.10	+ 0.01
पु.	- 1,13.07	3,93.11	

31 मार्च 2020 को ₹ 1,13.07 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 में देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 022 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2705. कमान क्षेत्र विकास			
102. चम्बल क्षेत्र का विकास			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[03] कृषि प्रसार-प्रतिबद्ध			
मू.	6,30.20	4,94.86	+ 0.01
पु.	- 1,35.34	4,94.87	

₹ 1,35.34 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, कृषि पर्यवेक्षकों के कम ग्रेड पे श्रंखला में पदस्थापन होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति होने से अवकाश स्वीकृत नहीं होने के कारण जिला कार्यालय बूंदी में वेतन एरियर का भुगतान नहीं होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

## पूंजी

## दत्तमत

- ₹ 1,36,67.04 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 24.79 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 74,49.71 लाख, ₹ 37,12.97 लाख, ₹ 75,17.58 लाख, ₹ 1,21,80.83 लाख तथा ₹ 1,36,67.04 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 10.56 प्रतिशत से 50.99 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत के कारणों में से एक भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति रहा।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. डांग जिले			
101. डांग क्षेत्र का विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	4,10.00	2,00.96	..
पु.	- 2,09.04	2,00.96	

31 मार्च 2020 को ₹ 2,09.04 लाख का प्रावधान डांग क्षेत्र के विकास के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में इस योजना में निधियों की अधिक उपलब्धता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा अगली किश्त जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 022 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
102. मेवात क्षेत्र का विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	4,33.00	2,40.41	2,40.41
पु.	- 1,92.59		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,92.59 लाख का प्रावधान मेवात क्षेत्र के विकास के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में इस योजना में निधियों की अधिक उपलब्धता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. पिछड़े क्षेत्र			
103. मगरा क्षेत्र का विकास			
(01) कार्य निष्पादन			
[01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	4,09.00	2,40.41	2,40.41
पु.	- 1,68.59		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,68.59 लाख का प्रावधान मगरा क्षेत्र के विकास के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में इस योजना में निधियों की अधिक उपलब्धता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. पिछड़े क्षेत्र			
800. अन्य व्यय			
(02) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)			
[01] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)			
मू.	37,55.24	77.84	77.84
पु.	- 36,77.40		..
31 मार्च 2020 को ₹ 36,77.40 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 27,62.98 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 9,14.42 लाख) किया गया।			
06. सीमा क्षेत्र का विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	91,34.00	62,99.00	62,99.00
पु.	- 28,35.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 28,35.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 022 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
102. चम्बल क्षेत्र का विकास			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[01] भूमि विकास			
मू.	34,79.44	5,33.20	5,33.15
पु.	- 29,46.24		- 0.05
₹ 29,46.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार द्वारा सिंचाई अन्तर को कम करने के लिए प्रोत्साहन परियोजना हेतु दिशा निर्देश जारी नहीं करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं करने तथा नये कार्यों के लिए स्वीकृति जारी नहीं करने को आरोपित की गयी।			
106. बीसलपुर क्षेत्र का विकास			
(01) विकास आयुक्त कम क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से			
[02] भूमि विकास कार्य			
मू.	3,98.83	96.72	96.72
पु.	- 3,02.11		..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,02.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
107. गंग नहर परियोजना			
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य (गंग नहर परियोजना क्षेत्र से)			
मू.	20,89.63	14,42.32	14,40.99
पु.	- 6,47.31		- 1.33
₹ 6,47.31 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः गंग नहर परियोजना फेज-। जोकि भारत सरकार की नवीन प्रस्तावित परियोजना सिंचाई अन्तर को कम करने के लिए प्रोत्साहन परियोजना (आई. एस. बी. आई. जी.) में स्थानान्तरण के प्रक्रियाधीन होने के कारण भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी।			
107. गंग नहर परियोजना			
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से			
[02] निदेशक, प्रशासन गंग कैनाल परिसर			
मू.	11,14.16	9,26.03	9,24.05
पु.	- 1,88.13		- 1.98
₹ 1,88.13 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 234 पदों में से 135 पदों के रिक्त रहने, वर्ष के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त होने तथा महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 में देय महंगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			



**अनुदान संख्या 022 – (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
107. गंग नहर परियोजना			
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से			
[03] भूमि विकास कार्य (गंग नहर परियोजना क्षेत्र) फेज- II			
मू.	37,20.21		
		10,65.06	10,62.48
पु.	- 26,55.15		- 2.58

31 मार्च 2020 को ₹ 26,55.15 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से कम तथा विलम्ब से निधियां प्राप्त होने के परिणामस्वरूप वित्त विभाग द्वारा जनवरी, 2020 में क्रेडिट सीमा जारी किये जाने के, (ii) समय पर क्रेडिट सीमा प्राप्त न होने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों के निविदा में भाग नहीं लेने/कार्य का बहिष्कार करने के कारण दिसम्बर, 2019 तक कार्य में धीमी प्रगति होने, (iii) भट्टों पर खाला निर्माण हेतु ईटों की अनुपलब्धता तथा (iv) कोविड-19 महामारी को देखते हुए 23 मार्च 2020 से राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण कोषालयों में बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
108. भाखरा सिंचाई परियोजना			
(01) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर) के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य (भाखरा सिंचाई परियोजना)			
मू.	16,29.83		
		18,86.89	18,68.04
पु.	2,57.06		- 18.85

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,57.06 लाख की अतिरिक्त निधियां राज्यांश अधिक जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी क्योंकि केन्द्रीय अंश अनुमान से कम प्राप्त हुआ।

₹ 18.85 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

5. **मण्डी विकास निधि** – चम्बल सिंचाई परियोजना द्वारा सिंचित अथवा इससे लाभान्वित क्षेत्र की मण्डियों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए 1965-66 में मण्डी विकास निधि स्थापित की गयी थी।

इस निधि में जो कि एक ब्याज रहित रिजर्व है, मण्डियों में भूमि के अनुमानित विक्रय मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर राजस्व से वार्षिक अंशदानों से राशि आती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान निधि में कोई अंशदान नहीं किया गया। वर्ष के दौरान मण्डियों के विकास पर व्यय नहीं किया गया। 31 मार्च 2020 को निधि में जमा शेष ₹ 4.67 लाख था जो कि वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 22 में दिखाया गया है।

**अनुदान संख्या 023 – श्रम तथा रोजगार**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास तथा  
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं  
पूंजी – 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	10,33,97,30	10,33,97,30	8,93,63,52	– 1,40,33,78
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
				1,40,29,94
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4	9	..	– 9
अनुपूरक	5			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
				9

**पूंजी**

<b>दत्तमत</b>				
मूल	31,00,05	31,00,05	– 43,91	– 31,43,96
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
				31,00,05

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास				
01. श्रम				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(02) प्रधान कार्यालय				
[01] प्रधान कार्यालय संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	6,56.89	5,36.86	5,36.05	– 0.81
पु.	– 1,20.03			

₹ 1,20.03 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वर्ष के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के उपरान्त 86 स्वीकृत पदों में से 22 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
01. श्रम			
101. औद्योगिक सम्बन्ध			
(01) डिविजनल और जिला कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	23,16.52	16,06.82	16,05.75
पु.	- 7,09.70		- 1.07

₹ 7,09.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वर्ष के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के उपरान्त 490 स्वीकृत पदों में से 212 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

01. श्रम  
101. औद्योगिक सम्बन्ध  
(03) चलिष्णु औद्योगिक न्यायालय  
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	9,68.50	7,38.94	7,38.94	..
पु.	- 2,29.56			

₹ 2,29.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

02. रोजगार सेवाएं  
101. रोजगार सेवाएं  
(01) सामान्य कार्यालय

मू.	3,00.00	59.56	59.56	..
पु.	- 2,40.44			

₹ 3,00.00 लाख का प्रावधान सेना भर्ती रैली तथा विभागीय रोजगार सहायता शिविरों हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2020 को ₹ 2,40.44 लाख का प्रावधान (i) राजस्व मंडल, अजमेर के मौजूदा बजट द्वारा सेना भर्ती रैली आयोजित की गई, (ii) लोक सभा चुनाव 2019-20 के कारण आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन नहीं होने तथा (iii) भारत सरकार द्वारा *नेशनल कैरियर सर्विस (एन.सी.एस.) प्रोजेक्ट* के तहत रोजगार मेला हेतु भी प्रावधान किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. रोजगार सेवाएं  
101. रोजगार सेवाएं  
(05) रोजगार कार्यालय  
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	16,18.26	13,78.70	13,78.70	..
पु.	- 2,39.56			

₹ 2,39.56 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सातवें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण तथा सुनिश्चित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) सम्बन्धी मामले प्रक्रियाधीन होने, वर्ष के दौरान पांच कार्मिकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने तथा एक अधिकारी की मृत्यु होने से पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 023 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
800. अन्य व्यय			
(09) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	3,57,07.00	2,64,13.22	2,64,13.21
पु.	- 92,93.78		- 0.01

31 मार्च 2020 को ₹ 92,93.78 लाख का प्रावधान एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पै मेनेजर) से लाभार्थियों के डेटा का एकीकरण विभागीय पोर्टल ई.ई.एम.एस. पर करने से मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना देरी से लागू होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 69,89.79 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 23,03.99 लाख) किया गया।

03. प्रशिक्षण			
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(01) शिल्प प्रशिक्षण योजना			
मू.	23,71.56	15,03.41	15,03.40
पु.	- 8,68.15		- 0.01

₹ 8,68.15 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के चालू होने में देरी के कारण सभी व्यवसायों में प्रवेश शुरू नहीं होने से व्यवसायिक एवं विशिष्ट सेवाओं पर कम व्यय होने तथा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने, (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए लॉकडाउन अवधि में कोषालय द्वारा कुछ बिलों के पारित नहीं करने तथा (iii) संविदा सेवाओं की बजट सीमा में कटौती को आरोपित की गई।

03. प्रशिक्षण			
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(08) शिल्प प्रशिक्षण योजना			
[01] शिल्प प्रशिक्षण योजना-प्रतिबद्ध			
मू.	1,25,38.31	1,04,00.03	1,04,00.02
पु.	- 21,38.28		- 0.01

₹ 21,38.28 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कार्मिकों के अन्य लेखा मद में स्थानान्तरण होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) गत वर्ष के प्रवाह के अनुसार प्रशिक्षण, दौरे तथा संगोष्ठियों पर व्यय सीमा में कटौती होने, (iii) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक माह में अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं द्वारा सुरक्षा कर्मी नहीं रखे जाने के कारण संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने तथा (iv) कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि में कोषालय द्वारा कुछ बिलों के पारित नहीं करने को आरोपित की गई।

03. प्रशिक्षण			
101. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			
(03) वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट (वर्ल्ड बैंक सहायता अन्तर्गत)			
मू.	3,44.30	2,35.91	2,35.91
पु.	- 1,08.39		..

₹ 1,08.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्मिकों के अन्य लेखा मद में स्थानान्तरण होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 023 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास			
03. प्रशिक्षण			
800. अन्य व्यय			
(02) राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय			
[01] राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय			
मू.	2,50.00	1,45.00	1,45.00
पु.	- 1,05.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,05.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
108. शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[02] आई.ई.सी. एक्टीविटीज			
मू.	2,00.00	13.17	13.17
पु.	- 1,86.83		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,86.83 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
191. नगर निगम को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[01] विकास कार्य			
मू.	9,39.25	16,13.68	16,13.68
पु.	6,74.43		..
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[01] विकास कार्य			
मू.	20,90.59	35,91.73	35,91.73
पु.	15,01.14		..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,75.57 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां अधिक प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।



अनुदान संख्या 024 – शिक्षा, कला एवं संस्कृति

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं,  
2202. सामान्य शिक्षा,  
2203. तकनीकी शिक्षा,  
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं और  
2205. कला एवं संस्कृति

पूंजी – 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,22,86,17,50	3,22,86,17,54	2,85,44,98,16	– 37,41,19,38
अनुपूरक	4			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				37,38,26,37
<b>प्रभारित</b>				
मूल	8,71,77	11,00,30	10,30,40	– 69,90
अनुपूरक	2,28,53			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				69,91
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	5,39,22,27	6,01,22,45	4,95,23,93	– 1,05,98,52
अनुपूरक	62,00,18			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,05,98,51
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 37,41,19.38 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,93.01 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

**अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) शिक्षक शिक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं का प्रबंधन, मूल्यांकन एवं समग्र विकास			
[01] राज्य स्तरीय समन्वय प्रकोष्ठ हेतु सहायता			
मू.	3,00.00	..	..
पु.	- 3,00.00	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(01) बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय			
मू.	7,65.60	6,22.36	6,21.14
पु.	- 1,43.24		- 1.22
31 मार्च 2020 को ₹ 1,43.24 लाख का प्रावधान मुख्यतः मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी थी तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में वेतन तथा बकाया के बिल पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(03) बालकों के लिए प्राथमिक विद्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,31,33.64	1,00,17.10	1,00,16.88
पु.	- 31,16.54		- 0.22
31 मार्च 2020 को ₹ 31,16.54 लाख का प्रावधान मुख्यतः मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी थी तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में वेतन तथा बकाया के बिल पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
(05) प्राथमिक पाठशालाएं (निदेशक, संस्कृत शिक्षा के माध्यम से)-प्रतिबद्ध			
मू.	1,90,36.35	1,61,32.59	1,61,32.60
पु.	- 29,03.76		+ 0.01
₹ 29,03.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			



## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2202. सामान्य शिक्षा				
01. प्रारम्भिक शिक्षा				
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय				
(07) बालकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय				
[01] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	24,93.93	18,73.24	18,73.13	- 0.11
पु.	- 6,20.69			
01. प्रारम्भिक शिक्षा				
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय				
(08) बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय				
[01] बालिकाओं के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	21,13.10	15,11.15	15,11.11	- 0.04
पु.	- 6,01.95			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 12,22.64 लाख का प्रावधान मुख्यतः मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी थी तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में वेतन तथा बकाया के बिल पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
01. प्रारम्भिक शिक्षा				
104. निरीक्षण				
(01) सामान्य व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	6,99.66	4,96.20	4,96.19	- 0.01
अ.	0.02			
पु.	- 2,03.48			
₹ 2,03.48 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन तथा भत्तों पर वास्तविक व्यय अनुमान से कम होने, (ii) वकीलों के बकाया बिलों के लिए स्वीकृति प्राप्त न होना तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में वेतन के बिल पारित नहीं होने को आरोपित की गयी।				
01. प्रारम्भिक शिक्षा				
111. सर्व शिक्षा अभियान				
(01) शिक्षा गारन्टी स्कीम				
मू.	59,89,35.01	45,53,94.77	45,53,77.71	- 17.06
पु.	- 14,35,40.24			

₹ 14,35,40.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी थी, (ii) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में वेतन के बिल पारित नहीं होने को आरोपित की गयी।

₹ 17.06 लाख की अंतिम बचत 2019-20 में वसूल की गयी राशि के जमा होने तथा कोषालय द्वारा कुछ बिलों को पारित नहीं करने के कारण रही।

## अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
112. विद्यालयों में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम			
(02) राजस्थान दुग्ध पोषाहार कार्यक्रम (मिड डे मील)			
[01] विद्यार्थियों को दुग्ध पोषाहार			
मू.	3,62,00.00	3,45,00.00	3,38,54.80
पु.	- 17,00.00		
31 मार्च 2020 को ₹ 17,00.00 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निधियां कम जारी किये जाने कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 6,45.20 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
196. जिला परिषद/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) निरीक्षण			
[02] निरीक्षण कार्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	50,70.66	34,19.80	34,19.80
अ.	0.01		
पु.	- 16,50.87		
31 मार्च 2020 को ₹ 16,50.87 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) वेतन तथा भत्तों पर वास्तविक व्यय अनुमान से कम होने, (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में वेतन के बिल पारित नहीं होने तथा (iii) संविदा पदों के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[01] स्थापना व्यय			
मू.	2,10,07.00	1,59,36.48	1,59,33.57
पु.	- 50,70.52		
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक)			
[02] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	11,96,84.91	9,53,45.86	9,53,44.03
पु.	- 2,43,39.05		
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिका)			
[02] बालिकाओं के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,65,22.83	2,21,24.76	2,21,23.57
पु.	- 43,98.07		

**अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2202. सामान्य शिक्षा				
01. प्रारम्भिक शिक्षा				
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता				
(03) प्राथमिक विद्यालय (बालक)				
[01] स्थापना व्यय				
मू.	85,00.50	70,46.42	70,46.20	- 0.22
पु.	- 14,54.08			
01. प्रारम्भिक शिक्षा				
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता				
(03) प्राथमिक विद्यालय (बालक)				
[02] बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	1,15,29.87	1,05,29.06	1,05,26.49	- 2.57
पु.	- 10,00.81			
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 3,62,62.53 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय महंगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी थी तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में वेतन/बकाया के बिल पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
01. प्रारम्भिक शिक्षा				
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता				
(07) निरीक्षण				
[01] स्थापना व्यय				
मू.	5,00.05	3,58.03	3,58.03	..
पु.	- 1,42.02			
31 मार्च 2020 को ₹ 1,42.02 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) वेतन तथा भत्तों पर वास्तविक व्यय अनुमान से कम होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में वेतन/बकाया के बिल पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
01. प्रारम्भिक शिक्षा				
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता				
(07) निरीक्षण				
[02] निरीक्षण कार्यालयों का संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	1,62,21.70	92,92.91	92,92.66	- 0.25
अ.	0.01			
पु.	- 69,28.80			
₹ 69,28.80 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय महंगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी थी तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में वेतन/बकाया के बिल पारित नहीं होने को आरोपित की गयी।				

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(14) प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायत समितियों को अनुदान			
[01] विद्यालय संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	24,55,00.00	17,80,71.55	17,80,71.55
पु.	- 6,74,28.45		..
31 मार्च 2020 को ₹ 6,74,28.45 लाख का प्रावधान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के निजी निक्षेप खाते में धनराशि स्थानांतरित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) सामान्य व्यय निदेशालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	67,76.04	47,73.52	47,71.11
पु.	- 20,02.52		- 2.41
₹ 20,02.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
101. निरीक्षण			
(01) साधारण व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	77,71.52	44,86.61	44,85.69
पु.	- 32,84.91		- 0.92
₹ 32,84.91 लाख की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने तथा निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का भुगतान अनुमान से कम होने को आरोपित की गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(07) अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	40,40.00	16,46.73	16,18.55
पु.	- 23,93.27		- 28.18
31 मार्च 2020 को ₹ 23,93.77 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 28.18 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(16) सैनिक स्कूलों के छात्रों को छात्रवृत्तियां			
[01] सैनिक स्कूलें			
मू.	2,13.93	58.93	58.93
पु.	- 1,55.00		..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,55.00 लाख का प्रावधान सैनिक स्कूल झुंझुनू और चित्तौड़गढ़ के छात्रों को वास्तविक संख्या के अनुसार छात्रवृत्ति का भुगतान करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा

109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय

(02) बालिका विद्यालय

मू.	6,59,21.51	5,75,49.54	5,75,43.56	- 5.98
पु.	- 83,71.97			

₹ 83,71.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

₹ 5.98 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

02. माध्यमिक शिक्षा

109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय

(05) विकलांग एकीकृत शिक्षा

मू.	16,00.04	13,06.00	13,06.00	..
पु.	- 2,94.04			

31 मार्च 2020 को ₹ 2,94.04 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा

109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय

(11) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में  
अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्राओं को साईकल वितरण

मू.	62,50.00	36,79.90	36,71.21	- 8.69
पु.	- 25,70.10			

31 मार्च 2020 को ₹ 25,70.10 लाख का प्रावधान मुख्यतः कोषालय में निशुल्क साईकल वितरण के बिल पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 8.69 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(28) बालिका विद्यालय			
[01] बालिका विद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	12,79,04.71	11,72,75.41	11,72,71.37
पु.	- 1,06,29.30		
			- 4.04
₹ 1,06,29.30 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अध्यापकों के पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
₹ 4.04 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(29) मुख्यमंत्री जन सहभागिता विकास योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			
मू.	35,00.01	24,88.14	24,88.14
पु.	- 10,11.87		
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 10,11.87 लाख का प्रावधान कम्प्यूटर से सम्बन्धित खरीद के लिए बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(30) आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार			
[02] प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी वितरण			
मू.	3,25.00	0.77	0.77
पु.	- 3,24.23		
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,24.23 लाख का प्रावधान स्कूटी वितरण योजना को कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना में विलय करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
110. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता			
(01) सैनिक स्कूल			
[02] सैनिक स्कूल, झुझुनू को सहायता			
मू.	36,00.00	21,49.99	21,49.99
पु.	- 14,50.01		
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 14,50.01 लाख का प्रावधान सैनिक स्कूल, झुझुनू की बजट सीमा में कटौती करने के कारण पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन के लिए अनुदान एवं सामान्य अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
110. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता			
(02) अन्य विद्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,00.00 लाख का प्रावधान राज्य सरकार स्तर से स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(04) कोटा ओपन विश्वविद्यालय को अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	10,00.01	8,50.00	8,50.00
पु.	- 1,50.01		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,50.01 लाख का प्रावधान वेतन के लिए सहायतार्थ अनुदान आवश्यकतानुसार जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(05) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	7,00.01	..	..
पु.	7,00.01		..
31 मार्च 2020 को ₹ 7,00.01 लाख का समस्त प्रावधान विश्वविद्यालय को अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(07) संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुदान			
मू.	7,35.48	1,45.59	1,45.59
पु.	- 5,89.89		..
31 मार्च 2020 को ₹ 5,89.89 लाख का प्रावधान संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(12) मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर को अनुदान			
मू.	7,34.00	3,94.50	3,94.50
पु.	- 3,39.50		..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,39.50 लाख का प्रावधान वेतन के लिए सहायतार्थ अनुदान आवश्यकतानुसार जारी करने तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(13) शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को अनुदान			
मू.	6,50.00	4,50.50	4,50.50
पु.	- 1,99.50		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,99.50 लाख का प्रावधान वेतन के लिए आवश्यकतानुसार सहायतार्थ अनुदान जारी करने तथा अनुदान के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(16) डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को अनुदान			
मू.	3,00.01	..	..
पु.	- 3,00.01		..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,00.01 लाख का समस्त प्रावधान विश्वविद्यालय को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
102. विश्वविद्यालयों को सहायता			
(17) संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुदान			
[01] जगतगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर को अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	6,00.01	3,00.00	3,00.00
पु.	- 3,00.01		..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,00.01 लाख का समस्त प्रावधान संस्कृत विश्वविद्यालय को कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(01) बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय			
मू.	5,41.05	3,82.74	3,82.74
पु.	- 1,58.31		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,58.31 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(10) स्कूटी वितरण योजना			
[01] मेघावी छात्राओं को स्कूटी वितरण			
मू.	4,00.00	21.11	21.11
पु.	- 3,78.89		..
₹ 3,78.89 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			



## अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(12) बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय			
[02] बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	7,25.30	4,68.97	4,60.03
पु.	- 2,56.33		- 8.94
₹ 2,56.33 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी ।			
₹ 8.94 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
104. अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(01) अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय को अनुदान			
मू.	6,66.72	..	..
पु.	- 6,66.72		..
31 मार्च 2020 को ₹ 6,66.72 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय संस्थान के लिए स्वीकृति जारी न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
104. अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता			
(02) महाविद्यालय को अनुदान			
मू.	1,80.01	25.49	25.49
पु.	- 1,54.52		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,54.52 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(04) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू.	15,00.00	6,58.49	6,19.56
पु.	- 8,41.51		- 38.93
31 मार्च 2020 को ₹ 8,41.51 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों का कम भुगतान होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 38.93 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
800. अन्य व्यय			
(03) कॉलेज शिक्षा विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं			
मू.	2,47.02	..	..
पु.	- 2,47.02		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,47.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

**अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2202. सामान्य शिक्षा				
04. प्रौढ़ शिक्षा				
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम				
(01) निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा द्वारा				
मू.	3,67.79	1,65.09	1,65.08	- 0.01
पु.	- 2,02.70			

₹ 2,02.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) साक्षर भारत कार्यक्रम बंद होने के बाद इस कार्यक्रम से सम्बद्ध 13 सूचना सहायकों को जून, 2019 में कार्यमुक्त कर उनके पैतृक विभाग में भेजने तथा कुछ अन्य पदों के रिक्त रहने से वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) साक्षर भारत कार्यक्रम बंद होने के बाद 32 साक्षरता और सतत शिक्षा अधिकारियों को मई, 2019 में उनके पैतृक विभाग में कार्यमुक्त करने से किराये के वाहनों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

04. प्रौढ़ शिक्षा				
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम				
(04) निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा द्वारा				
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	12,19.85	7,43.42	7,43.39	- 0.03
पु.	- 4,76.43			

₹ 4,76.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) साक्षर भारत कार्यक्रम बंद होने के बाद कार्यक्रम से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके पैतृक विभाग में कार्यमुक्त करने तथा कुछ अन्य पदों के रिक्त रहने से वेतन व भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

05. भाषा विकास				
103. संस्कृत शिक्षा				
(03) संस्कृत विद्यालय				
मू.	73,04.42	61,14.73	61,14.73	..
पु.	- 11,89.69			

₹ 11,89.69 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) पदोन्नति/अन्य लेखा मद में कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने, (iii) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी, (iv) माननीय न्यायालय की अनुपालना में कर्मचारी जिन्हें अन्य विभागों में स्थानान्तरित कर दिया गया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कार्यग्रहण नहीं कर पाने से वेतन आहरित नहीं किये जाने, (v) नव नियुक्त शिक्षकों का परीक्षा काल पूर्ण होने पर स्थायीकरण नहीं होने के कारण आहरित नहीं करने तथा (vi) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में आश्वासित कैरियर प्रगति (ए सी पी) इत्यादि के बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

05. भाषा विकास				
103. संस्कृत शिक्षा				
(08) निदेशालय				
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	13,66.13	10,99.18	10,99.19	+ 0.01
पु.	- 2,66.95			

₹ 2,66.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी तथा (iii) नवनियुक्त शिक्षकों का परीक्षा काल पूर्ण होने पर स्थायीकरण नहीं होने के कारण पूर्ण वेतन नहीं दिये जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
05. भाषा विकास			
103. संस्कृत शिक्षा			
(09) संस्कृत महाविद्यालय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	29,28.64	21,73.86	21,73.85
पु.	- 7,54.78		- 0.01

₹ 7,54.78 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) कर्मचारियों की पदोन्नति अन्य लेखा मद में स्थानान्तरण होने, (iii) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी तथा (iv) विभागीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य और प्राध्यापकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

05. भाषा विकास  
103. संस्कृत शिक्षा  
(10) संस्कृत विद्यालय  
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	1,67,67.91	1,45,99.26	1,45,99.24	- 0.02
पु.	- 21,68.65			

₹ 21,68.65 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) कर्मचारियों की पदोन्नति अन्य लेखा मद में स्थानान्तरण होने, (iii) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी, (iv) माननीय न्यायालय की अनुपालना में कर्मचारी जिन्हें अन्य विभाग में स्थानान्तरित कर दिया गया था लेकिन कोविड-19 के कारण कार्यग्रहण नहीं कर पाने के कारण वेतन आहरित नहीं किये जाने, (v) नवनियुक्त शिक्षकों का परीवीक्षा काल पूर्ण होने पर स्थायीकरण नहीं होने के कारण पूर्ण वेतन आहरित नहीं किये जाने तथा (vi) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में आश्वासित कैरियर प्रगति (ए सी पी) इत्यादि के बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

80. सामान्य  
003. प्रशिक्षण  
(03) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यालय

मू.	48,31.00	37,08.53	37,08.54	+ 0.01
पु.	- 11,22.47			

₹ 11,22.47 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन तथा भत्तों पर वास्तविक व्यय अनुमान से कम होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च 2020 में वेतन/बकाया के बिल पारित नहीं होने को आरोपित की गयी।

**अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
80. सामान्य			
003. प्रशिक्षण			
(04) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यालय (प्राथमिक स्तर)			
[01] प्रशिक्षण विद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	31,58.22	18,96.85	18,92.24
पु.	- 12,61.37		

31 मार्च 2020 को ₹ 12,61.37 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) वेतन तथा भत्तों पर वास्तविक व्यय अनुमान से कम होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में वेतन/बकाया, प्रिन्टिंग, मानदेय इत्यादि के बिल पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 4.61 लाख की अंतिम बचत 2019-20 में वसूल की गयी राशि के जमा कराने तथा कोषालय द्वारा कुछ बिलों को पारित नहीं करने के कारण रही।

80. सामान्य			
004. अनुसंधान			
(08) राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर को सहायता			
[01] प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के माध्यम से			
मू.	13,52.02	6,91.09	6,91.09
पु.	- 6,60.93		

31 मार्च 2020 को ₹ 6,60.93 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) मांग के अनुसार अनुदान जारी होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2203. तकनीकी शिक्षा			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) प्राविधिक शिक्षा बोर्ड			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	8,11.85	6,57.18	6,56.86
पु.	- 1,54.67		

₹ 1,54.67 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ जारी नहीं करने, परीक्षा पारिश्रमिक बिलों की प्राप्ति न होना तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिल पारित नहीं होने को आरोपित की गयी।

102. तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता			
(07) बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर को अनुदान			
मू.	2,75.00	1,49.99	1,49.99
पु.	- 1,25.01		

31 मार्च 2020 को ₹ 1,25.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2203. तकनीकी शिक्षा			
102. तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता			
(09) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा			
[01] राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को सहायतार्थ अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	4,50.00	2,00.00	2,00.00
पु.	- 2,50.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,50.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
105. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय			
(02) केन्द्रीय सहायता के तहत बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय			
मू.	15,88.00	14,12.33	14,12.25
पु.	- 1,75.67		- 0.08
31 मार्च 2020 को ₹ 1,75.67 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
105. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय			
(07) साधारण व्यय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,61,42.45	1,35,91.57	1,35,89.00
पु.	- 25,50.88		- 2.57
₹ 25,50.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं देने को आरोपित की गयी।			
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
101. व्यायाम शिक्षा			
(02) खेल विभाग-विविध खेल कार्यक्रम			
मू.	16,00.00	7,14.60	7,14.60
पु.	- 8,85.40		..
31 मार्च 2020 को ₹ 8,85.40 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा में कटौती करने, (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में निधियों का उपयोग नहीं करने तथा (iii) निधि की उपलब्धता के कारण राजस्थान युवा बोर्ड के निजी निक्षेप खातों में निधियों का हस्तांतरण नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
101. व्यायाम शिक्षा			
(04) शारीरिक शिक्षा विद्यालय			
[01] शारीरिक शिक्षा विद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	7,81.88	6,25.22	6,24.79
पु.	- 1,56.66		
₹ 1,56.66 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(01) नेशनल केडेट कोर			
[02] छोटी शाखाएं-प्रतिबद्ध			
मू.	9,38.49	6,41.28	6,41.29
पु.	- 2,97.21		
₹ 2,97.21 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम			
(01) नेशनल केडेट कोर			
[03] बड़ी शाखा-निदेशालय-प्रतिबद्ध			
मू.	24,97.41	20,94.51	20,84.16
पु.	- 4,02.90		
₹ 4,02.90 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 10.35 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
104. खेल-कूद			
(01) राजस्थान स्पोर्ट्स कॉन्सिल को अनुदान			
मू.	13,73.80	6,86.90	6,86.90
पु.	- 6,86.90		
31 मार्च 2020 को ₹ 6,86.90 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा में कटौती करने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में निधियों का उपयोग नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
104. खेल-कूद			
(07) राजस्थान स्पोर्ट्स कॉन्सिल को अनुदान			
[01] राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल को अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	24,00.00	12,00.00	12,00.00
पु.	- 12,00.00		
31 मार्च 2020 को ₹ 12,00.00 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा में कटौती करने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में निधियों का उपयोग नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2205. कला एवं संस्कृति			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(11) जवाहर कला केन्द्र			
मू.	7,93.00		
पु.	- 1,52.03	6,40.97	6,40.97
31 मार्च 2020 को ₹ 1,52.03 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन			
(16) राजस्थान घोरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर			
मू.	20,55.21		
पु.	- 2,85.82	17,69.39	17,69.39
₹ 2,85.82 लाख की प्रत्याशित बचत स्मारकों/पेनोरमाओं/संग्रहालयों के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च 2020 में स्वीकृति जारी नहीं होने को आरोपित की गयी।			
103. पुरातत्व विज्ञान			
(05) साधारण व्यय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	15,87.13		
पु.	- 2,59.17	13,27.96	13,27.96
₹ 2,59.17 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के 7 अधिकारियों पद मुक्त किया गया जो प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे थे, वर्ष के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु से पद रिक्त रहने, तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च 2020 में वेतन तथा एरियर का भुगतान नहीं होने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने तथा, (ii) 14 स्मारकों के लिये सफाई कर्मचारियों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा कोविड-19 महामारी के देखते हुए 23 मार्च 2020 से राज्य में लॉकडाउन स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में होमगार्ड के बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
103. पुरातत्व विज्ञान			
(06) स्मारक एवं संग्रहालय			
[01] पुरातत्व विभाग के माध्यम से			
मू.	11,31.33		
पु.	- 7,78.12	3,53.21	3,53.21
31 मार्च 2020 को ₹ 7,78.12 लाख का प्रावधान विभिन्न स्मारकों के संरक्षण, नवीनीकरण तथा विकास कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के परिणामस्वरूप वित्त विभाग द्वारा बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2205. कला एवं संस्कृति			
105. सार्वजनिक पुस्तकालय			
(02) पुस्तकालय, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के माध्यम से			
[01] पुस्तकालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	12,39.11	11,03.51	11,03.49
पु.	- 1,35.60		
₹ 1,35.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः 237 स्वीकृत पदों में से 99 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
107. संग्रहालय			
(01) संग्रहालय-प्रतिबद्ध			
मू.	9,76.12	8,05.41	8,05.41
पु.	- 1,70.71		
₹ 1,70.71 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय महंगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी थी तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में वेतन तथा बकाया का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।			

**प्रभारित**

- ₹ 69.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2020 में लिया गया ₹ 2,28.53 लाख का अनुपूरक विनियोजन अत्यधिक था।

**पूँजी**

**दत्तमत**

- फरवरी, 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 62,00.18 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 3,10.85 लाख, ₹ 22,99.19 लाख, ₹ 1,44,02.96 लाख, ₹ 1,27,55.57 लाख तथा ₹ 1,05,98.52 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 3.47 प्रतिशत से 49.82 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(14) मॉडल स्कूल			
[01] मॉडल स्कूल निर्माण कार्य			
मू.	24,80.00	..	..
पु.	- 24,80.00		

31 मार्च 2020 को ₹ 24,80.00 लाख का समसत प्रावधान निर्माण कार्य के लिए आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।



**अनुदान संख्या 024 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(15) मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			
मू.	17,49.99	9,62.04	9,62.04
पु.	- 7,87.95		
31 मार्च 2020 को ₹ 7,87.95 लाख का प्रावधान जन सहभागिता से अंशदान के हिस्से के आधार पर राज्य सरकार का हिस्सा जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(17) नाबार्ड आर आई डी एफ XXIII के तहत निर्माण कार्य			
[01] माध्यमिक विद्यालयों के तहत निर्माण कार्य			
मू.	60,00.00	15,00.00	15,00.00
पु.	- 45,00.00		
31 मार्च 2020 को ₹ 45,00.00 लाख का प्रावधान नाबार्ड आर आई डी एफ XXIII के तहत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 23,20.07 लाख ) तथा अभ्यर्पित (₹ 21,79.93 लाख ) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(18) नाबार्ड आर आई डी एफ XXIV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
मू.	1,22,50.00	28,57.00	28,57.00
पु.	- 93,93.00		
31 मार्च 2020 को ₹ 93,93.00 लाख का प्रावधान नाबार्ड आर आई डी एफ XXIV के तहत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. सामान्य शिक्षा			
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(06) संस्कृत महाविद्यालय			
[01] भवन			
मू.	3,85.66	..	..
पु.	- 3,85.66		
31 मार्च 2020 को ₹ 3,85.66 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 024 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तकनीकी शिक्षा			
104. बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक)			
(02) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	7,44.04	..	..
पु.	- 7,44.04	..	..

31 मार्च 2020 को ₹ 7,44.04 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा साख सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
102. खेलकूद स्टेडिया			
(01) खेल विभाग के माध्यम से -जिला खेल कॉम्प्लेक्स			
मू.	2,97.95	..	..
पु.	- 2,97.95	..	..

31 मार्च 2020 को ₹ 2,97.95 लाख का समस्त प्रावधान वित्त विभाग द्वारा बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

04. कला तथा संस्कृति			
800. अन्य व्यय			
(01) अरबी एवं फारसी शोध संस्थान			
मू.	3,50.01	1,06.57	1,06.57
पु.	- 2,43.44		..

31 मार्च 2020 को ₹ 2,43.44 लाख का प्रावधान शरीयत और दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकों के प्राचीन और पुरातन अभिलेखों का डिजीटाइजेशन हेतु राजकोम्प इन्फो सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, को वर्ष 2017-18 में आवंटित निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
201. प्रारम्भिक शिक्षा			
(12) सर्व शिक्षा अभियान (शिक्षा गारन्टी योजना)			
[01] सर्व शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू.	1,26,00.01	1,84,06.49	1,84,06.49
पु.	58,06.48		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 58,06.48 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य के मैचिंग शेयर के लिए उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 024 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(13) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू.	1,26,00.01	1,99,33.25	1,99,33.25
अ.	62,00.18		
पु.	11,33.06		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,33.06 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
01. सामान्य शिक्षा			
202. माध्यमिक शिक्षा			
(19) नाबार्ड आर आई डी एफ XXV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचना का निर्माण			
मू.	0.01	10,00.00	10,00.00
पु.	9,99.99		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां नाबार्ड के अन्तर्गत भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
04. कला तथा संस्कृति			
106. संग्रहालय			
(08) स्मारक एवं संग्रहालय			
[01] पुरातत्व विभाग के माध्यम से			
मू.	5,53.00	8,46.00	8,46.00
पु.	2,93.00		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,93.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यकारी एजेंन्सी आमेर विकास और प्रबंधन प्राधिकरण को लंबित देनदारियों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

**अनुदान संख्या 025 – कोषागार व लेखा प्रशासन**

**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,93,48,37	2,93,48,37	2,62,46,33	– 31,02,04
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				31,00,62
<b>प्रभारित</b>				
मूल	3	3,32	3,26	– 6
अनुपूरक	3,29			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				6

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन				
097. खजाना स्थापना				
(05) खजाना				
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	1,65,55.58	1,44,86.62	1,44,86.62	..
पु.	– 20,68.96			

₹ 20,68.96 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 025 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन			
800. अन्य व्यय			
(02) निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण-प्रतिबद्ध			
मू.	26,77.47		
पु.	- 5,16.21	21,61.26	21,60.31
			- 0.95
31 मार्च 2020 को ₹ 5,16.21 लाख का प्रावधान वेतन एवं भत्तों तथा कार्यालय व्यय पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
800. अन्य व्यय			
(03) निदेशक, निरीक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	17,25.38		
पु.	- 2,88.88	14,36.50	14,36.50
			..
₹ 2,88.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुल 298 स्वीकृत पदों में से 127 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

अनुदान संख्या 026 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,  
2211. परिवार कल्याण और  
3606. सहायता सामग्री तथा उपस्कर

पूंजी – 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय और  
6210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,01,89,18,74	1,02,85,17,87	95,93,02,43	– 6,92,15,44
अनुपूरक	95,99,13			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				6,90,23,33
<b>प्रभारित</b>				
मूल	82,15	1,19,17	84,83	– 34,34
अनुपूरक	37,02			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				34,33
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,52,08,46	2,52,08,46	1,74,06,84	– 78,01,62
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				76,51,82
<b>टिप्पणियां तथा टीकाएं:</b>				

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. फरवरी, 2020 में लिया गया ₹ 95,99.13 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
2. ₹ 6,92,15.44 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,92.11 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
3. वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 9,19,37.16 लाख, ₹ 3,68,92.35 लाख, ₹ 4,90,25.22 लाख, ₹ 5,04,22.55 लाख तथा ₹ 6,92,15.44 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.08 प्रतिशत से 13.42 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)**

4. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 001. निदेशन और प्रशासन (01) प्रधान कार्यालय स्थापना	मू. 5,93.07 पु. - 1,23.03	4,70.04	4,70.04 ..
₹ 1,23.03 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 001. निदेशन और प्रशासन (03) प्रधान कार्यालय [01] प्रधान कार्यालय स्थापना-प्रतिबद्ध	मू. 46,37.94 पु. - 5,40.88	40,97.06	40,94.63 - 2.43
₹ 5,40.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110. अस्पताल तथा औषधालय (01) अध्यापन अस्पताल [18] उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	मू. 14,80.00 पु. - 1,88.68	12,91.32	12,91.32 ..
₹ 1,88.68 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110. अस्पताल तथा औषधालय (01) अध्यापन अस्पताल [24] महाराणा भुपाल राजकीय अस्पताल, उदयपुर	मू. 35,83.87 पु. - 3,24.93	32,58.94	32,58.93 - 0.01
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110. अस्पताल तथा औषधालय (01) अध्यापन अस्पताल [25] पन्नाधाय राजकीय महिला अस्पताल, उदयपुर	मू. 7,44.50 पु. - 1,06.69	6,37.81	6,37.82 + 0.01
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 4,31.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी थी।			

## अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[37] जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर-प्रतिबद्ध			
मू.	51,35.01	44,60.25	44,60.19
पु.	- 6,74.76		- 0.06
₹ 6,74.76 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[38] जनाना चिकित्सालय, अजमेर-प्रतिबद्ध			
मू.	11,23.64	10,20.72	10,18.48
पु.	- 1,02.92		- 2.24
₹ 1,02.92 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[44] पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र, जयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	6,51.00	4,81.81	4,81.59
पु.	- 1,69.19		- 0.22
₹ 1,69.19 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वर्ष के दौरान पांच कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद पदों के रिक्त रहने तथा सातवें वेतन आयोग के बकाया का आहरण न होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[45] जनाना अस्पताल, जयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	29,81.50	26,09.59	26,09.58
पु.	- 3,71.91		- 0.01
₹ 3,71.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिल पारित नहीं होने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी, को आरोपित की गयी।			



## अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[46] क्षय रोग अस्पताल, जयपुर-प्रतिबद्ध			

मू.	12,20.75	10,94.31	10,94.31	..
पु.	- 1,26.44			

₹ 1,26.44 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वर्ष के दौरान 10 कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद पदों के रिक्त रहने, (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बकाया बिलों के पारित नहीं होने तथा (iii) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी

110. अस्पताल तथा औषधालय

(01) अध्यापन अस्पताल

[47] मानसिक अस्पताल, जयपुर-प्रतिबद्ध

मू.	14,29.16	12,79.43	12,79.16	- 0.27
पु.	- 1,49.73			

₹ 1,49.73 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं होने, (ii) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी, (iii) अत्यावश्यक अस्थाई आधार (यू.टी.बी.) पर लगे दो कर्मचारियों का सेवा से त्याग पत्र देने तथा (iv) उप निरीक्षक के वेतन का देरी से आहरण होने को आरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी

110. अस्पताल तथा औषधालय

(01) अध्यापन अस्पताल

[48] सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान,  
जयपुर-प्रतिबद्ध

मू.	28,11.81	24,77.63	24,70.27	- 7.36
पु.	- 3,34.18			

₹ 3,34.18 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में नर्सों की पदोन्नति होने के बाद नर्सों का वेतन अन्य लेखा शीर्ष से आहरित करने, (ii) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बकाया के बिल पारित नहीं होने को आरोपित की गयी।

₹ 7.36 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[50] प. दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, जयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	6,72.62	5,03.71	5,03.72
पु.	- 1,68.91		
₹ 1,68.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः द्वितीय श्रेणी नर्सों के पदों के रिक्त रहने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी, को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[51] महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	46,04.02	39,08.65	39,08.50
पु.	- 6,95.37		
₹ 6,95.37 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[53] क्षय एवं संक्रामक रोग अस्पताल, जोधपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	5,22.91	3,84.65	3,84.66
पु.	- 1,38.26		
₹ 1,38.26 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[57] पन्नाध्याय राजकीय महिला अस्पताल, उदयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	14,58.46	12,96.73	12,96.71
पु.	- 1,61.73		



## अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[67] जिला अस्पताल, पावटा, जोधपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	13,24.99	11,52.49	11,52.48
पु.	- 1,72.50		
₹ 1,72.50 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[71] श्री खेमराज कटारा राजकीय सैटेलाइट अस्पताल, पावटा, उदयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	10,30.14	9,19.75	9,19.19
पु.	- 1,10.39		
₹ 1,10.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी क्योंकि जुलाई, 2019 से देय महंगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी थी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(02) भ्रमणशील अस्पताल			
[09] भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, जयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	10,45.15	8,60.88	8,62.84
पु.	- 1,84.27		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,84.27 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
[08] सामान्य अस्पताल-प्रतिबद्ध			
मू.	7,52,99.00	6,58,59.49	6,58,12.42
पु.	- 94,39.51		
₹ 94,39.51 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
₹ 47.07 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(03) अन्य अस्पताल तथा औषधालय			
[13] औषधालय तथा सहायता चौकियाँ-प्रतिबद्ध			
मू.	1,11,44.50		
पु.	- 13,06.02		
		98,38.48	98,36.22
			- 2.26
₹ 13,06.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[01] क्षेत्रीय और जिला स्थापना			
मू.	6,10.25		
पु.	- 1,09.68		
		5,00.57	4,99.26
			- 1.31
₹ 1,09.68 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[07] क्षेत्रीय और जिला स्तरीय संस्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	56,66.00		
पु.	- 8,55.42		
		48,10.58	48,08.72
			- 1.86
₹ 8,55.42 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) जिला स्तरीय संस्थापन			
[08] क्षय क्लिनिक-प्रतिबद्ध			
मू.	37,53.08		
पु.	- 5,21.46		
		32,31.62	32,30.25
			- 1.37
₹ 5,21.46 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			

**अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(02) अस्पताल तथा औषधालय			
[04] अस्पताल और औषधालय -प्रतिबद्ध			
मू.	1,21,12.06	1,00,28.40	1,00,27.60
पु.	- 20,83.66		
₹ 20,83.66 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के बकाया के भुगतान नहीं करने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी, को आरोपित की गयी।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
101. आयुर्वेद			
(05) आयुर्वेदिक अनुसंधान			
[07] रसायन शालाएं-प्रतिबद्ध			
मू.	9,62.26	8,29.23	8,29.17
पु.	- 1,33.03		
₹ 1,33.03 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के बकाया के भुगतान नहीं करने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी, को आरोपित की गयी।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
102. होम्योपैथी			
(01) अस्पताल तथा औषधालय			
मू.	7,06.06	5,62.90	5,62.90
पु.	- 1,43.16		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,43.16 लाख का प्रावधान मुख्यतः परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् वर्ष के दौरान 23 कम्पाउण्डरों का वेतन नियमित वेतनमानों में निर्धारण न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
102. होम्योपैथी			
(04) अस्पताल तथा औषधालय			
[01] अस्पताल तथा औषधालय ,शहरी-प्रतिबद्ध			
मू.	20,00.86	15,60.63	15,60.63
पु.	- 4,40.23		
31 मार्च 2020 को ₹ 4,40.23 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) इस लेखा मद से सम्बन्धित 18 कम्पाउण्डरों को आयुर्वेद तथा भारतीय चिकित्सा विभाग द्वारा सितम्बर, 2019 में कार्यमुक्त किये जाने, (ii) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् वर्ष के दौरान 23 कम्पाउण्डरों का वेतन नियमित वेतनमानों में निर्धारण न होने, (iii) वित्तीय वर्ष के दौरान 33 चिकित्सा अधिकारियों को 10/20/30 वर्ष का आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) का लाभ न देने तथा (iv) पदोन्नति पर डॉक्टरों के वेतन का आहरण अन्य शीर्ष से होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (य लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
103. यूनानी			
(01) अस्पताल तथा औषधालय			
मू.	10,01.07	7,61.93	7,61.93
पु.	- 2,39.14		..
<p>31 मार्च 2020 को ₹ 2,39.14 लाख का प्रावधान (i) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के बकाया के भुगतान नहीं होने तथा (ii) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी, के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
103. यूनानी			
(04) अस्पताल तथा औषधालय			
[01] यूनानी अस्पताल तथा औषधालय-प्रतिबद्ध			
मू.	14,65.60	9,59.42	9,59.41
पु.	- 5,06.18		- 0.01
<p>₹ 5,06.18 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के बकाया के भुगतान नहीं होने, (ii) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी तथा (iii) अगस्त/सितम्बर, 2019 से आयुर्वेद विभाग के 18 नर्स/कम्पाउण्डरों का पदस्थापन उनके मूल विभाग में होने को आरोपित की गयी।</p>			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(02) पी.पी.पी. मोड पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान			
मू.	8,50.01	6,13.90	6,13.90
पु.	- 2,36.11		..
<p>₹ 8,50.01 लाख का प्रावधान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन पी.पी.पी.मोड पर किये जाने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2020 को ₹ 2,36.11 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) सेवा प्रदाता द्वारा सात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन से इनकार करना, (ii) सेवा प्रदाताओं द्वारा बिलों का देरी से प्रस्तुत करना तथा (iii) सेवा प्रदाताओं के बिलों से उनके कर्मचारियों की अनुपस्थिति और नियमों और शर्तों के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त न करने के लिए जुर्माने की कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।</p>			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(03) ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	21,35.72	18,17.56	18,17.24
पु.	- 3,18.16		- 0.32
<p>₹ 3,18.16 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।</p>			

## अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (य लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (02) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र [01] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र -प्रतिबद्ध				
मू.	6,38,42.61	5,73,90.03	5,73,71.40	- 18.63
पु.	- 64,52.58			
₹ 64,52.58 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। ₹ 18.63 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।				
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन [01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र				
मू.	2,45,10.79	2,08,20.98	2,08,15.36	- 5.62
पु.	- 36,89.81			
₹ 36,89.81 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा जैव अपव्यय के निस्तारण के लिए बजट सीमा में कटौती को आरोपित की गयी। ₹ 5.62 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।				
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन [04] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध				
मू.	7,22,32.20	6,18,55.24	6,18,45.55	- 9.69
पु.	- 1,03,76.96			
₹ 1,03,76.96 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी। ₹ 9.69 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।				
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ 101. आयुर्वेद (02) अस्पताल और औषधालय [01] अस्पताल और औषधालय-प्रतिबद्ध				
मू.	6,12,10.29	5,49,44.80	5,49,42.57	- 2.23
पु.	- 62,65.49			
₹ 62,65.49 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) के बकाया का भुगतान न करने तथा महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय महंगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी, को आरोपित की गयी।				



**अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (य लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
102. होम्योपैथी			
(01) अस्पताल और औषधालय			
मू.	5,92.73	4,92.33	4,92.18
पु.	- 1,00.40		
			- 0.15
31 मार्च 2020 को ₹ 1,00.40 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा वर्ष के दौरान परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् 10 कम्पाउण्डरों का नियमित वेतनमान में निर्धारण नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
102. होम्योपैथी			
(02) अस्पताल और औषधालय			
[01] अस्पताल और औषधालय, ग्रामीण-प्रतिबद्ध			
मू.	8,33.00	5,92.62	5,92.62
पु.	- 2,40.38		
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,40.38 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) इस लेखा मद से सम्बन्धित 14 कम्पाउण्डरों को आयुर्वेद तथा भारतीय चिकित्सा विभाग द्वारा सितम्बर, 2019 में कार्यमुक्त किये जाने, (ii) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् वर्ष के दौरान 37 कम्पाउण्डरों का वेतन नियमित वेतनमानों में निर्धारण न होने, (iii) वित्तीय वर्ष के दौरान 16 चिकित्सा अधिकारियों को 10/20/30 वर्ष का आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) का लाभ न देने तथा पदोन्नति पर डॉक्टरों के वेतन का आहरण अन्य शीर्ष से होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
103. यूनानी			
(01) अस्पताल और औषधालय			
मू.	4,60.90	3,60.62	3,60.62
पु.	- 1,00.28		
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,00.28 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के बकाया के भुगतान नहीं करने, (ii) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी तथा (iii) वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण 3 कम्पाउण्डर तथा 4 परिचारकों के पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
103. यूनानी			
(02) अस्पताल और औषधालय			
[01] अस्पताल और औषधालय, ग्रामीण, यूनानी-प्रतिबद्ध			
मू.	7,44.55	5,59.91	5,59.91
पु.	- 1,84.64		
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,84.64 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के बकाया के भुगतान नहीं करने, (ii) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी तथा (iii) वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के बाद 5 चिकित्सा अधिकारियों के पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (य लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर			
मू.	5,18.52		
		3,42.31	3,42.30
पु.	- 1,76.21		- 0.01
<p>₹ 1,76.21 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय महंगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी तथा (ii) नए हार्डवेयर की खरीद, आरोग्य ऑनलाइन परियोजना, ई-लाइब्रेरी हॉस्टल लेन, ई-क्लासरूम तथा सुरक्षा उपकरणों के सॉफ्टवेयर की आपूर्ति एवं रखरखाव के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से परीक्षण के बाद स्वीकृति नहीं मिलने को आरोपित की गयी।</p>			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(03) स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयों को अनुदान			
[01] राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर			
मू.	1,02,60.01		
		50,02.37	50,02.37
पु.	- 52,57.64		..
<p>₹ 52,57.64 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कम अनुदान जारी करने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।</p>			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(06) राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी			
[01] सहायतार्थ अनुदान			
मू.	1,40,50.00		
		1,09,50.00	1,09,50.00
पु.	- 31,00.00		..
<p>₹ 31,00.00 लाख की प्रत्याशित बचत राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी को कम अनुदान जारी करने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।</p>			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(08) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर			
[01] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी			
मू.	32,54.71		
		4,08.00	4,08.00
पु.	- 28,46.71		..
<p>31 मार्च 2020 को ₹ 28,46.71 लाख का प्रावधान झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।</p>			

**अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलौपेथी			
(09) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[01] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी			
मू.	24,02.89	3,00.00	3,00.00
पु.	- 21,02.89		..
31 मार्च 2020 को ₹ 21,02.89 लाख का प्रावधान झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(02) निःशुल्क दवा योजना			
[04] निःशुल्क दवा योजना- चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू.	3,15.00	1,62.14	1,62.13
पु.	- 1,52.86		- 0.01
31 मार्च 2020 को ₹ 1,52.86 लाख का प्रावधान भेषज तथा औषधियों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(02) निःशुल्क दवा योजना			
[06] निःशुल्क दवा योजना- चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा			
मू.	4,00.01	2,74.65	2,73.52
पु.	- 1,25.36		- 1.13
31 मार्च 2020 को ₹ 1,25.36 लाख का प्रावधान भेषज तथा औषधियों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
001. निदेशन और प्रशासन			
(01) प्रधान कार्यालय स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	5,63.36	4,32.38	4,32.37
पु.	- 1,30.98		- 0.01
31 मार्च 2020 को ₹ 1,30.98 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(06) दृष्टिविकार की रोकथाम और अन्धता नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम			
[20] दृष्टिविकार की रोकथाम और अन्धता नियंत्रण –प्रतिबद्ध			
मू.	9,97.70	8,10.30	8,10.29
पु.	- 1,87.40		
			- 0.01
31 मार्च 2020 को ₹ 1,87.40 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(19) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	97,41.53	78,96.41	78,83.17
पु.	- 18,45.12		
			- 13.24
31 मार्च 2020 को ₹ 18,45.12 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 13.24 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(23) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम			
[01] राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-प्रतिबद्ध			
मू.	77,68.37	43,33.58	43,29.89
पु.	- 34,34.79		
			- 3.69
31 मार्च 2020 को ₹ 34,34.79 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. लोक स्वास्थ्य			
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण			
(24) राष्ट्रीय लेपरोसी नियंत्रण कार्यक्रम			
[01] राष्ट्रीय लेपरोसी नियंत्रण कार्यक्रम-प्रतिबद्ध			
मू.	5,55.57	2,64.36	2,64.35
पु.	- 2,91.21		
			- 0.01
₹ 2,91.21 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
104. औषध नियंत्रण			
(04) औषध नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण			
[01] औषधि नियंत्रक के माध्यम से			
मू.	11,09.70	3,66.19	3,65.78
अ.	0.01		
पु.	- 7,43.52		
			- 0.41
₹ 7,43.52 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
107. लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं			
(02) जीवाणु संबंधी प्रयोगशालाएं			
[01] जीवाणु संबंधी प्रयोगशालाएं-प्रतिबद्ध			
मू.	4,88.93	3,63.53	3,63.53
पु.	- 1,25.40		..
₹ 1,25.40 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
06. लोक स्वास्थ्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
[01] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को सहायता			
मू.	2,79,67.94	1,78,41.55	1,78,41.55
पु.	- 1,01,26.39		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,01,26.39 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कटौती के कारण अनुदान कम जारी करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,01,26.37 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 0.02 लाख) किया गया।			
06. लोक स्वास्थ्य			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी			
मू.	4,01.52	1,36.81	1,36.81
पु.	- 2,64.71		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,64.71 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. लोक स्वास्थ्य			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[02] खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी-प्रतिबद्ध			
मू.	1,16,17.51	95,06.25	95,03.93
पु.	- 21,11.26		- 2.32
31 मार्च 2020 को ₹ 21,11.26 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2211. परिवार कल्याण			
001. निदेशन और प्रशासन			
(02) राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो			
मू.	10,94.64	8,28.75	8,28.75
पु.	- 2,65.89		..
₹ 2,65.89 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वास्तविक आवश्यकतानुसार बकाया का भुगतान करने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए 23 मार्च 2020 से राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने को आरोपित की गयी।			

**अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
003. प्रशिक्षण			
(02) आकजलरी नर्स, मिडवाइफ दाई और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
मू.	29,58.99		
पु.	- 8,17.29	21,41.70	21,39.88
			- 1.82
₹ 8,17.29 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वास्तविक आवश्यकतानुसार बकाया का भुगतान करने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए 23 मार्च 2020 से राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने को आरोपित की गयी।			
105. क्षतिपूर्ति			
(03) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[12] शुभ लक्ष्मी योजना			
मू.	48,78.00		
पु.	- 12,19.50	36,58.50	36,58.50
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 12,19.50 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए 23 मार्च 2020 से राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में योजना की चौथी किश्त जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	50,37.22		
पु.	- 15,06.14	35,31.08	35,30.53
			- 0.55
31 मार्च 2020 को ₹ 15,06.14 लाख का प्रावधान (i) वर्ष के दौरान 1,115 पदों पर महिला स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती नहीं किये जाने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदराज के कार्यालयों द्वारा एक माह से ज्यादा के सम्बन्धित वेतन बिल जमा नहीं करने तथा माह मार्च, 2020 में कोषालय द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[02] ग्रामीण उपकेन्द्र			
मू.	7,52,62.03		
पु.	- 1,30,18.91	6,22,43.12	6,22,38.10
			- 5.02
31 मार्च 2020 को ₹ 1,30,18.91 लाख का प्रावधान (i) अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वास्तविक आवश्यकतानुसार बकाया का भुगतान करने, (ii) वर्ष के दौरान 694 पदों पर महिला स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती नहीं किये जाने, (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने तथा (iv) कोविड-19 महामारी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदराज के कार्यालयों द्वारा एक माह से ज्यादा के सम्बन्धित वेतन बिल जमा नहीं करने तथा कोषालयों द्वारा माह मार्च, 2020 में बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 34,33.28 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 95,85.63 लाख) किया गया।			

₹ 5.02 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
200. अन्य सेवाएं तथा पूर्तियां			
(01) परम्परागत गर्भ निरोधक			
मू.	14,00.00	..	..
पु.	- 14,00.00	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 14,00.00 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत सरकार से परम्परागत गर्भ निरोधक प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
मू.	97,66.00	32,10.44	..
पु.	- 65,55.56	32,10.44	..
31 मार्च 2020 को ₹ 65,55.56 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
102. कर्मचारी राज्य बीमा योजना			
(03) भरपाई (लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री के नियुक्ताओं के सहित)-प्रतिबद्ध			
मू.	10,00.01	12,58.13	- 5.13
पु.	2,58.12	12,53.00	- 5.13
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,58.12 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने के कारण उपलब्ध कराई गयी।			
₹ 5.13 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
110. अस्पताल तथा औषधालय			
(01) अध्यापन अस्पताल			
[04] पी.बी.एम. मेन्स अस्पताल, बीकानेर			
मू.	24,92.34	28,84.02	+ 0.02
पु.	3,91.68	28,84.04	+ 0.02
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,91.68 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 110. अस्पताल तथा औषधालय (01) अध्यापन अस्पताल [33] नवीन चिकित्सालय, कोटा	मू. 22,39.30 पु. 3,10.55	25,49.85	25,47.98 - 1.87
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,10.55 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन एवं भत्ते, विद्युत व्यय तथा संविदा सेवाओं से सम्बन्धित दायित्वों के भगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ 800. अन्य व्यय (01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से [01] आयुर्वेद विभाग	मू. 21,00.00 पु. 14,06.84	35,06.84	35,06.84 ..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,06.84 लाख की अतिरिक्त निधियां आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति देने के परिणामस्वरूप भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105. एलोपैथी (01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा [02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	मू. 17,17.51 पु. 1,78.13	18,95.64	18,95.30 - 0.34
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,78.13 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105. एलोपैथी (01) महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा [28] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा-प्रतिबद्ध	मू. 53,03.67 पु. 6,50.41	59,54.08	59,53.81 - 0.27
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,50.41 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्ते, छात्रवृत्ति तथा वजीफा से सम्बन्धित दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			



**अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(05) झालावाड अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसायटी			
[01] सहायतार्थ अनुदान			
मू .	41,50.00	46,12.50	46,12.50
पु .	4,62.50		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,62.50 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(01) निःशुल्क जाँच योजना			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू .	26,90.03	29,65.67	29,61.48
पु .	2,75.64		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,75.64 लाख की अतिरिक्त निधियां मौसमी बीमारियों के परिक्षण के लिए किट आदि उपलब्ध कराने और <i>मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना</i> में निःशुल्क परिक्षण की संख्या में वृद्धि हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
₹ 4.19 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
800. अन्य व्यय			
(02) निःशुल्क दवा योजना			
[01] निःशुल्क दवा योजना – चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू .	14,30.00	19,92.54	19,92.23
पु .	5,62.54		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,62.54 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड द्वारा जो दवा उपलब्ध नहीं कराई गई उन आवश्यक दवाओं की अस्पताल स्तर पर खरीद करने, (ii) <i>मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना</i> में कैंसर से संबंधित 21 दवाओं का समावेश करने तथा (iii) बकाया दायित्वों का भुगतान करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
06. लोक स्वास्थ्य			
104. औषध नियंत्रण			
(01) औषध नियंत्रण स्थापना			
[03] औषधि नियंत्रक के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू .	11,82.77	13,79.34	13,78.60
पु .	1,96.57		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,96.57 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

**अनुदान संख्या 026 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2211. परिवार कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू .	11,74,43.00	15,86,90.95	15,86,90.95
पु .	4,12,47.95		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,12,47.95 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

**प्रभारित**

- ₹ 34.34 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2020 में अनुपूरक विनियोजन द्वारा लिया गया ₹ 37.02 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।

**पूँजी**

**दत्तमत**

- ₹ 78,01.62 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 1,49.80 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 2,02,28.86 लाख, ₹ 1,80,46.32 लाख, ₹ 1,23,91.40 लाख, ₹ 71,95.86 लाख तथा ₹ 78,01.62 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 29.45 प्रतिशत से 59.67 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के लिए विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(07) निर्माण कार्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	30,16.38	8,61.55	8,61.55
पु .	- 21,54.83		..

31 मार्च 2020 को ₹ 21,54.83 लाख का प्रावधान (i) धर्मशालाओं के निर्माण के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए निधियां जारी नहीं करने, (ii) जिला अस्पताल, सवाई माधोपुर में भूमि की अनुपलब्धता के कारण पार्किंग शेड का निर्माण नहीं होने, (iii) भूमि विवाद/कोर्ट स्टे के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खटकड़ (बूंदी) के लिए निर्माण कार्य के शुरु न होने, (iv) भूमि विवाद के कारण बारां में दो निर्माण कार्य देरी से शुरु होने, (v) भूमि विवाद के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छपरी खुर्द में निर्माण कार्य शुरु नहीं हाने तथा (vi) मशीनरी तथा उपकरण खरीदने के लिए बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 14,62.57 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 6,92.26 लाख) किया गया।

## अनुदान संख्या 026 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110. अस्पताल और औषधालय			
(15) औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण			
[01] औषधि नियंत्रक के माध्यम से			
मू.	12,12.00	76.90	76.90
पु.	- 11,35.10		..
31 मार्च 2020 को ₹ 11,35.10 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
800. अन्य व्यय			
(02) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	29,53.00	26,47.56	26,47.56
पु.	- 3,05.44		..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,05.44 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	20,51.48	17,66.69	17,50.25
पु.	- 2,84.79		- 16.44
₹ 2,84.79 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोविड-19 महामारी को देखते हुए कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने तथा 23 मार्च 2020 से राज्य में लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण माह मार्च, 2020 में सामग्री की आपूर्ति नहीं होने को आरोपित की गयी।			
₹ 16.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(07) अन्य व्यय			
[06] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	9,00.00	3,01.05	3,01.05
पु.	- 5,98.95		..
31 मार्च 2020 को ₹ 5,98.95 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालय द्वारा उपकरण की खरीद, निर्माण कार्य तथा आधुनिकीकरण से सम्बन्धित लम्बित दायित्वों का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 026 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
105. एलोपैथी			
(12) स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट			
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	26,76.92	2,44.00	94.00
पु.	- 24,32.92		- 1,50.00

₹ 26,76.92 लाख का प्रावधान राज्य कैंसर संस्थान के लिए उपकरणों की खरीद के लिए अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2020 को ₹ 24,32.92 लाख का प्रावधान अकेली निविदा पर अंतिम निर्णय नहीं लेते हुए उपकरणों की खरीद न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 1,50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
105. एलोपैथी  
(13) टर्सरी कैंसर केयर सेंटर  
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर

मू.	4,85.69	2,53.71	2,53.71	..
पु.	- 2,31.98			

31 मार्च 2020 को ₹ 2,31.98 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
105. एलोपैथी  
(14) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना  
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर

मू.	4,50.00	3,03.81	3,03.81	..
पु.	- 1,46.19			

31 मार्च 2020 को ₹ 1,46.19 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
105. एलोपैथी  
(18) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II  
[01] एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर

मू.	7,00.02	2,43.56	2,60.21	+ 16.65
पु.	- 4,56.46			

31 मार्च 2020 को ₹ 4,56.46 लाख का प्रावधान पी जी सीट फेज- II जिसके लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त हुई थी, के अन्तर्गत कार्यकारी एजेन्सी पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा कार्य के कम निष्पादन करने तथा कोविड-19 महामारी से बनी परिस्थितियों के कारण क्रय आदेशों पर सामग्री की आपूर्ति न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 16.65 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 027 – पेय जल योजना

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2215. जलपूर्ति तथा सफाई  
पूंजी – 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	39,99,86,34	40,50,39,12	36,28,51,09 – 4,21,88,03
अनुपूरक	50,52,78		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			4,19,23,14
<b>प्रभारित</b>			
मूल	37,20	87,40	87,07 – 33
अनुपूरक	50,20		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			19

### पूंजी

<b>दत्तमत</b>			
मूल	32,44,50,36	32,44,50,36	22,21,97,73 – 10,22,52,63
अनुपूरक	..		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			9,83,57,34

### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. फरवरी, 2020 में लिया गया ₹ 50,52.78 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 4,21,88.03 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,64.89 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(01) जलपूर्ति योजना, अजमेर-प्रतिबद्ध			
मू.	1,85,83.02	1,59,00.57	1,58,96.23 – 4.34
पु.	– 26,82.45		

**अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(04) जलपूर्ति योजना, भरतपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	22,99.31	19,11.41	19,11.40
पु.	- 3,87.90		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(05) जलपूर्ति योजना, भीलवाड़ा-प्रतिबद्ध			
मू.	20,28.67	13,31.04	13,31.03
पु.	- 6,97.63		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 37,67.98 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कुछ कर्मचारियों जिन्हें अन्य लेखा मद में स्थानान्तरित कर दिया गया था, को वेतन का भुगतान न होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) विद्युत् उपभोग, शुल्क तथा उपकर के संबंध में विभागीय गणना तथा विद्युत् कम्पनी द्वारा जारी बिजली बिलों में विरोधाभास होने के कारण बिजली बिलों का भुगतान न होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवसों में बिजली कम्पनियों के बकाया दायित्वों का भुगतान न होने को आरोपित की गयी।

01. जलपूर्ति  
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम  
(02) जलपूर्ति योजना, अलवर-प्रतिबद्ध

मू.	44,29.94	38,93.53	38,92.83
पु.	- 5,36.41		

₹ 5,36.41 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुछ कर्मचारियों जिन्हें अन्य लेखा मद में स्थानान्तरित कर दिया गया था, को वेतन का भुगतान न होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. जलपूर्ति  
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम  
(06) जलपूर्ति योजना, बीकानेर-प्रतिबद्ध

मू.	56,87.28	47,09.23	47,32.74
पु.	- 9,78.05		

₹ 9,78.05 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कुछ कर्मचारियों जिन्हें अन्य लेखा मद में स्थानान्तरित कर दिया गया था, को वेतन का भुगतान न होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) विद्युत् उपभोग, शुल्क तथा उपकर के संबंध में विभागीय गणना तथा विद्युत् कम्पनी द्वारा जारी बिजली बिलों में विरोधाभास होने के कारण बिजली बिलों का भुगतान न होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवसों में बिजली कम्पनियों के बकाया दायित्वों का भुगतान न होने तथा (iii) जल संसाधन विभाग द्वारा समय पर बिलों को प्रस्तुत नहीं करने को आरोपित की गयी।

₹ 23.51 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(07) जलपूर्ति योजना, जयपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	3,02,46.61	2,65,74.79	2,65,53.69
पु.	- 36,71.82		- 21.10

₹ 36,71.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कुछ कर्मचारियों जिन्हें अन्य लेखा मद में स्थानान्तरित कर दिया गया था, को वेतन का भुगतान न होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) विद्युत् उपभोग, शुल्क तथा उपकर के संबंध में विभागीय गणना तथा विद्युत् कम्पनी द्वारा जारी बिजली बिलों में विरोधाभास होने के कारण बिजली बिलों का भुगतान न होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवसों में बिजली कम्पनियों के बकाया दायित्वों का भुगतान न होने तथा (iii) बिलों में त्रुटियां बताये जाने के पश्चात् ठेकेदारों द्वारा सही बिलों को समय पर प्रस्तुत न करने को आरोपित की गयी।

₹ 21.10 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

01. जलपूर्ति  
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम  
(08) जलपूर्ति योजना, जोधपुर-प्रतिबद्ध

मू.	97,09.01	76,37.31	76,33.04	- 4.27
पु.	- 20,71.70			

₹ 20,71.70 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कुछ कर्मचारियों जिन्हें अन्य लेखा मद में स्थानान्तरित कर दिया गया था को, वेतन का भुगतान न होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) विद्युत् उपभोग, शुल्क तथा उपकर के संबंध में विभागीय गणना तथा विद्युत् कम्पनी द्वारा जारी बिजली बिलों में विरोधाभास होने के कारण बिजली बिलों का भुगतान न होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवसों में बिजली कम्पनियों के बकाया दायित्वों का भुगतान न होने तथा (iii) तकनीकी समस्या के कारण कोषालयों में बिलों के पारित न होने को आरोपित की गयी।

01. जलपूर्ति  
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम  
(11) जलपूर्ति योजना, उदयपुर-प्रतिबद्ध

मू.	68,31.91	54,59.32	53,73.67	- 85.65
पु.	- 13,72.59			

₹ 13,72.59 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कुछ कर्मचारियों जिन्हें अन्य लेखा मद में स्थानान्तरित कर दिया गया था, को वेतन का भुगतान न होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) विद्युत् उपभोग, शुल्क तथा उपकर के संबंध में विभागीय गणना तथा विद्युत् कम्पनी द्वारा जारी बिजली बिलों में विरोधाभास होने के कारण बिजली बिलों का भुगतान न होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवसों में बिजली कम्पनियों के बकाया दायित्वों का भुगतान न होने को आरोपित की गयी।

₹ 85.65 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
(01) अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं-प्रतिबद्ध			
मू.	16,17,35.01		
अ.	50,52.78	15,51,25.19	15,50,17.32
पु.	- 1,16,62.60		- 1,07.87

फरवरी, 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा विद्युत व्यय पर बढे हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 50,52.78 लाख का प्रावधान शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत को देखते हुए अनावश्यक था।

₹ 1,16,62.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कुछ कर्मचारियों जिन्हें अन्य लेखा मद में स्थानान्तरित कर दिया गया था को, वेतन का भुगतान न होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) बिलों में त्रुटियां बताये जाने के पश्चात् ठेकेदारों द्वारा सही बिलों को समय पर प्रस्तुत न करने, (iii) कर्मचारियों द्वारा यात्रा बिलों को समय पर प्रस्तुत न करने तथा (iv) जल संसाधन विभाग द्वारा समय पर बिल प्रस्तुत न करने को आरोपित की गयी।

₹ 1,07.87 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

01. जलपूर्ति  
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम  
(02) अभिवृद्धि ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम-प्रतिबद्ध

मू.	6,67.27			
पु.	- 1,05.62	5,61.65	5,60.82	- 0.83

₹ 1,05.62 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुछ कर्मचारियों जिन्हें अन्य लेखा मद में स्थानान्तरित कर दिया गया था को, वेतन का भुगतान न होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

01. जलपूर्ति  
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम  
(08) ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता  
[01] ग्रीष्मकालीन जलपूर्ति

मू.	88,25.00			
पु.	- 23,25.22	64,99.78	64,95.97	- 3.81

31 मार्च 2020 को ₹ 23,25.22 लाख का प्रावधान (i) वित्त विभाग द्वारा साख सीमा में कटौती करने तथा पंप सेट की मरम्मत पर कम व्यय होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण कोषालयों में बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. मल जल तथा सफाई  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(02) पर्यवेक्षण-प्रतिबद्ध

मू.	51,08.14			
पु.	- 11,08.74	39,99.40	39,97.04	- 2.36

₹ 11,08.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुछ कर्मचारियों जिन्हें अन्य लेखा मद में स्थानान्तरित कर दिया गया था को, वेतन का भुगतान न होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।



**अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (य लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई 02. मल जल तथा सफाई 001. निदेशन तथा प्रशासन (03) निष्पादन			
मू.	50,96.36		
पु.	- 7,57.70	43,38.66	43,38.00
			- 0.66
31 मार्च 2020 को ₹ 7,57.70 लाख का प्रावधान कुछ कर्मचारियों जिन्हें अन्य लेखा मद में स्थानान्तरित कर दिया गया था को, वेतन का भुगतान न होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. मल जल तथा सफाई 001. निदेशन तथा प्रशासन (04) शिल्पशाला			
मू.	45,23.02		
पु.	- 10,08.47	35,14.55	35,13.98
			- 0.57
31 मार्च 2020 को ₹ 10,08.47 लाख का प्रावधान कुछ कर्मचारियों जिन्हें अन्य लेखा मद में स्थानान्तरित कर दिया गया था को, वेतन का भुगतान न होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने एवं पम्प/मशीनरी की मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. मल जल तथा सफाई 001. निदेशन तथा प्रशासन (10) निदेशन [01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	45,42.54		
पु.	- 8,26.56	37,15.98	37,12.82
			- 3.16
₹ 8,26.56 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कुछ कर्मचारियों जिन्हें अन्य लेखा मद में स्थानान्तरित कर दिया गया था को, वेतन का भुगतान न होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
02. मल जल तथा सफाई 001. निदेशन तथा प्रशासन (11) निष्पादन [01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	3,25,60.76		
पु.	- 74,23.75	2,51,37.01	2,51,17.12
			- 19.89
31 मार्च 2020 को ₹ 74,23.75 लाख का प्रावधान: कुछ कर्मचारियों जिन्हें अन्य लेखा मद में स्थानान्तरित कर दिया गया था को, वेतन का भुगतान न होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 19.89 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
02. मल जल तथा सफाई			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(01) मल निकासी योजनाओं का संधारण			
[01] नगर पालिकाओं को सहायतार्थ-प्रतिबद्ध			
मू.	6,60.00	..	..
पु.	- 6,60.00		

31 मार्च 2020 को ₹ 6,60.00 लाख का समस्त प्रावधान प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति जारी न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान भी शीर्ष के अन्तर्गत समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
(09) जोधपुर लिफ्ट केनाल, जोधपुर-प्रतिबद्ध			
मू.	1,45,41.13	1,61,66.56	- 0.15
पु.	16,25.43		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,25.43 लाख की अतिरिक्त निधियां नहर के अन्तर्गत जल आपूर्ति क्षेत्र के विस्तार के कारण पानी की अधिक खपत होने और बिजली की दरों में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

## पूँजी

## दत्तमत

- ₹ 10,22,52.63 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 38,95.29 लाख (विभिन्न शीर्षों के तहत जमा कराये गये ₹ 4,24.56 लाख सम्मिलित है) अन्-अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 4,81,46.76 लाख, ₹ 8,96,22.10 लाख, ₹ 6,83,02.17 लाख, ₹ 10,43,81.89 लाख तथा ₹ 10,22,52.63 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 13.39 प्रतिशत से 31.52 प्रतिशत के बीच थी। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान बचत के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये।

**अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[17] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू. 27,75.00	20,19.88	20,18.46	- 1.42
पु. - 7,55.12			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[18] जल पूर्ति योजनाओं का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं सुदृढीकरण			
मू. 5,22.52	1,38.30	1,38.30	..
पु. - 3,84.22			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[19] फिल्टर प्लान्ट का पुनर्जीवीकरण एवं कमोन्नयन			
मू. 3,75.00	2,12.82	2,12.82	..
पु. - 1,62.18			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[27] जवाई-पाली-जालौर जलपूर्ति योजना (जवाई-जोधपुर पाइप लाइन परियोजना)			
मू. 17,25.00	74.78	74.78	..
पु. - 16,50.22			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[44] नागौर लिफ्ट कैनाल, फेज- I			
मू. 28,00.00	2,89.39	2,89.39	..
पु. - 25,10.61			

## अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[45] पोकरण-फलसूंड (फलौदी) जल प्रदाय योजना			
मू. 17,25.00	4,83.88	4,83.88	..
पु. - 12,41.12			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[49] टोंक-देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू. 28,50.00	9,85.08	9,85.03	- 0.05
पु. - 18,64.92			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[61] शहरी जल पूर्ति योजना, जोधपुर (ई.ए.पी.)			
मू. 69,00.00	33,20.27	33,20.27	..
पु. - 35,79.73			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[64] नागौर लिफ्ट जलपूर्ति योजना फेज- II			
मू. 48,06.90	39,50.37	38,55.46	- 94.91
पु. - 8,56.53			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[66] डीग जल प्रदाय परियोजना			
मू. 13,80.00	1,73.31	1,73.31	..
पु. - 12,06.69			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[72] चंबल-बूंदी जलप्रदाय परियोजना			
मू. 1,72.50	26.59	26.59	..
पु. - 1,45.91			

## अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[83] कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी एकीकृत जल पूर्ति परियोजना			
मू.	12,46.83	6,81.63	6,81.63
पु.	- 5,65.20		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[85] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू.	27,50.00	23,91.18	23,64.00
पु.	- 3,58.82		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[87] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I, पार्ट- II (शहरी)			
मू.	9,66.00	4,29.17	4,29.17
पु.	- 5,36.83		
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[96] बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिरोही जिले हेतु पेयजल योजना (शहरी)			
मू.	6,90.00	1,57.00	1,57.00
पु.	- 5,33.00		
उपरोक्त पन्द्रह शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 1,63,51.10 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम/न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
शीर्ष "4215-01-101(01) [64] एवं [85] " के अंतर्गत ₹ 1,22.09 लाख की अंतिम बचत सरकारी लेखे में ₹ 1,22.09 लाख जमा कराये जाने के कारण थी।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[31] चम्बल-बालेर-सवाई-माधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	27,05.00	..	..
पु.	- 27,05.00	..	..

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[81] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू.	17,25.00	..	..
पु.	- 17,25.00	..	..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[84] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू.	20,70.00	..	..
पु.	- 20,70.00	..	..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[86] ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	17,25.00	..	..
पु.	- 17,25.00	..	..
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[88] जवाई-पाली पाईपलाईन परियोजना फेज-द्वितीय, पार्ट-बी (शहरी)			
मू.	2,07.00	..	..
पु.	- 2,07.00	..	..
उपरोक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 84,32.00 लाख का समस्त प्रावधान परियोजनाओं का क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[75] 200 एमएलडी जलशोधन यंत्र, सूरजपुरा (शहरी)			
मू.	36.00	..	- 2,40.50
पु.	- 36.00	..	- 2,40.50

31 मार्च 2020 को ₹ 36.00 लाख का समस्त प्रावधान परियोजनाओं का क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 2,40.50 लाख का ऋण व्यय मैसर्स एस पी एम एल इन्फ्रा लिमिटेड की परिसमापन हर्जाना की वसूली के संदर्भ में मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा से हस्तांतरण के कारण था।

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[02] बीसलपुर-जयपुर जल प्रदाय परियोजना फेज- II (शहरी)			
मू.	24,04.08		
पु .	- 24,02.08	2.00	2.00
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 24,02.08 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(11) अभिवृद्धि शहरी जलपूर्ति योजना			
[05] डूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा पेयजल परियोजना			
मू.	13,25.00		
पु .	- 13,25.00	..	..
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 13,25.00 लाख का समस्त प्रावधान परियोजनाओं का क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[08] चम्बल परियोजना, भरतपुर (नाबार्ड)			
मू.	18,20.00		
पु .	- 12,43.01	5,76.99	4,95.48
			- 81.51
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[25] उम्मेद सागर जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू.	25,00.01		
पु .	- 23,10.06	1,89.95	1,89.95
			..
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[37] देवनिया-शेरगढ़-छाबा जलपूर्ति योजना			
मू.	21,00.01		
पु .	- 2,62.77	18,37.24	18,37.24
			..

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[50] अटरू-शेरगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बांरा (ग्रामीण)			
मू.	4,83.00	3,77.00	3,77.00
पु .	- 1,06.00		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[52] बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना, फेज- II, पार्ट-डी			
मू.	36,74.74	23,37.50	23,37.50
पु .	- 13,37.24		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[58] अंता-मांगरोल तहसील, जिला बांरा की सोनवा पेयजल परियोजना			
मू.	24,15.00	12,64.19	12,64.19
पु .	- 11,50.81		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[59] नहरों का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण (बीकानेर)			
मू.	60,00.00	40,38.74	40,38.74
पु .	- 19,61.26		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[62] कछावन पेयजल परियोजना			
मू.	3,45.00	0.32	0.32
पु .	- 3,44.68		



**अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[64] डूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा पेयजल परियोजना			
मू .	34,50.00	21,15.28	21,15.28
पु .	- 13,34.72		
उपरोक्त नौ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 1,00,50.55 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
शीर्ष "4215-01-102(01)[08]" के अंतर्गत ₹ 81.51 लाख की अंतिम बचत सरकारी लेखे में ₹ 81.51 लाख जमा कराये जाने के कारण थी।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[48] नर्बदा-गुड़ामालानी जलपूर्ति योजना			
मू .	12,12.53	3,74.50	3,74.50
पु .	- 8,38.03		
₹ 8,38.03 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों का निष्पादन कम होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[51] बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिरोही जिले हेतु पेयजल योजना (ग्रामीण)			
मू .	17,25.01	..	..
पु .	- 17,25.01		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[54] जाखम बांध से जिला प्रतापगढ़ के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू .	3,45.00	..	..
पु .	- 3,45.00		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[60] झालीजी का बराना पेयजल परियोजना			
मू .	3,45.01	..	..
पु .	- 3,45.01		

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[63] परवन-अकावाद पेयजल परियोजना			
मू.	3,45.00	..	..
पु.	- 3,45.00		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[67] हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना, जिला कोटा			
मू.	3,45.00	..	..
पु.	- 3,45.00		

उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 31,05.02 लाख का समस्त प्रावधान नयी परियोजनाओं का क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[55] माही बांध से जिला बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ एवं कुशलगढ़ ब्लॉक के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू.	81,21.12	31,28.50	31,28.50
पु.	- 49,92.62		..

31 मार्च 2020 को ₹ 49,92.62 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 44,27.85 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,64.77 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(02) पाइप लाईनों द्वारा ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[03] 2215-जलपूर्ति और सफाई 02-001(09) से स्थानान्तरित प्रतिशतता व्यय (प्रोरेटा)			
मू.	1,11,33.05	94,73.90	92,73.90
पु.	- 16,59.15		- 2,00.00

31 मार्च 2020 को ₹ 16,59.15 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 2,00.00 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(06) विभाग के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन			
मू.	1,75.00	54.10	54.10
पु.	- 1,20.90		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(09) पम्प एवं मोटर्स की पुनःस्थापना			
मू.	11,00.00	7,29.32	7,29.32
पु.	- 3,70.68		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(12) पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू.	22,00.00	14,33.76	14,29.92
पु.	- 7,66.24		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(19) चम्बल-बालेर-सवाई-माधोपुर जल प्रदाय योजना			
मू.	25,05.01	9,74.11	9,74.09
पु.	- 15,30.90		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(21) जनता जल योजना			
मू.	60,00.00	35,46.98	35,39.63
पु.	- 24,53.02		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(38) नागौर लिफ्ट केनाल			
मू.	45,20.01	40,73.94	40,73.94
पु.	- 4,46.07		

उपरोक्त छ शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 56,87.81 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

शीर्ष "4215-01-102(21) के अन्तर्गत ₹ 7.35 लाख की अंतिम बचत सरकारी लेखे में ₹ 7.35 लाख जमा कराये जाने के कारण थी।

## अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(18) बीसलपुर-दूदू जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू.	9,55.00	7,43.05	6,69.38
पु.	- 2,11.95		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(36) नर्मदा परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	5,98.42	2.03	2.03
पु.	- 5,96.39		
उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 8,08.34 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
शीर्ष "4215-01-102(18) के अन्तर्गत ₹ 73.67 लाख की अंतिम बचत ठेकेदारों से परिसमापन हर्जाना की वसूली के संदर्भ में मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा से हस्तांतरण के कारण है।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(39) पोकरण-फलसूण्ड जलपूर्ति योजना			
मू.	76,95.72	39,17.30	39,17.30
पु.	- 37,78.42		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(40) डीग जलपूर्ति योजना			
मू.	37,10.00	17,47.99	17,47.99
पु.	- 19,62.01		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(43) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम			
मू.	10,00.00	3,38.38	3,36.55
पु.	- 6,61.62		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(50) बाइमेर लिफ्ट कैनाल जल प्रदाय परियोजना फेज-II			
मू.	35,10.18	4.02	4.02
पु.	- 35,06.16		

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(62) बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-11 पार्ट-सी (473 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	91,50.00	42,91.28	42,91.28
पु.	- 48,58.72		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(65) गागरिन जलपूर्ति योजना			
मू.	32,50.00	13,23.03	13,23.03
पु.	- 19,26.97		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(71) चम्बल-भीलवाडा जलपूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू.	1,83,79.51	1,43,48.31	1,43,24.21
पु.	- 40,31.20		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(78) नर्मदा परियोजना-क्लस्टर (डी.आर.)			
मू.	62,50.00	25,61.45	25,61.45
पु.	- 36,88.55		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(84) भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गाँवों हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू.	52,75.00	14,41.26	14,41.26
पु.	- 38,33.74		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(85) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डी.डी.पी.)			
मू.	9,75.00	6,47.20	6,16.44
पु.	- 3,27.80		

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(86) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू.	6,50.00	41.46	41.46
पु .	- 6,08.54		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(87) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सहायता राशि			
मू.	15,50.00	12,06.74	12,06.74
पु .	- 3,43.26		
उपरोक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 2,95,26.99 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
शीर्ष "4215-01-102(71) एवं (85)" के अंतर्गत ₹ 54.86 लाख की अंतिम बचत सरकारी लेखे में ₹ 54.86 लाख जमा कराये जाने के कारण थी।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(46) बोरावास मंडाना जल प्रदाय परियोजना			
मू .	4,83.01	3,52.69	3,52.69
पु .	- 1,30.32		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(48) ग्रामीण पेयजल योजनाओं के विभिन्न कम्पोनेन्ट्स का सुदृढीकरण - रिजूविनेशन			
मू .	15,00.00	9,83.39	9,83.23
पु .	- 5,16.61		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(61) बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-II पार्ट-बी (68 गाँवों की क्लस्टर योजना)			
मू .	19,69.00	4,08.90	4,08.90
पु .	- 15,60.10		

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(67) जवाई क्लस्टर परियोजना- II			
मू.	26,11.66	8,19.43	8,19.43
पु.	- 17,92.23		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(76) बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ जलपूर्ति परियोजना			
मू.	34,50.00	25,49.25	25,49.25
पु.	- 9,00.75		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(94) चम्बल-बूंदी जलप्रदाय परियोजना (क्लस्टर वितरण) ग्रामीण			
मू.	5,20.00	3,64.42	3,50.62
पु.	- 1,55.58		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(95) नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज द्वितीय (डीडीपी) ग्रामीण			
मू.	6,50.00	3,45.00	3,45.00
पु.	- 3,05.00		

उपरोक्त सात शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 53,60.59 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

शीर्ष "4215-01-102(94)" के अंतर्गत ₹ 13.80 लाख की अंतिम बचत सरकारी लेखे में ₹ 13.80 लाख जमा कराये जाने के कारण थी।

01. जलपूर्ति  
102. ग्रामीण जलपूर्ति  
(59) निवाई एवं टोंक तहसील के 199 गांवों की जलप्रदाय परियोजना

मू.	20.71	4.93	- 1,56.81	- 1,61.74
पु.	- 15.78			

31 मार्च 2020 को ₹ 15.78 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

₹ 1,56.81 लाख का ऋण व्यय मैसर्स एस पी एम एल इन्फ्रा लिमिटेड से परिसमापन हर्जाना, विद्युत कारक, किराया तथा जल कमीशन शुल्क की वसूली से संबंधित ₹ 1,61.74 लाख के हस्तांतरण के कारण था।

## अनुदान संख्या 027 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(64) ब्यावर-जवाजा क्लस्टर योजना			
मू.	40,38.00	39,66.12	14,87.97
पु.	- 71.88		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(72) नर्मदा एफ. आर. क्लस्टर परियोजना			
मू.	79,18.30	51,62.99	51,62.99
पु.	- 27,55.31		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(74) चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज- I पार्ट- II			
मू.	91,50.00	74,80.79	74,80.79
पु.	- 16,69.21		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹ 44,96.40 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों के कम निष्पादन होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			
शीर्ष "4215-01-102(64)" के अंतर्गत ₹ 24,78.15 लाख की अंतिम बचत मैसर्स एस पी एम एल इन्फ्रा लिमिटेड के कुल कार्य आदेश पर लगायी 10 प्रतिशत हर्जाना की वसूली के हस्तांतरण के कारण थी।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(79) इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	67,86.00	16,90.08	15,86.07
पु.	- 50,95.92		
31 मार्च 2020 को ₹ 50,95.92 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			
₹ 1,04.01 लाख की अंतिम बचत सरकारी लेखे में ₹ 1,04.01 लाख जमा कराये जाने के कारण थी।			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(81) नर्मदा से शिव तहसील जिला बाड़मेर जलपूर्ति परियोजना (205 गांव)			
मू.	1,05,50.00	20,49.22	20,49.22
पु.	- 85,00.78		
31 मार्च 2020 को ₹ 85,00.78 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 23,78.42 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 61,22.36 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			



**अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
मू. 2,06,50.00	2,54,62.42	2,54,40.81	- 21.61
पु. 48,12.42			
01. जलपूर्ति			
101. शहरी जलपूर्ति			
(01) सामान्य शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[51] राजगढ़-बूंगी जलप्रदाय योजना			
मू. 69.00	5,63.01	5,63.01	..
पु. 4,94.01			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[41] तीवरी-मथानिया-ओसिया-बावड़ी भोपालगढ़ जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)			
मू. 82.01	2,63.53	2,63.53	..
पु. 1,81.52			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[46] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू. 10,56.00	20,71.49	20,71.49	..
पु. 10,15.49			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(01) अभिवृद्धि ग्रामीण जलपूर्ति योजना			
[66] जवाई क्लस्टर परियोजना- IV, जिला पाली			
मू. 41,06.97	45,08.08	45,08.08	..
पु. 4,01.11			

## अनुदान संख्या 027 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(20) चूरु-झुन्झुनू जल प्रदाय योजना (आपणी योजना फेज-II)			
मू.	2,21.00	8,75.62	8,75.62
पु.	6,54.62		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(44) चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना (ई.ए.पी.)			
मू.	5,52.01	6,98.42	6,98.42
पु.	1,46.41		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(54) फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना			
मू.	15,24.66	25,77.35	25,77.35
पु.	10,52.69		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(68) बीसलपुर-दूदू परियोजना-चाकसू, फागी एवं बस्सी			
मू.	1,62.50	8,70.43	8,68.35
पु.	7,07.93		
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति			
(70) बांरा क्लस्टर परियोजना			
मू.	14,30.00	17,28.67	17,28.67
पु.	2,98.67		

उपरोक्त दस शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 97,64.87 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

शीर्ष "4215-01-101(01) [02]" के अंतर्गत ₹ 21.61 लाख की अंतिम बचत ₹ 21.61 लाख सरकारी लेखे में जमा कराये जाने के कारण थी।

**अनुदान संख्या 027 - (समाप्त)**

5. **उचन्त लेन-देन** : 2019-20 में पूंजी अनुभाग में लेखांकित "उचन्त" लेन-देनों का विभाजन विभिन्न उचंत उप शीर्षों में आदि शेष और अन्त शेष के साथ नीचे दिया गया है:-

लघु शीर्ष "उचन्त" के उपखण्ड	आदि शेष नामे (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामे (+) जमा (-)
		<i>(₹ लाख में)</i>		
स्टॉक	(+) 35,16.78	..	89.53	(+) 34,27.25
विविध सार्वजनिक निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 32,22.44	..	..	(+) 32,22.44
<b>योग</b>	<b>(+) 67,39.22</b>	<b>..</b>	<b>89.53</b>	<b>(+) 66,49.69</b>

अनुदान संख्या 028 – ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,  
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम और  
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा

पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	6,45,23,89	6,45,23,90	4,31,44,91	– 2,13,78,99
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2,13,78,99
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	– 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,08,25,00	3,08,25,00	2,52,81,00	– 55,44,00
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				55,44,00

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 2,44,23.66 लाख, ₹ 2,08,23.19 लाख, ₹ 1,64,25.57 लाख, ₹ 2,42,76.27 लाख तथा ₹ 2,13,78.99 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 17.57 प्रतिशत से 38.44 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण दिये गये।

**अनुदान संख्या 028 – (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) मुख्यमंत्री जलस्वावलम्बन अभियान			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू. 6,58.40	1,46.49	1,46.49	..
पु. - 5,11.91			

₹ 6,58.40 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तीसरे चरण के संबंध में बकाया देनदारियों के भुगतान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, वास्तविक दायित्वों का भुगतान अनुमान से कम होने के कारण 31 मार्च 2020 को ₹ 5,11.91 लाख की राशि अभ्यर्पित की गयी।

05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)			
वाटरशेड घटक			
[01] कार्यकलाप सम्बन्धी			
मू. 3,72,58.67	3,00,56.67	3,00,56.67	..
पु. - 72,02.00			

31 मार्च 2020 को ₹ 72,02.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम/देरी से प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) जल संरक्षण उपकर निधि से व्यय			
[01] जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से			
मू. 82,91.00	..	..	..
पु. - 82,91.00			

₹ 82,91.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान हेतु अनुमानित था। यह व्यय जल उपकर संग्रहण से किया जाना था परन्तु मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान का चतुर्थ चरण निर्धारित समय अवधि व्यतीत होने के पश्चात् आरम्भ नहीं किया गया और योजना की धन राशि को नयी योजना राजीव गांधी जल संचय योजना में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। यद्यपि, वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् सम्पूर्ण राशि जिलों को हस्तांतरित होनी थी, कोविड-19 महामारी को रोकने हेतु राज्य में लगाये गये लॉकडाउन के कारण निधि हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकने के कारण 31 मार्च 2020 को ₹ 82,91.00 लाख अभ्यर्पित (₹ 70,83.19 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 12,07.81 लाख) किया गया।

## अनुदान संख्या 028 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[01] अनुदान			
मू.	1,39,50.00	85,75.44	85,75.44
पु.	- 53,74.56		..

31 मार्च 2020 को ₹ 53,74.56 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा केन्द्रांश देरी से जारी के कारण निधियों की उपलब्धता में देरी होने तथा राज्य सरकार द्वारा राज्यांश की द्वितीय किस्त जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)			
[01] अनुदान			

मू. 27,34.58

पु. - 10,94.00

16,40.58

16,40.58

..

31 मार्च 2020 को ₹ 10,94.00 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा राज्यांश की द्वितीय किस्त जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना			
[01] राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना			
मू.	0.04	6,85.80	6,85.80
पु.	6,85.76		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,85.76 लाख की अतिरिक्त निधियां नई परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कराई गई।

**अनुदान संख्या 028 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को संस्थापन व्यय हेतु			
[01] कार्यकलाप संबंधी			
मू .	9,18.87	13,64.65	13,64.65
पु .	4,45.78		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,45.78 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पंचायती राज			
(11) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
मू .	3,08,25.00	2,52,81.00	2,52,81.00
पु .	- 55,44.00		

31 मार्च 2020 को ₹ 55,44.00 लाख का प्रावधान निधियां जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि योजना पर कम व्यय होने के कारण जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में अवशेष राशि की प्रचुर उपलब्धता थी।

अनुदान संख्या 029 – नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2217. शहरी विकास और  
3055. सड़क परिवहन  
पूंजी – 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय ,  
5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,  
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज और  
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	49,16,82,38	49,16,82,39	40,16,24,15	– 9,00,58,24
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				9,00,50,99
<b>प्रभारित</b>				
मूल	56,03	56,03	56,00	– 3
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				3
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	13,00,86,75	13,00,86,75	8,11,25,47	– 4,89,61,28
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				4,54,11,35
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	20	..	– 20
अनुपूरक	19			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				20

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 5,41,67.28 लाख, ₹ 6,26,53.32 लाख, ₹ 11,03,61.23 लाख, ₹ 10,84,18.55 लाख तथा ₹ 9,00,58.24 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 12.96 प्रतिशत से 22.14 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।



**अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[01] अजमेर स्मार्ट सिटी			
मू.	15,00.02	..	..
पु.	- 15,00.02	..	..
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[02] जयपुर स्मार्ट सिटी			
मू.	15,00.02	..	..
पु.	- 15,00.02	..	..
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[04] कोटा स्मार्ट सिटी			
मू.	15,00.02	..	..
पु.	- 15,00.02	..	..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 45,00.06 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(09) आर्थिक दृष्टि से कमजोर नगर निगमों को चुनाव हेतु विशेष अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	12,28.00	2,37.22	- 1.43
पु.	- 9,90.78		

31 मार्च 2020 को ₹ 9,90.78 लाख का प्रावधान (i) शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव जो राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना जारी होने के पश्चात् 2019-20 में प्रस्तावित थे लेकिन अधिसूचना को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी तथा उच्चतम न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका लम्बित थी तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति से माह मार्च, 2020 में नगरपरिषदों /नगरपालिकाओं के चुनाव से संबंधित कुछ बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[04] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	9,67.64	..	..
पु.	- 9,67.64		
31 मार्च 2020 को ₹ 9,67.64 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(29) सार्वजनिक रोशनी			
[01] विद्युत बिलों का भुगतान-प्रतिबद्ध			
मू.	1,30,00.00	11,50.00	11,50.00
पु.	- 1,18,50.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,18,50.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(30) पर्यावरण एवं स्वास्थ्य निधि से व्यय			
[01] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
मू.	12,46.35	6,18.00	6,18.00
पु.	- 6,28.35		..
31 मार्च 2020 को ₹ 6,28.35 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(36) स्वच्छ भारत मिशन			
[01] स्वच्छ भारत मिशन			
मू.	33,40.35	4,69.84	4,69.84
पु.	- 28,70.51		..
31 मार्च 2020 को ₹ 28,70.51 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(39) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[01] सबके लिए आवास (शहरी)			
मू.	62,07.54	2.55	2.55
पु.	- 62,04.99		..

31 मार्च 2020 को ₹ 62,04.99 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(41) अन्नपूर्णा योजना			
[01] सामान्य			
मू.	15,35.73	..	..
पु.	- 15,35.73		..

31 मार्च 2020 को ₹ 15,35.73 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(09) आर्थिक दृष्टि से कमजोर नगरपालिकाओं/नगरपरिषदों को चुनाव हेतु विशेष अनुदान-प्रतिबद्ध			
मू.	7,85.00	5,38.50	5,35.06
पु.	- 2,46.50		- 3.44

31 मार्च 2020 को ₹ 2,46.50 लाख का प्रावधान तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए, 23 मार्च 2020 से राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में नगरपालिकाओं परिषदों/ नगर पालिका चुनावों से संबंधित कुछ बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[01] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
मू.	2,31,69.30	2,11,62.36	2,11,62.36
पु.	- 20,06.94		..

31 मार्च 2020 को ₹ 20,06.94 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[04] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	24,38.76	..	..
पु.	- 24,38.76	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 24,38.76 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(33) सार्वजनिक रोशनी			
[01] विद्युत् बिलों का भुगतान-प्रतिबद्ध			
मू.	1,20,00.00	..	..
पु.	- 1,20,00.00	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,20,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(36) विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण			
[01] विद्युत् प्रभार हेतु-प्रतिबद्ध			
मू.	21,00.00	..	..
पु.	- 21,00.00	..	..
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(36) विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण			
[02] वितरण प्रणाली में सुधार हेतु-प्रतिबद्ध			
मू.	1,30.00	..	..
पु.	- 1,30.00	..	..

## अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(36) विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण			
[03] अनुरक्षण एवं मरम्मत-प्रतिबद्ध			
मू.	1,10.00	..	..
पु.	- 1,10.00		

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 23,40.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[01] स्वच्छ भारत मिशन			
मू.	78,68.53	10,96.29	10,96.29
पु.	- 67,72.24		..

31 मार्च 2020 को ₹ 67,72.24 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार कम राज्यांश जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[01] सबके लिए आवास (शहरी)			
मू.	1,43,30.47	9.90	9.91
पु.	- 1,43,20.57		+ 0.01

₹ 1,43,20.57 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(44) अन्नपूर्णा योजना			
[01] सामान्य			
मू.	57,76.94	..	..
पु.	- 57,76.94		

31 मार्च 2020 को ₹ 57,76.94 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(46) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[04] 14 वें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान			
मू.	1,45,63.88		
पु.	- 67,78.31	77,85.57	77,85.57
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 67,78.31 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियां तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(02) राजस्थान शहरी विकास निधि-प्रतिबद्ध			
मू.	2,50,00.00		
पु.	- 2,50,00.00	..	..
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,50,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
वर्ष 2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियां तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] मोटर यान कराधान अधिनियम के अंतर्गत अधिभार			
मू.	1,96,87.00		
पु.	- 1,17,07.00	79,80.00	79,80.00
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,17,07.00 लाख का प्रावधान राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि को मोटर यान कराधान अधिनियम के अंतर्गत संग्रहण किये गये अधिभार के अनुसार हस्तान्तरण करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियां तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[02] ग्रीन टेक्स			
मू.	1,98,85.00		
पु.	- 25,70.00	1,73,15.00	1,73,15.00
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 25,70.00 लाख का प्रावधान राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि को संग्रहण के अनुसार ग्रीन टेक्स के हस्तान्तरण करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

**अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(19) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर यू एस डी आई पी)			
[01] चतुर्थ चरण – ई ए पी			
मू.	5,00.00		
पु.	- 2,81.91	2,18.09	2,18.09
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,81.91 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड			
मू.	30,00.01		
पु.	43,96.99	73,97.00	73,97.00
			..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 43,96.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[02] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड			
मू.	20,60.71		
पु.	6,86.24	27,46.95	27,46.95
			..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,86.24 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य व्यय			
(01) स्मार्ट सिटी			
[03] उदयपुर स्मार्ट सिटी			
मू.	15,00.02	30,00.00	30,00.00
पु.	14,99.98		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,99.98 लाख की अतिरिक्त निधियां उदयपुर स्मार्ट सिटी को अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(32) जोधपुर विकास प्राधिकरण को अनुदान			
मू.	0.02	4,00.00	4,00.00
पु.	3,99.98		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,99.98 लाख की अतिरिक्त निधियां पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण को अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
797. आरक्षित निधियां तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
(03) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[03] राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत अधिभार			
मू.	78,24.00	2,56,15.00	2,56,15.00
पु.	1,77,91.00		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,77,91.00 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि को राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत अधिभार के हस्तान्तरण करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(08) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	91,90.04	1,30,41.76	1,30,39.64
पु.	38,51.72		- 2.12
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 38,51.72 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			



## अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3055. सड़क परिवहन			
800. अन्य व्यय			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[04] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	41,21.94		
		76,81.60	76,81.60
पु.	35,59.66		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35,59.66 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत परिवहन विभाग को बकाया देनादारियों के भुगतान के लिए अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## पूंजी

## दत्तमत

- ₹ 4,89,61.28 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 35,49.93 लाख अनुअभ्यर्पित रही। जो विभिन्न कारणों से सरकारी लेखे में ₹ 36,80.46 लाख की राशि जमा कराने के कारण थी तथा ऐसे प्रकरणों को अनुदान के अन्तर्गत बताये गये हैं।
- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 3,22,58.37 लाख, ₹ 7,83,22.71 लाख, ₹ 5,50,84.44 लाख, ₹ 1,96,80.13 लाख तथा ₹ 4,89,61.28 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 13.32 प्रतिशत से 44.94 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
[02] शहरी जनसहभागी योजना			
मू.	6,87.00		
		2,56.13	2,56.13
पु.	- 4,30.87		..

31 मार्च 2020 को ₹ 4,30.87 लाख का प्रावधान शहरी जनसहभागी योजना के अन्तर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु निधियां कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
800. अन्य व्यय			
(01) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता			
[05] विभिन्न शहरी निकायों की जलप्रदाय योजनाओं में सुधार का कार्य			
मू.	4,35.11	..	..
पु.	- 4,35.11		
31 मार्च 2020 को ₹ 4,35.11 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

वर्ष 2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास				
800. अन्य व्यय				
(06) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)				
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से				
मू.	2,95,36.50	1,79,29.34	1,79,29.34	..
पु.	- 1,16,07.16			
31 मार्च 2020 को ₹ 1,16,07.16 लाख का प्रावधान अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा इसी अनुरूप राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।				

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं				
050. भूमि				
(04) राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर. यू. एस. डी. आई. पी.) आर. यू. आई. डी. पी. तृतीय चरण (ई. ए. पी.) निर्माण कार्य				
मू.	4,00,00.00	2,55,36.39	2,36,29.08	- 19,07.31
पु.	- 1,44,63.61			
₹ 1,44,63.61 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) संसद चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण माह अप्रैल और मई 2019 में सीवरेज एवं पानी की लाइन की खुदाई के कार्य रूका रहा, (ii) कोविड-19 महामारी के कारण माह मार्च 2020 में कार्य रुके रहे तथा माह मार्च, 2020 में किए गये कार्यों के लिए मासिक बिल भी तैयार नहीं किये जा सकें, (iii) टोंक में सीवरेज और जलप्रदाय योजना का कार्य नवम्बर, 2015 में राशि ₹ 3,88.00 करोड़ आवंटित किया गया था फर्म द्वारा मात्र ₹ 80.00 करोड़ का कार्य ही संपादित किया गया था कार्य की धीमी प्रगति के कारण अनुबन्ध माह जून 2019 को टर्मिनेटेड कर दिया गया, (iv) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पाली व झुंझनू में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण जलप्रदाय एवं सीवरेज कार्यों के कमिश्निंग कार्यों में देरी होने, (v) पाली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पुर्ननिर्माण में देरी होना, (vi) भीलवाड़ा, झुंझनू, पाली और श्री गंगानगर के निर्माण कार्यों की गति संवेदक द्वारा पर्याप्त संसाधनों के अभाव में धीमी रही, सड़क मरम्मत के कार्यों को संवेदक द्वारा लम्बित रखने के कारण पाली एवं सीवरेज लाइन बिछाने के कार्य की प्रगति धीमी होना, (vii) जी.एस.टी. एवं मूल्य समायोजन के भुगतान के नियमों में स्पष्टता नहीं होने के कारण भुगतान में देरी होना तथा (viii) बजरी उपलब्ध नहीं होने के कारण बड़ी परियोजनाओं के कार्य में देरी होने को आरोपित की गयी।				

₹ 19,07.31 लाख की अंतिम बचत मुख्यतः टोंक के अर्मिनेटेड पैकेज के विरुद्ध वसूले गये ₹ 19,06.99 लाख जमा कराने के कारण थी।

## अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(06) आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण के माध्यम से प्रमुख शहरों का विकास			
[01] प्रोग्राम लोन			
मू.	3,00,00.00	1,80,66.51	1,69,28.03
पु.	- 1,19,33.49		- 11,38.48

₹ 1,19,33.49 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) संसद चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण माह अप्रैल और मई, 2019 में सीवरेज एवं पानी लाइन के कार्य बन्द रहे, (ii) कोविड-19 महामारी के कारण माह मार्च, 2020 में कार्य बन्द कर दिया गया और माह मार्च, 2020 में किये गये कार्य के मासिक बिल भी तैयार नहीं किये जा सके, (iii) हनुमानगढ में सीवरेज तथा जलआपूर्ति योजना की प्रगति धीमी रही तथा कार्यादेश के अनुसार संवेदक द्वारा समय पर पूर्ण नहीं किया गया जिसके लिये फर्म को निरस्तीकरण को नोटिस जारी किया गया। फर्म द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील तथा प्रकरण आर्बिदेशन के अन्तर्गत सब्ज्यूडिस है, (iv) कोटा में सीवरेज कार्य अवाई में देरी हुई क्योंकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था, (v) 2019-20 में आयड नदी और रेल्वे क्रांसिंग उदयपुर में सीवरेज कार्य के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होना, (vi) झालावाड़ में सीवरेज कार्य दो माह के लिये बन्द थे क्योंकि मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली सम्बन्धी विवाद वाणिज्यिक न्यायालय के अन्तर्गत विचाराधीन था, (vii) संवेदक द्वारा प्रोग्राम लोन के तहत कार्य की प्रगति धीमी रही, (viii) माउण्ट आबू सीवरेज लाइन हेतु चट्टानों की खुदाई में समस्या, (ix) जी.एस.टी. और भुगतान के नियमों के लिए मूल्य समायोजन में स्पष्टता के कारण भुगतान में देरी तथा (x) बजरी की अनुपलब्धता के कारण बड़ी परियोजनाओं के कार्य में देरी होने को आरोपित की गयी।

₹ 11,38.48 लाख की अंतिम बचत (i) उदयपुर में संवेदक पर लगाये जुर्माना की वसूली की राशि ₹ 5,73.28 लाख, (ii) झालावाड़ में संवेदक पर लगाये जुर्माना की वसूली की राशि ₹ 6,93.69 लाख तथा (iii) ₹ 2.07 लाख की राशि ई.सी.एस. नहीं होने से जमा कराने के कारण थी। यद्यपि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रोग्राम लोन के अन्तर्गत ₹ 1,31.44 लाख नामे किये गये।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(07) राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (आर यू एस डी आई पी)			
[01] चतुर्थ चरण (ई ए पी)			

मू. 1,95.00

10.35

10.35

..

पु. - 1,84.65

31 मार्च 2020 को ₹ 1,84.65 लाख का प्रावधान वर्ष 2019-20 में चतुर्थ चरण में कार्य आवंटित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

6217. शहरी विकास के लिए कर्ज			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(03) जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उधार (फेज- I-बी)			
[01] एशियन विकास बैंक ऋण			

मू. 2,26,99.99

1,17,51.40

1,17,51.40

..

पु. - 1,09,48.59

31 मार्च 2020 को ₹ 1,09,48.59 लाख का प्रावधान जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एशियन विकास बैंक से कर्ज कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 029 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि			
[01] राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड			
मू.	60,00.00	45,00.00	45,00.00
पु.	- 15,00.00		..

31 मार्च 2020 को ₹ 15,00.00 लाख का प्रावधान राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को कर्ज कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(02) राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना के माध्यम से (आर.यू.आई.डी.पी.) छः प्रमुख शहरों का विकास (ई.ए.पी.) निर्माण कार्य			
मू.	0.01	92.70	- 1,07.30
पु.	92.69		- 2,00.00

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 92.69 लाख की अतिरिक्त निधियां अजमेर में प्रथम फेज के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों के अन्तिम बिलों का भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 1,07.30 लाख का ऋण व्यय जोधपुर क्षेत्र के कार्य के पेटे जोधपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त बकाया अंशदान के ₹ 2,00.00 लाख जमा कराने के कारण रहा।

60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
050. भूमि			
(03) राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आर. यू. एस. डी. आई. पी.) आर. यू. आई. डी. पी. द्वितीय चरण (ई. ए. पी.) निर्माण कार्य			
मू.	11.84	22,39.03	19,34.89
पु.	22,27.19		- 3,04.14

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,27.19 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) भरतपुर, करौली और चित्तौड़गढ़ सीवरेज और सीवरेज टीट्रमेंट प्लान, (ii) जैसलमेर/बाड़मेर, अलवर और राजसमन्द सीवरेज, (iii) चुरू और सीकर जल आपूर्ति तथा (iv) नागौर जल आपूर्ति और सीवरेज टीट्रमेंट प्लांट के सम्बन्ध में द्वितीय चरण कार्य के अन्तिम भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 3,04.14 लाख की अंतिम बचत (i) भरतपुर के टर्मिनेटेड पैकेज के विरुद्ध वसूले गये ₹ 1,52.30 लाख, (ii) झुझनू (₹ 1.53 लाख) और जैसलमेर (₹ 50.45 लाख) से सम्बन्धित राशि ₹ 51.98 लाख का ई.सी.एस. नहीं होना तथा (iii) द्वितीय चरण के अन्तर्गत स्थानीय निकाय के लिए किये गये निर्माण कार्यों पर व्यय की 30 प्रतिशत अंशदान की बकाया वसूली के जमा कराने के कारण थी।

## अनुदान संख्या 029 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज			
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास			
192. नगर पालिकाओ/नगर परिषदों को कर्ज			
(01) आर.यू.आई.डी. फेज 2			
[15] नगर पालिका/परिषद, चुरु			
मू.	0.01	1,72.45	1,72.45
पु.	1,72.44		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,72.44 लाख की अतिरिक्त निधियां नगर परिषद, चुरु को कर्ज जारी करने के कारण उपलब्ध कराई गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(03) जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को उधार (फेज- I-बी)			
[02] राज्य सरकार का ऋण			
मू.	0.01	25,00.00	25,00.00
पु.	24,99.99		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कर्ज जारी करने के कारण उपलब्ध कराई गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य कर्ज			
(05) नगर सुधार न्यासों को कर्ज को कर्ज			
[01] नगर सुधार न्यास, अलवर			
मू.	0.01	10,00.00	10,00.00
पु.	9,99.99		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां नगर सुधार न्यास, अलवर को कर्ज जारी करने के कारण उपलब्ध कराई गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 030 – जनजाति क्षेत्रीय विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व –	2014.	न्याय प्रशासन,
	2029.	भू-राजस्व,
	2040.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर,
	2041.	वाहन कर,
	2059.	लोक निर्माण कार्य,
	2202.	सामान्य शिक्षा,
	2203.	तकनीकी शिक्षा,
	2204.	खेलकूद तथा युवा सेवाएं ,
	2205.	कला एवं संस्कृति,
	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,
	2211.	परिवार कल्याण,
	2217.	शहरी विकास,
	2220.	सूचना तथा प्रचार,
	2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,
	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास,
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,
	2236.	पोषण,
	2250.	अन्य सामाजिक सेवाएं,
	2401.	फसल कृषि-कर्म,
	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण,
	2403.	पशु-पालन,
	2405.	मछली-पालन,
	2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी,
	2415.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,
	2425.	सहकारिता,
	2501.	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,
	2505.	ग्राम रोजगार,
	2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,
	2700.	मुख्य सिंचाई,
	2702.	लघु सिंचाई,
	2705.	कमान क्षेत्र विकास,
	2801.	बिजली,
	2810.	नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,
	2851.	ग्राम तथा लघु उद्योग,
	2852.	उद्योग,
	2853.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,
	3055.	सड़क परिवहन,
	3425.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,
	3435.	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण,
	3451.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं,
	3452.	पर्यटन,
	3454.	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,
	3456.	सिविल पूर्ति और
	3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
पूंजी –	4055.	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,
	4059.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,
	4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,
	4210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

4215.	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4216.	आवास पर पूंजीगत परिव्यय,
4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
4220.	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,
4225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
4235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,
4236.	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,
4250.	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
4401.	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,
4403.	पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय,
4406.	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,
4425.	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,
4515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
4575.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,
4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4701.	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4702.	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,
4705.	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,
4801.	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
4802.	पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,
4853.	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
4885.	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,
5054.	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,
5055.	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,
5452.	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,
5475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
6408.	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज,
6425.	सहकारिता के लिए कर्ज,
6801.	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज,
6885.	उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज और
7055.	सड़क परिवहन के लिए अन्य कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,41,09,45,71	1,41,09,45,77	1,25,89,35,11	- 15,20,10,66
अनुपूरक	6			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2,41	12,01	11,92	- 9
अनुपूरक	9,60			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
				9

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	31,90,76,28	31,90,76,31	25,52,83,72	- 6,37,92,59
अनुपूरक	3			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				6,28,12,44

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:****राजस्व****दत्तमत**

- ₹ 15,20,10.66 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 29,07.51 लाख अनुभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 12,07,51.37 लाख, ₹ 17,34,07.01 लाख, ₹ 13,37,00.81 लाख, ₹ 7,00,22.84 लाख तथा ₹ 15,20,10.66 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.50 प्रतिशत से 19.03 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज			
मू.	9,70.00	2,61.32	2,61.32
पु.	- 7,08.68		
			..

31 मार्च 2020 को ₹ 7,08.68 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण निधियाँ अनुपयोजित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## 2202. सामान्य शिक्षा

## 01. प्रारम्भिक शिक्षा

## 109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन

## (08) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

## [02] अनुसूचित जनजाति के बच्चों हेतु

मू.	16,60.00	11,19.79	11,14.25	- 5.54
पु.	- 5,40.21			

31 मार्च 2020 को ₹ 5,40.21 लाख का प्रावधान लाभार्थी छात्रों के नामांकन का मिलान नहीं होने के कारण छात्रवृत्तियों का भुगतान नहीं किये जाने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 5.54 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।



## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
111. सर्व शिक्षा अभियान			
(03) जन जाति क्षेत्र के लिए उपयोजना (शिक्षा गारन्टी योजना)			
मू.	10,68,40.01	7,19,39.27	7,19,36.39
पु.	- 3,49,00.74		- 2.88

₹ 3,49,00.74 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मांग के अनुसार वेतन तथा भत्तों पर व्यय होने, (ii) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने को आरोपित की गयी।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(15) जनजाति क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के लिए पंचायत समितियों को अनुदान			
[01] विद्यालय संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	2,50,30.00	2,00,09.34	2,00,09.34
पु.	- 50,20.66		..

31 मार्च 2020 को ₹ 50,20.66 लाख का प्रावधान निजी निक्षेप खाते में निधियों की उपलब्धता के कारण मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के निजी निक्षेप खाते में निधियों का हस्तान्तरण नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से छात्रावासों/विद्यालय का संचालन/ संस्थापन			
[03] माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन			
मू.	86,40.00	53,76.19	53,76.19
पु.	- 32,63.81		..

31 मार्च 2020 को ₹ 32,63.81 लाख का प्रावधान माँ-बाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) मिड डे मील			
[01] कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ			
मू.	1,65,00.00	1,15,60.05	1,15,96.90
पु.	- 49,39.95		+ 36.85

31 मार्च 2020 को ₹ 49,39.95 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 36.85 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) राजस्थान दुग्ध पोषाहार कार्यक्रम (मिड डे मील)			
[01] विद्यार्थियों को दुग्ध पोषाहार			
मू.	1,35,00.00	1,18,00.00	1,17,63.15
पु.	- 17,00.00		
			- 36.85
31 मार्च 2020 को ₹ 17,00.00 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निधियां कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 36.85 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(06) अनुसूचित जन जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	68,00.00	59,48.01	56,45.02
पु.	- 8,51.99		
			- 3,02.99
₹ 8,51.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः छात्रवृत्ति के लिए अनुमान से कम योग्य छात्रों की संख्या होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण कुछ बिलों का ई.सी.एस. के द्वारा भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।			
₹ 3,02.99 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[02] बालिका विद्यालय			
मू.	37,06.29	30,83.02	30,83.02
पु.	- 6,23.27		
			..
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[06] लड़कों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	5,01,01.60	4,18,65.62	4,18,63.11
पु.	- 82,35.98		
			- 2.51

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
[07] बालिका के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	51,13.87	44,65.00	44,63.25
पु.	- 6,48.87		
			- 1.75

उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 95,08.12 लाख का प्रावधान नये पदों पर भर्ती नहीं होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा  
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना  
(17) जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत संचालित योजनाएं  
(जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)  
[04] माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण

मू.	28,95.00	10,59.78	10,57.47
पु.	- 18,35.22		
			- 2.31

31 मार्च 2020 को ₹ 18,35.22 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. माध्यमिक शिक्षा  
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना  
(18) लेपटॉप वितरण

मू.	17,00.00	..	..
पु.	- 17,00.00		
			..

31 मार्च 2020 को ₹ 17,00.00 लाख का समस्त प्रावधान लेपटॉप वितरण के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(01) सरकारी महाविद्यालय (पुरुषों के लिये)

मू.	14,16.66	11,53.78	11,52.66
पु.	- 2,62.88		
			- 1.12

31 मार्च 2020 को ₹ 2,62.88 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2202. सामान्य शिक्षा			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) जनजाति कल्याण निधि अंतर्गत संचालित योजनाएं (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से)			
[02] महाविद्यालय स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण			
मू.	20,00.00	15,86.46	15,84.01
पु.	- 4,13.54		
31 मार्च 2020 को ₹ 4,13.54 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू.	10,50.00	1,42.96	1,42.11
पु.	- 9,07.04		
31 मार्च 2020 को ₹ 9,07.04 लाख का प्रावधान लाभार्थियों से आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) अराजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय को अनुदान			
मू.	1,50.05	..	..
पु.	- 1,50.05	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,50.05 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार द्वारा कैरियर तथा तकनीकी शिक्षा (सी.टी.ई.) संस्थानों के लिए स्वीकृति जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) सरकारी महाविद्यालय (पुरुषों के लिए)			
[01] सरकारी महाविद्यालयों का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	42,64.24	33,89.59	33,89.58
पु.	- 8,74.65		
₹ 8,74.65 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा			
[01] गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	6,10.00	4,29.00	4,29.00
पु.	- 1,81.00		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,81.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2202. सामान्य शिक्षा 05. भाषा विकास 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01) संस्कृत विद्यालय			
मू.	9,22.15	6,66.16	6,66.15
पु.	- 2,55.99		- 0.01

₹ 2,55.99 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) कर्मचारियों का अन्य लेखा मद में पदोन्नति/स्थानान्तरण, (iii) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी, (iv) माननीय न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में जिन कर्मचारियों का अन्य विभाग में स्थानान्तरण कर दिया गया था लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण कार्य ग्रहण नहीं करने से वेतन का आहरण नहीं किया गया, (v) परिवीक्षा पूर्ण करने के बाद स्थायी पदों पर नव नियुक्त अध्यापकों को नियमित नहीं किये जाने के कारण पूरे वेतन का भुगतान नहीं होने तथा (vi) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में आशवासित कैरियर प्रगति इत्यादि के बकायों के भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

80. सामान्य  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(03) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण

मू.	8,03.50	5,66.89	5,66.89	..
पु.	- 2,36.61			

₹ 2,36.61 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

80. सामान्य  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(13) राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर को सहायता  
[01] प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से

मू.	2,80.02	1,23.43	1,23.43	..
पु.	- 1,56.59			

31 मार्च 2020 को ₹ 1,56.59 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

2205. कला एवं संस्कृति  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(02) राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर

मू.	3,63.83	..	..	..
पु.	- 3,63.83			

31 मार्च 2020 को ₹ 3,63.83 लाख का समस्त प्रावधान कार्य की प्रगति को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2205. कला एवं संस्कृति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) स्मारक एवं संग्रहालय			
[01] पुरातत्व विभाग के माध्यम से			
मू.	2,22.00	55.59	55.59
पु.	- 1,66.41		..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,66.41 लाख का प्रावधान (i) विभिन्न स्मारकों पर सुरक्षा, नवीनीकरण तथा विकास कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी स्तर पर प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति विलम्ब से जारी होने के कारण कार्य आदेश वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में जारी करने तथा स्थानीय निकायों की चुनाव आचार संहिता लागू होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिल प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[01] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	60,21.82	53,88.92	53,88.82
पु.	- 6,32.90		- 0.10

31 मार्च 2020 को ₹ 6,32.90 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा शीर्ष 'जैव अपव्यय के निस्तारण' के अन्तर्गत बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी  
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन  
[03] स्वास्थ्य उप केन्द्र

मू.	38,69.09	32,89.86	32,89.55	- 0.31
पु.	- 5,79.23			

₹ 5,79.23 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी  
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(02) जनजातीय क्षेत्र उप योजना-ब्लॉक स्तरीय संस्थापन  
[04] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-प्रतिबद्ध

मू.	54,47.84	46,10.68	46,09.73	- 0.95
पु.	- 8,37.16			

31 मार्च 2020 को ₹ 8,37.16 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (13) अन्य अस्पताल [01] अन्य अस्पताल-प्रतिबद्ध	मू. 98,24.70 पु. - 15,73.97	82,50.73	82,48.72 - 2.01
31 मार्च 2020 को ₹ 15,73.97 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (02) अस्पताल तथा औषधालय-आयुर्वेद-प्रतिबद्ध	मू. 45,14.35 पु. - 10,21.10	34,93.25	34,93.24 - 0.01
31 मार्च 2020 को ₹ 10,21.10 लाख का प्रावधान मुख्यतः महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने को आरोपित किया गया क्योंकि जुलाई, 2019 से देय महंगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी थी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (02) टर्सरि कैसर केयर सेंटर [01] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी	मू. 3,10.01 पु. - 2,70.01	40.00	40.00 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,70.01 लाख का प्रावधान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
06. लोक स्वास्थ्य 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (06) निःशुल्क दवा वितरण योजना [01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से	मू. 18,06.84 पु. - 4,65.62	13,41.22	13,40.74 - 0.48
31 मार्च 2020 को ₹ 4,65.62 लाख का प्रावधान संविदा सेवाओं पर कम व्यय होने तथा पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. लोक स्वास्थ्य 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (06) निःशुल्क दवा वितरण योजना [02] राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को अनुदान	मू. 58,00.02 पु. - 9,41.87	48,58.15	48,58.15 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 9,41.87 लाख का प्रावधान निःशुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –	
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
06. लोक स्वास्थ्य				
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना				
(07) निःशुल्क जांच योजना				
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से				
मू.	22,97.51	19,38.64	19,37.85	- 0.79
पु.	- 3,58.87			
₹ 3,58.87 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अन्तर्गत चिकित्सा केन्द्रों में पदों के रिक्त रहने तथा शीर्ष 'संविदा सेवाओं' के अन्तर्गत बजट सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।				
06. लोक स्वास्थ्य				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(11) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)				
[01] राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)-प्रतिबद्ध				
मू.	6,06.20	1,93.69	1,93.26	- 0.43
पु.	- 4,12.51			
31 मार्च 2020 को ₹ 4,12.51 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
2211. परिवार कल्याण				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(01) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय				
[04] शुभ लक्ष्मी योजना				
मू.	9,57.00	7,17.75	7,17.75	..
पु.	- 2,39.25			
31 मार्च 2020 को ₹ 2,39.25 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में योजना की चतुर्थ किश्त जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(07) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)				
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)				
मू.	19,16.00	7,32.72	7,32.72	..
पु.	- 11,83.28			
31 मार्च 2020 को ₹ 11,83.28 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				



## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[06] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	1,89.90	..	..
पु.	- 1,89.90		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,89.90 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(36) स्वच्छ भारत मिशन			
[03] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	6,55.54	92.20	92.20
पु.	- 5,63.34		..
31 मार्च 2020 को ₹ 5,63.34 लाख का प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(39) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[03] सबके लिए आवास-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना			
मू.	12,18.70	0.50	0.50
पु.	- 12,18.20		..
31 मार्च 2020 को ₹ 12,18.20 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी के लिए भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(41) अन्नपूर्णा योजना			
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयोजना			
मू.	3,01.38	..	..
पु.	- 3,01.38		
31 मार्च 2020 को ₹ 3,01.38 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[06] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	4,78.60	..	..
पु.	- 4,78.60		
31 मार्च 2020 को ₹ 4,78.60 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[03] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	15,44.13	2,15.14	2,15.14
पु.	- 13,28.99		..
31 मार्च 2020 को ₹ 13,28.99 लाख का प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[03] सबके लिए आवास-अनुसूचित जनजातिय क्षेत्र उपयोजना			
मू.	28,12.29	3,56.49	3,56.49
पु.	- 24,55.80		..
₹ 24,55.80 लाख की प्रत्याशित बचत प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(44) अन्नपूर्णा योजना			
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयोजना			
मू.	11,33.76	..	..
पु.	- 11,33.76		
31 मार्च 2020 को ₹ 11,33.76 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(46) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[06] 14 वें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान			
मू.	28,58.07	15,27.87	15,27.87
पु.	- 13,30.20		..
31 मार्च 2020 को ₹ 13,30.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(09) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[04] जन स्वास्थ्य हेतु अनुदान			
मू.	17,66.52	15,35.36	15,35.36
पु.	- 2,31.16		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,31.16 लाख का प्रावधान जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जन स्वास्थ्य हेतु आवश्यकतानुसार अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[03] माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण हेतु अनुदान			
मू.	4,00.00	76.03	76.03
पु.	- 3,23.97		..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,23.97 लाख का प्रावधान प्रोत्साहन तथा मानदेय के लिए आवश्यकतानुसार निधियां जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)			
[08] माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन हेतु अनुदान			
मू.	11,00.00	8,40.04	8,40.04
पु.	- 2,59.96		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,59.96 लाख का प्रावधान सहरिया क्षेत्र में माँ-बाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[01] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	69,96.00	51,90.47	51,88.60
पु.	- 18,05.53		- 1.87
31 मार्च 2020 को ₹ 18,05.53 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने तथा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए सहायतार्थ अनुदान, संविदा सेवाओं, पोशाक, बिस्तरों एवं खाद्य सामग्री पर आवश्यकतानुसार कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[01] आश्रम छात्रावासों का संचालन हेतु अनुदान			
मू.	15,69.50	13,08.98	13,07.31
पु.	- 2,60.52		- 1.67
₹ 2,60.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः माडा क्षेत्र में आश्रम छात्रावासों के संचालन पर प्रशिक्षण, यात्रा, सम्मेलनों, पोशाक तथा बिस्तरों, खाद्य सामग्री मदों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(21) माडा क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनांतर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि)			
[04] माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण हेतु अनुदान			
मू.	4,00.00	97.05	96.95
पु.	- 3,02.95		- 0.10
31 मार्च 2020 को ₹ 3,02.95 लाख का प्रावधान माध्यमिक शिक्षा स्तर के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरण हेतु प्रोत्साहन तथा मानदेय पर आवश्यकतानुसार कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012			
[01] बेरोजगारी भत्ता			
मू.	73,00.00	35,90.00	35,90.00
पु.	- 37,10.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 37,10.00 लाख का प्रावधान एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (वेतन प्रबंधक) के साथ विभागीय पोर्टल ई ई एम एस से लाभार्थियों के डेटा के एकीकरण के कारण मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना का देरी से क्रियान्वयन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास 03. प्रशिक्षण 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (08) शिल्प प्रशिक्षण योजना [01] शिल्प प्रशिक्षण योजना-प्रतिबद्ध			
मू.	5,80.56	4,01.25	4,01.26 + 0.01
पु.	- 1,79.31		
₹ 1,79.31 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कर्मचारियों/अधिकारियों के अन्य लेखा मद में स्थानान्तरित होने के कारण वेतन तथा भत्तों पद कम व्यय होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कुल संवेतन बिलों के पारित नहीं होने को आरोपित की गयी।			
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02. समाज कल्याण 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु [28] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			
मू.	53,93.00	37,97.67	37,97.67 ..
पु.	- 15,95.33		
31 मार्च 2020 को ₹ 15,95.33 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत भुगतान योग्य राशि की कम आवश्यकता होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. समाज कल्याण 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (19) अन्य कार्यक्रम [20] अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवार को जन बीमा योजना हेतु सहायता (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना )			
मू.	7,02.00	..	.. ..
पु.	- 7,02.00		
31 मार्च 2020 को ₹ 7,02.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप योजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2018-19 के दौरान भी ₹ 7,02.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा [11] अनुसूचित जनजातियों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	76,44.52	65,56.03	65,26.76 - 29.27
पु.	- 10,88.49		

### अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

31 मार्च 2020 को ₹ 10,88.49 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि अनुमान से कम होने तथा इसके अनुसार पेंशन वितरण पर हुए कम विविध व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 29.27 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने तथा पेंशनरों के गलत बैंक खाता संख्या/बैंक खाता बंद करने/मृत्यु/अन्यत्र प्रवास के कारण लाभार्थियों को भुगतान नहीं करने के परिणामस्वरूप अवशेष राशि सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रही ।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[12] अनुसूचित जनजातियों के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू .	37,57.23	32,31.23	32,10.51
पु .	- 5,26.00		

31 मार्च 2020 को ₹ 5,26.00 लाख का प्रावधान योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि अनुमान से कम होने तथा इसके अनुसार पेंशन वितरण पर हुए कम विविध व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 20.72 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने तथा पेंशनरों के गलत बैंक खाता संख्या/बैंक खाता बंद करने/मृत्यु/अन्यत्र प्रवास के कारण लाभार्थियों को भुगतान नहीं करने के परिणामस्वरूप अवशेष राशि सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रही ।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिए लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
मू .	42,00.00	25,38.05	25,22.80
पु .	- 16,61.95		

31 मार्च 2020 को ₹ 16,61.95 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि अनुमान से कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 15.25 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने तथा पेंशनरों के गलत बैंक खाता संख्या/बैंक खाता बंद करने/मृत्यु/अन्यत्र प्रवास के कारण लाभार्थियों को भुगतान नहीं करने के परिणामस्वरूप अवशेष राशि सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रही ।

2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय जनजाति क्षेत्र उपयोग			
मू .	1,39,54.12	1,14,27.73	1,13,78.18
पु .	- 25,26.39		

₹ 25,26.39 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 49.55 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[01] पोषाहार क्रेष कार्यक्रम			
मू.	1,40,00.00	85,81.37	85,76.71
पु.	- 54,18.63		
31 मार्च 2020 को ₹ 54,18.63 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[02] एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम			
मू.	10,33.70	5,41.30	5,41.30
पु.	- 4,92.40		
₹ 4,92.40 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[14] राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एन.एन.एम.)			
मू.	26,40.71	4,93.09	4,91.29
पु.	- 21,47.62		
31 मार्च 2020 को ₹ 21,47.62 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
[15] प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)			
मू.	20,28.71	5,62.70	5,60.06
पु.	- 14,66.01		
31 मार्च 2020 को ₹ 14,66.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[03] जल आयोजना हेतु अनुदान			
मू.	3,48.00	76.01	76.01
पु.	- 2,71.99		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,71.99 लाख का प्रावधान जनजाति क्षेत्र में कृषकों से आवेदन कम प्राप्त होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[23] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि विस्तार			
मू.	4,78.00	3,23.02	3,23.09 + 0.07
पु.	- 1,54.98		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,54.98 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण कृषक मित्रों को भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[24] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	3,00.00	26.98	26.79 - 0.19
पु.	- 2,73.02		
31 मार्च 2020 को ₹ 2,73.02 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने एवं कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण जिलों को आवंटित निधियों के संबंध में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[27] टिकाउ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	4,93.00	1,58.72	1,58.72
पु.	- 3,34.28		..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,34.28 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान मृदा नमूने की जाँच के कम लक्ष्य निर्धारित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			



## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु			
[35] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	5,72.41	2,90.39	2,89.08
पु.	- 2,82.02		- 1.31
31 मार्च 2020 को ₹ 2,82.02 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती करने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण जिलों को आवंटित निधियों के संबंध में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) जनजातिय क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	41,09.00	33,81.22	33,81.22
पु.	- 7,27.78		..
₹ 7,27.78 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः नियमित वेतन के अन्तर्गत कम व्यय होने तथा महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय महंगाई भत्ते की किश्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[04] प्रवाह सिंचाई से बूंद बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु सहायता (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)			
मू.	15,64.75	13,60.16	13,60.65
पु.	- 2,04.59		+ 0.49
31 मार्च 2020 को ₹ 2,04.59 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार द्वारा ड्रिप पौधों की निर्धारित प्रति इकाई लागत प्रचलित लागत से कम होने के कारण कृषकों को कम अनुदान स्वीकृत किये जाने के परिणामस्वरूप कृषकों द्वारा कम रुचि दिखायी गयी तथा कृषकों से ऑनलाइन आवेदन कम प्राप्त होने, (ii) सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत जनजातीय कृषकों के लिए विशिष्ट श्रेणी अनुदान निर्धारित नहीं थी परिणामस्वरूप कम व्यय किया गया, (iii) माह नवम्बर, 2019 में शहरी तथा स्थानीय निकायों की आचार संहिता लागू होने तथा (iv) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[11] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त सहायता			
मू.	18,12.00	3,47.71	3,47.71
पु.	- 14,64.29		..
31 मार्च 2020 को ₹ 14,64.29 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पम्प के तहत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.कुसुम) कम्पोनेंट 'बी' की स्थापना के लिए स्वीकृति देरी से प्राप्त होने तथा (ii) राज्य सरकार स्तर पर लैटर ऑफ अवार्ड जारी करने एवं फर्मों को सूचीबद्ध करने हेतु प्रक्रिया 19 मार्च 2020 को पूर्ण हो पायी एवं तत्पश्चात् राज्य में कोविड-19 महामारी को देखते हुए लॉकडाउन लागू होने से व्यय नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (57) मिशन फॉर लिवलिहुड			
मू.	5,39.20	1,34.80	1,34.80
पु.	- 4,04.40		..
31 मार्च 2020 को ₹ 4,04.40 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (63) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना [01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	10,68.77	6,79.34	6,79.54
पु.	- 3,89.43		+ 0.20
₹ 3,89.43 लाख की प्रत्याशित बचत (i) गैर सरकारी संगठनों की एजेंसियों जैसे ए.डी.पी.एफ. कंसलटेन्ट्स, आन्तरिक लेखा परीक्षक और एम एण्ड ई एजेंसियों आदि को मार्च, 2020 का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि इनका भुगतान महीने के पूर्ण होने तथा लाईन विभागों के साथ साथ अधिकारियों से सन्तोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही किया जाता है, (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिलों को पारित नहीं करने, (iii) पिछले अनुबन्धों के समाप्त होने के बाद नयी निविदा में नये आपूर्तिकर्ता के देरी से अंतिमीकरण के कारण मिनि स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर तथा पाइप लाइनों की आपूर्ति में देरी, (iv) फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी (एफ.पी.सी.) को भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि कम्पनी ने भुगतान की शर्तों के अनुसार चरणबद्ध तरीके में कार्य पूर्ण नहीं किया था तथा (v) बजट सीमा में कटौती को आरोपित की गयी ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (63) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना [02] उद्यानिकी विभाग के माध्यम से			
मू.	4,80.07	3,08.29	3,08.29
पु.	- 1,71.78		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,71.78 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (63) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना [04] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	2,36.08	76.45	76.44
पु.	- 1,59.63		- 0.01
31 मार्च 2020 को ₹ 1,59.63 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	7,27.55	3,54.43	3,54.43
पु.	- 3,73.12		
₹ 3,73.12 लाख की प्रत्याशित बचत (i) शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों की चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण प्रचार कार्यों के कम निष्पादन, (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं किये जाने तथा (iii) राज्यांश के अन्तर्गत निधियों की कम उपलब्धता के कारण स्वीकृति देरी से जारी किये जाने को आरोपित की गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(64) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से			
मू.	3,29.17	1,58.98	1,58.98
पु.	- 1,70.19		
₹ 1,70.19 लाख की प्रत्याशित बचत राज्यांश के अन्तर्गत निधियों की कम उपलब्धता के कारण स्वीकृति देरी से जारी होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के दौरान व्यय नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(71) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
[05] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	3,58.14	1,98.25	1,98.26
पु.	- 1,59.89		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,59.89 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(76) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	8,87.51	3,13.49	3,13.50
पु.	- 5,74.02		
31 मार्च 2020 को ₹ 5,74.02 लाख का प्रावधान (i) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर की बजट सीमा में वृद्धि नहीं करने, (ii) कृषकों से कम आवेदन प्राप्त होने तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालय द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2403. पशु पालन				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(01) पशु पालन विभाग				
[02] पशु अस्पताल और चिकित्सालय				
मू.	10,26.71	8,43.27	8,42.71	- 0.56
पु.	- 1,83.44			
31 मार्च 2020 को ₹ 1,83.44 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने, सभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के लाभों का भुगतान नहीं होने तथा आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के लाभों की स्वीकृति जारी नहीं करने से वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(01) पशु पालन विभाग				
[26] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना				
मू.	10,92.26	7,58.96	7,58.71	- 0.25
पु.	- 3,33.30			
₹ 3,33.30 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः बजट सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।				
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी				
01. वानिकी				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(02) वन संरक्षण-प्रतिबद्ध				
मू.	15,23.65	12,58.02	12,58.03	+ 0.01
पु.	- 2,65.63			
₹ 2,65.63 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।				
01. वानिकी				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(21) बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज- II				
मू.	7,52.76	1,34.00	1,34.00	..
पु.	- 6,18.76			
31 मार्च 2020 को ₹ 6,18.76 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।				

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2425. सहकारिता 796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (31) समग्र सहकारिता विकास हेतु सहायता			
मू.	1,99.32	..	..
पु.	- 1,99.32	..	..
₹ 1,99.32 लाख का प्रावधान समग्र सहकारिता विकास परियोजना, बांसवाड़ा के अन्तर्गत बांसवाड़ा के सहकारी समितियों में गोदाम तथा गोदाम कॉम्प्लेक्स के निर्माण, फर्नीचर तथा कम्प्यूटर इत्यादि की खरीद हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2020 को ₹ 1,99.32 लाख का समस्त प्रावधान अन्य योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अनुदान जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम 05. बंजर भूमि विकास 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) वाटरशेड कम्पोनेंट [02] कार्यकलाप सम्बन्धी (अनुसूचित जनजाति के लिए)			
मू.	40,58.00	26,83.33	26,83.33
पु.	- 13,74.67	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 13,74.67 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड कम्पोनेंट) के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम तथा देरी से प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन [02] अनुदान (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	74,40.00	39,99.87	39,99.87
पु.	- 34,40.13	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 34,40.13 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीयंश देरी से जारी किये जाने के कारण निधियों की उपलब्धता में विलम्ब होने तथा राज्य सरकार द्वारा राज्यांश की द्वितीय किश्त जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (10) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) [02] अनुदान			
मू.	10,93.83	6,57.35	6,57.35
पु.	- 4,36.48	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 4,36.48 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[01] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जनजाति)			
मू.	9,37,05.15	7,17,97.10	7,17,97.10
पु.	- 2,19,08.05		..
₹ 2,19,08.05 लाख की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा राज्यांश में कटौती किये जाने को आरोपित की गयी।			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[02] कार्यकलाप सम्बन्धी (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	3,36,00.00	3,03,40.34	3,03,40.34
पु.	- 32,59.66		..
31 मार्च 2020 को ₹ 32,59.66 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(40) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	2,18,07.04	1,05,35.16	1,05,35.16
पु.	- 1,12,71.88		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,12,71.88 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	6,68.62	..	..
पु.	- 6,68.62		..
31 मार्च 2020 को ₹ 6,68.62 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिये अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	43,20.16	39,09.10	39,09.10
पु.	- 4,11.06		..
31 मार्च 2020 को ₹ 4,11.06 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जनजातियों के लिये)			
मू.	1,62,00.61	11,85.02	11,84.37
पु.	- 1,50,15.59		- 0.65

31 मार्च 2020 को ₹ 1,50,15.59 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

198. ग्राम पंचायतों को सहायता  
(34) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों  
के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान  
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां

मू.	30,32.26	..	..
पु.	- 30,32.26		..

31 मार्च 2020 को ₹ 30,32.26 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

2700. मुख्य सिंचाई  
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(02) यूनिट-II (नहर)-प्रतिबद्ध

मू.	15,01.92	9,48.84	9,46.02
पु.	- 5,53.08		- 2.82

₹ 5,53.08 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) कार्य भारत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा चयनित वेतन श्रृंखला में कार्य भारत कर्मचारियों के निर्धारण नहीं होने के कारण मजदूरी पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

2801. बिजली  
80. सामान्य  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(01) उदय योजना के अन्तर्गत वितरण निगमों को सहायता  
[02] जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता

मू.	6,23,07.20	5,00,74.97	5,00,74.97
पु.	- 1,22,32.23		..

₹ 6,23,07.20 लाख का प्रावधान उदय योजना की दिशानिर्देशानुसार वितरण कम्पनियों को दिये गये ऋण को सहाय्य में बदलने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, वर्ष के दौरान जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड के अनुमान से कम ऋण को सहाय्य में बदलने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2020 को ₹ 1,22,32.23 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	4,82,16.38	3,71,74.95	3,71,74.95
पु.	- 1,10,41.43		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,10,41.43 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा टैरिफ सब्सिडी में कटौती के कारण अभ्यर्पित (₹ 65,55.93 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 44,85.50 लाख) किया गया ।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	6,26,62.64	4,64,37.89	4,64,37.89
पु.	- 1,62,24.75		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,62,24.75 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा टैरिफ सब्सिडी में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया ।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	3,33,34.88	2,71,47.15	2,71,47.15
पु.	- 61,87.73		
31 मार्च 2020 को ₹ 61,87.73 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा टैरिफ सब्सिडी में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) बिजली शुल्क के प्रति अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	77,83.85	68,65.74	68,65.74
पु.	- 9,18.11		
31 मार्च 2020 को ₹ 9,18.11 लाख का प्रावधान कर के संग्रहण के अनुसार बिजली वितरण कम्पनी को सहाय्य जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			



## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[03] जिला कार्यालय			
मू.	11,93.52	6,85.85	6,85.85
पु.	- 5,07.67		..

31 मार्च 2020 को ₹ 5,07.67 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(05) भामाशाह योजना, 2014  
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मू.	13,20.05	..	..
पु.	- 13,20.05		..

31 मार्च 2020 को ₹ 13,20.05 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यतः (i) लोकसभा, शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों की चुनाव आचार संहिता लागू होने, (ii) पिछली सरकार द्वारा कार्यकाल के अन्तिम छः महीनों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए गठित मंत्रीमण्डलीय समिति में भामाशाह योजना विचाराधीन होने के कारण ₹ 2,000 प्रति बी पी एल परिवार को सहायता का भुगतान नहीं करने तथा (iii) 18.12.2019 से भामाशाह योजना के स्थान पर नई जन आधार योजना शुरू करने के कारण कम्प्यूटरीकरण और संबंधित संचार व्यय के तहत व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुर्नभरण			
मू.	53,00.00	61,87.48	61,56.95
पु.	8,87.48		- 30.53

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,87.48 लाख की अतिरिक्त निधियां शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को शुल्क के पुर्नभरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 30.53 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(02) अन्य अस्पताल			
मू.	7,49.02	10,03.53	10,03.49
पु.	2,54.51		- 0.04
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,54.51 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(05) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	25,69.35	31,03.88	31,03.00
पु.	5,34.53		- 0.88
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,34.53 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों पर बढ़े हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) आयुर्वेद			
[02] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
मू.	12,00.00	20,03.91	20,03.91
पु.	8,03.91		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,03.91 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति देने के परिणामस्वरूप भारत सरकार से अधिक निधियों की प्राप्ति तथा तदनुसार राज्यांश जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	10,00.00	12,15.67	12,15.67
पु.	2,15.67		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,15.67 लाख की अतिरिक्त निधियां वरिष्ठ/कनिष्ठ रेजिडेण्ट्स तथा अध्ययनरत चिकित्सा अधिकारियों को वजीफा के भुगतान के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
06. लोक स्वास्थ्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(09) जन स्वास्थ्य बीमा योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	82,03.04	96,66.15	96,66.15
पु.	14,63.11		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,63.11 लाख की अतिरिक्त निधियां भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकरण के कारण उपलब्ध करायी गयी क्योंकि 12 दिसम्बर, 2019 को द्वितीय चरण समाप्त होने के पश्चात् भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की निरन्तरता तथा विस्तार में संशय के कारण राज्य सरकार द्वारा योजना के द्वितीय चरण तक ही शीर्ष के अन्तर्गत बजट प्रावधान किया गया क्योंकि बीमा कम्पनी के साथ उस दिन तक का ही करार था। 13 दिसम्बर, 2019 से आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकरण के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2019-20 की बकाया अवधि में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता थी।			
2211. परिवार कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बूलेंस सेवा योजना			
मू.	13,34.42	18,93.67	18,93.67
पु.	5,59.25		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,59.25 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत सरकार से अधिक निधियाँ प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश अधिक जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)			
मू.	2,94,10.00	3,17,53.22	3,17,53.22
पु.	23,43.22		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,43.22 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत सरकार से प्राप्त निधियों का आनुपातिक राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) अनुसूचित जनजाति के लिए नागरिक सुरक्षा हेतु अनुदान			
मू.	7,00.00	10,97.67	10,90.16
पु.	3,97.67		- 7.51

₹ 7,00.00 लाख का प्रावधान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत मामलों के सम्बन्ध में तुरन्त सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुमानित था। तत्पश्चात्, 31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,97.67 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष से सम्बन्धित बकाया दायित्वों के भुगतान तथा अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सी सी टी एन एस) से विभागीय पोर्टल का एकीकरण से लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 7.51 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण रही।

**अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(12) अनुसूचित जनजाति के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत अनुदान			
मू.	32,00.00		
		53,88.53	53,68.56
			- 19.97
पु.	21,88.53		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,88.53 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष के दौरान लाभार्थी बच्चों की संख्या में 49,196 से 58,556 वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 19.97 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण रही।

- 02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
- 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
- (06) निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से
- [01] अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति एवं वजीफा

मू.	2,85,00.00		
		3,27,84.50	3,25,32.34
			- 2,52.16
पु.	42,84.50		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 42,84.50 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष के बकाया के भुगतान हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा 2019-20 के दौरान अधिक प्रकरणों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 2,52.16 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालय द्वारा बिलों को पारित नहीं करने तथा गलत बैंक खाता संख्या/बैंक खाता बंद होने के कारण लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा के द्वारा भुगतान न करने के परिणामस्वरूप अवशेष राशि को सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रही।

- 02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
- 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
- (17) सहरिया विकास (जनजाति कल्याण निधि)
- [18] सहरिया के लिए एकीकृत विकास परियोजना हेतु अनुदान

मू.	22,00.00		
		26,89.79	26,89.79
			..
पु.	4,89.79		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,89.79 लाख की अतिरिक्त निधियां सहरिया के लिए एकीकृत विकास परियोजना हेतु अधिक अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(18) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[06] प्रशासनिक व्यय, प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग तथा एम.आई.एस. हेतु अनुदान			
मू .	0.01	5,00.00	5,00.00
पु .	4,99.99		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां इन योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) केन्द्रीय सहायता अंतर्गत संचालित योजनाएं			
[07] लघु वन उपज संग्रहण हेतु सहायता हेतु अनुदान			
मू .	20.00	5,62.74	5,62.74
पु .	5,42.74		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,42.74 लाख की अतिरिक्त निधियां इन योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(22) लघु वन उपज संग्रहण के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना			
[01] राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड को सहायता			
अ .	0.01	1,59.42	1,59.42
पु .	1,59.41		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,59.41 लाख की अतिरिक्त निधियां लघु वन उपज संग्रहण के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत राज्यांश के लिए राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(02) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना				
[03] अनुसूचित जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना				
मू .	5,34,48.00	6,02,30.27	5,84,44.18	- 17,86.09
पु .	67,82.27			
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 67,82.27 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।				
₹ 17,86.09 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने तथा पेंशनर्स का गलत बैंक खाता संख्या/बैंक खाता बंद होने/ मृत्यु/ अन्यत्र प्रवास करने के कारण लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप अवशेष राशि को सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रही।				
2401. फसल कृषि-कर्म				
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता				
(07) जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय संस्थापन व्यय हेतु				
[18] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन				
मू .	17,50.00	21,28.83	21,28.56	- 0.27
पु .	3,78.83			
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,78.83 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियों की अधिक प्राप्ति होने तथा तदनुसार राज्यांश अधिक जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।				
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी				
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(04) वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य				
[01] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य के तहत व्यय				
मू .	0.01	14,76.46	14,76.46	..
पु .	14,76.45			
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,76.45 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।				

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2425. सहकारिता			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(33) सहकारी संस्थाओं को ब्याज अनुदान			
मू.	0.01	66,63.69	66,63.69
पु.	66,63.68		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 66,63.68 लाख की अतिरिक्त निधियां तरलता की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा उधार ली गई कार्यशील पूंजी पर ब्याज के भुगतान के लिए सहकारी संस्थाओं को अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(35) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू.	18,84.00	37,68.00	37,68.00
पु.	18,84.00		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,84.00 लाख की अतिरिक्त निधियां सहकारी समितियों के कृषकों को 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी जिन्होंने अल्पकालीन फसल ऋणों का समय पर भुगतान किया।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(38) ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अनुदान			
मू.	0.02	1,56.00	1,56.00
पु.	1,55.98		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,55.98 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गयी घोषणा की अनुपालना में गोदामों के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
(42) कृषि ऋण माफी योजना			
[01] राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक) के माध्यम से			
मू.	4,20,00.00	5,39,27.00	5,39,27.00
पु.	1,19,27.00		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,19,27.00 लाख की अतिरिक्त निधियां कृषकों को ऋण माफी के एवज में अपेक्स बैंक को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना			
[02] एन आर ई टी पी (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	0.04	2,74.32	2,74.32
पु.	2,74.28		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,74.28 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम				
198. ग्राम पंचायतों को सहायता				
(33) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान				
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां				
मू.	4,31,98.49	6,80,07.38	6,79,63.70	- 43.68
पु.	2,48,08.89			

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,48,08.89 लाख की अतिरिक्त निधियां चौदहवें वित्त आयोग के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 43.68 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

2801. बिजली			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) उदय योजना के अन्तर्गत वितरण निगमों को सहायता			
[03] अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			

मू.	5,81,51.22	7,17,98.70	7,17,98.70	..
अ.	0.01			
पु.	1,36,47.47			

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,36,47.47 लाख की अतिरिक्त निधियां पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को सहायता			
[01] स्थगित अनुदान का भुगतान			

अ.	0.01	2,25.00	2,25.00	..
पु.	2,24.99			

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,24.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को स्थगित अनुदान के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

3055. सड़क परिवहन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			

मू.	8,08.10	15,07.47	15,07.47	..
पु.	6,99.37			

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,99.37 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।



## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[12] स्वान होरीजन्टल			
मू.	7,84.00	9,51.16	9,51.16
पु.	1,67.16		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,67.16 लाख की अतिरिक्त निधियां सूचना, प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटरीकरण पर अधिक व्यय के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[28] राजनेट

मू.	12,60.00	31,70.00	31,70.00	..
पु.	19,10.00			

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,10.00 लाख की अतिरिक्त निधियां सूचना, प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटरीकरण पर अधिक व्यय के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(02) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[33] कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर

मू.	98.00	3,88.00	3,88.00	..
पु.	2,90.00			

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,90.00 लाख की अतिरिक्त निधियां सूचना, प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटरीकरण पर अधिक व्यय के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

3456. सिविल पूर्ति  
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना  
[03] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु

मू.	80,00.00	98,88.66	98,29.20	- 59.46
पु.	18,88.66			

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,88.66 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत परिवहन, संग्रहण तथा वितरण पर हुए अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 59.46 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता (02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन [03] विकास कार्य (अनुसूचित जनजातियों के लिए)			
मू.	4,10.27	7,04.87	..
पु.	2,94.60		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,94.60 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## पूंजी

## दत्तमत

- ₹ 6,37,92.59 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 9,80.15 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 7,09,15.99 लाख, ₹ 3,34,35.00 लाख, ₹ 6,28,26.57 लाख, ₹ 7,78,81.07 लाख तथा ₹ 6,37,92.59 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 7.14 प्रतिशत से 21.15 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (02) पुलिस आवास [90] निर्माण कार्य			
मू.	9,73.45	4,16.14	..
पु.	- 5,57.31		

31 मार्च 2020 को ₹ 5,57.31 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा बजट सीमा में कटौती करने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80. सामान्य 001. निदेशन तथा प्रशासन (02) प्रतिशतता व्यय (जनजातीय क्षेत्र) [91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	4,05.75	1,48.15	+ 0.01
पु.	- 2,57.60		

31 मार्च 2020 को ₹ 2,57.60 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) सामान्य भवन (जेल विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू.	9,29.20	5,00.00	5,00.00
पु.	- 4,29.20		..
31 मार्च 2020 को ₹ 4,29.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)			
[02] अन्य भवन			
मू.	7,43.36	3,71.74	3,71.74
पु.	- 3,71.62		..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,71.62 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा बजट सीमा में कटौती करने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) न्यायिक भवन (जनजाति क्षेत्र उपयोजना)			
मू.	26,54.87	13,11.26	13,10.46
पु.	- 13,43.61		- 0.80
31 मार्च 2020 को ₹ 13,43.61 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
मू.	5,09.72	2,38.98	2,37.70
पु.	- 2,70.74		- 1.28
31 मार्च 2020 को ₹ 2,70.74 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) महाविद्यालय शिक्षा			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	3,18.79	1,54.87	1,54.87
पु.	- 1,63.92		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,63.92 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) शिक्षक शिक्षा के लिए ब्लॉक संस्थान			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	4,00.00	..	..
पु.	- 4,00.00	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(14) मॉडल स्कूल			
[01] मॉडल स्कूल निर्माण कार्य			
मू.	5,05.40	..	..
पु.	- 5,05.40	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 5,05.40 लाख का समस्त प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(19) नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
मू.	24,36.30	5,49.00	5,49.00
पु.	- 18,87.30	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 18,87.30 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निर्माण की प्रगति के अनुसार बजट सीमा में कटौती किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
02. तकनीकी शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से			
मू.	2,06.87	50.86	50.86
पु.	- 1,56.01	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,56.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू.	5,22.88	50.00	50.00
पु.	- 4,72.88	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 4,72.88 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण			
[01] औषधि नियंत्रक के माध्यम से			
मू.	4,20.00	..	..
पु.	- 4,20.00		
31 मार्च 2020 को ₹ 4,20.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	24,23.00	16,93.00	16,93.00
पु.	- 7,30.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 7,30.00 लाख का प्रावधान नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं की बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	10,68.21	5,49.56	5,49.57
पु.	- 5,18.65		+ 0.01
31 मार्च 2020 को ₹ 5,18.65 लाख का प्रावधान महाविद्यालय में लघु कार्यों के कम निष्पादन तथा शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों की चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण महाविद्यालय तथा संलग्न चिकित्सालयों में नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर			
मू.	13,00.00	1,33.07	1,33.07
पु.	- 11,66.93		..
31 मार्च 2020 को ₹ 11,66.93 लाख का प्रावधान (i) वित्त विभाग द्वारा प्रस्तावित नये निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं करने, (ii) राजस्थान मेडिकल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा क्रय की कार्यवाही पूर्ण नहीं करने के कारण कैथ लैब के लिए मशीनरी तथा उपकरणों का क्रय नहीं होने, (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण महाविद्यालय स्तर पर उपकरणों का क्रय नहीं करने तथा (iv) महाविद्यालय तथा संलग्न चिकित्सालयों में नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा [04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर	मू. 7,80.02 पु. - 6,54.61	1,25.41	1,25.41 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 6,54.61 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा [05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर	मू. 20,67.52 पु. - 5,06.32	15,61.20	15,61.20 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 5,06.32 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (02) स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट [01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	मू. 5,15.73 पु. - 5,15.73	..	.. ..
₹ 5,15.73 लाख का प्रावधान स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट के लिए उपकरणों की खरीद हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2020 को ₹ 5,15.73 लाख का समस्त प्रावधान एक निविदा प्राप्त होने से प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया। 2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि [02] चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर	मू. 14,17.02 पु. - 13,88.65	28.37	28.37 ..
₹ 13,88.65 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि (i) केन्द्रीय सहायता के तहत ₹ 8,50.00 लाख के कुल अनुमान में से, महाविद्यालय में यू.जी. सीट्स में 150 से 250 की वृद्धि करने के लिए ₹ 5,00.00 लाख की स्वीकृति 29.01.2020 को प्राप्त हुई। निधियां लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दी गई थी लेकिन कार्य की धीमी प्रगति के कारण निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका तथा परिणामस्वरूप 31 मार्च 2020 को ₹ 8,21.63 लाख केन्द्रीय सहायता के तहत अभ्यर्पित किया गया तथा (ii) व्यय की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण 31 मार्च 2020 को ₹ 5,67.00 लाख का राज्यांश भी अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर			
मू.	15,00.01	..	..
पु.	- 15,00.01	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 15,00.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में			
मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर			
मू.	5,00.02	..	..
पु.	- 5,00.02	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 5,00.02 लाख का समस्त प्रावधान पी.जी. सीट्स बढ़ाने के लिए नये निर्माण कार्यों की राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में			
मेडिकल कॉलेज का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[03] चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर			
मू.	5,00.03	..	..
पु.	- 5,00.03	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 5,00.03 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[01] ग्रामीण जल पूर्ति योजना			
मू.	97,42.00	75,84.19	75,68.32
पु.	- 21,57.81		- 15.87
31 मार्च 2020 को ₹ 21,57.81 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित (₹ 7,88.23 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 13,69.58 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
₹ 15.87 लाख की अंतिम बचत सरकारी खाते में ₹ 15.87 लाख जमा कराने के कारण रही।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[03] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	4,20.00	1,28.46	1,28.46
पु.	- 2,91.54		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,91.54 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं			
[10] नर्मदा जलप्रदाय योजना (एफ.आर.) (नाबार्ड)			
मू.	1,66.78	..	..
पु.	- 1,66.78		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[27] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना-फेज-2			
मू.	4,95.81	..	..
पु.	- 4,95.81		..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[73] बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिरोही जिले हेतु पेयजल योजना (ग्रामीण)			
मू.	3,25.01	..	..
पु.	- 3,25.01		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 9,87.60 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों के निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[16] नागौर लिफ्ट कैनाल फेज- II			
मू.	31,06.00	26,57.88	25,22.30
पु.	- 4,48.12		- 1,35.58



## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[20] पोकरण-फलसुंड जल प्रदाय परियोजना			
मू. 24,34.54	10,82.34	10,82.33	- 0.01
पु. - 13,52.20			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[30] चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू. 8,85.01	3,63.39	3,63.39	..
पु. - 5,21.62			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[47] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज-1 पार्ट-II			
मू. 24,50.00	14,84.97	14,84.97	..
पु. - 9,65.03			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[49] बांसवाडा-प्रतापगढ जलपूर्ति परियोजना			
मू. 6,50.00	4,92.19	4,92.19	..
पु. - 1,57.81			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[79] अंता-मांगरोल तहसील, जिला बारां की सोनवा पेयजल परियोजना			
मू. 4,55.00	1,78.92	1,78.92	..
पु. - 2,76.08			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[84] डूंगरपुर, आसपुर एवं डोवड़ा पेयजल परियोजना			
मू .	6,50.00	4,66.37	4,66.37
पु .	- 1,83.63		
उपरोक्त सात शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 39,04.49 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
शीर्ष "4215-01-796(01)[16]" के अंतर्गत ₹ 1,35.58 लाख की अंतिम बचत सरकारी खाते में ₹ 1,35.58 लाख जमा कराने के कारण रही।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[24] डीग जलपूर्ति योजना			
मू .	7,10.00	3,31.64	3,31.64
पु .	- 3,78.36		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[26] नर्मदा-गुढा मलानी जलपूर्ति योजना			
मू .	2,44.48	58.50	58.50
पु .	- 1,85.98		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[34] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2 पार्ट-बी (68 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू .	3,93.00	39.02	39.02
पु .	- 3,53.98		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[38] गागरिन जल पूर्ति योजना			
मू .	7,50.00	2,43.97	2,43.96
पु .	- 5,06.03		

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[40] जवाई क्लस्टर परियोजना- II			
मू .	5,46.01	57.46	57.46
पु .	- 4,88.55		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[51] नर्मदा परियोजना-क्लस्टर (डी.आर.)			
मू .	11,50.00	5,61.97	5,61.97
पु .	- 5,88.03		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[54] नर्मदा से शिव तहसील जिला बाड़मेर जलपूर्ति परियोजना (205 गांव)			
मू .	18,50.00	4,44.84	4,44.84
पु .	- 14,05.16		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[57] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू .	9,75.00	2,82.99	2,82.99
पु .	- 6,92.01		
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[74] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज- II पार्ट-डी			
मू .	9,14.16	3,54.00	3,54.00
पु .	- 5,60.16		

उपरोक्त नौ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 51,58.26 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[35] बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2 पार्ट-सी (473 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू.	25,50.00	13,98.20	13,98.20
पु.	- 11,51.80		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[44] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू.	50,15.51	41,87.33	41,87.33
पु.	- 8,28.18		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[45] नर्मदा एफ.आर. क्लस्टर परियोजना			
मू.	24,18.22	13,39.93	13,39.93
पु.	- 10,78.29		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 30,58.27 लाख की प्रत्याशित बचत कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[52] ईसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	29,92.00	7,53.51	7,25.57
पु.	- 22,38.49		
31 मार्च 2020 को ₹ 22,38.49 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
₹ 27.94 लाख की अंतिम बचत सरकारी खाते में ₹ 27.94 लाख जमा कराने के कारण रही।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[76] माही बांध से जिला बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ एवं कुशलगढ़ ब्लॉक के गांवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू.	30,11.56	11,52.65	11,52.65
पु.	- 18,58.91		
31 मार्च 2020 को ₹ 18,58.91 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 0.01 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 18,58.90 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू .	53,46.51	47,77.27	47,76.38
पु .	- 5,69.24		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[04] जवाई-पाली पाइप लाइन परियोजना			
मू .	3,25.00	10.81	10.81
पु .	- 3,14.19		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[13] शहरी जलप्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू .	13,00.00	6,31.63	6,31.63
पु .	- 6,68.37		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[15] नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज-II			
मू .	9,45.00	6,80.79	6,80.79
पु .	- 2,64.21		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[16] डीग जलप्रदाय योजना			
मू .	2,60.00	32.65	32.65
पु .	- 2,27.35		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[29] पोकरण-फलसुंड जलप्रदाय परियोजना (शहरी)			
मू .	3,25.00	71.57	71.57
पु .	- 2,53.43		

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[37] टोक-देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू .	9,50.00	2,63.34	2,63.33
पु .	- 6,86.66		
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[44] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू .	5,50.00	2,74.58	2,53.56
पु .	- 2,75.42		
उपरोक्त आठ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 32,58.87 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
शीर्ष "4215-01-796(02) [44]" के अंतर्गत ₹ 21.02 लाख की अंतिम बचत सरकारी खाते में ₹ 21.01 लाख जमा कराने के कारण रही।			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[06] चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जलप्रदाय परियोजना			
मू .	7,85.00	..	..
पु .	- 7,85.00	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[40] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू .	3,25.00	..	..
पु .	- 3,25.00	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[43] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू .	3,90.00	..	..
पु .	- 3,90.00	..	..

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[45] ईसरदा बाँध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू .	3,25.00	..	..
पु .	- 3,25.00	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जल पूर्ति योजनाएं			
[56] डूंगरपुर, आसपुर एवं डोवड़ा पेयजल परियोजना			
मू .	5,25.00	..	..
पु .	- 5,25.00	..	..
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) शहरी जलपूर्ति योजनाएं			
[58] बीसलपुर-जयपुर जलप्रदाय परियोजना-द्वितीय चरण (शहरी)			
मू .	4,86.74	..	..
पु .	- 4,86.74	..	..
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 28,36.74 लाख का प्रावधान कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) न्यायिक आवास			
[90] निर्माण कार्य ( मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)			
मू .	4,41.83	1,15.03	- 0.01
पु .	- 3,26.80	1,15.02	
31 मार्च 2020 को ₹ 3,26.80 लाख का प्रावधान कार्यों का कम निष्पादन करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (09) अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) [01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से	मू. 57,96.00 पु. - 22,77.48	35,18.52	35,18.52 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 22,77.48 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.) [03] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण	मू. 20,00.00 पु. - 17,28.00	2,72.00	2,72.00 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 17,28.00 लाख का प्रावधान एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं नवीनीकरण के लिए भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (20) जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि) [14] माँ-बाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण	मू. 13,20.00 पु. - 13,20.00	..	.. ..
31 मार्च 2020 को ₹ 13,20.00 लाख का समस्त प्रावधान जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माँ-बाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण का निष्पादन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,52.13 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 9,67.87 लाख) किया गया।			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (22) बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जनजाति कल्याण निधि) [02] छात्रावास भवनों का निर्माण एवं नवीनीकरण	मू. 2,75.00 पु. - 1,95.40	79.60	79.60 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,95.40 लाख का प्रावधान जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत आवश्यकता के अनुसार बिखरी क्षेत्र में छात्रावासों के निर्माण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			



## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(27) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[01] छात्रों के छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	4,50.01	1,14.80	1,14.80
पु.	- 3,35.21		..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,35.21 लाख का प्रावधान निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के कारण अनुसूचित जनजाति छात्र छात्रावास, बगरू के निर्माण की स्वीकृति रद्द किये जाने तथा कार्यकारी अभिकरणों द्वारा अन्य कार्यों में धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र तथा उपकरण			
मू.	7,80.90	..	..
पु.	- 7,80.90		..
31 मार्च 2020 को ₹ 7,80.90 लाख का समस्त प्रावधान बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	7,84.00	2,55.00	2,55.00
पु.	- 5,29.00		..
₹ 5,29.00 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निधियों की कम उपलब्धता से राज्यांश की स्वीकृति कम जारी किये जाने को आरोपित की गयी।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[06] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से			
मू.	2,13.00	..	..
पु.	- 2,13.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,13.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (08) किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	1,00.00		
पु.	- 90.10	9.90	- 88.56
			- 98.46
31 मार्च 2020 को ₹ 90.10 लाख का प्रावधान पंचायती राज विभाग से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 88.56 लाख का ऋण व्यय विभिन्न आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) से सम्बन्धित ₹ 98.46 लाख की अवशेष राशि जमा कराने से रहा।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (10) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना [06] जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
मू.	7,06.32		
पु.	- 4,14.28	2,92.04	2,92.04
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 4,14.28 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कुछ अभिकरणों के बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4403. पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01) पशु चिकित्सालय तथा पशु चिकित्सालय उपकेन्द्रों का निर्माण-नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.टी- XXIV [01] निर्माण कार्य			
मू.	4,00.00		
पु.	- 2,00.00	2,00.00	2,00.00
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय 195. सहकारिता को सहायता (05) जन जातियों के लिए सहकारी समितियों में विनियोजन [03] समग्र सहकारी विकास हेतु सहायता			
मू.	3,33.33		
पु.	- 3,33.33	..	..
			..
₹ 3,33.33 लाख का प्रावधान एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, बांसवाडा के अंतर्गत बांसवाडा की सहकारी समितियों के गोदाम और गोदाम परिसर के निर्माण, फर्नीचर और कम्प्यूटर आदि की खरीद के लिए अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2020 को ₹ 3,33.33 लाख का समस्त प्रावधान अन्य योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(05) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम			
[01] जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	60,75.00	50,69.25	50,69.25
पु.	- 10,05.75		
31 मार्च 2020 को ₹ 10,05.75 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में योजना से सम्बन्धित अवशेष राशि की पर्याप्त उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पिछड़े क्षेत्र			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
[04] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)			
मू.	7,37.06	15.28	15.28
पु.	- 7,21.78		
31 मार्च 2020 को ₹ 7,21.78 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. सीमा क्षेत्र विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु			
मू.	19,02.00	13,26.00	13,26.00
पु.	- 5,76.00		
31 मार्च 2020 को ₹ 5,76.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से			
[01] दाई मुख्य नहर			
मू.	5,45.00	3,51.84	3,51.84
पु.	- 1,93.16		

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से [02] बाईं मुख्य नहर			
मू.	4,45.00		
पु.	- 2,32.08	2,12.92	2,12.92
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 4,25.24 लाख का प्रावधान कोर्ट द्वारा बजरी पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण कार्यों की धीमी प्रगति तथा आनुपातिक प्रगति के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01) निर्माण कार्य			
मू.	14,00.00		
पु.	- 11,90.02	2,09.98	2,09.98
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 11,90.02 लाख का प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रीयंश 12 मार्च 2020 को प्राप्त होने तथा उसे राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति लागू होने के कारण जारी नहीं किये किये जा सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
37. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण नवीनीकरण (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01) निर्माण कार्य			
मू.	2,10.00		
पु.	- 2,10.00	..	..
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,10.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति को देखते हुए अभ्यर्पित किया गया।			
43. अनास बांध पर अपर हाई लेवल कैनाल (माही नदी) (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01) निदेशन तथा प्रशासन [01] निर्माण कार्य			
मू.	5,00.00		
पु.	- 5,00.00	..	..
			..
44. हाई लेवल कैनाल ऑन नांगलिया पिकअप वियर (वाणिज्यिक) 796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01) निदेशन तथा प्रशासन [01] निर्माण कार्य			
मू.	5,00.00		
पु.	- 5,00.00	..	..
			..

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
45. अपर हाई लेवल कैनाल ऑन माही डैम (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	5,00.00	..	..
पु.	- 5,00.00		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 15,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कार्यों की प्रगति बाधित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	8,40.00	3,99.82	3,99.82
पु.	- 4,40.18		..
31 मार्च 2020 को ₹ 4,40.18 लाख का प्रावधान कार्यों की प्रगति बाधित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निदेशन एवं प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	10,50.00	28.00	28.00
पु.	- 10,22.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 10,22.00 लाख का प्रावधान कार्यों की प्रगति बाधित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
[02] निर्माण कार्य			
मू.	50,18.21	42,98.95	42,20.15
पु.	- 7,19.26		- 78.80
31 मार्च 2020 को ₹ 7,19.26 लाख का प्रावधान (i) कार्य भारत कर्मचारियों की नियमित सेवानिवृत्ति होने, (ii) चयनित वेतन श्रृंखला में कार्य भारत कर्मचारियों का वेतन निर्धारण नहीं होने तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन लागू होने के कारण मार्च, 2020 के अन्तिम सप्ताह में व्यय नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

₹ 78.80 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –	
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय				
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)				
[01] वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर				
मू.	7,00.00	4,55.13	4,55.10	- 0.03
पु.	- 2,44.87			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
(04) निर्माण कार्य (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)				
[02] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से)				
मू.	2,80.00	1,23.40	1,23.40	..
पु.	- 1,56.60			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 4,01.47 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति को देखते हुए अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(12) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वॉटर कन्सेप्ट)  
[01] निर्माण कार्य

मू.	8,40.00	5,69.80	5,69.56	- 0.24
पु.	- 2,70.20			

31 मार्च 2020 को ₹ 2,70.20 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी गति को देखते हुए अभ्यर्पित किया गया।

796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना  
(14) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना  
[01] मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण एवं  
बाह्य सहायता) कार्यक्रम के माध्यम से

मू.	35,47.29	24,58.74	23,98.74	- 60.00
पु.	- 10,88.55			

31 मार्च 2020 को ₹ 10,88.55 लाख का प्रावधान (i) कार्यों की धीमी प्रगति होने, (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण निर्माण कार्य रोके जाने तथा (iii) लॉकडाउन के कारण कोषालयों में बिलों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 60.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) क्षेत्रीय विकास आयुक्त चम्बल, कोटा के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू.	5,68.00		
पु.	- 5,33.63	34.37	34.37
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 5,33.63 लाख का प्रावधान भारत सरकार द्वारा सिंचाई अन्तर (आई एस बी आई जी) को कम करने लिए प्रोत्साहन योजना के दिशा निर्देश जारी नहीं होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	86,62.50		
पु.	- 34,12.50	52,50.00	52,50.00
			..
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	62,05.35		
पु.	- 24,55.35	37,50.00	37,50.00
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 58,67.85 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती करने के परिणामस्वरूप बिजली कम्पनियों में कम निवेश के कारण पुनर्विनियोजित किया गया।			
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[02] खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
मू.	1,96.00		
पु.	- 1,96.00	..	..
			..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,96.00 लाख का समस्त प्रावधान (i) जोधपुर में सिलिकोसिस अनुसंधान तथा पुनर्वास केन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा (ii) जोधपुर तथा कोटा में सिलिकोसिस अनुसंधान तथा पुनर्वास केन्द्र के लिए मशीनरी और उपकरण खरीदने हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2017-18 तथा 2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर (डी एम आई सी)			
[01] भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति			
मू.	15,00.00	3,92.14	3,92.14
पु.	- 11,07.86		..
31 मार्च 2020 को ₹ 11,07.86 लाख का प्रावधान डी.एम.आई.सी. परियोजना के अन्तर्गत खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र में पांच गांवों में भूमि अधिग्रहण का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि विभाग के भूमि अधिग्रहण शाखा में वर्ष के दौरान पद रिक्त थे तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिलों का भुगतान नहीं होने भूमि अधिग्रहण शाखा में विभिन्न पद वर्ष के दौरान खाली रहने के कारण के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें			
मू.	96,52.36	41,40.25	41,36.90
पु.	- 55,12.11		- 3.35
31 मार्च 2020 को ₹ 55,12.11 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(10) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)			
मू.	99,39.82	84,30.54	84,30.54
पु.	- 15,09.28		..
31 मार्च 2020 को ₹ 15,09.28 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के निर्माण कम निष्पादित होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[12] सड़क उन्नयन परियोजना (तृयोविंशतितमः)			
मू.	5,96.46	3,39.14	3,27.16
पु.	- 2,57.32		- 11.98
31 मार्च 2020 को ₹ 2,57.32 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के निर्माण कम निष्पादित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
₹ 11.98 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			



## अनुदान संख्या 030 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[13] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	54,27.79	41,41.68	41,39.46
पु.	- 12,86.11		- 2.22
31 मार्च 2020 को ₹ 12,86.11 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के निर्माण कम निष्पादित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[14] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	11,92.92	..	..
पु.	- 11,92.92		..
31 मार्च 2020 को ₹ 11,92.92 लाख का समस्त प्रावधान सड़क निर्माण कार्यों के कम निष्पादित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(08) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,06,19.47	96,63.72	96,63.19
पु.	9,55.75		- 0.53
31 मार्च 2020 को ₹ 9,55.75 लाख का प्रावधान सड़क निर्माण कार्यों के कम निष्पादित होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(16) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	13,48.00	8,08.80	8,08.80
पु.	- 5,39.20		..
31 मार्च 2020 को ₹ 5,39.20 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	9,37.23	..	..
पु.	- 9,37.23	..	..

31 मार्च 2020 को ₹ 9,37.23 लाख का समस्त प्रावधान (i) उदयपुर में ईको टूरिज्म बर्ड पार्क तथा मेवाड़ कॉम्प्लेक्स तथा द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली (राजसमंद) से सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा कार्यों की धीमी गति होने, (ii) शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकायों की चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण वित्त विभाग को प्रस्तावों को प्रस्तुत नहीं करने तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में नये कार्यों के सम्बन्ध में बिलों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) ग्रामीण पर्यटन का विकास			
मू.	2,00.00	..	..
पु.	- 2,00.00	..	..

31 मार्च 2020 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान (i) लोहागढ़-भरतपुर लाइट एण्ड साउंड शो के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण धाबाई जी का मंदिर, कोटा के माह मार्च, 2020 में बिलों को प्रस्तुत नहीं करने तथा (iii) कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(12) सर्व शिक्षा अभियान (शिक्षा गारन्टी योजना)			
[01] सर्व शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू.	23,40.01	43,94.02	..
पु.	20,54.01	43,94.02	..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20,54.01 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीयशांश के अनुपात में राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(13) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू.	23,40.01	40,40.00	40,40.00
पु.	16,99.99		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीयंश के अनुपात में राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय- चिकित्सा शिक्षा			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	7,25.84	14,68.62	14,76.33
पु.	7,42.78		+ 7.71
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,42.78 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) उपकरण क्रय करने तथा (ii) बजट भाषण में की गई घोषणा की अनुपालना में 50 बिस्तरों और 10 बिस्तरों वाले एडवांस चिकित्सा आई सी यू की स्थापना करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 7.71 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) पी.एम.एस.एस.वाई. के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन-फेज-IV			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	1,95.01	25,97.00	25,97.00
पु.	24,01.99		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,01.99 लाख की अतिरिक्त निधियां सिविल कार्यों के लिये कार्यकारी अभिकरण के राज्य मैचिंग शेयर हस्तान्तरित करने तथा पी एम एस एस वाई के तहत मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं			
[86] जवाई क्लस्टर परियोजना-IV, जिला पाली			
मू.	8,33.09	11,96.44	11,96.44
पु.	3,63.35		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,63.35 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[01] आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण			
मू .	6,00.00	8,00.00	8,00.00
पु .	2,00.00		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[13] एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं रखरखाव			
मू .	20,00.00	35,00.00	35,00.00
पु .	15,00.00		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[17] राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य			
मू .	5,00.00	7,00.00	7,00.00
पु .	2,00.00		
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.)			
[18] टी.ए.डी. भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण			
मू .	2,00.00	4,00.00	4,00.00
पु .	2,00.00		

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां इन योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी ।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(07) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[07] वन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,09.20	6,15.36	6,15.36
पु.	5,06.16		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,06.16 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(03) माही नहरी तंत्र का उन्नयन/पुनर्जीविकरण/आधुनिकीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	30,00.00	75,06.91	75,06.83
पु.	45,06.91		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45,06.91 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	77,00.00	84,10.93	84,10.93
पु.	7,10.93		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,10.93 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजन (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	3,50.00	11,30.00	11,30.00
पु.	7,80.00		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,80.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरिया			
मू.	27,19.55	40,63.11	40,63.11
पु.	13,43.56		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,43.56 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी क्योंकि राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना के अन्तर्गत रेगिस्तान क्षेत्र के लिये संचालित परियोजना जो कि ब्रिक्स देशों के न्यू डवलपमेंट बैंक से पोषित की जा रही है तथा कार्य 2022-23 तक समाप्त किया जाना आवश्यक है।

4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(02) गागरिन परियोजना			
मू.	4,20.00	6,20.95	6,20.95
पु.	2,00.95		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,00.95 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एस.एच.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	27,43.36	45,73.54	45,56.96
पु.	18,30.18		- 16.58

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,30.18 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 16.58 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

03. राज्य राजमार्ग			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- II (विश्व बैंक)			
मू.	17,89.38	24,39.86	24,39.86
पु.	6,50.48		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,50.48 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 030 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[29] राजनेट			
मू.	2,80.00	4,66.00	4,66.00
पु.	1,86.00		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,86.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[34] कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर			
मू.	1,82.00	7,50.00	7,50.00
पु.	5,68.00		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,68.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु			
ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)			
मू.	7,35.00	10,34.22	10,34.22
पु.	2,99.22		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,99.22 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना के लिए के.एफ.डब्ल्यू. से ऋण प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य/बचत को देखते हुए, प्रावधान की कटौती/ आवर्द्धन अनावश्यक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(06) पी एम एस एस वाई के अंतर्गत चिकित्सा			
महाविद्यालय का उन्नयन फेज- III			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा			
मू.	2,03.01	..	+ 2,03.00
पु.	- 2,03.01		

31 मार्च 2020 को ₹ 2,03.01 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये जाने तथा बिना प्रावधान के ₹ 2,03.00 लाख का व्यय किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 030 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)			
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	28,00.00		
		29,36.18	
पु.	1,36.18		
		22,86.18	- 6,50.00

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,36.18 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। ₹ 6,50.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।



अनुदान संख्या 031 – पुनर्वास एवं सहायता

इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया।

**अनुदान संख्या 032 – नागरिक आपूर्ति**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 3456. सिविल पूर्ति और  
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं  
 पूंजी – 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर  
 पूंजीगत परिव्यय और  
 7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,55,33,02	3,55,33,02	3,28,32,02	– 27,01,00
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				26,71,79
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2,76	3,19	3,19	..
अनुपूरक	43			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				..
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	3,87,91	3,87,91	2,07	– 3,85,84
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				3,85,44

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

राजस्व

दत्तमत

1. ₹ 27,01.00 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 29.21 लाख अन्अभ्यर्पित रही।

**अनुदान संख्या 032 - (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3456. सिविल पूर्ति			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) खाद्य आयुक्त के माध्यम से			
[01] मुख्यालय कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	6,41.85	5,23.39	5,23.19
पु.	- 1,18.46		
₹ 1,18.46 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी ।			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) खाद्य आयुक्त के माध्यम से			
[02] जिला कर्मचारी वर्ग-प्रतिबद्ध			
मू.	30,59.30	25,90.92	25,89.26
पु.	- 4,68.38		
₹ 4,68.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी ।			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) खाद्य आयुक्त के माध्यम से			
[07] उपभोक्ता संरक्षण-प्रतिबद्ध			
मू.	26,53.67	22,02.17	21,99.10
पु.	- 4,51.50		
₹ 4,51.50 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(02) खाद्यान्न वितरण			
[08] सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन			
मू.	1,28.00	25.73	22.99
पु.	- 1,02.27		

31 मार्च 2020 को ₹ 1,02.27 लाख का प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु समस्त जिला रसद कार्यालयों, खाद्य विभाग एवं राजकीय गोदामों के कम्प्यूटराईजेशन के लिए कोविड-19 महामारी को देखते हुए 23 मार्च 2020 से राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण कम्प्यूटर्स क्रय की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

## अनुदान संख्या 032 – (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
3456. सिविल पूर्ति			
102. सिविल पूर्ति योजना			
(07) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[01] अंत्योदय परिवार अन्न योजना			
मू.	79,46.00	68,08.34	68,06.97
पु.	- 11,37.66		- 1.37

31 मार्च 2020 को ₹ 11,37.66 लाख का प्रावधान (i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अनुमान से कम सहाय्य जारी करने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए 23 मार्च 2020 से राज्य में लॉकडाउन स्थिति के कारण कोषालयों द्वारा बिल पारित/ई.सी.एस. नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 11,11.91 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 25.75 लाख) किया गया।

## पूँजी

## दत्तमत

- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 68.88 लाख, ₹ 4,17.28 लाख, ₹ 5,65.33 लाख, ₹ 3,39.28 लाख तथा ₹ 3,85.84 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 77.44 प्रतिशत से 99.47 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
102. नागरिक आपूर्ति			
(09) उपभोक्ता संरक्षण के राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का आधुनिकीकरण			
मू.	3,87.85	2.47	2.07
पु.	- 3,85.38		- 0.40

₹ 3,87.85 लाख का प्रावधान भारत सरकार की उपभोक्ता मंच योजना- II के सशक्तिकरण के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता मंच के भवन निर्माण एवं आधुनिकीकरण हेतु अनुमानित था। भारत सरकार से प्राप्त निधि को योजना के दिशा निर्देशानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवंटित किया जाना था। यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं करने के कारण 31 मार्च 2020 को राशि ₹ 3,85.38 लाख अभ्यर्पित की गई।

### अनुदान संख्या 033 – सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

- मुख्य शीर्ष : राजस्व –2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,  
 2230. श्रम, रोजगार और कौशल विकास,  
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और  
 2236. पोषण  
 पूंजी – 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज और  
 6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	79,42,83,59	79,42,83,59	74,76,66,47
अनुपूरक	..		- 4,66,17,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			4,24,25,18
<b>प्रभारित</b>			
मूल	10,65	12,60	12,29
अनुपूरक	1,95		- 31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			30
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	2,12,80,22	2,71,69,72	2,40,28,41
अनुपूरक	58,89,50		- 31,41,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			31,41,30

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

##### दत्तमत

- ₹ 4,66,17.12 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 41,91.94 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 8,08,08.91 लाख, ₹ 2,64,09.69 लाख, ₹ 2,37,19.11 लाख, ₹ 5,40,76.68 लाख तथा ₹ 4,66,17.12 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 4.61 प्रतिशत से 13.90 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचतों के लिए विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू .	76,03.11		
पु .	- 10,21.77	65,81.34	65,81.05
			- 0.29

31 मार्च 2020 को ₹ 10,21.77 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा वेतन तथा अन्य बकाया बिलों के भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय संस्थापना-प्रतिबद्ध			
मू .	23,01.65		
पु .	- 4,55.44	18,46.21	18,46.22
			+ 0.01

₹ 4,55.44 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण अधीनस्थ जिला स्तर के कार्यालय बंद होने के कारण वेतन एवं बकाया का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
793. अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता			
(01) अनुसूचित जाति उप परियोजना			
मू .	60,00.00		
पु .	- 25,37.43	34,62.57	34,62.57
			..

31 मार्च 2020 को ₹ 25,37.43 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा जिलों के लाभार्थियों से भी ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 78.80 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 24,58.63 लाख) किया गया।

02. अनुसूचित जन जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता			
(01) अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालन			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
मू .	43,40.96		
पु .	- 5,99.55	37,41.41	37,41.28
			- 0.13

31 मार्च 2020 को ₹ 5,99.55 लाख प्रावधान का कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा वेतन तथा अन्य बकाया बिलों के भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(10) ऋण माफी हेतु अनुदान			
[01] अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकास सहकारी निगम			
मू.	4,29.50	..	..
पु.	- 4,29.50		
31 मार्च 2020 को ₹ 4,29.50 लाख समस्त प्रावधान वित्त विभाग द्वारा राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सहकारी विकास निगम को ऋण माफी योजना के तहत निधियां जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत ( शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[05] विशेष पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (प्राथमिक शिक्षा विभाग)			
मू.	7,00.00	5,30.21	5,28.48 - 1.73
पु.	- 1,69.79		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,69.79 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) देवनारायण योजनान्तर्गत ( शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[07] देवनारायण गुरुकुल योजना			
मू.	18,35.30	15,77.75	15,77.75 ..
पु.	- 2,57.55		
31 मार्च 2020 को ₹ 2,57.55 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(13) देवनारायण योजना (उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से)			
[03] देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना हेतु अनुदान			
मू.	7,50.00	29.07	29.07 ..
पु.	- 7,20.93		
31 मार्च 2020 को ₹ 7,20.93 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी के कारण वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
001. निदेशक तथा प्रशासन			
(03) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग का संस्थापन व्यय			
[01] निदेशालय का संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	14,36.58	12,05.71	12,04.81
पु.	- 2,30.87		- 0.90

₹ 2,30.87 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वर्ष के दौरान विभाग के विभिन्न संवर्गों में 63 पदों के रिक्त रहने, (ii) अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक संवर्ग के पदों पर विभागीय कैडर नहीं होने के कारण उक्त पदों पर संविदा कर्मचारी अथवा सेवानिवृत्त कार्मिकों के पदस्थापन होने के कारण वेतन कम आहरित होने, (iii) रिक्त पदों का अतिरिक्त कार्यभार अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों को देने के कारण वेतन का भुगतान कम होने तथा (iv) न्यायिक प्रकरणों के कारण कुछ स्थानों पर वेतन भुगतान लम्बित रहने को आरोपित की गयी।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) उपसचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] राजस्थान वक्फ बोर्ड को अनुदान			

मू.	3,92.63	33.96	33.96
पु.	- 3,58.67		..

31 मार्च 2020 को ₹ 3,58.67 लाख का प्रावधान राजस्थान वक्फ बोर्ड को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए कम अनुदान जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(05) महिला विकास कार्यक्रम			
[01] महिला विकास कार्यक्रम			

मू.	3,46.41	2,12.50	2,12.49
पु.	- 1,33.91		- 0.01

₹ 1,33.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वर्ष के दौरान समय की कमी के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत तथा रखरखाव का कार्य शुरू नहीं करने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन प्रभावी होने को आरोपित किया गया।

02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(05) महिला विकास कार्यक्रम			
[14] महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स			

मू.	6,31.00	1,66.05	1,66.05
पु.	- 4,64.95		..

31 मार्च 2020 को ₹ 4,64.95 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती तथा प्रशिक्षण देरी से शुरू होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।



## अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(12) महिला स्वयं सहायता ग्रुप संस्थान			
मू.	2,84.62		
पु.	- 1,45.54	1,39.08	1,34.94
			- 4.14

31 मार्च 2020 को ₹ 1,45.54 लाख का प्रावधान (i) आय सृजन गतिविधि प्रशिक्षण कार्यक्रम इस मद के अन्तर्गत आयोजित नहीं किये गये क्योंकि वित्त विभाग से इस कार्यक्रम के स्थान पर *भारत महिला शक्ति निधि* के अन्तर्गत नयी योजना *कौशल सामर्थ्य योजना* की स्वीकृति प्राप्त होने, (ii) अमृत हॉट का कम आयोजन होने तथा (iii) कुछ बिलों पर आपत्ति तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन स्थिति के कारण कोषालयों द्वारा अमृत हॉट के बिलों का माह मार्च, 2020 में भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 4.14 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

02. समाज कल्याण  
103. महिला कल्याण  
(20) मिशन ग्राम्य शक्ति  
[01] महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से

मू.	2,20.50			
पु.	- 2,20.50			

₹ 2,20.50 लाख का प्रावधान *मिशन ग्राम्य शक्ति योजना* हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2020 को ₹ 2,20.50 लाख का समस्त प्रावधान *मिशन ग्राम्य शक्ति योजना* के क्रियान्वयन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2014-15 से 2018-19 के दौरान भी, समस्त प्रावधान क्रमशः अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित तथा अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण  
103. महिला कल्याण  
(23) उज्ज्वला योजना  
[01] सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से

मू.	2,07.20			
पु.	- 2,06.54	0.66	0.66	

31 मार्च 2020 को ₹ 2,06.54 लाख का प्रावधान लाभार्थी संस्थानों द्वारा आवश्यक अभिलेख तथा निरीक्षण/जांच समिति द्वारा रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण  
104. वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण  
(03) गरीबों को कानूनी सलाह शुल्क तथा सहायता-प्रतिबद्ध

मू.	38,86.55			
पु.	- 4,57.04	34,29.51	34,28.87	- 0.64

₹ 4,57.04 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को उनकी परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद नियमित वेतनमान में बढ़ा हुआ वेतन का भुगतान नहीं करने तथा पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(03) राज्य सूचना आयोग-प्रतिबद्ध			
मू.	4,62.00	3,00.00	3,00.00
पु.	- 1,62.00		..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,62.00 लाख का प्रावधान अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[26] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			
मू.	1,75,65.00	1,08,94.61	1,08,94.61
पु.	- 66,70.39		..

31 मार्च 2020 को ₹ 66,70.39 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत भुगतान योग्य राशि की कम आवश्यकता के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[29] संस्थापन व्यय हेतु-प्रतिबद्ध			
मू.	11,38.34	8,29.82	8,29.53
पु.	- 3,08.52		- 0.29

₹ 3,08.52 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कोषालयों द्वारा ई-साइन की नई प्रक्रिया अपनाये जाने के कारण बिलों के लौटाये जाने तथा उसके बाद जिला कार्यालयों में लॉकडाउन के चलते स्टॉफ नहीं होने के कारण कोषालयों में बिल प्रस्तुत नहीं करने को अरोपित की गई।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[33] चिराली योजना			
मू.	1,26.70	..	..
पु.	- 1,26.70		..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,26.70 लाख का समस्त प्रावधान चिराली योजना के बन्द होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02. समाज कल्याण 196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु [36] महिला शक्ति केन्द्र	मू. 3,72.40 पु. - 2,66.83	1,05.57	1,05.58 + 0.01

31 मार्च 2020 को ₹ 2,66.83 लाख का प्रावधान नई केन्द्रीय योजना महिला शक्ति केन्द्र के संचालन में देरी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि संविदा सेवाओं के अस्थायी पदों के लिए वित्त विभाग से स्वीकृति देरी से प्राप्त होने तथा योजना के लिए राज्यांश का 40 प्रतिशत देरी से जारी किया गया।

02. समाज कल्याण  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(05) संयुक्त सहायता के लिये अनुदान  
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां

मू.	2,04.75	80.49	80.49	..
पु.	- 1,24.26			

31 मार्च 2020 को ₹ 1,24.26 लाख का प्रावधान लाभार्थियों द्वारा पर्याप्त संख्या में आवेदन नहीं करने के कारण विशेष योग्यजनों का चिन्हीकरण कर अंग उपकरण वितरण हेतु कैम्प आयोजित नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण  
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(19) अन्य कार्यक्रम  
[04] बी.पी.एल. परिवारों को जनश्री बीमा योजना हेतु अनुदान

मू.	1,92.00	..	..	..
पु.	- 1,92.00			

31 मार्च 2020 को ₹ 1,92.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

02. समाज कल्याण  
196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(19) अन्य कार्यक्रम  
[18] बी.पी.एल. परिवारों को जन बीमा योजना हेतु सहायता  
(प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)

मू.	12,48.00	..	..	..
पु.	- 12,48.00			

31 मार्च 2020 को ₹ 12,48.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

## अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(22) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[06] उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
मू.	5,00.00	1,71.87	- 0.69
पु.	- 3,28.13	1,71.18	

31 मार्च 2020 को ₹ 3,28.13 लाख का प्रावधान (i) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण निधियों का उपयोग नहीं होने, (ii) लाभार्थियों की पात्रता का प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति पोर्टल पर पात्र लाभार्थियों की संख्या कम होने तथा (iii) ऐसे संस्थानों के छात्रों को जिनकी मान्यता के दस्तावेज पूर्ण नहीं थे, छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम  
104. निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना-सरकारी भविष्य निधि  
(02) प्रावधायी निधि के लेखों का संधारण-प्रतिबद्ध

मू.	39,92.42	35,32.66	35,32.64	- 0.02
पु.	- 4,59.76			

₹ 4,59.76 लाख की प्रत्याशित बचत मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी तथा वेतन का निर्धारण नहीं होने के कारण कुछ कर्मचारियों को वेतन के बकाया की अन्तर राशि का भुगतान नहीं करने को आरोपित की गयी।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम  
105. सरकारी कर्मचारी बीमा योजना  
(01) राज्य बीमा विभाग-प्रतिबद्ध

मू.	62,53.27	56,52.60	56,52.62	+ 0.02
पु.	- 6,00.67			

₹ 6,00.67 लाख की प्रत्याशित बचत मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी तथा वेतन का निर्धारण नहीं होने के कारण कुछ कर्मचारियों को वेतन के बकाया की अन्तर राशि का भुगतान नहीं करने को आरोपित की गयी।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम  
107. स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना  
(01) स्वतन्त्रता सैनानियों तथा उनके आश्रितों आदि को पेंशन-सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से-प्रतिबद्ध

मू.	14,00.01	12,56.41	12,54.36	- 2.05
पु.	- 1,43.60			

31 मार्च 2020 को ₹ 1,43.60 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
110. अन्य बीमा योजनाएं			
(01) साधारण बीमा योजना-प्रतिबद्ध			
मू.	4,91.12	3,69.30	3,69.31
पु.	- 1,21.82		+ 0.01
₹ 1,21.82 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 से देय महंगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी तथा वेतन का निर्धारण नहीं होने के फलस्वरूप कुछ कर्मचारियों को वेतन के बकाया की अन्त राशि का भुगतान नहीं करने को आरोपित की गयी।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[05] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू.	1,48,13.72	1,08,83.55	1,07,84.89
पु.	- 39,30.17		- 98.66
31 मार्च 2020 को ₹ 39,30.17 लाख का प्रावधान वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को विधवा पेंशन योजना में शिफ्ट करने तथा पेंशन के वितरण पर कम प्रशासनिक व्यय होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 7,73.93 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 31,56.24 लाख) किया गया।			
₹ 98.66 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने तथा पेंशनर्स का गलत बैंक खाता संख्या / मृत्यु/अन्यत्र प्रवास के कारण लाभार्थियों को भुगतान नहीं करने के परिणामस्वरूप अवितरित राशि को सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रही।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम द्वारा			
[07] इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन			
मू.	7,13.09	5,21.10	5,17.52
पु.	- 1,91.99		- 3.58
31 मार्च 2020 को ₹ 1,91.99 लाख का प्रावधान लाभार्थियों की संख्या में अनुमान से कम वृद्धि होने तथा परिणामस्वरूप पेंशन के वितरण पर कम प्रशासनिक व्यय किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
[01] लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
मू.	2,04,00.00	1,42,15.72	1,41,70.73
पु.	- 61,84.28		- 44.99
31 मार्च 2020 को ₹ 61,84.28 लाख का प्रावधान लघु एवं सीमान्त वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान लाभार्थियों की संख्या अनुमान से कम होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
₹ 44.99 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने तथा पेंशनर्स का गलत बैंक खाता संख्या / मृत्यु/अन्यत्र प्रवास के कारण लाभार्थियों को भुगतान नहीं करने के परिणामस्वरूप अवितरित राशि को सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रही।			

## अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[02] जिला नाविकों, सैनिकों और विमानिकों के बोर्ड-प्रतिबद्ध			
मू.	13,44.75	10,54.97	10,54.97
पु.	- 2,89.78		..
₹ 2,89.78 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः विभिन्न जिला कार्यालयों में कुल 76 पद जिसमें सहायक प्रशासनिक अधिकारी (06), वरिष्ठ सहायक (09), कनिष्ठ सहायक (31), कल्याण व्यवस्थापक (22) एवं गुप डी (08) पद रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200. अन्य कार्यक्रम			
(01) नाविकों, सैनिकों और वैमानिकों का बोर्ड			
[05] द्वितीय विश्व युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं को पेंशन-प्रतिबद्ध			
मू.	39,76.56	31,44.43	31,09.24
पु.	- 8,32.13		- 35.19
31 मार्च 2020 को ₹ 8,32.13 लाख का प्रावधान (i) मृतक सैनिकों की विधवाओं को पेंशन का भुगतान उनके द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र, जो वर्ष में एक बार प्रस्तुत करना अनिवार्य है, प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कम किया गया, (ii) लाभार्थियों की मृत्यु होने तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण कुछ जिला कार्यालयों में पेंशन बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 35.19 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800. अन्य व्यय			
(03) सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से			
[01] मीसा/डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन-प्रतिबद्ध			
मू.	47,00.00	22,47.79	22,61.62
पु.	- 24,52.21		+ 13.83
31 मार्च 2020 को ₹ 24,52.21 लाख का प्रावधान पेंशन कम आहरित करने तथा राज्य सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 2019 से पेंशन बंद करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
₹ 13.83 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] पोषाहार क्रेष प्रोग्राम			
मू.	2,65,28.00	1,45,77.19	1,45,52.49
पु.	- 1,19,50.81		- 24.70
31 मार्च 2020 को ₹ 1,19,50.81 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित करने तथा ₹ 24.70 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] एकीकृत बाल विकास योजना			
मू.	1,50,24.49	79,86.65	79,64.83
पु.	- 70,37.84		
₹ 70,37.84 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 21.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[12] राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना			
मू.	25,00.02	2,52.26	2,52.23
पु.	- 22,47.76		
31 मार्च 2020 को ₹ 22,47.76 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[16] सहयोगिनी को मानदेय-प्रतिबद्ध			
मू.	15,27.00	9,40.10	9,39.71
पु.	- 5,86.90		
31 मार्च 2020 को ₹ 5,86.90 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[17] राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एन.एन.एम.)			
मू.	1,31,87.02	42,80.31	42,66.36
पु.	- 89,06.71		
31 मार्च 2020 को ₹ 89,06.71 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 13.95 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101. विशेष पोषण कार्यक्रम			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[18] प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना			
मू.	98,58.61	52,32.27	52,29.85
पु.	- 46,26.34		- 2.42
31 मार्च 2020 को ₹ 46,26.34 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 21,77.48 लाख ) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 24,48.86 लाख ) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] जिला स्तरीय संस्थापन व्यय			
मू.	15,10.08	11,60.01	11,60.00
पु.	- 3,50.07		- 0.01
₹ 3,50.07 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[02] ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय			
मू.	8,17,93.80	6,87,17.63	6,87,04.28
पु.	- 1,30,76.17		- 13.35
31 मार्च 2020 को ₹ 1,30,76.17 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 42,67.31 लाख ) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 88,08.86 लाख ) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			
₹ 13.35 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[05] महिला कल्याण कोष			
मू.	5,44.83	4,13.41	4,09.52
पु.	- 1,31.42		- 3.89
31 मार्च 2020 को ₹ 1,31.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			



**अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[12] सहयोगिनी को मानदेय-प्रतिबद्ध			
मू .	1,32,30.00		
पु .	- 15,43.14	1,16,86.86	1,16,85.21
			- 1.65
31 मार्च 2020 को ₹ 15,43.14 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/ जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[02] विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना			
मू .	70,00.00		
पु .	8,89.16	78,89.16	78,78.13
			- 11.03

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,89.16 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी ।

₹ 11.03 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण तथा स्टॉफ की सीमित उपस्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिलों को पारित नहीं करने के कारण रही ।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02. समाज कल्याण  
102. बाल कल्याण  
(10) बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से  
[01] समेकित बाल संरक्षण योजना हेतु अनुदान

मू	43,90.29		
पु .	13,29.71	57,20.00	57,20.00
			..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,29.71 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।

## अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02. समाज कल्याण 196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु [15] सामुहिक विवाह अनुदान योजना हेतु अनुदान	मू. 4,94.25 पु. 1,24.23	6,18.48	5,87.96 - 30.52
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,24.23 लाख की अतिरिक्त निधियां मांग के अनुसार सामुहिक विवाह अनुदान योजना के लिये अधिक अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी ।			
₹ 30.52 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. समाज कल्याण 196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (19) अन्य कार्यक्रम [07] निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत अनुदान	मू. 1,68,00.00 पु. 64,73.00	2,32,73.00	2,31,76.04 - 96.96
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 64,73.00 लाख की अतिरिक्त निधियां पालनहार योजनान्तर्गत वर्ष के दौरान 17,166 लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
₹ 96.96 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिलों को पारित नहीं करने के कारण रही ।			
02. समाज कल्याण 196. जिला परिषदों /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता (19) अन्य कार्यक्रम [08] सहयोग योजनान्तर्गत अनुदान	मू. 8,00.00 पु. 2,27.48	10,27.48	9,63.16 - 64.32
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,27.48 लाख की अतिरिक्त निधियां सहयोग योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			
₹ 64.32 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिलों को पारित नहीं करने के कारण रही ।			
02. समाज कल्याण 200. अन्य कार्यक्रम (04) जन चेतना शोध प्रकाशन एवं प्रचार, नशा मुक्ति तथा अन्य कुरीतियों की रोकथाम	मू. 70.00 पु. 1,28.53	1,98.53	1,98.53 ..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,28.53 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष के बकाया दायित्वों के भुगतान तथा विभागीय योजनाओं पर पुस्तिका के प्रकाशन, विज्ञप्तियों एवं विज्ञापन तथा विभिन्न चैनलों पर लघु फिल्म बनाने और प्रकाशन पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी ।			

## अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
200. अन्य कार्यक्रम			
(19) सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/आपदा, पशु दुर्घटना इत्यादि हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष के मार्फत अनुदान			
मू.	45,00.00	55,00.00	55,00.00
पु.	10,00.00		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां दुर्घटना के मामलों अधिक प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम  
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता  
(02) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना  
[01] मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

मू.	28,77,44.00	31,62,37.17	31,30,78.42	- 31,58.75
पु.	2,84,93.17			

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,84,93.17 लाख की अतिरिक्त निधियां लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 31,58.75 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने तथा पेशनर्स का गलत बैंक खाता संख्या/बैंक खाता बन्द होने/ मृत्यु/अन्यत्र प्रवास के कारण लाभार्थियों को भुगतान नहीं करने के परिणामस्वरूप अवितरित राशि को सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रही।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम  
200. अन्य कार्यक्रम  
(11) पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को प्रतिकर हेतु अनुदान  
[01] राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अनुदान-प्रतिबद्ध

मू.	18,00.00	32,41.60	32,36.60	- 5.00
पु.	14,41.60			

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,41.60 लाख की अतिरिक्त निधियां क्षतिपूर्ति मामलों के लिए पीड़ितों की संख्या में वृद्धि होने से व्यय में वृद्धि को पूरा करने के लिए उपलब्ध करायी गई।

₹ 5.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## पूँजी

## दत्तमत

- ₹ 31,41.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 58,89.50 लाख का प्रावधान जो अत्यधिक था।
- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 1,44,06.05 लाख, ₹ 57,84.86 लाख, ₹ 49,39.20 लाख, ₹ 40,56.23 लाख तथा ₹ 31,41.31 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 11.56 प्रतिशत से 57.60 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
102. आर्थिक विकास			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम			
मू.	60,44.20		
पु.	- 22,79.77	37,64.43	37,64.43

31 मार्च 2020 को ₹ 22,79.77 लाख का प्रावधान (i) ₹ 11,14.05 लाख से बजट सीमा में कटौती करने, (ii) ₹ 4,55.90 लाख की स्वीकृति राज्य में लॉकडाउन से ठीक पहले 20 मार्च, 2020 को प्राप्त होने से कार्यकारी एजेन्सियों को हस्तान्तरण नहीं करने तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में ₹ 7,09.82 लाख कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा व्यय नहीं किये जाने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।

04. अल्पसंख्यकों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से			
[01] छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	4,17.30		
पु.	- 4,17.30	..	..

31 मार्च 2020 को ₹ 4,17.30 लाख का समस्त प्रावधान (i) बाड़मेर में प्रस्तावित राजकीय अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका छात्रावासों की भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए लॉकडाउन के कारण उदयपुर में राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास के लिए अधिकृत सार्वजनिक निर्माण विभाग निधि का आहरण नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(09) महिला स्वयं सहायता ग्रुप भवन का निर्माण			
मू.	1,00.02		
पु.	- 1,00.02	..	..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,00.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 033 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(09) आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए योजना			
[01] महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	7,00.00	..	..
पु.	- 7,00.00		

31 मार्च 2020 को ₹ 7,00.00 लाख का समस्त प्रावधान आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रावासों के निर्माण के लिए स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2015-16 से 2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किये गये थे।

02. समाज कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(10) विकलांगता अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों के लिए योजना			
[01] रैम्प एवं लिफ्ट आदि का निर्माण			
मू.	15,81.01	4,11.81	4,11.81
पु.	- 11,69.20		..

31 मार्च 2020 को ₹ 11,69.20 लाख का प्रावधान सुगम्य भारत अभियान के अन्तर्गत विशेष योग्यजन हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी कार्यालयों में रैम्प तथा लिफ्ट के निर्माण में धीमी गति के कारण अभ्यर्पित (₹ 8,59.00 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,10.20 लाख) किया गया।

4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(03) भवन निर्माण			
मू.	3,00.00	78.19	78.19
पु.	- 2,21.81		..

31 मार्च 2020 को ₹ 2,21.81 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
800. अन्य व्यय			
(09) आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	13,96.00	9,82.00	9,82.00
पु.	- 4,14.00		..

31 मार्च 2020 को ₹ 4,14.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 033 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य कर्ज			
(01) राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान राज्य सरकार से पर्याप्त मात्रा में राशि नहीं मिलने के परिणामस्वरूप ऋणों का वितरण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण			
800. अन्य व्यय			
(01) देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से)			
[03] देवनारायण आवासीय विद्यालयों का निर्माण			
मू.	34,00.00	37,35.31	37,35.31
पु.	3,35.31	..	..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,35.31 लाख की अतिरिक्त निधियां निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02. समाज कल्याण			
103. महिला कल्याण			
(14) मानसिक पुनर्वास गृह भवन का निर्माण			
मू.	0.01	1,24.82	1,24.82
पु.	1,24.81	..	..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,24.81 लाख की अतिरिक्त निधियां जयपुर मुख्यालय पर हॉफ-वे-होम का संचालन सेठी कॉलोनी में स्थित विभागीय भवन में करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 033 – (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज			
02. समाज कल्याण			
800. अन्य कर्ज			
(04) पेंशनरों को अंतरंग चिकित्सा सुविधा योजना			
[01] राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फण्ड को उधार			
मू.	50,00.00		
अ.	58,89.50	1,30,00.00	1,30,00.00
पु.	21,10.50		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,10.50 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान पेंशनर चिकित्सा निधि के अन्तर्गत कटौती की वास्तविक राशि की तुलना में अधिक चिकित्सा पुर्नभरण दावों की प्राप्ति के परिणामस्वरूप निधि को ऋण देने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 034 – प्राकृतिक आपदाओं से राहत**  
**मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत**

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	50,19,99,02	50,44,44,03	38,26,68,25	-12,17,75,78
अनुपूरक	24,45,01			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				11,35,95,17
<b>प्रभारित</b>				
मूल	41,71	41,71	21,35	- 20,36
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				20,36

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- फरवरी, 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 24,45.01 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 12,17,75.78 लाख की अंतिम बचत में आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा सरकारी खाते में गत वर्षों की जमा करायी गयी अवशेष राशि के ₹ 81,80.58 लाख शामिल है।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत				
01. सूखा				
101. आनुग्रहिक राहत				
(14) सूखा के तहत आनुग्रहिक राहत				
[02] वृद्ध, असक्त एवं निसहाय बच्चों के लिए राहत				
मू.	5,00.00	..	..	..
पु.	- 5,00.00			
01. सूखा				
102. पीने के पानी की पूर्ति				
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति				
[01] ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति				
मू.	11,00.00	..	..	..
पु.	- 11,00.00			



## अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति			
[02] नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..
01. सूखा			
105. पशु चिकित्सा			
(04) सूखा क्षेत्र में पशु चिकित्सा			
[01] औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत			
मू.	2,50.00	..	..
पु.	- 2,50.00	..	..
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[01] अन्य विशेष राहत			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..
उपरोक्त पांच शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 20,50.00 लाख का समस्त प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) केपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[02] संबंध पक्षों/कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) केपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[03] राज्य के प्रशिक्षण संस्थाओं के आपदा प्रबन्धन केन्द्रों को सहायता			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..

## अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) केपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[05] आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों का सुदृढीकरण			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान केपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सूखा			
102. पीने के पानी की पूर्ति			
(11) सूखे के तहत पीने के पानी की पूर्ति			
[04] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से जल पूर्ति			
मू.	1,45,75.00	7,42.66	7,42.47
पु.	- 1,38,32.34		- 0.19
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(09) सूखे के अंतर्गत चारे की पूर्ति			
[01] परिवहन			
मू.	25,00.00	4,91.28	4,68.61
पु.	- 20,08.72		- 22.67
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(09) सूखे के अंतर्गत चारे की पूर्ति			
[02] पशु पोषण केन्द्र			
मू.	10,00.00	55.57	45.11
पु.	- 9,44.43		- 10.46
01. सूखा			
104. चारे की पूर्ति			
(09) सूखे के अन्तर्गत चारे की पूर्ति			
[04] पशु शिविर/गौशाला			
मू.	3,47,67.00	35,55.18	35,45.75
पु.	- 3,12,11.82		- 9.43

## अनुदान संख्या 034 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[02] अग्नि सहायता			
मू.	10,00.00	5,78.40	5,67.00
पु.	- 4,21.60		
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[04] सर्व रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय			
मू.	50,00.00	14,52.05	14,52.05
पु.	- 35,47.95		

उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 5,19,66.86 लाख का प्रावधान आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन स्थिति लागू होने के कारण भी व्यय प्रभावित हुआ।

शीर्ष "2245-01-104(09)[01], 01-104(09)[02], 01-104(09)[04] एवं 01-800(03)[02]" के अन्तर्गत ₹ 53.96 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्षों की अवशेष राशि ₹ 53.95 लाख जमा कराने के कारण रही।

01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[05] कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक लगान फसलों के लिए लघु सीमांत कृषकों को कृषि आदान अनुदान			
मू.	9,00,00.00	74,95.80	61,37.27
पु.	- 8,25,04.20		

31 मार्च 2020 को ₹ 8,25,04.20 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 90,72.58 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 7,34,31.62 लाख) किया गया। कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन स्थिति लागू होने के कारण भी व्यय प्रभावित हुआ।

₹ 13,58.53 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 14,67.51 लाख जमा कराने के कारण रही। ₹ 1,08.98 लाख (₹ 14,67.51 लाख - ₹ 13,58.53 लाख) के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 034 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[06] लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान			
मू.	6,45,51.76	2,65,55.53	2,46,57.41
पु.	- 3,79,96.23		- 18,98.12

31 मार्च 2020 को ₹ 3,79,96.23 लाख का प्रावधान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित (₹ 3,65,74.40 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 14,21.83 लाख) किया गया। कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन स्थिति लागू होने के कारण भी व्यय प्रभावित हुआ।

₹ 18,98.12 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 18,98.67 लाख जमा कराने के कारण रही।

01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(03) राहत कार्यों पर व्यय			
[07] प्रशिक्षण व्यय			
मू.	5,00.00	24.69	24.69
पु.	- 4,75.31		..

31 मार्च 2020 को ₹ 4,75.31 लाख का प्रावधान प्रशिक्षण पर आवश्यकतानुसार व्यय के कारण अभ्यर्पित किया गया। कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन स्थिति लागू होने के कारण भी व्यय प्रभावित हुआ।

01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[01] आपात परिचालन केन्द्रों की स्थापना/सुदृढीकरण			
मू.	10,00.00	8,44.33	8,44.33
पु.	- 1,55.67		..

01. सूखा			
800. अन्य व्यय			
(04) कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस			
[04] आपदा प्रबन्धन योजनाओं का निर्माण			
मू.	3,00.00	1,26.52	1,26.33
पु.	- 1,73.48		- 0.19

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 3,29.15 लाख की प्रत्याशित बचत कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिजास्टर रेस्पांस पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
101. आनुग्रहिक राहत			
(16) बाढ़ क्षेत्र में आनुग्रहिक राहत			
[01] अन्य मद			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
109. खराब जलपूर्ति, जल निकास तथा मल-जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
(02) बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत			
[01] बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलपूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत			
मू.	2,50.00	..	..
पु.	- 2,50.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
115. भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता			
(02) भूमि से रेत/गाद/लवणता हटाने हेतु सहायता			
[01] भूमि से रेत/गाद/लवणता हटाने हेतु सहायता			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 4,50.00 लाख का समस्त प्रावधान आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
(08) बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
[01] सड़कों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
मू.	70,00.00	33,10.99	33,10.98 - 0.01
पु.	- 36,89.01		
31 मार्च 2020 को ₹ 36,89.01 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के कारण अभ्यर्पित किया गया। कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन स्थिति लागू होने के कारण भी व्यय प्रभावित हुआ।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
(08) बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना			
[02] सर्व रेस्क्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय			
मू.	20,00.02	5,30.77	5,29.69 - 1.08
पु.	- 14,69.25		

## अनुदान संख्या 034 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
111. शोकार्त परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी			
(02) बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता			
[01] बाढ़ से जनहानि होने पर अनुग्रह सहायता			
मू.	10,00.00		
पु.	- 4,37.15	5,62.85	5,50.77
			- 12.08
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता			
[04] गम्भीर क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू.	5,00.00		
पु.	- 4,04.63	95.37	95.37
			..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता			
[05] गम्भीर क्षतिग्रस्त कच्चा घर			
मू.	5,00.00		
पु.	- 1,23.86	3,76.14	3,74.73
			- 1.41
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता			
[06] गम्भीर क्षतिग्रस्त झोपड़ी			
मू.	3,00.00		
पु.	- 2,62.33	37.67	37.62
			- 0.05
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता			
[07] आंशिक क्षतिग्रस्त घर			
मू.	10,00.00		
पु.	- 3,82.64	6,17.36	5,82.88
			- 34.48
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[02] ओलावृष्टि			
मू.	45,00.00		
पु.	- 8,35.42	36,64.58	7,49.34
			- 29,15.24

## अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02. बाढ़, चक्रवात आदि 114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता (10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान [02] ओलावृष्टि	मू. 40,00.00 पु. - 6,22.93	33,77.07	22,96.52 - 10,80.55
02. बाढ़, चक्रवात आदि 122. खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना (02) बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता [01] बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता	मू. 20,00.00 पु. - 18,70.51	1,29.49	1,29.49 ..
उपरोक्त नौ शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 64,08.72 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
शीर्ष "2245-02-111(02)[01], 02-113(09)[07], 02-114(09)[02] एवं 02-114(10)[02] " के अंतर्गत ₹ 40,42.35 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 40,42.36 लाख जमा कराने के कारण रही।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि 113. घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता (09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता [03] पूर्ण क्षतिग्रस्त झोपड़ी	मू. 5,00.00 पु. - 4,96.99	3.01	- 89.36 - 92.37
02. बाढ़, चक्रवात आदि 117. पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता (02) बाढ़ से प्रभावित पशुधन की हानि पर पशुधन क्रय हेतु सहायता [01] बाढ़ से प्रभावित पशुधन की हानि पर पशुधन क्रय हेतु सहायता	मू. 2,00.00 पु. - 1,61.73	38.27	- 3.19 - 41.46

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 6,58.72 लाख का प्रावधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 92.55 लाख का ऋण व्यय आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 1,33.83 लाख जमा कराने के परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1,33.83 लाख की अंतिम बचत रही।

## अनुदान संख्या 034 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
191. नगर निगम को सहायता			
(02) बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर निगमों को सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर निगमों को सहायता			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों को सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर पालिकाओं/ नगर परिषदों को सहायता			
मू.	2,00.00	..	..
पु.	- 2,00.00	..	..
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
193. स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता			
(02) बाढ़ से प्रभावित पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता			
[01] बाढ़ से प्रभावित पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00	..	..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान आवश्यकतानुसार राहत कार्य निष्पादित किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(03) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निदेशन-प्रतिबद्ध			
मू.	9,75.94	7,64.99	7,64.98
पु.	- 2,10.95		- 0.01

₹ 2,10.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा कर्मचारियों के अन्य लेखा शीर्ष में स्थानान्तरण होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।



**अनुदान संख्या 034 – (क्रमशः)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता			
[01] पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्का घर			
मू.	10,00.00	13,80.75	13,50.12
पु.	3,80.75		
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
113. घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता			
(09) बाढ़ क्षेत्र में घर की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता			
[02] पूर्ण क्षतिग्रस्त कच्चा घर			
मू.	5,00.00	11,95.78	10,46.16
पु.	6,95.78		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,76.53 लाख की अतिरिक्त निधियां बाढ़ क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए सहायता हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,80.25 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 1,80.25 लाख जमा कराने के कारण रही।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(09) लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[01] बाढ़			
मू.	30,00.00	3,75,23.90	3,72,51.60
पु.	3,45,23.90		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,45,23.90 लाख की अतिरिक्त निधियां बाढ़ के कारण छोटे और सीमांत किसानों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 2,72.30 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 2,72.30 लाख जमा कराने के कारण रही।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[01] बाढ़			
मू.	30,00.00	1,61,14.67	1,60,09.81
पु.	1,31,14.67		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,31,14.67 लाख की अतिरिक्त निधियां बाढ़ के कारण लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 1,04.86 लाख की अंतिम बचत आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 1,04.86 लाख जमा कराने के कारण रही।			

## अनुदान संख्या 034 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(10) लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान			
[05] शीतलहर			
मू.	1,00.00	2,83.87	2,83.86
पु.	1,83.87		- 0.01
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,83.87 लाख की अतिरिक्त निधियां शीतलहर के कारण लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों की सहायता			
(11) कीट आक्रमण में व्यय			
[01] कीट आक्रमण में व्यय			
अ.	24,45.00	1,22,56.36	1,21,46.85
पु.	98,11.36		- 1,09.51
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 98,11.36 लाख की अतिरिक्त निधियां टिड्डी झुंड के कारण फसलों के नुकसान के लिए किसानों को कृषि आदान अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 1,09.51 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. बाढ़, चक्रवात आदि			
282. लोक स्वास्थ्य			
(07) बाढ़ क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य			
[01] दवाईयों की पूर्ति			
मू.	4,00.00	63,00.67	63,00.67
पु.	59,00.67		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 59,00.67 लाख की अतिरिक्त निधियां कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक दवाओं आदि की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
05. राज्य आपदा मोचन निधि			
101. आरक्षित निधियों और जमा लेखों का अंतरण			
राज्य आपदा मोचन निधि			
(02) राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरण			
[01] राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरण			
मू.	25,04,99.00	26,00,76.50	26,00,76.50
पु.	95,77.50		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 95,77.50 लाख की अतिरिक्त निधियां 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्रीय हिस्से के कम हस्तांतरण को पूरा करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 034 –(समाप्त)

5. **राज्य आपदा मोचन निधि:**— चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-16 से 5 वर्षों के लिये *राज्य आपदा मोचन निधि* को यथावत रखा। सम्पूर्ण वर्ष के आंक्टन का 75 प्रतिशत अंशदान आयोजना भिन्न अनुदान के रूप में भारत सरकार करेगी और शेष राशि की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। निधि ब्याज वाली है। निधि से निवेश पर अर्जित आय के साथ निधि में वृद्धि की जायेगी जो एक अथवा अधिक किशतों में विभक्त की जावे जब तक कि भारत सरकार विपरीत निर्देश जारी न करे।
- 2019-20 के दौरान ₹ 26,00,76.50 लाख (जिसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के विरुद्ध भारत सरकार से प्राप्त ₹ 11,64,99.00 लाख तथा गत वर्ष से सम्बन्धित केन्द्रीय हिस्सा ₹ 95,77.50 लाख के कम हस्तान्तरण शामिल हैं) को जमा करते हुए शीर्ष "2245-05-101-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों में अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि" के नामे की गई तथा प्राकृतिक आपदाओं पर हुए व्यय की राशि ₹ 12,17,42.25 लाख को वर्ष के दौरान निधि से पूरित किया गया।
- 31 मार्च 2020 को ₹ 20,96,22.40 करोड़ का शेष (ब्याज सहित) राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अवशेष रहा। उपरोक्त निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2019-20 के विवरण संख्या 15, 21 तथा 22 में दर्शाया गया है।

## अनुदान संख्या 035 – विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं ,

2220. सूचना तथा प्रचार,

3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी और

3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

पूंजी – 4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,

4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,

5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश और

5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,99,68,33	5,37,67,50	4,90,38,88
अनुपूरक	37,99,17		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			47,28,14
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	1,02,19,92	1,53,25,33	1,27,64,17
अनुपूरक	51,05,41		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			25,61,15

### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. फरवरी, 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 37,99.17 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 54,83.45 लाख, ₹ 1,47,18.60 लाख, ₹ 23,94.47 लाख, ₹ 1,33,32.36 लाख तथा ₹ 47,28.62 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 7.27 प्रतिशत से 35.00 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 035 – (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
001. निदेशक तथा प्रशासन			
(02) मूल्यांकन संगठन विभाग			
[01] प्रशासनिक व्यय-प्रतिबद्ध			
मू. 7,30.37	5,92.17	5,92.14	- 0.03
पु. - 1,38.20			
₹ 1,38.20 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः सेवानिवृत्ति, कर्मचारियों का अन्य विभागों को स्थानान्तरण तथा कर्मचारियों द्वारा नौकरी छोड़ने के कारण 64 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[02] जिला कार्यालय			
मू. 62,12.33	54,88.61	54,88.59	- 0.02
पु. - 7,23.72			
₹ 7,23.72 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[16] डवलपमेंट एण्ड मेंटीनेंस ऑफ वेबसाईट			
मू. 1,36.00	0.05	0.05	..
पु. - 1,35.95			
31 मार्च 2020 को ₹ 1,35.95 लाख का प्रावधान कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[26] विकास केन्द्र			
मू. 32,39.00	32,53.00	32,53.00	..
अ. 20,77.00			
पु. - 20,63.00			
फरवरी, 2020 में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के कम्प्यूटरीकरण पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया ₹ 20,77.00 लाख का अनुपूरक अनुदान लगभग अनावश्यक था क्योंकि ₹ 20,63.00 लाख की प्रत्याशित बचत रही जिसे 31 मार्च 2020 को कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय होने के कारण अन्य शीर्षों में पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।			

## अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
203. कम्प्यूटर सेवाएं			
(02) भामाशाह योजना, 2014			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	21,98.02	4,21.64	4,21.64
पु.	- 17,76.38		..

₹ 17,76.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 18.12.2019 से भामाशाह योजना के स्थान पर नवीन जन आधार योजना के प्रारम्भ होने के कारण कम्प्यूटरीकरण तथा संबंधित संचार के अन्तर्गत व्यय नहीं होने, (ii) लोकसभा, शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव आचार संहिता लागू होने, (iii) पिछली सरकार द्वारा कार्यकाल के अन्तिम छः माह में लिये गये निर्णयों की समीक्षा हेतु गठित मंत्रीमंडलीय समिति में भामाशाह योजना विचारार्थ होने से बी.पी.एल. परिवारों को ₹ 2,000 प्रति परिवार की सहायता का भुगतान नहीं किया जा सका, (iv) पिछली सरकार द्वारा कार्यकाल के अन्तिम छः माह में लिये गये निर्णयों की समीक्षा हेतु गठित मंत्रीमंडलीय समिति में भामाशाह योजना विचारार्थ होने के कारण वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं होने तथा (v) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में मार्च 2020 के अंतिम पखवाड़े से लॉकडाउन की स्थिति के कारण व्यय नहीं होने को आरोपित की गयी।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी  
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  
[02] जिला सांख्यिकी कार्यालय

मू.	33,99.69	26,69.72	26,69.74	+ 0.02
पु.	- 7,29.97			

₹ 7,29.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी  
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  
[05] यंग इंटरन्स प्रोग्राम

मू.	14,19.21	1,40.02	1,40.01	- 0.01
पु.	- 12,79.19			

₹ 14,19.21 लाख का प्रावधान यंग इंटरन्स प्रोग्राम (वाय.आई.पी.) एवं राजस्थान युवा विकास प्रेरक इंटरनशिप कार्यक्रम (आर.वाय.वी.पी.) योजनान्तर्गत वर्ष 2017 एवं 2018 हेतु इंटरनशिप अवधि में वृद्धि एवं वर्ष 2019 के लिये नवीन इंटरन्स हेतु इंटरनशिप के लिए अनुमानित था। यद्यपि, गत वर्षों के इंटरन्स को इंटरनशिप में वृद्धि नहीं होने तथा वर्ष 2019 के लिये (वाय.आई.पी.) के तहत नये इंटरन्स के चयन की प्रक्रिया माह मार्च, 2020 तक पूर्ण होने तथा आर.वाय.वी.पी. के अन्तर्गत पूर्ण नहीं होने के परिणामस्वरूप शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 12,79.19 लाख की प्रत्याशित बचत रही।

## अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी			
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
[06] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	17,53.68	14,31.27	14,31.28
पु.	- 3,22.41		+ 0.01

₹ 3,22.41 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 में देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी  
205. राज्य सांख्यिकीय एजेन्सी  
(01) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  
[07] जिला कार्यालय-प्रतिबद्ध

मू.	14,58.85	11,79.94	11,79.94	..
पु.	- 2,78.91			

₹ 2,78.91 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने तथा मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 में देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने को आरोपित की गयी।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2220. सूचना तथा प्रचार			
60. अन्य			
102. सूचना केन्द्र			
(02) सोशियल मिडिया एक्टिविटी			
[01] सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
अ.	0.01	1,68.00	1,68.00
पु.	1,67.99		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,67.99 लाख की अतिरिक्त निधियां कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
203. कम्प्यूटर सेवाएं				
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग				
[12] स्वान होरीजेंटल				
मू .	38,08.00	46,19.92	46,19.92	..
पु .	8,11.92			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
203. कम्प्यूटर सेवाएं				
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग				
[30] राजनेट				
मू .	61,20.00	70,00.00	70,00.00	..
पु .	8,80.00			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
203. कम्प्यूटर सेवाएं				
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग				
[32] सम्पर्क केन्द्र ओपरेशन				
मू .	0.01	2,69.97	2,69.97	..
पु .	2,69.96			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
203. कम्प्यूटर सेवाएं				
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग				
[35] कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर				
मू .	4,76.00	17,05.00	17,05.00	..
पु .	12,29.00			

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 31,90.88 लाख की अतिरिक्त निधियां सूचना प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटरीकरण पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## पूंजी

## दत्तमत

1. ₹ 25,61.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 51,05.41 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।



**अनुदान संख्या 035 - (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[12] स्वान होरीजेंटल			
मू.	2,72.00		
अ.	4,08.17	2,72.00	2,72.00
पु.	- 4,08.17		..
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[27] जी.आई.एस.			
मू.	8,16.00		
अ.	2,62.00	8,16.00	8,16.00
पु.	- 2,62.00		..
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[29] विकास केन्द्र			
मू.	4,08.00		
अ.	2,02.03	4,08.00	4,08.00
पु.	- 2,02.03		..
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[33] राजनेट			
मू.	13,60.00		
अ.	9,04.00	13,60.00	13,60.00
पु.	- 9,04.00		..

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत फरवरी, 2020 में ₹ 17,76.20 लाख का अनुपूरक अनुदान सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग में कम्प्यूटरीकरण पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया समस्त प्रावधान 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।

800. अन्य व्यय  
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
[38] कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर

मू.	8,84.00		
अ.	24,16.00	8,84.00	8,84.00
पु.	- 24,16.00		..

फरवरी, 2020 में ₹ 24,16.00 लाख का अनुपूरक अनुदान सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग में कम्प्यूटरीकरण पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया समस्त प्रावधान 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित (₹ 2,33.62 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 21,82.38 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।

## अनुदान संख्या 035 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(16) भामाशाह योजना, 2014			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	1,00.00	..	..
पु.	- 1,00.00		

31 मार्च 2020 को ₹ 1,00.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति प्रभावी होने से व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

3. उपरोक्त टिप्पणी (2) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(08) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[36] डाटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (नोक)			
मू.	26,24.00		
अ.	3,33.00	47,72.33	- 0.01
पु.	18,15.33		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 18,15.33 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

### अनुदान संख्या 036 – सहकारिता

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार और  
2425. सहकारिता  
पूंजी – 4408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय,  
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,  
6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज,  
6425. सहकारिता के लिए कर्ज और  
7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	28,26,04,82	37,10,82,36	36,82,96,82	- 27,85,54
अनुपूरक	8,84,77,54			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				27,83,33
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	10,47,22	10,47,22	8,78,17	- 1,69,05
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,69,05

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

#### दत्तमत

- ₹ 27,85.54 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 8,84,77.54 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 27,85.54 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2.21 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

## अनुदान संख्या 036 – (समाप्त)

## पूंजी

## दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6425. सहकारिता के लिए कर्ज			
108. अन्य सहकारी समितियों को कर्ज			
(07) स्पिन फेड/कॉटन कॉम्प्लेक्स को उधार			
मू. 5,00.00	3,32.97	3,32.97	..
पु. - 1,67.03			

31 मार्च 2020 को ₹ 1,67.03 लाख का प्रावधान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन अनुमान से कम प्राप्त होने तथा विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग को भेजे गये प्रस्ताव के विरुद्ध वित्त विभाग द्वारा कम राशि स्वीकृत एवं जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

### अनुदान संख्या 037 - कृषि

- मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2401. फसल कृषि-कर्म,  
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा और  
 2435. अन्य कृषि कार्यक्रम  
 पूंजी - 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6401. फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज और  
 6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	25,02,33,90	25,02,33,97	21,68,47,89	- 3,33,86,08
अनुपूरक	7			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				3,33,72,70
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1,02	10,24	9,22	- 1,02
अनुपूरक	9,22			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,02
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2,46,79,96	2,46,79,96	1,18,39,35	- 1,28,40,61
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,12,37,44

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

#### दत्तमत

- ₹ 3,33,86.08 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 13.38 लाख अनुअभ्यर्पित रहे।
- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-2018, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 3,25,51.16 लाख, ₹ 3,21,99.34 लाख, ₹ 2,58,51.22 लाख, ₹ 4,93,28.42 लाख तथा ₹ 3,33,86.08 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 10.46 प्रतिशत से 19.67 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) संचालन			
मू. 5,84.54	4,64.29	4,64.29	..
पु. - 1,20.25			
31 मार्च 2020 को ₹ 1,20.25 लाख का प्रावधान (i) वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के पश्चात पदों के रिक्त रहने, (ii) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी तथा (iii) बकाया के बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(06) जिला संगठन			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू. 13,76.43	12,16.00	12,15.96	- 0.04
पु. - 1,60.43			
₹ 1,60.43 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी थी ।			
102. खाद्यान्न फसलें			
(01) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
[05] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन -तिलहन			
मू. 21,03.50	15,95.77	15,95.76	- 0.01
पु. - 5,07.73			
31 मार्च 2020 को ₹ 5,07.73 लाख का प्रावधान दायित्वों के वास्तविक भुगतान के अनुसार अभ्यर्पित किया गया ।			
105. खाद तथा उर्वरक			
(13) उर्वरक के लिए भूमि परीक्षण प्रयोगशाला			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू. 11,20.74	9,69.38	9,69.39	+ 0.01
पु. - 1,51.36			
31 मार्च 2020 को ₹ 1,51.36 लाख का प्रावधान मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी थी ।			

## अनुदान संख्या 037 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(01) कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना			
[06] प्रशिक्षण सम्बन्धी संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	11,77.74	9,47.41	9,47.41
पु.	- 2,30.33		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,30.33 लाख का प्रावधान मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी थी।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(13) नवाचार कार्यक्रम/मिनी किट वितरण			
मू.	3,50.00	1,88.53	1,88.53
पु.	- 1,61.47		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,61.47 लाख का प्रावधान (i) राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा तिल, मोठ, अरहर तथा जौ के लिए बीज मिनी किट की आपूर्ति कम होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[01] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन			
मू.	15,42.01	13,61.74	13,61.74
पु.	- 1,80.27		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,80.27 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(16) राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन			
[02] बीज एवं रोपण सामग्री			
मू.	3,50.00	..	..
पु.	- 3,50.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,50.00 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिल पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(28) बूंद-बूंद सिंचाई राज्य योजना हेतु अनुदान			
मू.	16,00.00	13,30.93	13,28.42
पु.	- 2,69.07		- 2.51
31 मार्च 2020 को ₹ 2,69.07 लाख का प्रावधान शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय चुनाव संहिता लागू होने के कारण बूंद-बूंद सिंचाई राज्य योजना के तहत कृषकों को कम अनुदान जारी करने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिल को पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(32) ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त अनुदान			
मू.	10,00.00	7,88.38	7,88.38
पु.	- 2,11.62		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,11.62 लाख का प्रावधान शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय चुनाव संहिता लागू होने के कारण शेड नेट हाउस और ग्रीन हाउस की स्थापना हेतु कम अनुदान जारी करने एवं ई.सी.एस. के माध्यम से बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(36) सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान			
मू.	78,06.15	20,71.66	20,71.66
पु.	- 57,34.49		..
31 मार्च 2020 को ₹ 57,34.49 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से प्रधान मंत्री किसान उर्जा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) कम्पोनेट-बी के अन्तर्गत स्टेण्ड अलोन सौर पम्पों की स्थापना की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने तथा (ii) राज्य सरकार के स्तर से फर्मों को सूचिबद्ध और लेटर ऑफ अवाई को जारी करने की प्रक्रिया 19 मार्च, 2020 को पूर्ण हो पायी था, उसके बाद राज्य में कोविड-19 महामारी को देखते हुए लॉकडाउन की स्थिति के कारण अभ्यर्पित (₹ 2.20 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 57,32.29 लाख) किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[11] कृषि प्रदर्शन/मिनिक्विट्स			
मू.	2,75.00	1,47.41	1,47.66
पु.	- 1,27.59		+ 0.25
31 मार्च 2020 को ₹ 1,27.59 लाख का प्रावधान (i) बीजों की अनुपलब्धता तथा प्रति फसल प्रदर्शन पर लागत अनुमान से कम आने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिलों के पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[22] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज			
मू.	6,96.65	3,85.20	3,85.20
पु.	- 3,11.45		..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,11.45 लाख का प्रावधान राज्य बीज निगम के स्तर पर जौ व मक्का के बीज की उपलब्धता नहीं होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिलों के पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			



## अनुदान संख्या 037 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[25] राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन-कृषि विस्तार			
मू.	17,50.00	12,53.53	12,53.98
पु.	- 4,96.47		
31 मार्च 2020 को ₹ 4,96.47 लाख का प्रावधान केन्द्रीयों की तुलना में राज्यों में कम जारी किये जाने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च 2020 में बिलों के पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[29] टिकाऊ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	19,89.03	6,13.06	6,13.06
पु.	- 13,75.97		
31 मार्च 2020 को ₹ 13,75.97 लाख का प्रावधान (i) बजट सीमा में कटौती, (ii) भारत सरकार द्वारा 2019-20 के दौरान मिट्टी के नमूनों के परीक्षण हेतु कम लक्ष्य निर्धारित करने तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिलों के पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[35] टिकाऊ खेती मिशन-कृषि वानिकी			
मू.	2,26.95	82.19	82.59
पु.	- 1,44.76		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,44.76 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कमी के कारण बकाया दायित्वों लंबित रहने तथा फरवरी तथा मार्च महीनों में कुछ जिलों में नर्सरी का विकास तथा पोधारोपण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[36] बीज विकास			
मू.	3,50.00	2,19.92	2,19.82
पु.	- 1,30.08		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,30.08 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण प्रशिक्षण पूरा नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(09) जिला स्तरीय संस्थापन व्यय			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	58,04.52	50,67.07	50,67.07
पु .	- 7,37.45		..

₹ 7,37.45 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी क्योंकि जुलाई, 2019 से देय महंगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी थी ।

197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(02) पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय

मू.	74,45.85	53,22.41	53,22.41	..
पु .	- 21,23.44			

₹ 21,23.44 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के पश्चात पदों के रिक्त रहने, (ii) महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय महंगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी, (iii) बकाया के बिलों के पारित नहीं होने, (iv) पंचायती राज विभाग द्वारा कृषि विभाग को कम संख्या में किसान सेवा केन्द्र सौंपे जाने के परिणामस्वरूप केन्द्र सुदृढीकरण पर कम व्यय हुआ, (v) डिमांड नोट में अंतर के कारण किसान सेवा केन्द्र में बिजली और पानी के कनेक्शन न होने तथा (vi) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिलों के पारित नहीं होने को आरोपित की गयी।

197. ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता  
(04) पंचायत समिति स्तरीय संस्थापन व्यय  
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	2,51,36.00	1,95,82.99	1,95,82.98	- 0.01
पु .	- 55,53.01			

31 मार्च 2020 को ₹ 55,53.01 लाख का प्रावधान महंगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने के कारण अभ्यर्पित (₹ 46,66.82 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 8,86.19 लाख) किया गया। क्योंकि जुलाई, 2019 से देय महंगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी थी ।

800. अन्य व्यय  
(23) मिशन फॉर लाइवलिहुड

मू.	41,66.93	6,86.87	6,86.87	..
पु .	- 34,80.06			

31 मार्च 2020 को ₹ 34,80.06 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 037 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (य लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	41,76.19		
		26,22.18	26,22.17
पु.	- 15,54.01		- 0.01

₹ 15,54.01 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राज्यांश के तहत निधियों की कम उपलब्धता के कारण स्वीकृतियां जारी होने में विलम्ब, (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिलों को पारित नहीं करने, (iii) शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव आचार संहिता लगने के कारण प्रचार पर कम व्यय होने तथा (iv) बोली प्रक्रिया निरस्त करने के कारण ऑडियो-वीडियो उपकरणों की खरीद नहीं हुई क्योंकि न्यूनतम संख्या में निविदाये प्राप्त नहीं होने के कारणों को आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय  
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)  
[02] उद्यान विभाग के माध्यम से

मू.	32,65.00		
		19,40.05	19,40.05
पु.	- 13,24.95		..

₹ 13,24.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राज्यांश के तहत निधियों की कम उपलब्धता तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिलों के पारित नहीं होने के कारण आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय  
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)  
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से

मू.	9,45.00		
		5,95.50	5,95.96
पु.	- 3,49.50		+ 0.46

₹ 3,49.50 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) राज्यांश के तहत निधियों की कम उपलब्धता तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिलों के पारित नहीं होने को आरोपित की गयी।

800. अन्य व्यय  
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)  
[12] राजफेड को सहायता (सहकारी विभाग के माध्यम से)

मू.	19,90.00		
		9,99.00	9,99.00
पु.	- 9,91.00		..

31 मार्च 2020 को ₹ 9,91.00 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिलों के पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (य लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[17] गोपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	1,79.80		
पु.	- 1,17.79	62.01	62.01 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,17.79 लाख का प्रावधान (i) राज्यांश के तहत निधियों की कम उपलब्धता तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिलों के पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(31) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	53,47.92		
अ.		39,49.94	39,50.32 + 0.38
पु.	- 13,97.98		
31 मार्च 2020 को ₹ 13,97.98 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) गैर सरकारी संगठन कम्पनी की एजेन्सियों जैसे ए.डी.पी.एफ. कंसलटेन्ट्स, आन्तरिक लेखापरीक्षक और एम एण्ड ई एजेन्सियों आदि को मार्च, 2020 का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि, इनका भुगतान महीने के पूर्ण होने तथा लाईन विभागों के साथ साथ अधिकारियों से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही किया जाता है, (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिलों का भुगतान नहीं होने, (iii) नई निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण मिनी-स्प्रिंकलर और पाइप लाइन की आपूर्ति में देरी होना, (iv) जनवरी और फरवरी, 2020 के मैन पावर एजेन्सियों के बिलों का भुगतान नहीं होना, (v) फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी (एफ सी सी) को भुगतान जारी नहीं किया गया क्योंकि कम्पनी ने भुगतान की शर्तों के अनुसार चरणबद्ध तरीके में कार्य पूर्ण नहीं किया गया था तथा (vi) बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(31) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[04] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू.	12,00.89		
अ.		5,35.29	5,35.35 + 0.06
पु.	- 6,65.60		
31 मार्च 2020 को ₹ 6,65.60 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में बिलों के पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(35) राष्ट्रीय टिकाउ खेती मिशन			
[02] मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	6,12.54		
पु.	- 5,34.03	78.51	78.53 + 0.02

### अनुदान संख्या 037 – (क्रमशः)

31 मार्च 2020 को ₹ 5,34.03 लाख का प्रावधान (i) प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद नहीं हुई क्योंकि अनुमोदन माह मार्च में प्राप्त हुआ परिणामस्वरूप समय की कमी तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति कारण अनुमोदन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई, (ii) बजट सीमा में कटौती, (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में केन्द्रीय एवं राज्यांश जारी नहीं होने के कारण उपकरण और आपूर्ति सामग्री पर व्यय नहीं होने, (iv) भारत सरकार द्वारा 2019-20 के दौरान मिट्टी के नमूने के परीक्षण हेतु कम लक्ष्य निर्धारित किये जाते, (v) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च 2020 में बिलों के पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(37) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मु.	1,00,42.02	45,98.21	45,94.44
पु .	- 54,43.81		- 3.77

31 मार्च 2020 को ₹ 54,43.81 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने, (ii) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर की बजट सीमा नहीं बढ़ाने तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालय द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[03] श्री कर्ण नरेन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	24,27.46	22,04.57	22,04.57
पु .	- 2,22.89		..

31 मार्च 2020 को ₹ 2,22.89 लाख का प्रावधान व्यय सीमा में कटौती तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान-(वेतन) के तहत बकाया का केवल 50 प्रतिशत राशि ही प्राप्त होने के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय को कम अनुदान प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[04] कृषि विश्वविद्यालय, कोटा को सहायतार्थ अनुदान			
मू.	15,80.00	12,72.00	12,72.00
पु .	- 3,08.00		..

31 मार्च 2020 को ₹ 3,08.00 लाख का प्रावधान कार्य उच्च लागत को देखते हुए जनवरी, 2020 में जारी निधियां (₹ 3,07.00 लाख) अपर्याप्त थी परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कार्य के लिए स्वीकृति जारी नहीं हो सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 037 – (क्रमशः)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें			
(02) बागवानी का विकास			
मू.	17,35.57	21,78.11	21,78.09
पु.	4,42.54		
			- 0.02
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,42.54 लाख की अतिरिक्त निधियां पिछले वर्ष की बकाया देनदारियों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) जिला स्तरीय संस्थापन व्यय			
मू.	6,93.17	8,53.36	8,53.36
पु.	1,60.19		
			..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,60.19 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रभावित जिलों में टिड्डी-झुंड को नियंत्रित करने के लिए संचालित वाहनों/ट्रेक्टर, माउन्टेड स्प्रेयर कम ट्रेक्टर के किराए के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[32] कीट एवं बीमारियों का उन्मूलन			
मू.	80.00	1,91.45	1,91.45
पु.	1,11.45		
			..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,11.45 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रभावित जिलों में टिड्डी-झुंड को नियंत्रित करने के लिए अधिक अनुदान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[04] डेयरी विभाग के माध्यम से			
मू.	12,00.01	17,50.00	17,50.00
पु.	5,49.99		
			..
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[16] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से			
मू.	3,60.00	6,00.00	6,00.00
पु.	2,40.00		
			..

## अनुदान संख्या 037 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[19] कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के माध्यम से			
मू.	2,00.00	3,33.00	3,33.00
पु.	1,33.00		
800. अन्य व्यय			
(27) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि. के. स.)			
[20] कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के माध्यम से			
मू.	3,52.00	5,86.00	5,86.00
पु.	2,34.00		

उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,56.99 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीयंश के अनुपात में राज्यांश जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।

2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
01. फसल कृषि कर्म			
277. शिक्षा			
(01) विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा			
[06] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर-प्रतिबद्ध			
मू.	46,00.01	52,50.00	52,50.00
पु.	6,49.99		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,49.99 लाख की अतिरिक्त निधियां वेतन तथा भत्तों पर व्यय की पूर्ति हेतु स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को अधिक अनुदान जारी करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।

2435. अन्य कृषि कार्यक्रम			
60. अन्य			
800. अन्य व्यय			
(01) कृषक कल्याण कोष (के-3) हेतु सहायता			
[01] राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को सहायता			
अ.	0.01	22,00.00	22,00.00
पु.	21,99.99		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को राज्य की गारन्टी पर समेकित निधि के बाहर बोर्ड द्वारा कृषक कल्याण कोष (के-3) के लिये गये ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 037 – (क्रमशः)**

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. ₹ 1,28,40.61 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 16,03.17 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
2. वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 1,35,61.00 लाख, ₹ 3,56,41.55 लाख, ₹ 49,22.48 लाख, ₹ 2,34,16.87 लाख तथा ₹ 1,28,40.61 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 17.79 प्रतिशत से 60.52 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(02) कृषि विभाग के अभिकरण से			
[05] किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू. 4,00.00	2,46.36	- 13,56.81	- 16,03.17
पु. - 1,53.64			
31 मार्च 2020 को ₹ 1,53.64 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
₹ 16,03.17 लाख की अंतिम बचत सरकारी लेखे में ₹ 16,03.17 लाख की अनुपयोजित राशि जमा कराने के कारण रही।			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[03] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू. 8,22.81	2,53.45	2,53.45	..
पु. - 5,69.36			
₹ 5,69.36 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राज्यांश कम जारी किये जाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीयंश कम जारी करने को आरोपित की गयी।			
800. अन्य व्यय			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि. के. स.)			
[07] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से			
मू. 12,00.00	..	..	..
पु. - 12,00.00			
31 मार्च 2020 को ₹ 12,00.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			



**अनुदान संख्या 037 - (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
800. अन्य व्यय			
(06) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[03] जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से			
मू. 18,39.39			
पु. - 7,63.58		10,75.81	10,75.81
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 7,63.58 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कुछ एजेन्सियों के बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
800. अन्य व्यय			
(06) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[06] जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
मू. 35,92.82			
पु. - 21,29.27		14,63.55	14,63.55
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 21,29.27 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कुछ एजेन्सियों के बिलों का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
6401. फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज			
800. अन्य कर्ज			
(10) कृषि उपज मण्डी को उधार (नाबार्ड)			
[01] कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), उदयपुर को कर्ज			
मू. 38,25.00			
पु. - 18,25.00		20,00.00	20,00.00
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 18,25.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज			
02. भंडारण तथा भांडागार			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज			
(01) गोदामों का निर्माण			
[01] राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को उधार			
मू. 50,00.00			
पु. - 50,00.00		..	..
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 50,00.00 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य भंडारण निगम द्वारा नाबार्ड की वेयरहाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के तहत गोदामों का निर्माण नहीं कराने के कारण अभ्यर्पित (₹ 40,24.36 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 9,75.64 लाख) किया गया।			

**अनुदान संख्या 038 - लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण**

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 2402. मृदा तथा जल संरक्षण और

2702. लघु सिंचाई

पूंजी - 4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय और

4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,17,85,95	1,33,42,96	1,30,53,52	- 2,89,44
अनुपूरक	15,57,01			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2,85,01
<b>प्रभारित</b>				
मूल	4	4	..	- 4
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				4
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	17,02	28,35	28,15	- 20
अनुपूरक	11,33			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				20

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

**दत्तमत**

- ₹ 2,89.44 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 15,57.01 लाख का प्रावधान अत्यधिक था।
- ₹ 2,89.44 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 4.43 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

**अनुदान संख्या 038 – (समाप्त)**

3. बचत (अन्य शीर्षों के अंतर्गत हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2402. मृदा तथा जल संरक्षण			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्य हेतु			
[01] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	6,56.52	5,28.92	5,28.89
पु .	- 1,27.60		
			- 0.03
₹ 1,27.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आयुक्त/निदेशक/वित्तीय सलाहकार/अतिरिक्त निदेशक इत्यादि सहित पदों के रिक्त रहने, वर्ष के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/स्थानान्तरण होने तथा सातवें वेतन आयोग में कुछ कर्मचारियों का वेतन निर्धारण न होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) कार्य योजना के भू-संरक्षण कार्य हेतु अनुदान			
[03] संस्थापन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	23,08.77	20,17.21	20,17.20
पु .	- 2,91.56		
			- 0.01
₹ 2,91.56 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			

### अनुदान संख्या 039 – पशुपालन एवं चिकित्सा

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2403. पशु-पालन,  
 2404. डेरी विकास,  
 2405. मछली-पालन और  
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा  
 पूंजी – 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4404. डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6403. पशु-पालन के लिए कर्ज और  
 6404. डेयरी विकास के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	16,96,20,45	16,96,20,46	15,35,16,09	- 1,61,04,37
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,60,89,85
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1,01	6,71	6,19	- 52
अनुपूरक	5,70			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				52
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	26,78,43	26,78,43	18,04,09	- 8,74,34
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				8,74,05

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

#### दत्तमत

1. ₹ 1,61,04.37 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 14.52 लाख अनुअभ्यर्पित रही ।

**अनुदान संख्या 039 – (क्रमशः)**

2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2403. पशु-पालन				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) पशुपालन				
[13] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना				
मू .	10,51.20	8,62.25	8,62.25	..
पु .	- 1,88.95			
₹ 1,88.95 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः बजट सीमा में कटौती को आरोपित की गयी।				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(02) योजनाओं के अतिरिक्त व्यय				
[01] पशुपालन विभाग-प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध				
मू .	19,78.14	17,09.82	17,09.82	..
पु .	- 2,68.32			
₹ 2,68.32 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, सभी कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग के लाभों का भुगतान न होने तथा आश्वासित केरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के लाभों की स्वीकृति न होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय को आरोपित की गयी।				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(02) योजनाओं के अतिरिक्त व्यय				
[02] पशुपालन विभाग-जिला एवं अधीनस्थ कार्यालय-प्रतिबद्ध				
मू .	6,40,62.94	5,79,66.00	5,79,53.91	- 12.09
पु .	- 60,96.94			
₹ 60,96.94 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, सभी कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग के लाभों का भुगतान न होने तथा आश्वासित केरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के लाभों की स्वीकृति न होने के कारण वेतन एवं भत्तों तथा (ii) कार्यभारित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के लाभों का भुगतान न करने के कारण मजूदरी पर कम व्यय को आरोपित की गयी।				
₹ 12.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।				
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य				
(11) पोलीक्लिनिकों की स्थापना				
मू .	12,73.62	10,23.39	10,23.38	- 0.01
पु .	- 2,50.23			
31 मार्च 2020 को ₹ 2,50.23 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने, सभी कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग के लाभों का भुगतान न होने तथा आश्वासित केरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के लाभों की स्वीकृति न होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				

## अनुदान संख्या 039 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(22) खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम			
मू.	24,01.70	20,85.09	20,84.93
पु.	- 3,16.61		
31 मार्च 2020 को ₹ 3,16.61 लाख का प्रावधान योजना के द्वितीय चरण में आवश्यकतानुसार टीकाकरण तथा आवश्यक दवा हेतु सामग्री की कम खरीद के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि इस योजना को भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना में शामिल किया गया।			
101. पशु-चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(23) पी.पी.आर. रोग नियंत्रण कार्यक्रम			
मू.	3,37.02	36.25	36.23
पु.	- 3,00.77		
31 मार्च 2020 को ₹ 3,00.77 लाख का प्रावधान मुख्यतः फर्म द्वारा सामग्रियों की कम आपूर्ति करने तथा आपूर्ति किये गये टीके मानक के अनुरूप नहीं होने से फर्म को भुगतान रोके जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(20) गोपालन विभाग			
[03] गौ-शालाओं को अनुदान			
मू.	3,08,00.00	2,73,85.67	2,73,85.66
पु.	- 34,14.33		
31 मार्च 2020 को ₹ 34,14.33 लाख का प्रावधान (i) कोविड-19 महामारी को देखते हुए लॉकडाउन की स्थिति के कारण परिवहन बंद होने से गौ-शाला प्रबंधन द्वारा जिला कार्यालयों में चारे और पशु आहार की खरीद के लिए बिलों को प्रस्तुत नहीं करने तथा (ii) पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौ-शाला योजना का अनुमोदन नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(23) भेड़ और बकरी आनुवंशिकता सुधार योजना			
[01] भेड़ और बकरी विकास			
मू.	13,87.50	34.14	34.14
पु.	- 13,53.36		
31 मार्च 2020 को ₹ 13,53.36 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (ii) 26.12.2019 से 30.01.2020 तक पंचायत चुनाव आदर्श आचार संहिता लगाये जाने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण भी व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
102. पशु तथा भैंस विकास			
(25) राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन, आरक्षित कोष			
[01] राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन, आरक्षित कोष से व्यय			
मू.	30,00.01	10,63.43	10,63.43
पु.	- 19,36.58		
31 मार्च 2020 को ₹ 19,36.58 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 039 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2403. पशु-पालन 113. प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी (01) मवेशियों की गणना [02] रेवेन्यू बोर्ड के माध्यम से			
मू.	12,96.82	8,37.94	8,37.94
पु.	- 4,58.88		..
31 मार्च 2020 को ₹ 4,58.88 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण (03) राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन, आरक्षित कोष [01] राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि, आरक्षित कोष के बजट शीर्ष 8229-104(03) में अन्तरण			
मू.	30,00.00	18,50.00	18,50.00
पु.	- 11,50.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 11,50.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
2405. मछली पालन 001. निदेशन तथा प्रशासन (03) जिला कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	10,45.49	8,33.57	8,33.52
पु.	- 2,11.92		- 0.05
₹ 2,11.92 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी।			

## पूँजी

## दत्तमत

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूँजीगत परिव्यय 101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य (10) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. XXII योजना अंतर्गत भवन निर्माण [01] पशु चिकित्सालयों, डिस्पेंसरियों एवं जिला कार्यालयों का सुदृढीकरण			
मू.	10,00.01	5,00.00	5,00.00
पु.	- 5,00.01		..

31 मार्च 2020 को ₹ 5,00.01 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 039 - (समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4403. पशु-पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु-स्वास्थ्य			
(14) पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालय उप-केन्द्रों का निर्माण-नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. टी-XXIV			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	15,00.01	11,50.00	11,50.00
पु.	- 3,50.01		..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,50.01 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			



अनुदान संख्या 040 – राजकीय उपक्रम

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2852. उद्योग

पूंजी – 4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय और

6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,39,03	1,39,03	1,01,17	- 37,86
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	2	2	..	- 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
2				

### अनुदान संख्या 041 – सामुदायिक विकास

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम  
पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	59,47,43,15			
अनुपूरक	3,58,40,56			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)		63,05,83,71	55,37,12,02	-7,68,71,69
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1			
अनुपूरक	7,40			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)		7,41	..	- 7,41
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	9,61,80			
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)		9,61,80	1,54,50	- 8,07,30

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

1. फरवरी, 2020 में लिया गया ₹ 3,58,40.56 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. ₹ 7,68,71.69 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 2,24.93 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
<b>शीर्ष</b>				
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(02) निर्देशन एवं प्रशासन				
[01] प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध				
मू.	17,94.22			
पु.	- 3,76.97			
		14,17.25	14,17.15	- 0.10

₹ 3,76.97 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 041 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(08) जिला आयोजना कार्यालय			
[01] मुख्य आयोजना कार्यालय-प्रतिबद्ध			
मू.	15,68.37	12,89.28	12,88.88
पु.	- 2,79.09		- 0.40
₹ 2,79.09 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
003. प्रशिक्षण			
(04) इंदिरा गाँधी पंचायती एवं ग्रामीण विकास संस्थान			
[01] इंदिरा गाँधी पंचायती एवं ग्रामीण विकास संस्थान-प्रतिबद्ध			
मू.	4,00.00	2,00.00	2,00.00
पु.	- 2,00.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिये सहायता (कुल प्रावधान का 3 प्रतिशत)			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	54,80.83	49,58.75	49,58.75
पु.	- 5,22.08		..
31 मार्च 2020 को ₹ 5,22.08 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	7,24,24.20	4,19,61.55	4,19,61.55
पु.	- 3,04,62.65		..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,04,62.65 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	54,49.84	28,75.00	28,75.00
पु.	- 25,74.84		..
31 मार्च 2020 को ₹ 25,74.84 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

**अनुदान संख्या 041 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) तदर्थ सहायतार्थ अनुदान			
[02] संस्थापन-प्रतिबद्ध			
मू.	12,25,00.00	8,36,66.66	8,36,54.40
पु.	- 3,88,33.34		
31 मार्च 2020 को ₹ 3,88,33.34 लाख का प्रावधान गत वर्ष की अवशेष राशि की उपलब्धता के कारण अभ्यर्पित (₹ 2,40,14.72 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 1,48,18.62 लाख) किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 12.26 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	2,19,23.31	1,98,35.00	1,98,35.00
पु.	- 20,88.31		
₹ 2,19,23.31 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के रखरखाव के दायित्वों को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, गत वर्ष की अवशेष राशि की उपलब्धता के कारण 31 मार्च 2020 को ₹ 20,88.31 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[02] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	8,22,12.43	60,12.86	60,08.85
पु.	- 7,61,99.57		
₹ 8,22,12.43 लाख का प्रावधान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के रखरखाव के दायित्वों को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2020 को ₹ 7,61,99.57 लाख का प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(34) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	1,54,51.46	..	..
पु.	- 1,54,51.46		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,54,51.46 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
वर्ष 2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			

### अनुदान संख्या 041 - (समाप्त)

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(33) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू .	21,97,28.83		
अ .	3,58,40.56	34,61,53.11	34,59,47.45
पु .	9,05,83.72		- 2,05.66

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,05,83.72 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 2,05.66 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

#### पूँजी

##### दत्तमत

- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 1,40.01 लाख, ₹ 5,34.65 लाख, ₹ 10,24.67 लाख, ₹ 9,27.45 लाख तथा ₹ 8,07.30 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल प्रावधान की 15.30 प्रतिशत से 83.94 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
103. ग्राम विकास			
(01) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से			
[01] पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु			
मू .	9,61.80		
पु .	- 8,07.30	1,54.50	1,54.50
			..

31 मार्च 2020 को ₹ 8,07.30 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 042 – उद्योग

मुख्य शीर्ष : राजस्व –2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर,  
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग और  
2852. उद्योग

पूंजी – 4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,  
4885. उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,  
6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज,  
6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज और  
6885. उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	4,28,63,76		
अनुपूरक	..	4,28,63,76	3,27,44,33 – 1,01,19,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			1,01,02,58
<b>प्रभारित</b>			
मूल	3		
अनुपूरक	..	3	.. – 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			3
<b>पूंजी</b>			
<b>दत्तमत</b>			
मूल	95,06,13		
अनुपूरक	..	95,06,13	18,70,98 – 76,35,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			76,34,35

### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

##### दत्तमत

- ₹ 1,01,19.43 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 16.85 लाख अनुअभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-2018, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 4,06.27 लाख, ₹ 52,58.21 लाख, ₹ 11,29.15 लाख, ₹ 36,40.28 लाख तथा ₹ 1,01,19.43 लाख की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 1.73 प्रतिशत से 23.61 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 042 - (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर			
800. अन्य व्यय			
(04) राजस्थान इनवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (उद्योग विभाग)			
[04] जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हेतु पूंजी अनुदान			
मू.	3,00.00	..	..
पु.	- 3,00.00	..	..

31 मार्च 2020 को ₹ 3,00.00 लाख का समस्त प्रावधान (i) जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु ₹ 1,65.00 लाख के अनुदान की कम आवश्यकता होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण 24 मार्च 2020 को आवंटित राशि ₹ 1,35.00 लाख का उपयोग नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

2852. उद्योग			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) जिला उद्योग केन्द्र-प्रतिबद्ध			
मू.	40,24.32	31,29.68	31,27.65
पु.	- 8,94.64		- 2.03

31 मार्च 2020 को ₹ 8,94.64 लाख का प्रावधान मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
102. औद्योगिक उत्पादकता			
(27) इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डवलपमेंट स्कीम (आई पी डी एस)			
[01] आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा अनुदान			
मू.	3,50.00	1,00.00	1,00.00
पु.	- 2,50.00		..

31 मार्च 2020 को ₹ 2,50.00 लाख का प्रावधान कोषालयों द्वारा बिल पारित नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता			
(04) अपप्रोडेशन ऑफ इण्डस्ट्रीयल इफ्ल्यूएंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिवाड़ी			
[01] रीको को सहायता			
मू.	96,00.01	1,00.00	1,00.00
पु.	- 95,00.01		..

31 मार्च 2020 को ₹ 95,00.01 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित (₹ 80,81.03 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 14,18.98 लाख) किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 042 – (क्रमशः)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य + बचत -
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
105. खादी ग्रामोद्योग			
(01) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान			
मू.	3,34.84	7,34.84	..
पु.	4,00.00		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण 2019-20 में की गई घोषणा के अनुपालन में खादी संस्थानों के रिवाल्विंग फंड में वृद्धि के कारण उपलब्ध करायी गयी।

2852. उद्योग  
80. सामान्य  
102. औद्योगिक उत्पादकता  
(02) ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन (बी.आई.पी.) को अनुदान

मू.	6,20.00	11,56.96	..
पु.	5,36.96		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹ 5,36.96 लाख की अतिरिक्त निधियों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**पूँजी**

**दत्तमत**

- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 35,46.28 लाख, ₹ 48.54 लाख, ₹ 42,52.66 लाख, ₹ 4,11,47.40 लाख तथा ₹ 76,35.15 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 33.29 प्रतिशत से 94.94 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
800. अन्य व्यय			
(24) दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर (डी एम आई सी)			
मू.	85,00.01	17,76.65	- 0.81
पु.	- 67,23.36		

31 मार्च 2020 को ₹ 67,23.36 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान विभाग के भूमि अधिग्रहण शाखा में पदों के रिक्त रहने से डी एम आई सी परियोजना के अन्तर्गत कुशखेडा-भिवाडी-नीमराना निवेश क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे का भुगतान नहीं करने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण मार्च, 2020 में राशि ₹ 2.47 करोड़ एक बिल का भुगतान कोषालय द्वारा नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।





### अनुदान संख्या 043 – खनिज

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2802. पेट्रोलियम और  
 2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग  
 पूंजी – 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर  
 पूंजीगत परिव्यय और  
 6802. पेट्रोलियम के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,85,17,40	1,96,05,90	1,37,66,90	– 58,39,00
अनुपूरक	10,88,50			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				58,36,55
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1,78	7,23	7,16	– 7
अनुपूरक	5,45			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				7
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,15,04,06	1,73,52,85	1,60,30,30	– 13,22,55
अनुपूरक	58,48,79			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				13,22,55

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

#### दत्तमत

1. फरवरी, 2020 में ₹ 10,88.50 लाख का अनुपूरक अनुदान मुख्यतः केन्द्रीय माल और सेवा कर और उत्पाद शुल्क में अपील दायर करने हेतु लिया गया जो अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 1,38,87.48 लाख, ₹ 41,01.62 लाख, ₹ 20,12.13 लाख, ₹ 3,51.77 लाख तथा ₹ 58,39.00 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 2.47 प्रतिशत से 37.58 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।

**अनुदान संख्या 043 – (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
02. खानों का विनियमन तथा विकास			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) संचालन एवं अधीक्षण			
मू.	13,44.97		
पु.	- 2,52.20	10,92.77	10,92.76
			- 0.01

31 मार्च 2020 को ₹ 2,52.20 लाख का प्रावधान मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते की बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 में देय मंहगाई भत्ते की किस्त को 2019-20 में जारी नहीं किये जाने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने तथा (ii) अधिकारियों/कर्मचारियों के नियमित सेवानिवृत्त होने से पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. खानों का विनियमन तथा विकास  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(06) योजनाओं के अतिरिक्त व्यय  
[01] खान एवं भू-विज्ञान विभाग-प्रधान कार्यालय-प्रतिबद्ध

मू.	28,30.41			
पु.	- 8,59.22	19,71.19	19,70.98	- 0.21

₹ 8,59.22 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते की बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 में देय मंहगाई भत्ते की किस्त को 2019-20 में जारी नहीं किये जाने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के लगातार सेवानिवृत्त होने से पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने, (ii) कर्मचारियों की मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति के बाद कार्य भारित कर्मचारियों के पदों का समाप्त होना, (iii) विभागीय ऑनलाइन प्रणाली की एस. एम. एस. सेवाओं की शुरुआत नहीं होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए तथा (iv) भूविज्ञानी अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराये रिमोट सेंसिंग डेटा का कार्य प्रारम्भ नहीं करने को आरोपित की गयी।

02. खानों का विनियमन तथा विकास  
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण  
(01) लेखा मद 8229-200-(07) माइनिंग  
क्षेत्र में पर्यावरण सुधार-प्रतिबद्ध

मू.	40,35.00			
अ.	88.41	..	..	..
पु.	- 41,23.41			

31 मार्च 2020 को ₹ 41,23.41 लाख का समस्त प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण खनन क्षेत्र में पर्यावरण सुधार और स्वास्थ्य निधि में निधियां हस्तांतरित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति न मिलने के कारण अभ्यर्पित (₹ 37,82.09 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 3,41.32 लाख) किया गया।

## अनुदान संख्या 043 – (क्रमशः)

### पूँजी

#### दत्तमत

1. ₹ 13,22.55 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2020 में लिया गया ₹ 58,48.79 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
2. वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 80,99.63 लाख, ₹ 1,55,47.13 लाख, ₹ 3,78,22.85 लाख, ₹ 94,36.08 लाख तथा ₹ 13,22.55 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 7.62 प्रतिशत से 99.75 प्रतिशत के बीच थी। प्रत्येक वर्ष बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4802. पेट्रोलियम पर पूँजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) एच. पी. सी. एल.-राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
[01] रिफायनरी			
मू.	1,00,00.00		
अ.	39,41.45	1,26,67.60	..
पु.	- 12,73.85		

फरवरी, 2020 में एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड में निवेश हेतु लिया गया ₹ 39,41.45 लाख का अनुपूरक अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत प्रत्याशित बचत को देखते हुए अत्यधिक था।

31 मार्च 2020 को ₹ 12,73.85 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण निधि को हस्तांतरण नहीं होने से अभ्यर्पित (₹ 6,69.83 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 6,04.02 लाख) किया गया।

#### 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

01. खनिज अन्वेषण तथा विकास
004. अनुसंधान तथा विकास
- (07) मार्निंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय
- [02] खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से

मू.	5,00.00			
पु.	- 5,00.00	..	..	..

31 मार्च 2020 को ₹ 5,00.00 लाख का समस्त प्रावधान (i) जोधपुर में सिलिकोसिस अनुसंधान तथा पुनर्वास केन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृति नहीं मिलने तथा (ii) जोधपुर तथा कोटा में सिलिकोसिस अनुसंधान तथा पुनर्वास केन्द्र के लिए मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2016-17 से 2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

**अनुदान संख्या 043 – (समाप्त)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रुलाख में)	आधिक्य + बचत -
4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
004. अनुसंधान तथा विकास			
(07) मार्किंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[01] खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से			
मू.	4,40.00		
अ.	19,07.34	29,51.36	29,51.36
पु.	6,04.02		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,04.02 लाख की अतिरिक्त निधियां सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खनन क्षेत्रों में उपागमन सड़कों के निर्माण कार्यों का निष्पादन/सुदृढीकरण करने तथा साथ ही वर्ष 2019-20 में लम्बित अन्य सड़कों एवं पुलों पर कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 044 – लेखन सामग्री एवं मुद्रण**

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण  
पूंजी – 4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	30,78,38	32,27,84	28,39,30	– 3,88,54
अनुपूरक	1,49,46			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				3,87,83
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	– 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1

**पूंजी**

<b>दत्तमत</b>				
मूल	2	2	..	– 2
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2

**टिप्पणियां तथा टीकाएं:**

**राजस्व**

**दत्तमत**

1. फरवरी, 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 1,49.46 लाख प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।
2. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण				
103. सरकारी मुद्रणालय				
(01) मुद्रण कार्य				
[01] राजकीय मुद्रण-प्रतिबद्ध				
मू.	28,05.53	25,78.97	25,78.38	– 0.59
अ.	1,49.46			
पु.	– 3,76.02			

**अनुदान संख्या 044 – (समाप्त)**

फरवरी, 2020 में लिया गया ₹ 1,49.46 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमानों से कम था।

₹ 3,76.02 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) 16 कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने, एक कर्मचारी की मृत्यु होने तथा एक कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के कारण पदों के रिक्त रहने, (ii) विधानसभा तथा लोकसभा चुनावों के दौरान अतिरिक्त समय में किये गये कार्य का भुगतान नहीं करने तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए मार्च, 2020 के अंतिम पखवाड़े में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।

अनुदान संख्या 045 – राज्य कर्मचारियों को ऋण  
(समस्त दत्तमत)

इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान नहीं किया गया।



### अनुदान संख्या 046 – सिंचाई

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2700. मुख्य सिंचाई,  
 2701. मध्यम सिंचाई और  
 2702. लघु सिंचाई  
 पूंजी – 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय और  
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	19,84,17,30	20,18,76,79	18,53,52,86	- 1,65,23,93
अनुपूरक	34,59,49			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1,39,34,66
<b>प्रभारित</b>				
मूल	82,80	4,26,41	4,04,92	- 21,49
अनुपूरक	3,43,61			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				20,65
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	18,66,57,77	18,96,86,55	16,35,33,73	- 2,61,52,82
अनुपूरक	30,28,78			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2,23,68,98
<b>प्रभारित</b>				
मूल	2	1,48	1,47	- 1
अनुपूरक	1,46			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं:

#### राजस्व

#### दत्तमत

1. फरवरी, 2020 में लिया गया ₹ 34,59.49 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।
2. ₹ 1,65,23.93 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 25,89.27 लाख अनुअभ्यर्पित रही।

**अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)**

3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव एवं मरम्मत			
(03) पंजाब सरकार द्वारा व्यय (ए.जी. मीमो के माध्यम से)			
[01] अन्य रखरखाव व्यय –प्रतिबद्ध			
मू.	2,00.00		
पु.	- 1,96.32	3.68	3.68
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,96.32 लाख का प्रावधान मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(03) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	37,24.85		
पु.	- 37,24.85	..	..
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 37,24.85 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना पर पूंजी खाते पर ब्याज प्रभारित नहीं करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। क्योंकि केवल ऐसी चालू परियोजनाओं को पूंजी खाते पर ब्याज प्रभारित करने की गणना के लिए शामिल किया गया जिनका समायोजन वर्ष के दौरान या तो ऋण शेष था अथवा राज्य सरकार द्वारा ब्याज चुकाया जा रहा था।			
03. व्यास परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) सिंचाई योजनाएं (भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा व्यय)			
[01] सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य-प्रतिबद्ध			
मू.	75,00.00		
पु.	-19,92.89	94,92.89	83,22.09
			- 11,70.80
शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 11,70.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए फरवरी, 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 19,92.89 लाख का प्रावधान अत्यधिक था, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(03) इंदिरा गांधी नहर कि.मी. 74 से कि.मी. 189 मु.अ., जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[02] कार्य प्रभारित स्थापना-प्रतिबद्ध			
मू.	5,81.88		
पु.	-1,19.61	4,62.27	4,59.40
			- 2.87
31 मार्च 2020 को ₹ 1,19.61 लाख का प्रावधान परियोजना पर रखरखाव कार्य के लिए लगे हुए कार्य प्रभारित कर्मियों को मजदूरी के कम भुगतान के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव और मरम्मत			
(07) मुख्य अभियंता, इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
[02] मरम्मत एवं रख रखाव-प्रतिबद्ध			
मू.	6,20.05	3,02.99	3,02.99
पु.	- 3,17.06		..

31 मार्च 2020 को ₹ 3,17.06 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए 23 मार्च 2020 से राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण कार्यालय बन्द रहने तथा माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य व्यय			
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) के माध्यम से-प्रतिबद्ध			
मू.	13,18.97	9,92.83	10,57.81
पु.	- 3,26.14		+ 64.98

31 मार्च 2020 को ₹ 3,26.14 लाख का प्रावधान पूंजी लेखे पर ब्याज के कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, इसके तथा ₹ 64.98 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

22. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(02) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	10,69.08	..	..
पु.	- 10,69.08		..

31 मार्च 2020 को ₹ 10,69.08 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना पर पूंजी खाते पर ब्याज प्रभारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि केवल ऐसी चालू परियोजनाओं को पूंजी खाते पर ब्याज प्रभारित करने की गणना के लिए शामिल किया गया, जिनका समायोजन वर्ष के दौरान या तो ऋण शेष था अथवा राज्य सरकार द्वारा ब्याज चुकाया जा रहा था।

31. गंग नहर (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निष्पादन			
[02] निष्पादन व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	4,83.64	3,81.00	3,81.00
अ.	0.01		..
पु.	- 1,02.65		

31 मार्च 2020 को ₹ 1,02.65 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -	
2700. मुख्य सिंचाई				
34. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण(वाणिज्यिक)				
800. अन्य व्यय				
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	4,63.25	3,07.50	3,96.90	+ 89.40
पु.	- 1,55.75			
31 मार्च 2020 को ₹ 1,55.75 लाख का प्रावधान ब्याज की दर में 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक की कमी के कारण पूंजी लेखे पर ब्याज का कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, पूंजी लेखे पर ब्याज का वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमान से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 89.40 लाख का अंतिम आधिक्य रहा, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।				
35. धौलपुर लिफ्ट				
800. अन्य व्यय				
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	18,24.46	14,42.15	13,81.47	- 60.68
पु.	- 3,82.31			
36. जयसमन्द ई.आर.एम.				
800. अन्य व्यय				
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	4,17.94	3,88.72	1,64.35	- 2,24.37
पु.	- 29.22			
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 4,11.53 लाख का प्रावधान ब्याज की दर में 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक की कमी के कारण पूंजी लेखे पर ब्याज का कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।				
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 2,85.05 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।				
80. सामान्य				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण को अनुदान				
मू.	5,55.00	3,10.00	3,10.00	..
पु.	- 2,45.00			

31 मार्च 2020 को ₹ 2,45.00 लाख का प्रावधान वेतन तथा सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान कम जारी किये जाने हेतु अभ्यर्पित किया गया क्योंकि (i) राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष और चार मनोनीत सदस्यों के पदों पर मनोनयन नहीं किया जाना वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने का कारण रहा तथा उन पदों पर पीठासीन अधिकारियों को उपलब्ध करायी जाने वाली वाहन, टेलीफोन आदि अन्य सुविधाओं पर भी व्यय नहीं हुआ तथा (ii) अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता आदि सहित विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत पद रिक्त रहे।

## अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
02. मेजा परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	3,41.53	..	..
पु.	- 3,41.53		

31 मार्च 2020 को ₹ 3,41.53 लाख का समस्त प्रावधान परियोजना पर पूंजी खाते पर ब्याज प्रभारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि केवल ऐसी चालू परियोजनाओं को पूंजी खाते पर ब्याज प्रभारित करने की गणना के लिए शामिल किया गया, जिनका समायोजन वर्ष के दौरान ऋण शेष था अथवा राज्य सरकार द्वारा ब्याज चुकाया जा रहा था।

03. पारवती परियोजना (धौलपुर) (वाणिज्यिक)

800. अन्य व्यय

(01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	6,85.96	5,36.15	5,35.80	- 0.35
पु.	- 1,49.81			

73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक)

800. अन्य व्यय

मू.	2,66.40	8.76	8.13	- 0.63
पु.	- 2,57.64			

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 4,07.45 लाख का प्रावधान ब्याज की दर में 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक की कमी के कारण पूंजी लेखे पर ब्याज का कम समायोजन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य

001. निदेशन तथा प्रशासन

(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर

[01] निदेशन तथा प्रशासन-प्रतिबद्ध

मू.	33,64.23	28,42.35	28,38.87	- 3.48
पु.	- 5,21.88			

₹ 5,21.88 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न संवर्गों के 463 स्वीकृत पदों में से 133 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

80. सामान्य

001. निदेशन तथा प्रशासन

(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर

[02] अधीक्षण-प्रतिबद्ध

मू.	14,61.92	11,11.87	11,11.24	- 0.63
पु.	- 3,50.05			

₹ 3,50.05 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न संवर्गों के 259 स्वीकृत पदों में से 112 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[03] निष्पादन-प्रतिबद्ध			
मू.	95,53.33	73,78.11	73,75.72
पु.	- 21,75.22		
			- 2.39

₹ 21,75.22 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न संवर्गों के 1801 स्वीकृत पदों में से 402 पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

80. सामान्य  
001. निदेशन तथा प्रशासन  
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर  
[04] रूपांकन-प्रतिबद्ध

मू.	4,92.75	3,83.44	4,10.53	+ 27.09
पु.	- 1,09.31			

₹ 1,09.31 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ कार्यालयों में पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

₹ 27.09 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

80. सामान्य  
002. आँकड़ा संग्रहण  
(02) लघु सिंचाई गणना

मू.	5,42.00	13.42	13.42	..
पु.	- 5,28.58			

₹ 5,42.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छठवीं लघु सिंचाई गणना और जल निकायों की प्रथम गणना 2017-18 के लिए कार्य समाप्ति के पश्चात् पटवारियों को क्षेत्र में कार्य करने के लिए मानदेय के भुगतान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2020 को ₹ 5,28.58 लाख का प्रावधान शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य  
003. प्रशिक्षण  
(01) सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण केन्द्र

मू.	3,57.01	1,78.50	1,78.50	..
पु.	- 1,78.51			

31 मार्च 2020 को ₹ 1,78.51 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा अनुदान की तृतीय एवं चतुर्थ किश्त जारी नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
005. सर्वेक्षण			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर			
[02] निष्पादन			
मू.	25,25.03	19,05.79	19,04.21
पु.	- 6,19.24		- 1.58

₹ 6,19.24 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ कार्यालयों में पदों के रिक्त रहने तथा अनुसंधान, मुल्यांकन एवं सर्वेक्षण के लिए कार्य की धीमी प्रगति होने को आरोपित की गयी।

80. सामान्य  
006. परामर्शदात्री  
(01) मुख्य अभियंता जल संसाधन, जयपुर  
[02] निष्पादन

मू.	8,71.42	7,25.30	7,25.29	- 0.01
पु.	- 1,46.12			

₹ 1,46.12 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधीनस्थ कार्यालयों में पदों के रिक्त रहने को आरोपित की गयी।

80. सामान्य  
800. अन्य व्यय  
(01) उपनिवेशन योजनाएं-प्रतिबद्ध

मू.	17,95.53	14,89.06	14,89.02	- 0.04
पु.	- 3,06.47			

₹ 3,06.47 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वर्ष के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों की नियमित सेवानिवृत्ति, पदोन्नति पर स्थानांतरण, नियमित स्थानांतरण तथा कर्मचारियों की मृत्यु के कारण 17 पदों के रिक्त रहने तथा (ii) विभिन्न संवर्गों के तहत 190 रिक्त पदों के विरुद्ध 137 सेवानिवृत्त कर्मियों के पदस्थापन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने को आरोपित की गयी।।

2702. लघु सिंचाई  
01. सतही जल  
800. अन्य व्यय  
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य  
[01] निदेशन-प्रतिबद्ध

मू.	54,99.50	39,33.75	39,28.56	- 5.19
पु.	- 15,65.75			

₹ 15,65.75 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्य प्रभारित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से पदों के रिक्त रहने तथा चयनित ग्रेड वेतन में कार्य प्रभारित कर्मचारियों का वेतन निर्धारण नहीं होने को आरोपित की गयी।

₹ 5.19 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2702. लघु सिंचाई			
01. सतही जल			
800. अन्य व्यय			
(01) अन्य सिंचाई निर्माण कार्य			
[02] मद 2701-80 साधारण से स्थानान्तरित			
आनुपातिक व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	6,28.96		
		4,74.80	4,94.18
पु.	- 1,54.16		+ 19.38

31 मार्च 2020 को ₹ 1,54.16 लाख का प्रावधान कार्यों पर व्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, आनुपातिक व्यय का वास्तविक समायोजन संशोधित अनुमान से अधिक रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.38 लाख का अंतिम आधिक्य रहा, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव एवं मरम्मत			
(04) हरियाणा सरकार द्वारा व्यय			
[01] अन्य रखरखाव व्यय -प्रतिबद्ध			
मू.	60.00		
		5,23.16	5,23.16
पु.	4,63.16		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,63.16 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा ए.जी. मीमो के माध्यम से सूचित व्यय के समायोजन करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

    01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)

    101. रखरखाव एवं मरम्मत

    (05) भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा व्यय

    [01] अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	80.00		
		1,15.12	2,39.35
पु.	35.12		+ 1,24.23

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 35.12 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष के दौरान पंजाब सरकार द्वारा ए.जी. मीमो के माध्यम से सूचित व्यय के समायोजन करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

₹ 1,24.23 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।



## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. रखरखाव एवं मरम्मत			
(06) भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल को अग्रिम			
[01] अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	25,00.00	32,02.59	32,02.59
पु.	7,02.59		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,02.59 लाख की अतिरिक्त निधियां भाखड़ा सिंचाई प्रणाली पर लगे कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों का वास्तविक भुगतान करने और रखरखाव कार्यों पर अधिक व्यय हेतु उपलब्ध करायी गयी।

04. इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)
001. निदेशन तथा प्रशासन
- (02) लूणकरणसर लिफ्ट (कंवरसेन लिफ्ट) योजना का प्रवर्तन व अनुरक्षण व्यय (मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से)
- [02] प्रवर्तन व अनुरक्षण व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	36,01.50	41,77.82	41,77.82	..
पु.	5,76.32			

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,76.32 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्युत् प्रभार पर व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी क्योंकि पंपिंग स्टेशनों पर पानी की आपूर्ति बढ़ने से बिजली की अधिक खपत हुई।

05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)
101. रखरखाव और मरम्मत
- (01) इंदिरा गांधी नहर फीडर (पंजाब हिस्सा) (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)-प्रतिबद्ध

मू.	2,25.00	4,10.00	3,53.75	- 56.25
पु.	1,85.00			

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,85.00 लाख की अतिरिक्त निधियां इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए पंजाब सरकार को अंश राशि के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 56.25 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)
800. अन्य व्यय
- (01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध

मू.	5,73.43	8,22.69	8,22.69	..
पु.	2,49.26			

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,49.26 लाख की अतिरिक्त निधियां पूंजी लेखे पर ब्याज के अधिक समायोजन के लिए उपलब्ध करायी गयी क्योंकि 2019-20 के दौरान पंजाब सरकार को सरहिंद फीडर/इंदिरा गांधी नहर फीडर पर रिलाइनिंग कार्य को करने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की हिस्सा राशि का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप कार्य पर व्यय में वृद्धि हुई।

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई 39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना 800. अन्य व्यय (01) अन्य व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	1,71.55	2,95.83	2,95.52
पु.	1,24.28		
			- 0.31

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,24.28 लाख की अतिरिक्त निधियां पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन के लिए उपलब्ध करायी गयी।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत/आधिक्य को देखते हुए, प्रावधान की वृद्धि/कटौती अत्यधिक/अनावश्यक थी :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2700. मुख्य सिंचाई 01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (03) भाखरा व्यास प्रबंधन मण्डल द्वारा व्यय-प्रतिबद्ध			
मू.	24,90.03	26,58.01	25,13.65
पु.	1,67.98		
			- 1,44.36

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,67.98 लाख की अतिरिक्त निधियां भाखरा सिंचाई प्रणाली पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के वास्तविक भुगतान के लिए उपलब्ध करायी गयी।

₹ 1,44.36 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (01) अनुरक्षण व्यय [01] इन्दिरा गांधी नहर फीडर-प्रतिबद्ध			
मू.	12,06.00	11,29.82	14,31.94
पु.	- 76.18		
			+ 3,02.12

31 मार्च 2020 को ₹ 76.18 लाख का प्रावधान वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 3,02.12 लाख के अंतिम आधिक्य के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

80. सामान्य 800. अन्य व्यय (02) अन्य व्यय [01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया-प्रतिबद्ध			
मू.	29,01.79	31,91.04	30,55.55
पु.	2,89.25		
			- 1,35.49

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,89.25 लाख की अतिरिक्त निधियां पूंजीगत कार्यों के अनुसार पूंजी लेखे पर ब्याज के समायोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 1,35.49 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 046 - (क्रमशः)**

6. **उचन्त लेन-देन:** "उचन्त" लेन-देनों की प्रकृति विनियोग लेखे के अनुदान संख्या "019- लोक निर्माण कार्य" के राजस्व अनुभाग के नीचे टिप्पणी (4) में स्पष्ट की गयी है।

2019-20 में अनुदान के राजस्व अनुभाग में "उचन्त" लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

"उचन्त" के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के	वर्ष के	अन्त शेष
	नामें (+) जमा (-)	दौरान नामें	दौरान जमा	नामें (+) जमा (-)
			(₹ लाख में)	
<b>राजस्व *</b>				
स्टॉक	(+ 4,94.09	93.04	97.61	(+ 4,98.66
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(+ 2,98.84	89.08	64.90	(+ 2,74.66
<b>योग</b>	<b>(+ 7,92.93</b>	<b>1,82.12</b>	<b>1,62.51</b>	<b>(+ 7,73.32</b>

\* इसमें मुख्य शीर्ष 2700 तथा 2701 के उचन्त लेन-देन सम्मिलित हैं।

**पूंजी**

**दत्तमत**

- फरवरी, 2020 में अनुपूरक अनुदान द्वारा लिया गया ₹ 30,28.78 लाख का प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से कम था।
- ₹ 2,61,52.82 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 37,83.84 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 2,94,27.93 लाख, ₹ 2,39,58.98 लाख, ₹ 2,35,52.90 लाख, ₹ 2,39,13.44 लाख तथा ₹ 2,61,52.82 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अन्तर्गत कुल बजट की 13.79 प्रतिशत से 25.32 प्रतिशत के बीच थी। बचत के विभिन्न कारण बताये गये।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रही:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर)			
[01] मुख्य नहर			
मू.	6,00.00	4,67.54	..
पु.	- 1,32.46	4,67.54	..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,32.46 लाख का प्रावधान अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक नहर रेगुलेशन होने से नहरी क्षेत्र में ठेकेदारों को निर्माण स्थल की अनुपलब्धता के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (04) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (दाहिनी नहर) [14] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण	मू. 37,00.00 पु. - 10,31.08	26,68.92	26,68.92 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 10,31.08 लाख का प्रावधान (i) न्यायालय द्वारा बजरी पर प्रतिबन्ध लगाने, (ii) कार्यों की धीमी प्रगति तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण उपखण्डों से बिल प्राप्त नहीं होने तथा कोषालय द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (05) क्षेत्रीय आयुक्त, चम्बल के माध्यम से (बाईं मुख्य नहर) [05] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण	मू. 23,30.00 पु. - 13,44.39	9,85.61	9,85.60 - 0.01
31 मार्च 2020 को ₹ 13,44.39 लाख का प्रावधान (i) न्यायालय द्वारा बजरी पर प्रतिबन्ध लगाने, (ii) कार्यों की धीमी प्रगति तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण कोषालय द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (02) द्वितीय चरण [01] मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से	मू. 52,10.21 पु. - 6,51.38	45,58.83	45,44.94 - 13.89
₹ 6,51.38 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा स्थानान्तरण के कारण पदों के रिक्त रहने, (ii) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं किया गया क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किश्त 2019-20 में जारी नहीं की गयी, (iii) वित्त विभाग से नये वाहन खरीदने की स्वीकृति नहीं मिलने, (iv) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने तथा (v) अनुसंधान, मूल्यांकन और सर्वेक्षण कार्यों की बजट सीमा में कटौती करने को आरोपित की गयी।			
₹ 13.89 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001. निदेशन तथा प्रशासन (02) द्वितीय चरण [17] डा. करणी सिंह जलोत्थान योजना (कोलायत लिफ्ट योजना)	मू. 26,65.69 पु. - 3,46.03	23,19.66	23,19.65 - 0.01
₹ 3,46.03 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति की बजट सीमा में कटौती करने को आरोपित की गयी।			

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[19] गुरु जम्भेश्वर जलोत्थान योजना (फलौदी लिफ्ट योजना)			
मू.	10,62.81	9,03.08	9,02.95
पु.	- 1,59.73		- 0.13

₹ 1,59.73 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति की बजट सीमा में कटौती करने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने को आरोपित की गयी।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[25] मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
मू.	54,74.96	40,10.21	40,05.07
पु.	- 14,64.75		- 5.14

₹ 14,64.75 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 5.14 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(06) बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट (कवरसेन लिफ्ट) योजना ( मुख्य अभियंता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से)			
[01] विस्तार			
मू.	2,30.16	57.72	57.72
पु.	- 1,72.44		..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,72.44 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए, राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण कार्यालयों के बन्द होने तथा कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(07) मुख्य नहर (कि.मी. 0 से कि.मी. 74 तक) (मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
[02] सेम निवारण कार्य			
मू.	3,50.00	1,77.96	1,77.96
पु.	- 1,72.04		..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,72.04 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती करने के कारण कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत)			
[01] चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट			
मू.	57,54.00	7,36.61	7,36.61
पु.	- 50,17.39		..
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत)			
[02] पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट			
मू.	65,76.00	11,45.78	11,45.78
पु.	- 54,30.22		..
31 मार्च 2020 को उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,04,47.61 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने एवं तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिल पारित नहीं करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(09) लिफ्ट नहरों पर सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) कार्यक्रम (फव्वारा सिंचाई पद्धति का विकास) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत)			
[03] डॉ. करणी सिंह लिफ्ट			
मू.	41,09.94	9,24.93	9,24.93
पु.	- 31,85.01		..
31 मार्च 2020 को ₹ 31,85.01 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने एवं तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालय द्वारा बिल पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 26,82.46 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 5,02.55 लाख) किया गया।			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[01] राजस्थान में निर्माण कार्य			
मू.	67,83.74	16,10.35	16,10.35
पु.	- 51,73.39		..
₹ 51,73.39 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होने को आरोपित की गयी।			

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
31. गंगनहर (वाणिज्यिक) ( मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) राजस्थान में निर्माण कार्य			
[01] आधुनिकीकरण			
मू.	1,56.48	88.46	- 2,53.54
पु.	- 68.02		- 3,42.00
31 मार्च 2020 को ₹ 68.02 लाख का प्रावधान गंग नहर के आधुनिकीकरण का पहले से पूर्ण काम के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण बकाया दायित्वों का भुगतान नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 3,42.00 लाख का ऋणव्यय राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, बीकानेर से प्राप्त ₹ 3,42.00 लाख सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रहा।			
37. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	10,20.00	30.49	30.64
पु.	- 9,89.51		+ 0.15
31 मार्च 2020 को ₹ 9,89.51 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति तथा तदनुसार आनुपातिक व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
40. जयसमन्द परियोजना का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/ आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	34,00.00	29,02.64	29,15.88
पु.	- 4,97.36		+ 13.24
31 मार्च 2020 को ₹ 4,97.36 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति तथा तदनुसार आनुपातिक व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 13.24 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
41. तेजावाला हैड से सरप्लस वॉटर को चुरु-झुन्झुनू लाने की योजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन एवं प्रशासन			
(01) निदेशन एवं प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	4,10.00	..	..
पु.	- 4,10.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 4,10.00 लाख का समस्त प्रावधान अन्य चालू परियोजनाओं के बकाया दायित्वों के निपटान के लिए अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निर्माण कार्य			
[01] निर्माण कार्य (कार्य प्रभारित कर्मचारी के वेतन भत्ते)			
मू.	37,23.09		
पु.	- 5,14.31	32,08.78	32,08.77
			- 0.01
₹ 5,14.31 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति को आरोपित की गयी।			
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	20,40.00		
पु.	- 7,62.19	12,77.81	12,83.77
			+ 5.96
31 मार्च 2020 को ₹ 7,62.19 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति तथा तदनुसार आनुपातिक व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 5.96 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
67. लहसी परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	6,80.00		
पु.	- 2,07.48	4,72.52	4,57.31
			- 15.21
31 मार्च 2020 को ₹ 2,07.48 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति तथा तदनुसार आनुपातिक व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 15.21 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	46,40.20		
पु.	- 45,05.59	1,34.61	1,35.24
			+ 0.63
31 मार्च 2020 को ₹ 45,05.59 लाख का प्रावधान अन्य चालू परियोजनाओं के लम्बित दायित्वों के भुगतान तथा तदनुसार आनुपातिक व्यय के कम समायोजन के लिए अभ्यर्पित (₹ 5,16.20 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 39,89.39 लाख) किया गया।			



## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[02] निर्माण कार्य			
मू.	1,06,24.19	86,90.20	84,68.01
पु.	- 19,33.99		
			- 2,22.19
31 मार्च 2020 को ₹ 19,33.99 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 2,22.19 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
101. सतही जल			
(02) लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
[04] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित			
आनुपातिक व्यय-स्थापना			
मू.	13,71.94	10,52.75	10,65.21
पु.	- 3,19.19		
			+ 12.46
31 मार्च 2020 को ₹ 3,19.19 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 12.46 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
101. सतही जल			
(03) पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	12,04.46	5,41.48	5,41.32
पु.	- 6,62.98		
			- 0.16
31 मार्च 2020 को ₹ 6,62.98 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
101. सतही जल			
(06) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से			
[01] पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण			
मू.	15,05.58	9,06.27	9,05.99
पु.	- 5,99.31		
			- 0.28
31 मार्च 2020 को ₹ 5,99.31 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
101. सतही जल			
(06) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
[02] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	1,94.42	85.20	1,13.97
पु.	- 1,09.22		
			+ 28.77
31 मार्च 2020 को ₹ 1,09.22 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 28.77 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(07) जल संग्रहण संरचना			
[01] निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	30,09.39	22,33.52	22,32.08
पु.	- 7,75.87		
31 मार्च 2020 को ₹ 7,75.87 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
101. सतही जल			
(07) जल संग्रहण संरचना			
[02] मुख्य लेखा शीर्ष 2701 से स्थानांतरित आनुपातिक व्यय			
मू.	3,88.61	2,69.29	2,80.78
पु.	- 1,19.32		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,19.32 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 11.49 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
101. सतही जल			
(09) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	36,13.39	23,86.15	18,57.29
पु.	- 12,27.24		
31 मार्च 2020 को ₹ 12,27.24 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 5,28.86 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
101. सतही जल			
(09) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वॉटर कन्सेप्ट)			
[02] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय			
मू.	4,66.61	2,87.69	2,33.63
पु.	- 1,78.92		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,78.92 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 54.06 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
101. सतही जल			
(11) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एल.आई.पी.)			
[01] निष्पादन (मुख्य अभियंता, जल संसाधन, (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) के माध्यम से)			
मू.	1,92,50.89		
पु.	- 73,52.78		
		1,18,98.11	1,19,49.81
			+ 51.70
₹ 73,52.78 लाख की प्रत्याशित बचत तथा ₹ 51.70 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

01. बाढ़ नियंत्रण  
103. सिविल निर्माण कार्य  
(03) अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य  
[03] अन्य जिले

मू.	22,95.99		
पु.	- 4,14.05		
		18,81.94	18,38.92
			- 43.02

31 मार्च 2020 को ₹ 4,14.05 लाख का प्रावधान कार्यों की धीमी प्रगति होने तथा तदनुसार आनुपातिक व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 43.02 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

5. उपरोक्त टिप्पणी (4) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) द्वितीय चरण			
[15] पन्ना लाल बारूपाल जलोत्थान योजना (गजनेर लिफ्ट योजना)			
मू.	11,98.73		
पु.	8,61.92		
		20,60.65	20,60.65
			..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,61.92 लाख की अतिरिक्त निधियां पानी की अधिक उपलब्धता के कारण बिजली की अधिक खपत होने के कारण बिजली प्रभारों पर व्यय की पूर्ति के लिए उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
05. इंदिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] पंजाब में इन्दिरा गांधी फीडर और सम्बन्धित निर्माण कार्य पर व्यय (मुख्य अभियन्ता, सिंचाई पंजाब के माध्यम से)			
मू.	0.01	54,50.54	54,50.54
पु.	54,50.53		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 54,50.53 लाख की अतिरिक्त निधियां 2019-20 के दौरान पंजाब सरकार द्वारा सरहिन्द फीडर/इंदिरा गांधी नहर फीडर पर किये गए रीलाइनिंग कार्य के संबंध में राजस्थान सरकार की हिस्सा राशि के भुगतान के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निष्पादन			
मू.	2,23.01	6,41.00	6,40.49
पु.	4,17.99		
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(02) निर्माण कार्य			
[01] राजस्थान में निर्माण कार्य			
मू.	9,01.25	23,13.97	23,13.82
पु.	14,12.72		
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[02] गुजरात सरकार का निर्माण कार्य में हिस्सा राशि			
मू.	0.01	41,89.00	41,89.00
पु.	41,88.99		
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम			
[03] नर्बदा प्राधिकरण की हिस्सा राशि			
मू.	0.01	11,37.49	11,37.49
पु.	11,37.48		

31 मार्च 2020 को उपरोक्त चार शीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 71,57.18 लाख की अतिरिक्त निधियाँ कार्यों की त्वरित प्रगति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन एवं प्रशासन			
[02] मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-स्थापना			
मू.	10,75.04	13,60.38	14,18.49
पु.	2,85.34		
			+ 58.11

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,85.34 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 58.11 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	16,99.50	33,78.42	33,63.57
पु.	16,78.92		
			- 14.85

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,78.92 लाख की अतिरिक्त निधियाँ परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान तथा तदनुसार आनुपातिक व्यय के अधिक समायोजन के लिए उपलब्ध करायी गयी।

कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के समायोजन के लिए उपलब्ध करायी गयी।

₹ 14.85 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरिया			
मू.	1,44,03.11	2,15,93.60	2,16,01.88
पु.	71,90.49		
			+ 8.28

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 71,90.49 लाख की अतिरिक्त निधियाँ कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी क्योंकि राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना के अन्तर्गत रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए संचालित परियोजना जोकि ब्रिक्स देशों के न्यू डवलपमेंट बैंक से पोषित की जा रही है तथा कार्य 2022-23 तक समाप्त किया जाना आवश्यक है।

₹ 8.28 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 046 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
मू.	12,04.46	13,83.23	13,83.23
पु.	1,78.77		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,78.77 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए उपलब्ध करायी गयी।

72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	20,40.00	28,16.11	28,29.24
पु.	7,76.11		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,76.11 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान तथा तदनुसार आनुपातिक व्यय के अधिक समायोजन के लिए उपलब्ध करायी गयी।

₹ 13.13 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

6. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्द्धन अनावश्यक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	1,21,08.00	1,26,58.09	98,52.27
पु.	5,50.09		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,50.09 लाख की अतिरिक्त निधियाँ परियोजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए उपलब्ध करायी गयी।

₹ 28,05.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**अनुदान संख्या 046 – (समाप्त)**

7. **उचन्त लेन-देन** : 2019-20 में अनुदान के पूंजी अनुभाग में “उचन्त” लेन-देनों का वर्गीकरण विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रारम्भिक और अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

“उचन्त” के अंतर्गत उप शीर्ष	प्रारम्भिक शेष नामें (+) जमा (-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	अन्त शेष नामें (+) जमा (-)
			<i>(₹ लाख में)</i>	
<b>पूंजी *</b>				
स्टॉक	(-) 46,23.40	48.15	1,45.13	(-) 45,26.42
विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 27,79.69	27.93	1,16.37	(-) 26,91.25
<b>योग</b>	<b>(-) 74,03.09</b>	<b>76.08</b>	<b>2,61.50</b>	<b>(-) 72,17.67</b>

\* इसमें मुख्य शीर्ष 4700, 4701 तथा 4711 के उचन्त संव्यवहार सम्मिलित हैं ।

### अनुदान संख्या 047 – पर्यटन

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 3452. पर्यटन  
पूंजी – 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय और  
7452. पर्यटन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	53,62,91	53,62,91	41,19,81	– 12,43,10
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				12,43,07
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	– 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				1

### पूंजी

<b>दत्तमत</b>				
मूल	30,88,47	30,88,47	5,68,57	– 25,19,90
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				25,19,90

### टिप्पणियां तथा टीकारं :

### राजस्व

#### दत्तमत

1 बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
3452. पर्यटन				
80. सामान्य				
001. निदेशन तथा प्रशासन				
(01) पर्यटन विभाग				
[01] प्रशासनिक व्यय-प्रतिबद्ध				
मू.	15,24.91	12,64.78	12,64.76	– 0.02
पु.	– 2,60.13			

₹ 2,60.13 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होने क्योंकि जुलाई, 2019 में देय मंहगाई भत्ते की किस्त को 2019-20 में जारी नहीं किया गया तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए 23 मार्च 2020 से राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कोषालयों में बिलों को प्रस्तुत /पारित नहीं करने एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थायीकरण आदेश विलम्ब से जारी होने से कार्मिकों के वेतन बकायों का भुगतान नहीं होने को आरोपित की गयी।



### अनुदान संख्या 047-(समाप्त)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(02) पर्यटन सूचना और प्रचार			
मू.	35,02.00	25,30.64	..
पु.	- 9,71.36	25,30.64	..

31 मार्च 2020 को ₹ 9,71.36 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए 23 मार्च 2020 से राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण कोषालयों में बिलों को प्रस्तुत /पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 9,25.75 लाख ) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 45.61 लाख ) किया गया ।

#### पूँजी

##### दत्तमत

- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 13,86.83 लाख, ₹ 28,04.47 लाख, ₹ 30,71.81 लाख, ₹ 16,12.97 लाख तथा ₹ 25,19.90 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 20.73 प्रतिशत से 81.59 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः कार्यों के अनुमान से कम निष्पादन के कारण रही।
- बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
800. अन्य व्यय			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	25,98.74	4,82.85	..
पु.	- 21,15.89	4,82.85	..

31 मार्च 2020 को ₹ 21,15.89 लाख का प्रावधान (i) निविदा कार्य प्रक्रियाधीन होने से रैन बसेरा-झालावाड़, सुजानगंगा-भरतपुर, रणथम्भोर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर एवं गागरोन दरगाह परिसर-झालावाड़ का कार्य प्रारम्भ नहीं होने, (ii) विधानसभा/संसद एवं शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकायों की चुनाव आचार संहिता लगने के कारण बदनौर फोर्ट, काबरिया बाबा हनुमान मंदिर जयपुर, मीरा-महल मेड़ता (नागौर), गढ़मोहरा नादौती करौली, गबदी तालाब झालावाड़, डींग फोर्ट-भरतपुर के स्वीकृत कार्यों के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत नहीं करने तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए 23 मार्च 2020 से राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण कोषालयों में बिलों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

80. सामान्य
800. अन्य व्यय
- (05) ग्रामीण पर्यटन का विकास

मू.	4,89.69	85.72	..
पु.	- 4,03.97	85.72	..

31 मार्च 2020 को ₹ 4,03.97 लाख का प्रावधान (i) कार्यकारी एजेन्सियों के निर्धारण में विलम्ब, (ii) विधान सभा/संसद एवं शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकायों की चुनाव आचार संहिता लगने, (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए, 23 मार्च 2020 से राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण कोषालयों में बिलों को प्रस्तुत नहीं करने तथा (iv) सांभर के समग्र विकास में धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

### अनुदान संख्या 048 – विद्युत् (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2801. बिजली और  
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा  
 पूंजी – 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4810. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय और  
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
मूल	1,74,18,42,79	1,74,18,42,81	1,53,12,60,59	- 21,05,82,22
अनुपूरक	2			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				21,05,82,22
<b>पूंजी</b>				
मूल	27,87,48,33	27,87,48,33	25,70,75,80	- 2,16,72,53
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				2,16,72,53

#### टिप्पणियां तथा टीकाएं :

#### राजस्व

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली				
80. सामान्य				
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (41) उदय योजना के अंतर्गत वितरण निगमों को सहायता [02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड				
मू.	30,25,94.78	25,39,12.00	25,39,11.95	- 0.05
पु.	- 4,86,82.78			

₹ 30,25,94.78 लाख का प्रावधान उदय योजना के दिशा निर्देशानुसार डिस्कॉम को दिये ऋण को सब्सिडी में परिवर्तित करने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, वर्ष के दौरान जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड का अनुमान से कम ऋण अनुदान में परिवर्तित हुआ जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2020 को ₹ 4,86,82.78 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित किया गया, जिसके विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

अनुदान संख्या 048- (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(43) विद्युत् दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	22,71,93.84	16,10,91.45	16,10,91.45
पु.	- 6,61,02.39		
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(43) विद्युत् दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	15,59,12.26	11,76,37.64	11,76,37.64
पु.	- 3,82,74.62		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 10,43,77.01 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा टैरिफ सब्सिडी में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(43) विद्युत् दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	29,73,61.41	20,12,30.86	20,12,30.86
पु.	- 9,61,30.55		
31 मार्च 2020 को ₹ 9,61,30.55 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा टैरिफ सब्सिडी में कटौती करने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 4,52,80.81 लाख) तथा अभ्यर्पित (₹ 5,08,49.74 लाख) किया गया।			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(44) विद्युत् शुल्क के प्रति अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	3,78,07.25	3,33,47.88	3,33,47.88
पु.	- 44,59.37		
31 मार्च 2020 को ₹ 44,59.37 लाख का प्रावधान विद्युत् वितरण कम्पनी द्वारा संगृहित कर के अनुरूप विद्युत् शुल्क के एवज में विद्युत् वितरण कम्पनी को सब्सिडी जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 048- (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(45) विद्युत् चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि के विरुद्ध अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	3,57.00		
		1,53.67	1,53.67
पु .	- 2,03.33		..

31 मार्च 2020 को ₹ 2,03.33 लाख का प्रावधान विद्युत् वितरण कम्पनी द्वारा कम्पाउंडिंग शुल्क की वसूली के अनुसार कम्पाउंडिंग शुल्क की एवज में सब्सिडी जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2. उपरोक्त टिप्पणी (1) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(41) उदय योजना के अंतर्गत वितरण निगमों को सहायता			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड			
मू.	32,03,03.86		
अ.	0.01	36,40,65.18	36,40,65.23
पु .	4,37,61.31		+ 0.05

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,37,61.31 लाख की अतिरिक्त निधियां उदय योजना के दिशा निर्देशानुसार के अनुसार ऋण को सब्सिडी में बदलने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(45) विद्युत् चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि के विरुद्ध अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	2,64.44		
		3,68.95	3,68.95
पु .	1,04.51		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,04.51 लाख की अतिरिक्त निधियां विद्युत् वितरण कम्पनी द्वारा कम्पाउंडिंग शुल्क की वसूली के अनुसार कम्पाउंडिंग शुल्क की एवज में सब्सिडी जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

**अनुदान संख्या 048- (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2801. बिजली			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(46) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को सहायता			
[01] स्थगित अनुदान का भुगतान			
अ.	0.01		
		9,75.00	9,75.00
पु .	9,74.99		..

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,74.99 लाख की अतिरिक्त निधियां बकाया अनुदानों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

**पूँजी**

**दत्तमत**

1. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	3,17,62.50		
		2,27,50.00	2,27,50.00
पु .	- 90,12.50		..

31 मार्च 2020 को ₹ 90,12.50 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती के परिणामतः विद्युत् कम्पनी में कम निवेश के कारण अभ्यर्पित (₹ 80,89.16 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 9,23.34 लाख) किया गया।

80. सामान्य			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	2,27,52.95		
		1,52,50.00	1,52,50.00
पु .	- 75,02.95		..

31 मार्च 2020 को ₹ 75,02.95 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती के परिणामतः विद्युत् कम्पनी में कम निवेश के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

अनुदान संख्या 049 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को  
मुआवजा और समनुदेशन (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व - 3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं  
को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व				
मूल	21,23			
अनुपूरक	..	21,23	6,88	- 14,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				14,35

अनुदान संख्या 050 – ग्रामीण रोजगार (समस्त दत्तमत)

मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2505. ग्राम रोजगार और  
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम  
पूंजी – 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत –
<b>राजस्व</b>			
मूल	22,96,76,74		
अनुपूरक	2	22,96,76,76	22,15,43,64 – 81,33,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)			81,33,02
<b>पूंजी</b>			
मूल	1,42,38		
अनुपूरक	44,00	1,86,38	1,79,51 – 6,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			..

**टिप्पणियां तथा टीकाएं :**

**राजस्व**

- वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 7,39,00.96 लाख, ₹ 10,06,53.65 लाख, ₹ 7,86,28.65 लाख, ₹ 1,20,34.30 लाख तथा ₹ 81,33.12 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 3.54 प्रतिशत से 40.16 प्रतिशत के बीच थी। बचत मुख्यतः भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम निधियां प्राप्त होने के कारण बतायी गयी।
- बचत (अनुदान के अन्य शीर्ष के अंतर्गत हुए आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित की गयी) मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[03] कार्यकलाप संबंधी			
मू.	13,02,00.00	11,75,69.59	11,75,69.59
पु.	- 1,26,30.41		..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,26,30.41 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 81,24.00 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 45,06.41 लाख) किया गया।

**पूंजी**

**दत्तमत**

- ₹ 6.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, फरवरी, 2020 में लिया गया ₹ 44.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।
- ₹ 6.87 लाख की समस्त बचत अन्अभ्यर्पित रही।

अनुदान संख्या 051 – अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

- मुख्य शीर्ष : राजस्व – 2014. न्याय प्रशासन,  
 2029. भू-राजस्व,  
 2040. ब्रिकी, व्यापार आदि पर कर,  
 2041. वाहन कर,  
 2059. लोक निर्माण कार्य,  
 2202. सामान्य शिक्षा,  
 2203. तकनीकी शिक्षा,  
 2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं,  
 2205. कला एवं संस्कृति,  
 2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,  
 2211. परिवार कल्याण,  
 2217. शहरी विकास,  
 2220. सूचना तथा प्रचार,  
 2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण,  
 2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास,  
 2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,  
 2236. पोषण,  
 2250. अन्य सामाजिक सेवाएं,  
 2401. फसल कृषि-कर्म,  
 2403. पशु-पालन,  
 2404. डेरी विकास,  
 2405. मछली-पालन,  
 2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी,  
 2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा,  
 2425. सहकारिता,  
 2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम,  
 2505. ग्राम रोजगार,  
 2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,  
 2701. मध्यम सिंचाई,  
 2702. लघु सिंचाई,  
 2705. कमान क्षेत्र विकास,  
 2801. बिजली,  
 2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा,  
 2851. ग्राम तथा लघु उद्योग,  
 2852. उद्योग,  
 2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग,  
 3055. सड़क परिवहन,  
 3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान,  
 3451. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं,  
 3452. पर्यटन,  
 3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,  
 3456. सिविल पूर्ति और  
 3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं
- पूंजी – 4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,



## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय,  
 5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज और  
 7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ सहस्र में)	आधिक्य + बचत -
<b>राजस्व</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	1,66,97,54,51	1,66,97,54,59	1,46,69,46,60	- 20,28,07,99
अनुपूरक	8			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
<b>प्रभारित</b>				
मूल	1	1	..	- 1
अनुपूरक	..			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
<b>पूंजी</b>				
<b>दत्तमत</b>				
मूल	41,78,82,85	41,78,82,90	31,94,19,68	- 9,84,63,22
अनुपूरक	5			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2020)				
				9,66,65,58

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

## टिप्पणियां तथा टीकाएं :

## राजस्व

## दत्तमत

1. ₹ 20,28,07.99 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 35,79.22 लाख अनुअभ्यर्पित रही ।
2. वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 9,04,52.81 लाख, ₹ 12,45,04.60 लाख, ₹ 8,66,63.79 लाख, ₹ 7,23,09.59 लाख तथा ₹ 20,28,07.99 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो कि अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 5.02 प्रतिशत से 14.55 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किया जाना रहा ।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन			
(08) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति			
[01] अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु			
मू.	16,00.00	8,92.85	8,83.45
पु.	- 7,07.15		
			- 9.40

31 मार्च 2020 को ₹ 7,07.15 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती करने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा छात्रवृत्ति के बिलों को पारित न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 9.40 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
111. सर्व शिक्षा अभियान
- (02) अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (शिक्षा गारन्टी स्कीम)

मू.	16,25,45.01	10,47,04.61	10,47,04.59
पु.	- 5,78,40.40		
			- 0.02

₹ 5,78,40.40 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) वेतन तथा भत्तों पर वास्तविक व्यय अनुमानों से कम होने, (ii) भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा वेतन के बिलों को पारित न करने को आरोपित की गयी ।

01. प्रारम्भिक शिक्षा
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
- (05) मिड डे मील
- [01] कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ

मू.	1,81,00.00	1,59,58.79	1,60,94.30
पु.	- 21,41.21		
			+ 1,35.51

31 मार्च 2020 को ₹ 21,41.21 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियाँ कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया । यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।

₹ 1,35.51 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020) ।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राजस्थान दुग्ध पोषाहार कार्यक्रम (मिड डे मील)			
[01] विद्यार्थियों को दुग्ध पोषाहार			
मू.	1,48,00.00	1,31,00.00	1,29,64.49
पु.	- 17,00.00		
			- 1,35.51

31 मार्च 2020 को ₹ 17,00.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 1,35.51 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

02. माध्यमिक शिक्षा			
107. छात्रवृत्तियां			
(05) अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
[02] पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां			
मू.	97,80.00	68,43.71	66,41.18
पु.	- 29,36.29		
			- 2,02.53

31 मार्च 2020 को ₹ 29,36.29 लाख का प्रावधान छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान दावों की वास्तविक संख्या की प्राप्ति के अनुसार करने तथा विशेष विद्यालयों के योग्य छात्रों के बिलों का भुगतान वास्तविक प्राप्त दावों के अनुसार करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 2,02.53 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिये)			
[01] लड़कों के विद्यालय (आवासीय विद्यालय)			
मू.	11,28,69.00	5,82,00.40	5,81,95.81
पु.	- 5,46,68.60		
			- 4.59

₹ 5,46,68.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः नये पदों की भर्ती हेतु स्वीकृति जारी न करने तथा नए विद्यालयों के उन्नयन के लिए स्वीकृति जारी न करने को आरोपित की गयी।

₹ 4.59 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) अनुसूचित जाति क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को साइकिल का वितरण			
मू.	21,25.00	19,10.80	19,10.80
पु.	- 2,14.20		
			..

31 मार्च 2020 को ₹ 2,14.20 लाख का प्रावधान कोषालयों द्वारा फर्मों के बिलों को पारित/ई.सी.एस. न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2202. सामान्य शिक्षा			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) लेपटॉप वितरण			
मू.	12,00.00	..	..
पु.	- 12,00.00		
31 मार्च 2020 को ₹ 12,00.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि लेपटॉप वितरण योजना का विलय काली बाई भील योजना के अन्तर्गत होने के कारण योजना के अंतर्गत विभागीय स्तर पर क्रय हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।			
02. माध्यमिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(19) मुख्यमंत्री जन सहभागिता विकास योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			
मू.	8,50.01	6,58.98	6,58.98
पु.	- 1,91.03		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,91.03 लाख का प्रावधान मुख्यतः मुख्य मंत्री जन सहभागिता विकास योजना के तहत अंशदान की प्राप्ति के अनुसार व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति			
मू.	15,00.00	2,48.86	2,48.86
पु.	- 12,51.14		..
31 मार्च 2020 को ₹ 12,51.14 लाख का प्रावधान छात्रवृत्ति हेतु दावे कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) अराजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय को अनुदान			
मू.	1,83.38	..	..
पु.	- 1,83.38		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,83.38 लाख का समस्त प्रावधान कैरियर तथा तकनीकी शिक्षा (सी टी ई) संस्थानों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) स्कूटी वितरण योजना			
[01] मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण			
मू.	1,50.00	..	..
पु.	- 1,50.00		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
05. भाषा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जातियों के लिये)			
[02] संस्कृत स्कूल			
मू.	17,03.25	14,59.04	14,59.03
पु.	- 2,44.21		- 0.01

₹ 2,44.21 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः (i) पदों के रिक्त रहने, (ii) कर्मचारियों का अन्य लेखा मद में पदोन्नति/हस्तान्तरण होने, (iii) मंहगाई भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं हुआ क्योंकि जुलाई, 2019 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त 2019-20 में जारी नहीं किये जाने, (iv) माननीय न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में जिन कर्मचारियों का अन्य विभाग में स्थानान्तरण कर दिया गया था लेकिन कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन स्थिति के कारण कार्य ग्रहण नहीं करने से वेतन का आहरण नहीं किया गया, (v) परिवीक्षा की समाप्ति के पश्चात् स्थायी पदों पर नियमित नहीं होने के कारण नियमित वेतन श्रृंखला में नये भर्ती हुए शिक्षकों के पूरे वेतन की निकासी न होने तथा (vi) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में आश्वासित कैरियर प्रगति इत्यादि के बकाया के भुगतान न होने के कारण वेतन तथा भत्तों पर व्यय कम होने को आरोपित की गयी।

80. सामान्य  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(01) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यालय

मू.	12,36.00	9,88.75	9,88.76	+ 0.01
पु.	- 2,47.25			

31 मार्च 2020 को ₹ 2,47.25 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती करने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा वेतन/बकाया के बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(04) राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर को सहायता  
[01] प्रारंभिक शिक्षा विभाग के माध्यम से

मू.	3,60.02	1,62.10	1,62.10	..
पु.	- 1,97.92			

31 मार्च 2020 को ₹ 1,97.92 लाख का प्रावधान राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर को अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(02) राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल को अनुदान

मू.	3,56.60	1,78.30	1,78.30	..
पु.	- 1,78.30			

31 मार्च 2020 को ₹ 1,78.30 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती करने तथा कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि में निधियों का उपयोग न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2205. कला एवं संस्कृति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर			
मू.	4,81.45	..	..
पु.	- 4,81.45	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 4,81.45 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) स्मारक एवं संग्रहालय			
[01] पुरातत्व विभाग के माध्यम से			
मू.	2,93.67	..	..
पु.	- 2,93.67	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,93.67 लाख का समस्त प्रावधान (i) विभिन्न स्मारकों के संरक्षण, नवीनीकरण तथा विकास कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी से वित्तीय, प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति में देरी होने, (ii) स्थानीय निकायों के आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण निविदा में देरी होने तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित न करने के कारण मरम्मत तथा रखरखाव कार्यों पर व्यय नहीं होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- एलोपैथी			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) अनुसूचित जातियों के लिए ब्लॉक स्तरीय संस्थापन			
[03] स्वास्थ्य उप-केन्द्र			
मू.	12,07.28	9,81.64	9,81.64
पु.	- 2,25.64		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,25.64 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू.	37,86.86	32,91.21	32,91.20
पु.	- 4,95.65		- 0.01
₹ 4,95.65 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वेतन तथा भत्तों पर कम व्यय होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) टर्सररी कैंसर केयर सेंटर			
[01] झालावाड़ अस्पताल एवं मेडीकल कॉलेज सोसायटी			
मू.	4,10.01	52.00	52.00
पु.	- 3,58.01		..

31 मार्च 2020 को ₹ 3,58.01 लाख का प्रावधान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से			
मू.	28,26.65	23,28.01	23,27.17
पु.	- 4,98.64		- 0.84

31 मार्च 2020 को ₹ 4,98.64 लाख का प्रावधान पदों के रिक्त रहने एवं संविदा सेवाओं तथा औषधि पर कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) निःशुल्क दवा वितरण योजना			
[02] राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम को अनुदान			
मू.	75,00.02	59,07.74	59,07.74
पु.	- 15,92.28		..

31 मार्च 2020 को ₹ 15,92.28 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. लोक स्वास्थ्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) निःशुल्क जांच योजना			
[01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से			
मू.	28,20.51	20,92.65	20,92.05
पु.	- 7,27.86		- 0.60

31 मार्च 2020 को ₹ 7,27.86 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत चिकित्सा केन्द्रों में पदों के रिक्त रहने तथा शीर्ष "संविदा सेवाएं" के तहत बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2211. परिवार कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय			
[04] शुभ लक्ष्मी योजना			
मू.	12,65.00	9,48.75	9,48.75
पु.	- 3,16.25		
31 मार्च 2020 को ₹ 3,16.25 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में चतुर्थ किस्त के जारी न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
[03] राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.)			
मू.	25,35.00	13,05.16	13,05.16
पु.	- 12,29.84		
31 मार्च 2020 को ₹ 12,29.84 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[05] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	2,51.17	..	..
पु.	- 2,51.17		
31 मार्च 2020 को ₹ 2,51.17 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(30) पर्यावरण और स्वास्थ्य निधि से व्यय			
[02] सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट			
मू.	3,23.61	1,60.50	1,60.50
पु.	- 1,63.11		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,63.11 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			



## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(36) स्वच्छ भारत मिशन			
[02] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	8,67.05	1,21.96	1,21.96
पु.	- 7,45.09		..

31 मार्च 2020 को ₹ 7,45.09 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(39) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[02] सबके लिए आवास-अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना			
मू.	16,11.26	0.66	0.66
पु.	- 16,10.60		..

31 मार्च 2020 को ₹ 16,10.60 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

80. सामान्य			
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि का सहायता			
(41) अन्नपूर्णा योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना			
मू.	3,98.64	..	..
पु.	- 3,98.64		..

31 मार्च 2020 को ₹ 3,98.64 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(14) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान			
[05] राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान			
मू.	6,33.03	..	..
पु.	- 6,33.03		..

31 मार्च 2020 को ₹ 6,33.03 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) स्वच्छ भारत मिशन			
[02] स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	20,42.46	2,84.57	2,84.57
पु.	- 17,57.89		..
31 मार्च 2020 को ₹ 17,57.89 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(41) प्रधानमंत्री आवास योजना			
[02] सबके लिए आवास-अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना			
मू.	37,19.74	11,80.52	11,80.52
पु.	- 25,39.22		..
₹ 25,39.22 लाख की प्रत्याशित बचत प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(44) अन्नपूर्णा योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना			
मू.	14,99.63	..	..
पु.	- 14,99.63		..
31 मार्च 2020 को ₹ 14,99.63 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(46) 14 वें वित्त आयोग के तहत अनुदान			
[05] 14 वें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान			
मू.	37,80.38	20,20.92	20,20.92
पु.	- 17,59.46		..
31 मार्च 2020 को ₹ 17,59.46 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(21) छात्रावासियों को साइकिल वितरण योजना			
[01] छात्रावासियों को साइकिल वितरण योजना			
मू.	2,00.01	..	..
पु.	- 2,00.01		

31 मार्च 2020 को ₹ 2,00.01 लाख का समस्त प्रावधान साइकिल की खरीद के लिए आमंत्रित खुली ई-निविदा में किसी भी बोलीदाता द्वारा भाग नहीं लेने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(22) आवासीय विद्यालय			
[01] आवासीय विद्यालयों का संचालन			
मू.	36,14.10	26,62.91	26,60.64 - 2.27
पु.	- 9,51.19		

31 मार्च 2020 को ₹ 9,51.19 लाख का प्रावधान (i) बाड़मेर में दो नये आवासीय विद्यालयों का संचालन न होने के परिणामतः पदों के रिक्त रहने, (ii) 14 आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर 33 शिक्षकों (स्तर-2) के पदों के न भरने तथा (iii) 14 आवासीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम होने तथा बाड़मेर में दो आवासीय विद्यालयों के संचालन न होने के कारण खाद्य सामग्री पर अनुमान से कम व्यय होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(22) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना			
मू.	29,95.02	2,26.50	2,26.50 ..
पु.	- 27,68.52		

₹ 29,95.02 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार चिन्हित गाँवों में ग्राम विकास परियोजना के निष्पादन हेतु अनुमानित था।

यद्यपि, 31 मार्च 2020 को ₹ 27,68.52 लाख का प्रावधान विकास कार्यों के लिये जिला परिषदों को निधियां हस्तान्तरण नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया क्योंकि ग्राम सभा की बैठक आयोजित नहीं हुई तथा संसद, ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों की चुनाव आचार संहिता तथा कोविड-19 महामारी के कारण जिला स्तर पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कन्वर्जेंस कमेटी द्वारा ग्राम विकास परियोजना का अनुमोदन नहीं किया गया।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(24) अम्बेडकर पीठ के लिए अनुदान			
[02] अम्बेडकर पीठ में योजनाओं के लिए व्यय			
मू.	2,38.50	78.00	78.00
पु.	- 1,60.50		..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,60.50 लाख का प्रावधान अंबेडकर पीठ में महानिदेशक के पद पर 22 अप्रैल 2019 से नियुक्ति न होने के परिणामस्वरूप फेलोशिप/छात्रवृत्ति, सेमिनार/ बैठकें, विज्ञापन/ प्रकाशन आदि से संबंधित निर्णय नहीं लेने तथा महानिदेशक के उपयोग के लिए कार्यालय वाहन किराए पर नहीं लेने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
02. रोजगार सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012			
[01] बेरोजगारी भत्ता			

मू. 94,00.00

49,81.46

49,81.46

..

पु. - 44,18.54

31 मार्च 2020 को ₹ 44,18.54 लाख का प्रावधान एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (वेतन प्रबंधक) के साथ विभागीय पोर्टल ई.ई.एम.एस. (ऊर्जा दक्ष गतिशीलता प्रणाली) पर लाभार्थियों के आंकड़ों का एकीकरण करने के कारण मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के क्रियान्वयन में देरी होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) महिला अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालयों हेतु			
[27] मुख्यमंत्री राजश्री योजना			

मू. 69,90.00

53,30.00

53,30.00

..

पु. - 16,60.00

31 मार्च 2020 को ₹ 16,60.00 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत भुगतान योग्य राशि की कम मांग के कारण अभ्यर्पित किया गया।

02. समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(19) अन्य कार्यक्रम			
[19] अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवार को जन श्री बीमा योजना हेतु सहायता (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)			

मू. 6,50.00

..

..

..

पु. - 6,50.00

31 मार्च 2020 को ₹ 6,50.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[08] अनुसूचित जातियों के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन			
मू .	58,95.15	42,96.82	42,57.63
पु .	- 15,98.33		

31 मार्च 2020 को ₹ 15,98.33 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या में अनुमानों से कम वृद्धि होने तथा इसी अनुसार पेंशन के वितरण पर विविध व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 39.19 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित न करने तथा पेंशनर्स के गलत या बंद बैंक खाता संख्या/मृत्यु/अन्यत्र प्रवास के कारण लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान न होने के परिणामतः अवशेष राशि को सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रही ।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(01) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से			
[09] अनुसूचित जातियों के लिये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन			
मू .	36,44.29	30,92.13	30,75.80
पु .	- 5,52.16		

31 मार्च 2020 को ₹ 5,52.16 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या में अनुमानों से कम वृद्धि होने तथा इसी अनुसार पेंशन के वितरण पर विविध व्यय कम होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 16.33 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित न करने तथा पेंशनर्स के गलत या बंद बैंक खाता संख्या/मृत्यु/अन्यत्र प्रवास के कारण लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान न होने के परिणामतः अवशेष राशि को सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रही ।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(04) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना			
मू .	96,05.00	88,07.28	87,26.50
पु .	- 7,97.72		

31 मार्च 2020 को ₹ 7,97.72 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या में अनुमानों से कम वृद्धि होने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।

₹ 80.78 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित न करने तथा पेंशनर्स के गलत या बंद बैंक खाता संख्या/मृत्यु/अन्यत्र प्रवास के कारण लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान न होने के परिणामतः अवशेष राशि को सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रही ।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन, कृषक सम्मान पेंशन योजना			
मू.	54,00.00	28,16.37	28,08.52
पु.	- 25,83.63		- 7.85
31 मार्च 2020 को ₹ 25,83.63 लाख का प्रावधान वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या में अनुमानों से कम वृद्धि होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 7.85 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित न करने तथा पेंशनर्स के गलत या बंद बैंक खाता संख्या/मृत्यु/अन्यत्र प्रवास के कारण लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान न होने के परिणामतः अवशेष राशि को सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रही।			
2236. पोषण			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम द्वारा			
[01] पोषाहार क्रेष कार्यक्रम			
मू.	4,25,00.00	3,33,62.64	3,33,34.17
पु.	- 91,37.36		- 28.47
31 मार्च 2020 को ₹ 91,37.36 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 28.47 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एन.एन.एम.)			
[01] राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (एन.एन.एम.) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
मू.	34,02.32	6,69.74	6,51.54
पु.	- 27,32.58		- 18.20
31 मार्च 2020 को ₹ 27,32.58 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 18.20 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)			
[01] प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग के माध्यम से			
मू.	26,08.81	6,24.01	6,24.01
पु.	- 19,84.80		..
31 मार्च 2020 को ₹ 19,84.80 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[20] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि विस्तार			
मू.	7,73.22	5,34.52	5,35.24
पु.	- 2,38.70		
31 मार्च 2020 को ₹ 2,38.70 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[21] राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-कृषि अभियांत्रिकी			
मू.	2,00.00	31.10	31.22
पु.	- 1,68.90		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,68.90 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[24] टिकाऊ खेती मिशन-मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन			
मू.	5,28.52	97.68	97.67
पु.	- 4,30.84		
31 मार्च 2020 को ₹ 4,30.84 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) कृषि विभाग के माध्यम से			
[23] मिशन फॉर लिवलिहुड			
मू.	7,13.20	1,78.30	1,78.30
पु.	- 5,34.90		
31 मार्च 2020 को ₹ 5,34.90 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[04] राष्ट्रीय बागवानी मिशन			
मू.	13,28.92	8,12.07	8,12.30
पु.	- 5,16.85		
31 मार्च 2020 को ₹ 5,16.85 लाख का प्रावधान (i) कार्यों की धीमी प्रगति, (ii) संसद, शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव आचार संहिता लागू होने तथा (iii) कोषालयों द्वारा बिलों का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ई.सी.एस.) के माध्यम से न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से			
[05] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)			
मू.	20,34.24	10,31.64	10,31.95
पु.	- 10,02.60		+ 0.31

31 मार्च 2020 को ₹ 10,02.60 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार द्वारा निर्धारित ड्रिप संयंत्रों की प्रति इकाई लागत प्रचलित लागत से कम होने के कारण कृषकों को कम अनुदान स्वीकृत किये गये परिणामतः कृषकों द्वारा कम रुझान दर्शाया गया तथा कृषकों से ऑनलाइन आवेदन कम प्राप्त होने, (ii) सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए कोई विशेष श्रेणी अनुदान निर्धारित नहीं किये गए परिणामतः कम व्यय होने, (iii) माह नवम्बर, 2019 में शहरी तथा स्थानीय निकाय चुनाव आचार संहिता लागू होने तथा (iv) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से  
[12] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त सहायता

मू.	23,52.00	6,96.27	6,96.27	..
पु.	- 16,55.73			

31 मार्च 2020 को ₹ 16,55.73 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी एम के यू एस यू एम) के घटक-बी के तहत स्टैंडअलोन सौर पंप की स्थापना के लिए स्वीकृति देरी से प्राप्त होने तथा (ii) राज्य सरकार के स्तर पर पंचाट का पत्र जारी करने तथा फर्मों की सूची जारी करने की प्रक्रिया 19 मार्च 2020 को समाप्त होने तथा इसके पश्चात् कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन लगाये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)  
[01] कृषि विभाग के माध्यम से

मू.	8,96.15	6,02.77	6,02.78	+ 0.01
पु.	- 2,93.38			

₹ 2,93.38 लाख की प्रत्याशित बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित न करने तथा पारित बिलों का भुगतान बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ई.सी.एस.) के माध्यम से न करने को आरोपित की गयी।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)  
[02] बागवानी विभाग के माध्यम से

मू.	6,89.00	2,59.15	2,59.15	..
पु.	-4,29.85			

₹ 4,29.85 लाख की प्रत्याशित बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित न करने तथा पारित बिलों का भुगतान बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ई.सी.एस.) के माध्यम से न करने को आरोपित की गयी।



## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[12] राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से जारी अनुदान			
मू.	1,95.00	..	..
पु.	- 1,95.00		
31 मार्च 2020 को ₹ 1,95.00 लाख का समस्त प्रावधान लेखों/सरकार द्वारा परियोजना पर आपति करने के कारण स्वीकृति जारी न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन			
[05] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन			
मू.	2,43.53	70.53	70.53
पु.	- 1,73.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,73.00 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	15,37.51	13,04.99	13,08.99
पु.	- 2,32.52		+ 4.00
31 मार्च 2020 को ₹ 2,32.52 लाख का प्रावधान कृषकों से आवेदन कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	11,50.17	5,22.07	5,22.07
पु.	- 6,28.10		..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[02] उद्यानिकी विभाग के माध्यम से			
मू.	4,34.03	1,25.68	1,25.68
पु.	- 3,08.35		..

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2401. फसल कृषि-कर्म			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[04] पशुपालन विभाग के माध्यम से			
मू .	3,11.81	1,24.28	1,24.28
पु .	- 1,87.53		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 11,23.98 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कुछ अभिकरणों के बिलों का भुगतान न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2403. पशु-पालन			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन विभाग के अभिकरण से			
[04] मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना			
मू .	10,00.00	8,46.00	8,43.27
पु .	- 1,54.00		
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन विभाग के अभिकरण से			
[16] भेड़ एवं बकरी आनुवांशिक सुधार योजना			
मू .	3,37.50	5.64	5.64
पु .	- 3,31.86		
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पशुपालन विभाग के अभिकरण से			
[17] पशु अस्पताल और चिकित्सालय			
मू .	15,40.00	4.00	4.00
पु .	- 15,36.00		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 20,21.86 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) बाह्य सहायता प्राप्त राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज- II			
मू .	13,94.94	3,99.00	3,99.00
पु .	- 9,95.94		
31 मार्च 2020 को ₹ 9,95.94 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) मुख्यमंत्री जलस्वावलम्बन अभियान			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी (अनुसूचित जाति के लिए)			
मू.	2,03.80	32.04	32.04
पु.	- 1,71.76		..

₹ 2,03.80 लाख का प्रावधान मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तीसरे चरण के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2020 को ₹ 1,71.76 लाख की राशि दायित्वों का वास्तविक भुगतान अनुमानों से कम होने के कारण अभ्यर्पित की गयी।

05. बंजर भूमि विकास			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(07) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( पी.एम.के.एस.वाई.)			
जलग्रहण घटक			
[03] कार्यकलाप सम्बन्धी (अनुसूचित जाति के लिए)			
मू.	87,19.66	70,98.33	70,98.33
पु.	- 16,21.33		..

31 मार्च 2020 को ₹ 16,21.33 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम तथा देरी से प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
[03] अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	65,10.00	48,68.27	48,68.27
पु.	- 16,41.73		..

31 मार्च 2020 को ₹ 16,41.73 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीयंश देरी से जारी करने के कारण निधियों की उपलब्धता में देरी होने तथा राज्य सरकार द्वारा राज्यांश की द्वितीय किस्त जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(10) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना			
(डीडीयू-जीकेवाई)			
[03] अनुदान			
मू.	16,40.75	9,83.23	9,83.23
पु.	- 6,57.52		..

31 मार्च 2020 को ₹ 6,57.52 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
[01] कार्यकलाप संबंधी (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	4,62,00.00	4,17,18.73	4,17,18.73
पु.	- 44,81.27		
31 मार्च 2020 को ₹ 44,81.27 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(41) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)(अनुसूचित जातियों के लिए)			
[01] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	4,51,06.56	1,93,28.63	1,93,28.63
पु.	- 2,57,77.93		
31 मार्च 2020 को ₹ 2,57,77.93 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(42) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	5,05.54	..	..
पु.	- 5,05.54	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 5,05.54 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
(05) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिये अनुदान (कुल प्रावधान का 12 प्रतिशत)			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	57,60.77	52,12.12	52,12.12
पु.	- 5,48.65		
31 मार्च 2020 को ₹ 5,48.65 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(03) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान			
[04] कार्यकलाप/गतिविधियां (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	2,16,02.87	15,80.02	15,79.15
पु.	- 2,00,22.85		- 0.87
31 मार्च 2020 को ₹ 2,00,22.85 लाख का प्रावधान ग्राम पंचायतों को अनुदान कम जारी करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 1,49,79.27 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 50,43.58 लाख) किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(34) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	40,10.77	..	..
पु.	- 40,10.77		
31 मार्च 2020 को ₹ 40,10.77 लाख का समस्त प्रावधान 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
वर्ष 2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
2701. मध्यम सिंचाई			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सर्वेक्षण (मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन के माध्यम से)			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	5,96.59	1,48.29	1,48.29
पु.	- 4,48.30		..
31 मार्च 2020 को ₹ 4,48.30 लाख का प्रावधान परियोजना से संबंधित कार्यों की धीमी प्रगति होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) उदय योजना के अंतर्गत वितरण निगमों को सहायता			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	7,83,80.78	6,67,28.84	6,67,28.84
पु.	- 1,16,51.94		..
₹ 7,83,80.78 लाख का प्रावधान उदय योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार डिस्कॉम को दिये गये ऋण को सहाय्य में परिवर्तित करने हेतु अनुमानित था। यद्यपि, वर्ष के दौरान जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड का ऋण सहाय्य में अनुमानों से कम परिवर्तित हुआ, परिणामस्वरूप ₹ 1,16,51.94 लाख का प्रावधान 31 मार्च 2020 को अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) विद्युत् दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	6,89,92.49	4,95,66.60	4,95,66.60
पु.	- 1,94,25.89		
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) विद्युत् दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	4,88,59.13	3,61,96.20	3,61,96.20
पु.	- 1,26,62.93		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 3,20,88.82 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा टैरिफ सब्सिडी में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) विद्युत् दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान			
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	8,75,66.26	6,19,17.18	6,19,17.18
पु.	- 2,56,49.08		
31 मार्च 2020 को ₹ 2,56,49.08 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा टैरिफ सब्सिडी में कटौती के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया ।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) विद्युत् शुल्क के प्रति अनुदान			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	1,00,07.80	88,27.38	88,27.38
पु.	- 11,80.42		
31 मार्च 2020 को ₹ 11,80.42 लाख का प्रावधान कर संग्रहण के अनुसार विद्युत् वितरण कम्पनी को सहाय्य जारी करने के कारण अभ्यर्पित किया गया ।			

**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
01. भारतीय सर्वेक्षण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क			
मू.	1,50.00	..	..
पु.	-1,50.00	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,50.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।			
3452. पर्यटन			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटक सूचना और प्रचार			
मू.	9,00.00	1,78.77	1,78.77
पु.	- 7,21.23	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 7,21.23 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[03] जिला कार्यालय			
मू.	23,52.72	16,72.38	16,72.30
पु.	- 6,80.34	..	- 0.08
₹ 6,80.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) भामाशाह योजना, 2014			
[01] आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			
मू.	15,50.05	..	..
पु.	- 15,50.05	..	..
31 मार्च 2020 को ₹ 15,50.05 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यतः (i) संसद, शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकाय की चुनाव आचार संहिता लागू होने, (ii) पिछली सरकार द्वारा अन्तिम छः महीनों में लिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए गठित मंत्री मण्डलीय समिति में भामाशाह योजना के विचाराधीन होने के कारण प्रत्येक बी पी एल परिवार को ₹ 2000 की सहायता का भुगतान न होने तथा (iii) 18.12.2019 से भामाशाह योजना के स्थान पर नई जन आधार योजना शुरू करने के कारण कम्प्यूटरीकरण और संबंधित संचार व्यय के तहत व्यय न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2202. सामान्य शिक्षा			
01. प्रारम्भिक शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुर्नभरण			
मू.	65,00.00	78,49.56	78,38.09
पु.	13,49.56		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,49.56 लाख की अतिरिक्त निधियां शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को फीस के पुर्नभरण हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 11.47 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) विशिष्ट संघटक योजना (अनुसूचित जाति के लिये)			
मू.	10,77.62	13,92.78	13,92.76
पु.	3,15.16		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,15.16 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
मू.	33,71.18	39,68.84	39,68.84
पु.	5,97.66		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,97.66 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
[01] आयुर्वेद विभाग			
मू.	17,00.00	28,38.87	28,38.87
पु.	11,38.87		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,38.87 लाख की अतिरिक्त निधियां आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति मिलने के परिणामतः भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			



## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) अस्पताल एवं औषधालय [06] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा	मू. 18,15.15 पु. 2,17.01	20,32.16	20,32.16 ..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,17.01 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
06. लोक स्वास्थ्य 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (05) जन स्वास्थ्य बीमा योजना [01] निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से	मू. 1,07,27.04 पु. 22,21.01	1,29,48.05	1,29,48.05 ..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,21.01 लाख की अतिरिक्त निधियां भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का आयुष्मान भारत योजना में एकीकरण के कारण उपलब्ध करायी गयी क्योंकि 12 दिसम्बर, 2019 को द्वितीय चरण समाप्त होने के पश्चात् भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की निरन्तरता तथा विस्तार में संशय के कारण राज्य सरकार द्वारा योजना के द्वितीय चरण तक ही शीर्ष के अन्तर्गत बजट प्रावधान किया गया क्योंकि बीमा कम्पनी के साथ उस दिन तक का ही करार था। 13 दिसम्बर, 2019 से आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकरण के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2019-20 की बकाया अवधि में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता थी।			
2211. परिवार कल्याण 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) [02] स्टेट वाइड इमरजेन्सी एम्बुलेंस सेवा योजना	मू. 17,65.00 पु. 7,32.56	24,97.56	24,97.56 ..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,32.56 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) संशोधित अनुमानों में आवश्यकता के अनुसार राज्यांश में अतिरिक्त निधियों हेतु प्रावधान करने जिसके लिए बजट अनुमानों के दौरान कम प्रावधान किया गया था तथा (ii) केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निधियां अधिक जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (02) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) [03] राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	मू. 3,92,15.00 पु. 49,08.02	4,41,23.02	4,41,23.02 ..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 49,08.02 लाख (निवल) की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुसार राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2217. शहरी विकास			
05. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[06] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जातियों के लिये)			
मू.	5,34.90	7,13.03	7,13.03
पु.	1,78.13		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,78.13 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत निधियां अधिक जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) अनुसूचित जाति के लिए नागरिक सुरक्षा हेतु अनुदान			
मू.	20,50.00	42,98.54	42,27.28
पु.	22,48.54		- 71.26
₹ 20,50.00 लाख का प्रावधान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के तहत मामलों में तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अनुमानित था। तत्पश्चात्, 31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,48.54 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष से संबंधित बकाया दायित्वों के भुगतान के लिए तथा अपराध एवं आपराधिक ट्रेकिंग नेटवर्क तथा सिस्टम (सीसीटीएनएस) के साथ विभागीय पोर्टल के एकीकरण के कारण लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 71.26 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(13) अनुसूचित जातियों के निराश्रित बच्चों हेतु पालनहार योजनान्तर्गत अनुदान			
मू.	60,00.00	74,85.62	71,82.76
पु.	14,85.62		- 3,02.86
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14,85.62 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष के दौरान लाभार्थी बच्चों की संख्या में 70,284 से 85,299 की वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 3,02.86 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्तियां तथा वजीफा			
मू.	4,37,32.00	5,18,42.08	5,13,04.92
पु.	81,10.08		- 5,37.16

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 81,10.08 लाख की अतिरिक्त निधियां गत वर्ष के बकाया के भुगतान हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने तथा 2019-20 के लिए अधिक मामलों की प्राप्ति के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 5,37.16 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित न करने तथा गलत या बंद हुए बैंक खाता संख्या के कारण लाभार्थियों को छात्रवृत्तियों का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप अवशेष राशि को सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रही।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना			
मू.	6,82,68.00	7,26,95.46	7,08,61.15 - 18,34.31
पु.	44,27.46		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 44,27.46 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुसूचित जातियों के पेंशनरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 18,34.31 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित न करने तथा पेंशनर्स का गलत या बंद हुए बैंक खाता संख्या/मृत्यु/अन्यत्र प्रवास के कारण लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान नहीं करने के परिणामतः अवशेष राशि को सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रही।

60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(03) मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
[02] अनुसूचित जातियों के लिये मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना			
मू.	3,16,40.00	3,39,27.96	3,36,73.32 - 2,54.64
पु.	22,87.96		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,87.96 लाख की अतिरिक्त निधियां अनुसूचित जातियों के पेंशनरों की संख्या में वृद्धि होने तथा वृद्धावस्था पेंशनर्स का विधवा पेंशन योजना में हस्तान्तरण होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

₹ 2,54.64 लाख की अंतिम बचत कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित न करने तथा पेंशनर्स का गलत या बंद हुए बैंक खाता संख्या/मृत्यु/अन्यत्र प्रवास के कारण लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान नहीं करने के परिणामतः अवशेष राशि को सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रही।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2401. फसल कृषि-कर्म			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(08) विशिष्ट संघटक में जिला स्तरीय कृषि योजनाएं			
[15] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन			
मू .	20,98.75	25,13.87	25,14.88
पु .	4,15.12		
			+ 1.01
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,15.12 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (वि.के.स.)			
[04] डेयरी विभाग के माध्यम से जारी अनुदान			
मू .	6,00.00	10,00.00	10,00.00
पु .	4,00.00		
			..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के अनुपात में राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य			
[01] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य के तहत व्यय-प्रतिबद्ध			
मू .	0.01	5,42.64	5,42.64
पु .	5,42.63		
			..
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य			
[01] वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य के तहत व्यय			
अ .	0.01	10,22.76	10,22.76
पु .	10,22.75		
			..

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,65.38 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2425. सहकारिता			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता			
मू.	0.01	82,87.00	82,87.00
पु.	82,86.99		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 82,86.99 लाख की अतिरिक्त निधियां तरलता की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा उधार ली गई कार्यशील पूंजी पर ब्याज के भुगतान हेतु सहकारी संस्थाओं को अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान			
मू.	25,74.00	51,48.00	51,48.00
पु.	25,74.00		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,74.00 लाख की अतिरिक्त निधियां सहकारी समितियों के किसानों जिन्होंने अल्पकालिन फसली ऋण का समय पर भुगतान किया को 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान जारी करने के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अनुदान			
मू.	0.02	2,04.00	2,04.00
पु.	2,03.98		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,03.98 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण में की गई घोषणा की अनुपालना में गोदामों के निर्माण के लिए उपलब्ध करायी गयी।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) कृषि ऋण माफी योजना			
[01] राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक) के माध्यम से			
मू.	5,40,00.00	6,92,94.00	6,92,94.00
पु.	1,52,94.00		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,52,94.00 लाख की अतिरिक्त निधियां किसानों को ऋण माफी की एवज में अपेक्स बैंक को अनुदान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
06. स्वरोजगार कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(11) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना			
[03] राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना अनुसूचित जातियों के लिए			
मू.	0.04	4,11.48	4,11.48
पु.	4,11.44		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,11.44 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
2505. ग्राम रोजगार			
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम			
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
(02) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण			
[03] प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जाति)			
मू.	4,65,36.90	5,21,71.61	5,21,71.61
पु.	56,34.71		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 56,34.71 लाख की अतिरिक्त निधियां प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
198. ग्राम पंचायतों को सहायता			
(33) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान			
[03] कार्यकलाप/गतिविधियां			
मू.	5,73,34.19	9,01,50.38	9,00,67.16
पु.	3,28,16.19		- 83.22
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,28,16.19 लाख की अतिरिक्त निधियां चौदहवें वित्त आयोग के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 83.22 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
2801. बिजली			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) उदय योजना के अंतर्गत वितरण निगमों को सहायता			
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता			
मू.	8,05,19.28	9,56,77.43	9,56,77.43
अ.	0.01		..
पु.	1,51,58.14		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,51,58.14 लाख की अतिरिक्त निधियां पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को सहायता			
[01] बकाया अनुदान का भुगतान			
अ.	0.01	3,00.00	3,00.00
पु.	2,99.99		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को स्थगित अनुदान के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान			
मू.	73.29	2,73.29	2,73.29
पु.	2,00.00		
			..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,00.00 लाख की अतिरिक्त निधियां बजट भाषण 2019-20 में की गयी उद्घोषणा की अनुपालना में खादी संस्थाओं के रिवाल्विंग फंड में वृद्धि हेतु अनुदान जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
3055. सड़क परिवहन			
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना			
(07) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि			
[01] परिवहन विभाग के माध्यम से			
मू.	10,70.00	19,93.93	19,93.93
पु.	9,23.93		
			..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,23.93 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के तहत अधिक निधियां जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[12] स्वान होरीजंटल			
मू.	10,08.00	12,22.92	12,22.92
पु.	2,14.92		
			..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,14.92 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[28] राजनेट			
मू.	16,20.00	30,00.00	30,00.00
पु.	13,80.00		
			..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,80.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[33] कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर			
मू.	1,26.00	4,90.00	4,90.00
पु.	3,64.00		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,64.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
3456. सिविल पूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
[03] अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु			
मू.	1,00,00.00	1,25,49.40	1,25,32.96
पु.	25,49.40		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25,49.40 लाख की अतिरिक्त निधियां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत परिवहन, संग्रहण और वितरण पर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 16.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
191. नगर निगम को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[02] विकास कार्य (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	2,43.81	4,18.86	4,18.86
पु.	1,75.05		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,75.05 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(02) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन			
[02] विकास कार्य (अनुसूचित जातियों के लिए)			
मू.	5,42.66	9,32.31	9,32.31
पु.	3,89.65		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,89.65 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			



**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

**पूंजी**

**दत्तमत**

1. ₹ 9,84,63.22 लाख की अंतिम बचत में से राशि ₹ 17,97.64 लाख अन्अभ्यर्पित रही।
2. वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 9,41,34.85 लाख, ₹ 5,76,10.24 लाख, ₹ 16,64,97.88 लाख, ₹ 13,33,90.32 लाख तथा ₹ 9,84,63.22 लाख तक की निरन्तर बचत पायी गयी जो अनुदान के अंतर्गत कुल बजट की 8.49 प्रतिशत से 30.07 प्रतिशत के बीच थी। इन वर्षों में रही निरन्तर बचत का एक कारण भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होना तथा कार्यों का निष्पादन कम/न होना था।
3. बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रही :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) पुलिस आवास			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	9,73.45	3,99.03	3,99.03
पु.	- 5,74.42		

31 मार्च 2020 को ₹ 5,74.42 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा बजट सीमा में कटौती करने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80. सामान्य
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
- (01) सामान्य भवन (जेल विभाग)
- [02] जेल भवन का निर्माण

मू.	3,53.98	1,09.71	1,09.71
पु.	- 2,44.27		

31 मार्च 2020 को ₹ 2,44.27 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

80. सामान्य
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना
- (03) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)
- [02] अन्य भवन

मू.	6,90.27	4,35.59	4,35.59
पु.	- 2,54.68		

31 मार्च 2020 को ₹ 2,54.68 लाख का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा बजट सीमा में कटौती करने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) सामान्य भवन (भू-राजस्व)			
मू.	6,21.79		
पु.	- 1,21.65	5,00.14	4,48.15
			- 51.99
31 मार्च 2020 को ₹ 1,21.65 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 51.99 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) कॉलेज शिक्षा			
[90] वृहद् निर्माण कार्य			
मू.	5,91.00		
पु.	- 2,96.73	2,94.27	2,94.27
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,96.73 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) शिक्षक शिक्षा के लिए ब्लॉक संस्थान			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	4,00.00		
पु.	- 4,00.00	..	..
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 4,00.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा तदनुसार राज्यांश जारी नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) मॉडल स्कूल			
[01] मॉडल स्कूल-निर्माण कार्य			
मू.	6,50.00		
पु.	- 6,50.00	..	..
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 6,50.00 लाख का समस्त प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(10) मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना			
[01] विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास			
मू.	4,24.99		
पु.	- 1,91.36	2,33.63	2,33.63
			..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,91.36 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तहत प्राप्त अंशदान के अनुसार विद्यालयों में मौलिक आधारभूत कार्यों का निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(14) नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
[01] राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य			
मू.	32,74.70	6,94.00	6,94.00
पु.	- 25,80.70		..
31 मार्च 2020 को ₹ 25,80.70 लाख का प्रावधान नाबार्ड के अन्तर्गत विद्यालयों में बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. खेलकूद तथा युवा सेवा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) खेल विभाग के माध्यम से जिला संकुल			
मू.	5,29.17	1,50.00	1,50.00
पु.	- 3,79.17		..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,79.17 लाख का प्रावधान बजट सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) औषधालय तथा सहायता चौकियां			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	44,16.22	10,61.33	10,61.33
पु.	- 33,54.89		..
31 मार्च 2020 को ₹ 33,54.89 लाख का प्रावधान जिला अस्पताल, धौलपुर को टीचिंग अस्पताल में बदलने की स्वीकृति प्राप्त न होने के परिणामस्वरूप निर्माण कार्यों की धीमी गति होने तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण मार्च, 2020 के अंतिम पखवाड़े में राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण			
[01] औषधि नियंत्रक के माध्यम से			
मू.	4,87.00	..	..
पु.	- 4,87.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 4,87.00 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) स्वास्थ्य उप-केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	7,82.00	..	..
पु.	- 7,82.00		
31 मार्च 2020 को ₹ 7,82.00 लाख का समस्त प्रावधान मुख्यतः (i) वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर कार्य आदेश जारी होने से पारोली (भीलवाड़ा) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य का निष्पादन नहीं होने, कार्यदेश जारी होने में विलम्ब से निविदा प्रक्रिया के निष्पादन में समय लगने तथा केन्द्र के लिए पूर्व में आवंटित भूमि पर विवाद होने के कारण नये स्थान पर भूमि का आवंटन होने, (ii) जमीन की उपलब्धता में देरी के कारण से झालावाड़ जिले में दो मुर्दा गृहों का काम शुरू होने में देरी तथा (iii) बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[01] स्वास्थ्य उप-केन्द्रों का निर्माण			
मू.	5,75.00	4,00.00	4,00.00
पु.	- 1,75.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,75.00 लाख का प्रावधान नाबार्ड द्वारा पोषित योजनाओं की बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[02] प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	18,53.00	13,53.00	13,53.00
पु.	- 5,00.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 5,00.00 लाख का प्रावधान नाबार्ड द्वारा पोषित योजनाओं की बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[02] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर			
मू.	6,00.01	3,10.22	3,10.22
पु.	- 2,89.79		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,89.79 लाख का प्रावधान (i) शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण महाविद्यालय से संलग्न चिकित्सालयों में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का कम निष्पादन करने, (ii) फर्म द्वारा मद की आपूर्ति न करने तथा (iii) शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालयों में नवीनीकरण के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[04] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर			
मू.	7,75.01		
पु.	- 5,79.24	1,95.77	1,95.78 + 0.01

31 मार्च 2020 को ₹ 5,79.24 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा  
[05] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर

मू.	4,00.02		
पु.	- 2,35.58	1,64.44	1,64.44 ..

31 मार्च 2020 को ₹ 2,35.58 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(02) स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट  
[01] एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर

मू.	6,74.41		
पु.	- 6,74.41	..	.. ..

₹ 6,74.41 लाख का प्रावधान स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट हेतु उपकरणों की खरीद के लिए अनुमानित था। यद्यपि, 31 मार्च 2020 को ₹ 6,74.41 लाख का समस्त प्रावधान एकमात्र निविदा पर अंतिम निर्णय न लेने के परिणामस्वरूप प्रक्रिया के पूर्ण नहीं किये जा सकने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(05) यू.जी. सीट्स में अभिवृद्धि  
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा

मू.	5,50.02		
पु.	- 5,50.02	..	.. ..

31 मार्च 2020 को ₹ 5,50.02 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

वर्ष 2018-19 के दौरान भी समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) पी.जी. सीटों में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार में मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण और उन्नयन फेज- II			
[01] एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर			
मू.	1,70.02	1.28	1.28
पु.	- 1,68.74		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,68.74 लाख का प्रावधान पी जी सीट फेज-II के अन्तर्गत कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यों का कम निष्पादन किया गया जिसके लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त हुई थी तथा कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण सामग्री की आपूर्ति न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[01] अन्य ग्रामीण पेयजल योजनाएं			
मू.	1,33,72.00	1,00,54.45	1,00,19.09
पु.	- 33,17.55		- 35.36
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[02] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	5,60.00	1,75.75	1,75.75
पु.	- 3,84.25		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[14] पोकरण-फलसूंड जल प्रदाय परियोजना (नाबार्ड)			
मू.	32,37.73	11,83.41	11,83.41
पु.	- 20,54.32		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[29] डीग जलपूर्ति योजना			
मू.	9,80.00	4,58.68	4,58.68
पु.	- 5,21.32		..

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[31] नर्मदा-गुढ़ामलानी जलपूर्ति योजना			
मू .	3,34.03		
पु .	- 2,81.83	52.20	52.20
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[38] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना-फेज- II			
पार्ट-बी (68 गांवों की क्लस्टर योजना)			
मू .	5,38.00		
पु .	- 4,86.05	51.95	51.95
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[41] ब्यावर-जवाजा क्लस्टर योजना			
मू .	12,36.00		
पु .	- 1,54.47	10,81.53	10,81.53
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[42] गागरिन जलपूर्ति योजना			
मू .	10,00.00		
पु .	- 6,55.01	3,44.99	3,44.99
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[44] जवाई क्लस्टर परियोजना- II			
मू .	6,42.36		
पु .	- 5,59.46	82.90	82.90
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[51] चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज-I, पार्ट-II			
मू .	34,00.00		
पु .	- 14,02.97	19,97.03	19,97.03

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[53] बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ जल पूर्ति परियोजना			
मू .	9,00.00		
पु .	- 2,50.06	6,49.94	6,49.94
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[55] नर्बदा परियोजना-क्लस्टर (डी.आर.)			
मू	16,00.00		
पु .	- 8,48.45	7,51.55	7,51.55
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[58] नर्बदा से शिव तहसील, जिला बाड़मेर, जलपूर्ति परियोजना (205 गांव)			
मू	26,00.00		
पु .	- 19,22.27	6,77.73	6,77.73
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[61] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांव हेतु जल पूर्ति परियोजना			
मू	12,50.00		
पु .	- 8,63.45	3,86.55	3,86.55
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[64] राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निश्चित राशि			
मू .	2,00.00		
पु .	- 1,89.55	10.45	10.45



## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[73] नागौर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज-द्वितीय (डीडीपी) ग्रामीण			
मू.	2,00.00	27.44	27.44
पु.	- 1,72.56		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[79] बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना, फेज- II, पार्ट-डी			
मू.	11,66.00	4,56.51	4,56.51
पु.	- 7,09.49		..
उपरोक्त सत्तरह शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 1,47,73.06 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
शीर्ष "4215-01-789(01) [01]" के अंतर्गत ₹ 35.36 लाख की अंतिम बचत ₹ 35.36 लाख की अवशेष राशि सरकारी खाते में जमा कराये जाने के कारण थी।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[23] नागौर लिफ्ट केनाल फेज- II			
मू.	41,00.90	35,65.28	34,27.67
पु.	- 5,35.62		- 1,37.61
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[33] चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जलप्रदाय योजना			
मू.	11,10.01	4,84.72	4,84.72
पु.	- 6,25.29		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[56] इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	37,22.00	8,67.91	8,67.91
पु.	- 28,54.09		..

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[81] माही बांध से जिला बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ एवं कुशलगढ़ ब्लॉक के गांवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
मू.	38,67.35	17,28.51	17,28.51
पु.	- 21,38.84		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[84] अंता-मांगरोल तहसील, जिला बारां की सोनवा पेयजल परियोजना			
मू.	6,30.00	2,92.44	2,92.44
पु.	- 3,37.56		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[89] डूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा पेयजल परियोजना			
मू.	9,00.00	7,11.69	7,11.69
पु.	- 1,88.31		..
उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 66,79.71 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
शीर्ष "4215-01-789(01) [23]" के अंतर्गत ₹ 1,37.61 लाख की अंतिम बचत ₹ 1,37.61 लाख की अवशेष राशि सरकारी खाते में जमा कराये जाने के कारण थी।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[13] नर्मदा जल प्रदाय परियोजना (एफ.आर.) (नाबार्ड)			
मू.	2,15.83	..	..
पु.	- 2,15.83		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[19] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जल प्रदाय परियोजना फेज- II			
मू.	7,32.75	..	..
पु.	- 7,32.75		..

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[78] बत्तीसा नाले पर बाँध बनाकर सिरोही जिले हेतु पेयजल योजना (ग्रामीण)			
मू .	4,50.01	..	..
पु .	- 4,50.01	..	..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 13,98.59 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[22] टोंक, उनियारा और देवली को बीसलपुर बांध से जलप्रदाय परियोजना			
मू .	0.02	..	- 1,18.78
पु .	- 0.02	..	- 1,18.78
₹ 1,18.78 लाख का ऋण व्यय अवशेष राशि को सरकारी खाते में जमा कराने के कारण था।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[39] बाड़मेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज- II पार्ट-सी (473 गांवों की कलस्टर योजना)			
मू .	33,00.00	18,18.49	18,18.49
पु .	- 14,81.51		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[48] चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना-कलस्टर			
मू .	73,04.98	63,45.84	63,45.84
पु .	- 9,59.14		..

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[49] नर्मदा एफ.आर. क्लस्टर परियोजना			
मू.	33,00.04	17,53.11	17,53.11
पु.	- 15,46.93		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 39,87.58 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्यों के कम निष्पादन को आरोपित की गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[02] अन्य शहरी पेयजल योजनाएं			
मू.	68,50.00	60,13.52	60,10.59
पु.	- 8,36.48		- 2.93
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[04] जवाई-पाली पाइप लाइन परियोजना			
मू.	4,50.00	3.60	3.60
पु.	- 4,46.40		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[13] शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर के पुनर्गठन का कार्य			
मू.	18,00.00	8,52.65	8,52.65
पु.	- 9,47.35		..
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[15] नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना फेज- II			
मू.	12,48.10	8,90.78	8,78.26
पु.	- 3,57.32		- 12.52

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[16] डीग जल प्रदाय योजना			
मू .	3,60.00	45.21	45.21
पु .	- 3,14.79		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[29] पोकरण-फलसूंड जलप्रदाय परियोजना (शहरी)			
मू .	4,50.00	54.70	54.70
पु .	- 3,95.30		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[34] पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाईप लाईनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु			
मू .	6,75.85	4,24.52	4,24.45
पु .	- 2,51.33		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[37] टोंक, देवली-उनियारा जलपूर्ति परियोजना			
मू .	12,00.00	3,35.07	3,35.07
पु .	- 8,64.93		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[44] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) से सहायता प्राप्त जलप्रदाय योजनाएं			
मू .	7,00.00	3,80.00	3,68.18
पु .	- 3,20.00		

उपरोक्त नो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 47,33.90 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

शीर्ष "4215-01-789(02)[15] एवं [44]" के अंतर्गत ₹ 24.34 लाख की अंतिम बचत ₹ 24.33 लाख की अवशेष राशि सरकारी खाते में जमा कराने के कारण रही।

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[06] चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जल प्रदाय परियोजना			
मू.	10,10.00	..	..
पु.	- 10,10.00		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[40] चम्बल-भीलवाड़ा जल पूर्ति योजना-क्लस्टर			
मू.	4,50.00	..	..
पु.	- 4,50.00		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[43] भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलपूर्ति परियोजना			
मू.	5,40.00	..	..
पु.	- 5,40.00		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[45] इसरदा बाँध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)			
मू.	4,50.00	..	..
पु.	- 4,50.00		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[56] डूंगरपुर, आसपुर एवं दोवड़ा पेयजल परियोजना			
मू.	6,50.00	..	..
पु.	- 6,50.00		

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति (शहरी)			
[58] बीसलपुर-जयपुर जलप्रदाय परियोजना-द्वितीय चरण (शहरी)			
मू.	6,14.24	..	..
पु.	- 6,14.24	..	..

उपरोक्त छः शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 37,14.24 लाख का समस्त प्रावधान निर्माण कार्यों के निष्पादन न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)			
[01] स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से			
मू.	76,67.50	46,53.96	46,53.96
पु.	- 30,13.54		..

31 मार्च 2020 को ₹ 30,13.54 लाख का प्रावधान अमृत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) कन्या छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	3,00.01	1,42.68	1,42.68
पु.	- 1,57.33		..

31 मार्च 2020 को ₹ 1,57.33 लाख का प्रावधान (i) अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास जमवारामगढ़, जयपुर का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुनः शुरू नहीं किया गया जिसे भूमि विवाद के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रोक दिया गया था तथा (ii) कार्यकारी अभिकरण द्वारा बालिका छात्रावास, दौसा तथा शेरगढ़ (जोधपुर) के निर्माण कार्यों की धीमी गति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) छात्रों हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	14,65.00	5,31.77	5,31.17
पु.	- 9,33.23		..

31 मार्च 2020 को ₹ 9,33.23 लाख का प्रावधान (i) अनुसूचित जाति छात्रों के छात्रावास, जगतपुरा (जयपुर), शिव और गुडामालानी (बाड़मेर) का निर्माण कार्य कार्यकारी अभिकरणों द्वारा प्रारम्भ नहीं करने के कारण राज्य सरकार द्वारा स्वीकृतियां निरस्त करने, (ii) अन्य निर्माण कार्यों की धीमी गति तथा (iii) छात्रावास भवनों में पहले से स्थापित सोलर लाइटों की कमियों को दूर नहीं करने के कारण कार्यकारी एजेन्सी को भुगतान जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास भवन निर्माण			
मू.	7,71.00	3,85.16	3,85.16
पु.	- 3,85.84		..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,85.84 लाख का प्रावधान अनुसूचित जाति महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास, बाड़मेर के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति निरस्त करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) आंगन बाड़ी केन्द्र निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	6,25.00	2,37.00	2,37.00
पु.	- 3,88.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,88.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) आंगन बाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रख रखाव मय क्रेच निर्माण आई.सी.डी.एस. मिशन मोड अन्तर्गत			
मू.	4,50.01	90.36	90.36
पु.	- 3,59.65		..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,59.65 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) प्रशिक्षण			
[01] संयंत्र तथा उपकरण			
मू.	8,00.00	0.82	0.82
पु.	- 7,99.18		..
31 मार्च 2020 को ₹ 7,99.18 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			



## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) नवीन आई.टी.आई. भवन का निर्माण			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	14,96.18	12,88.18	12,88.18
पु.	- 2,08.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,08.00 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[01] कृषि विभाग के माध्यम से			
मू.	5,60.60	3,01.00	3,01.00
पु.	- 2,59.60		..
₹ 2,59.60 लाख की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राज्य निधि के देरी से जारी होने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान राज्य निधि की कम उपलब्धता तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति होने से माह मार्च, 2020 में बिलों के पारित न होने तथा बैंक द्वारा पारित हुए बिल का इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ई.सी.एस.) द्वारा भुगतान जारी न करने को आरोपित की गयी।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)			
[06] कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से			
मू.	2,00.00	..	..
पु.	- 2,00.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,00.00 लाख का समस्त प्रावधान राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
[04] किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण			
मू.	1,50.00	56.30	- 1,88.32
पु.	- 93.70		- 2,44.62
31 मार्च 2020 को ₹ 93.70 लाख का प्रावधान पंचायती राज विभाग से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
₹ 1,88.32 लाख का ऋण व्यय ₹ 2,44.62 लाख की अवशेष राशि सरकारी खाते में जमा कराने के कारण था।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[03] जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से			
मू.	4,77.59	2,76.94	2,76.94
पु.	- 2,00.65		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,00.65 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कुछ अभिकरणों के बिलों के पारित न होने तथा बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना			
[06] जल संसाधन विभाग के माध्यम से			
मू.	9,32.86	6,44.94	6,44.94
पु.	- 2,87.92		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,87.92 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण माह मार्च, 2020 में कुछ अभिकरणों के बिलों के पारित न होने तथा बजट सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) नाबार्ड के सहयोग से वनीकरण कार्य			
मू.	12,28.67	3,14.42	3,13.67
पु.	- 9,14.25		- 0.75
31 मार्च 2020 को ₹ 9,14.25 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. वानिकी			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) जलवायु परिवर्तन एवं मरू प्रसार रोक			
मू.	13,08.04	11,25.91	11,24.87
पु.	- 1,82.13		- 1.04
31 मार्च 2020 को ₹ 1,82.13 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय 02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (03) बायोलोजिकल पार्क, बीकानेर	मू. 3,50.01 पु. - 3,37.97	12.04	12.04 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,37.97 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (04) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम [01] जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	मू. 81,00.00 पु. - 14,37.75	66,62.25	66,62.25 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 14,37.75 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों पर कम व्यय होने के कारण जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में योजना से सम्बन्धित अवशेष राशि की पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (10) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से [01] जिला परिषदों/पंचायत समितियों को भवन निर्माण हेतु	मू. 2,49.20 पु. - 2,09.10	40.10	40.10 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,09.10 लाख का प्रावधान कार्यों के कम निष्पादन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय 02. पिछड़े क्षेत्र 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु [04] श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (राष्ट्रीय रूबर्न मिशन)	मू. 9,74.70 पु. - 9,54.49	20.21	20.21 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 9,54.49 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
06. सीमा क्षेत्र विकास 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	मू. 24,47.00 पु. - 8,56.00	15,91.00	15,91.00 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 8,56.00 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से)			
[01] दाईं मुख्य नहर			
मू .	6,50.00	4,27.43	4,27.43
पु .	- 2,22.57		
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) जल निकास (क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल के माध्यम से)			
[02] बाईं मुख्य नहर			
मू .	6,50.00	3,00.00	3,00.00
पु .	- 3,50.00		
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 5,72.57 लाख का प्रावधान न्यायालय द्वारा बजरी पर रोक लगाने के कारण कार्यों की धीमी गति होने तथा आनुपातिक प्रगति के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्यों का निष्पादन नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	9,44.85	6,12.35	6,12.36
पु .	- 3,32.50		
31 मार्च 2020 को ₹ 3,32.50 लाख का प्रावधान कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण 23 मार्च 2020 से कार्यालय बन्द होने तथा कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[11] चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट (नोहर साहवा) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.			
मू .	12,46.00	3,68.95	3,68.95
पु .	- 8,77.05		

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[12] पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट (गजनेर लिफ्ट) सी. ए.डी.डब्ल्यू.एम.			
मू .	14,24.00	3,89.21	3,89.21
पु .	- 10,34.79		..
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[13] डॉ. करणी सिंह लिफ्ट (कोलायत लिफ्ट) सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.			
मू .	8,89.97	3,31.72	3,31.72
पु .	- 5,58.25		..
उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 24,70.09 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने तथा तदनुसार राज्यांश कम जारी किये जाने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर के माध्यम से			
[01] निर्माण कार्य			
मू .	9,25.16	3,86.74	3,86.31
पु .	- 5,38.42		- 0.43
31 मार्च 2020 को ₹ 5,38.42 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(05) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[02] मुख्य नहर (कि.मी. 74 से 189 तक) का पुर्नजीविकरण/ उन्नयन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण			
मू .	3,05.00	1,44.47	1,44.47
पु .	- 1,60.53		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,60.53 लाख का प्रावधान आयोजना सीमा में कटौती के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 37. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/ नवीनीकरण(वाणिज्यिक) 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) निर्माण कार्य	मू. 2,70.00 पु. - 2,69.90	0.10	0.11 + 0.01
31 मार्च 2020 को ₹ 2,69.90 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक) 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) निर्माण कार्य	मू. 10,80.00 पु. - 4,80.40	5,99.60	6,00.68 + 1.08
31 मार्च 2020 को ₹ 4,80.40 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक) 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (02) तकली परियोजना	मू. 5,40.00 पु. - 1,64.76	3,75.24	3,76.99 + 1.75
31 मार्च 2020 को ₹ 1,64.76 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
67. लहसी परियोजना (वाणिज्यिक) 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (02) लहसी परियोजना (नाबार्ड)	मू. 1,80.00 पु. - 54.92	1,25.08	- 8.55 - 1,33.63
31 मार्च 2020 को ₹ 54.92 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 1,33.63 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
73. हाथिया देह परियोजना (वाणिज्यिक) 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (01) निदेशन एवं प्रशासन [01] निर्माण कार्य	मू. 13,50.00 पु. - 13,14.67	35.33	35.49 + 0.16
31 मार्च 2020 को ₹ 13,14.67 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति तथा इसी अनुरूप प्रोरेटा व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के माध्यम से [01] लघु सिंचाई परियोजनाएं			
मू.	38,52.81		
पु.	- 5,43.93		
		33,08.88	32,85.98
			- 22.90

31 मार्च 2020 को ₹ 5,43.93 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति तथा इसी अनुरूप आनुपातिक व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 22.90 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से  
[03] वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर

मू.	9,02.00		
पु.	- 2,53.70		
		6,48.30	6,51.27
			+ 2.97

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(02) मुख्य अभियंता, जल संसाधन के माध्यम से  
[04] आधुनिकीकरण/उन्नयन/पुर्नजीवीकरण

मू.	3,60.00		
पु.	- 1,91.62		
		1,68.38	1,69.16
			+ 0.78

उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 4,45.32 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति तथा इसी अनुरूप आनुपातिक व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(04) लघु सिंचाई निर्माण कार्य (फोर वाटर कन्सेप्ट)  
[01] निर्माण कार्य

मू.	9,56.49		
पु.	- 3,05.26		
		6,51.23	6,51.23
			..

31 मार्च 2020 को ₹ 3,05.26 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण अभ्यर्पित किया गया।

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(06) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना  
(आर डब्ल्यू एस एल आई पी)

[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता कार्यक्रम) के माध्यम से

मू.	46,92.00		
पु.	- 13,49.78		
		33,42.22	33,56.49
			+ 14.27

31 मार्च 2020 को ₹ 13,49.78 लाख का प्रावधान (i) बजट सीमा में कटौती तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए 23 मार्च 2020 से राज्य में लॉकडाउन की स्थिति के कारण शेष रहे सभी निर्माण कार्य रोके जाने तथा कोषालयों द्वारा बिलों को पारित नहीं करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

₹ 14.27 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू.	4,34.48	1,56.36	1,56.36
पु.	- 2,78.12		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,78.12 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं हुई क्योंकि भारत सरकार की नयी प्रस्तावित परियोजना ब्रिजिंग इरिगेशन गेप हेतु प्रोत्साहन योजना (आई.एस.बी.आई.जी.) में गंगनहर परियोजना फेज-1 का हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन था, (ii) राज्य निधि द्वारा नये कार्यों का निष्पादन न होने तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण कोषालयों द्वारा बिलों का भुगतान न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) मुख्य अभियंता, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू.	5,50.00	2,63.73	2,63.02
पु.	- 2,86.27		- 0.71
31 मार्च 2020 को ₹ 2,86.27 लाख का प्रावधान (i) भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं हुई क्योंकि भारत सरकार की नयी प्रस्तावित परियोजना ब्रिजिंग इरिगेशन गेप हेतु प्रोत्साहन योजना (आई.एस.बी.आई.जी.) में गंगनहर परियोजना फेज-1 का हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन था, (ii) राज्य निधि द्वारा नये कार्यों का निष्पादन न होने तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण कोषालयों द्वारा बिलों का भुगतान न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(09) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल, कोटा के माध्यम से			
[01] भूमि विकास कार्य			
मू.	7,52.00	..	..
पु.	- 7,52.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 7,52.00 लाख का समस्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा ब्रिजिंग इरिगेशन गेप परियोजना हेतु प्रोत्साहन योजना (आई.एस.बी.आई.जी.) के दिशानिर्देशों के जारी न करने के परिणामस्वरूप: राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	1,73,25.00	70,00.00	70,00.00
पु.	- 1,03,25.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 1,03,25.00 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती के परिणामतः विद्युत् निगमों में कम निवेश होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			



## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन			
मू.	1,24,10.70	60,00.00	60,00.00
पु.	- 64,10.70		..
31 मार्च 2020 को ₹ 64,10.70 लाख का प्रावधान निवेश सीमा में कटौती के परिणामतः विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में कम निवेश होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया।			
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय			
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन			
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(04) एच.पी.सी.एल.-राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड			
[02] रिफायनरी (एस.सी.एस.पी.)			
मू.	1,00,00.00	61,38.00	61,38.00
पु.	- 38,62.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 38,62.00 लाख का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निवेश सीमा में कटौती करने के कारण अभ्यर्पित (₹ 22,64.82 लाख) तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित (₹ 15,97.18 लाख) किया गया।			
4853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मार्इनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय			
[02] खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से			
मू.	2,95.00	..	..
पु.	- 2,95.00		..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,95.00 लाख का समस्त प्रावधान (i) जोधपुर में सिलिकोसिस अनुसंधान तथा पुनर्वास केन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृति नहीं मिलने तथा (ii) जोधपुर तथा कोटा में सिलिकोसिस अनुसंधान और पुनर्वास केन्द्र के लिए मशीनरी और उपकरण के क्रय हेतु स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।			
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			
60. अन्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर (डी.एम.आई.सी.)			
[01] भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति			
मू.	28,64.00	4,27.90	4,27.90
पु.	- 24,36.10		..

31 मार्च 2020 को ₹ 24,36.10 लाख का प्रावधान डी.एम.आई.सी. परियोजना के अंतर्गत खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र में पांच गांवों की भूमि के अधिग्रहण हेतु मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि विभाग की भूमि अधिग्रहण शाखा में विभिन्न पद वर्ष के दौरान रिक्त थे तथा कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण मार्च, 2020 में बिलों का भुगतान न होने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 03. राज्य राजमार्ग 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (07) केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें	मू. 1,34,09.75 पु. - 62,39.78	71,69.97	71,53.74 - 16.23
31 मार्च 2020 को ₹ 62,39.78 लाख का प्रावधान भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त होने के कारण अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया। यद्यपि, जिसके तथा ₹ 16.23 लाख की अंतिम बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. राज्य राजमार्ग 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (10) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- I (ए.डी.बी.)	मू. 1,42,00.88 पु. - 30,52.96	1,11,47.92	1,11,47.92 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 30,52.96 लाख का प्रावधान सड़क कार्यों के कम निष्पादन होने के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (03) शहरी सड़कें	मू. 3,36.28 पु. - 2,01.14	1,35.14	1,35.14 ..
31 मार्च 2020 को ₹ 2,01.14 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें [12] सड़क उन्नयन परियोजना (त्रयोविंशतितम)	मू. 7,88.94 पु. - 1,59.20	6,29.74	6,14.57 - 15.17
31 मार्च 2020 को ₹ 1,59.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 15.17 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें 789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना (04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें [13] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIV (सड़क उन्नयन परियोजना)	मू. 72,03.50 पु. - 15,34.54	56,68.96	56,66.04 - 2.92
31 मार्च 2020 को ₹ 15,34.54 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. की सड़कें			
[14] नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. – XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)			
मू.	15,83.19	..	..
पु.	- 15,83.19		
31 मार्च 2020 को ₹ 15,83.19 लाख का समस्त प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(06) राज्य सड़क विकास निधि से पोषित सड़कें (एम.डी.आर.)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	1,23,89.38	1,11,15.93	1,11,09.44
पु.	- 12,73.45		- 6.49
31 मार्च 2020 को ₹ 12,73.45 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने तथा ₹ 6.49 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
04. जिला तथा अन्य सड़कें			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(13) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पोषित सड़कें			
[01] ग्रामीण सड़कें			
मू.	17,83.00	10,69.80	10,69.80
पु.	- 7,13.20		..
31 मार्च 2020 को ₹ 7,13.20 लाख का प्रावधान अभ्यर्पित करने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
001. निदेशन तथा प्रशासन			
(03) प्रतिशतता व्यय (अनुसूचित जाति क्षेत्र की सड़कें)			
[91] स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)			
मू.	38,88.09	35,23.70	35,23.70
पु.	- 3,64.39		..
31 मार्च 2020 को ₹ 3,64.39 लाख का प्रावधान कार्य परिव्यय के अनुसार आनुपातिक व्यय के कम समायोजन के कारण अभ्यर्पित किया गया। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			

**अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
5452. पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पर्यटन स्थलों का विकास			
मू.	12,69.42	3,17.34	3,17.34
पु.	- 9,52.08		

31 मार्च 2020 को ₹ 9,52.08 लाख का प्रावधान (i) संसद, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण संबंधित कार्यों की पत्रावली वित्त विभाग को प्रस्तुत न करने के कारण चामुंडा माता मंदिर कुम्हेर-भरतपुर, गुलाबदास बगीची-सीकर, मस्तराम बाबा बीदासर-सीकर, लोकदेवता खेमाराम-बाड़मेर, रघुनाथ धाम-सीकर, दरियाव जी आश्रम-मेड़ता और देवनारायण मंदिर सवाईमाला-अजमेर के संबंध में स्वीकृत कार्य शुरू न होने तथा (ii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों द्वारा बिलों को पारित न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

80. सामान्य  
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना  
(02) ग्रामीण पर्यटन का विकास

मू.	5,48.96	1,74.99	1,74.99
पु.	- 3,73.97		

31 मार्च 2020 को ₹ 3,73.97 लाख का प्रावधान (i) बजट सीमा में कटौती करने, (ii) हाथी गाँव, जयपुर के विकास कार्य प्रक्रियाधीन होने तथा (iii) कोविड-19 महामारी को देखते हुए राज्य में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण माह मार्च, 2020 में कोषालयों में बिलों को प्रस्तुत न करने के कारण अभ्यर्पित किया गया।

4. उपरोक्त टिप्पणी (3) में वर्णित बचत को अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया जो मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) सर्व शिक्षा अभियान (शिक्षा गारन्टी योजना)			
[01] सर्व शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू.	30,60.01	57,63.74	57,63.74
पु.	27,03.73		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 27,03.73 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुपात में राज्य के मैचिंग शेयर हेतु उपलब्ध करायी गयी।

## अनुदान संख्या 051 - (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
01. सामान्य शिक्षा			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(08) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान			
[01] राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य			
मू.	30,60.01	53,60.00	53,60.00
पु.	22,99.99		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 22,99.99 लाख की अतिरिक्त निधियां भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीयंश के अनुपात में राज्यांश जारी करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं (निदेशालय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(03) नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं			
[03] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण			
मू.	11,06.00	13,75.62	13,75.62
पु.	2,69.62		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,69.62 लाख की अतिरिक्त निधियां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर			
मू.	7,48.25	9,90.06	10,05.99 + 15.93
पु.	2,41.81		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,41.81 लाख की अतिरिक्त निधियां (i) उपकरणों की खरीद तथा (ii) बजट भाषण में की गई घोषणा की अनुपालना में 50 बिस्तरों और 10 बिस्तरों वाले उच्च चिकित्सा आई सी यू की स्थापना करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 15.93 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(07) पी.एम.एस.एस.वाई के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन फेज-IV			
[01] चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर			
मू.	2,55.01	9,05.00	9,05.00
पु.	6,49.99		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,49.99 लाख की अतिरिक्त निधियां सिविल कार्यों के लिए कार्यकारी अभिकरणों को राज्य मैचिंग शेयर हस्तांतरित करने तथा पी.एम.एस.एस.वाई. के तहत मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद करने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत –
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[05] चुरु-झुंझुनू जल प्रदाय परियोजना फेज-II (ई.ए.पी.)			
मू.	68.00	2,29.61	2,29.61
पु.	1,61.61		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[62] पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति योजना			
मू.	3,12.00	5,41.87	5,41.87
पु.	2,29.87		
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[94] जवाई क्लस्टर परियोजना- IV, जिला पाली			
मू.	11,36.94	15,73.05	15,73.05
पु.	4,36.11		
उपरोक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,27.59 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
01. जलपूर्ति			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) अनुसूचित जाति क्षेत्र में जलपूर्ति			
[45] बीसलपुर-दूदू परियोजना, चाकसू, फागी एवं बस्सी			
मू.	50.00	2,44.79	- 51.21
पु.	1,94.79		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,94.79 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
₹ 51.21 लाख का ऋण व्यय ₹ 2,96.00 लाख की अवशेष राशि सरकारी खाते में जमा कराने के कारण था।			
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से			
[05] चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट (नोहर साहवा लिफ्ट)			
मू.	4,73.44	11,92.88	11,92.88
पु.	7,19.44		
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,19.44 लाख की अतिरिक्त निधियां पंपिंग स्टेशनों पर पानी की अधिक आपूर्ति के परिणामस्वरूप विद्युत् की अधिक खपत होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
05. इन्दिरा गांधी नहर फीडर (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) पंजाब में इन्दिरा गांधी नहर फीडर पर निर्माण पर व्यय (मुख्य अभियंता, सिंचाई, पंजाब के माध्यम से)			
[01] पंजाब में इन्दिरा गांधी नहर फीडर पर निर्माण पर व्यय (मुख्य अभियंता, सिंचाई, पंजाब के माध्यम से)			
मू.	0.01	11,96.46	11,96.46
पु.	11,96.45		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,96.45 लाख की अतिरिक्त निधियां वर्ष 2019-20 के दौरान पंजाब सरकार को सरहिंद फीडर/इंदिरा गांधी नहर फीडर के रीलाइनिंग कार्यों से संबंधित राजस्थान सरकार की हिस्सा राशि का भुगतान जारी करने हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	18,00.00	20,49.75	20,45.07
पु.	2,49.75		- 4.68
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,49.75 लाख (शुद्ध) की अतिरिक्त निधियां वित्तीय वर्ष 2019-20 में नर्बदा नहर परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु तथा भारत सरकार से बकाया केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 4.68 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निदेशन तथा प्रशासन			
[01] निर्माण कार्य			
मू.	4,50.00	13,80.44	13,86.87
पु.	9,30.44		+ 6.43
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,30.44 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
₹ 6.43 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
80. सामान्य			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर)			
हनुमानगढ़ के माध्यम से			
[01] राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फोर डेजर्ट एरिया			
मू.	35,90.40	53,63.61	53,63.61
पु.	17,73.21		..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17,73.21 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति हेतु उपलब्ध करायी गयी क्योंकि राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना के अन्तर्गत रेगिस्तान क्षेत्र के लिये संचालित परियोजना जोकि ब्रिक्स देशों के न्यू डवलपमेंट बैंक से पोषित की जा रही है तथा कार्य 2022-23 तक पूर्ण किया जाना आवश्यक है।			

## अनुदान संख्या 051 – (क्रमशः)

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(02) गागरिन परियोजना			
मू.	5,40.00	7,92.42	7,96.11
पु.	2,52.42		
			+ 3.69
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,52.42 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।			
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राज्य सड़क विकास निधि की पोषित सड़कें (राज्य राजमार्ग)			
[90] निर्माण कार्य			
मू.	34,51.33	59,47.49	59,47.20
पु.	24,96.16		
			- 0.29
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24,96.16 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
03. राज्य राजमार्ग			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(11) राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना- II (विश्व बैंक)			
मू.	23,66.81	33,72.41	33,72.41
पु.	10,05.60		
			..
31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,05.60 लाख की अतिरिक्त निधियां कार्यों की त्वरित गति के कारण उपलब्ध करायी गयी। यद्यपि, विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[29] राजनेट			
मू.	3,60.00	6,00.00	6,00.00
पु.	2,40.00		
			..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग			
[34] कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर			
मू.	2,34.00	9,50.00	9,50.00
पु.	7,16.00		
			..
उपरोक्त दो शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,56.00 लाख की अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।			



**अनुदान संख्या 051 – (समाप्त)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार			
[02] राजस्थान इंद्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)			
मू.	14,70.00	19,26.25	19,26.25
पु.	4,56.25		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,56.25 लाख की अतिरिक्त निधियां राजस्थान इंद्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना हेतु के.एफ.डब्ल्यू., जर्मनी से ऋण प्राप्त होने के कारण उपलब्ध करायी गयी।

5. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत को देखते हुए, प्रावधान का आवर्द्धन अत्यधिक/अनावश्यक था :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य + बचत -
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)			
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना			
(01) निर्माण कार्य			
मू.	99,00.00	1,07,97.99	1,05,58.48
पु.	8,97.99		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,97.99 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 2,39.51 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)

789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना

(01) निर्माण कार्य

मू.	50,92.00	52,24.16	47,64.44
पु.	1,32.16		

31 मार्च 2020 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,32.16 लाख की अतिरिक्त निधियां परियोजना के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी गयी।

₹ 4,59.72 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2020)।

परि  
(पृष्ठ 15 पर विनियोग लेखों के  
व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित वसूलियों

अनुदान संख्या और नाम		बजट अनुमान	
		राजस्व	पूंजी
		(₹ सहस्र में)	
003.	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	..	..
004.	जिला प्रशासन	..	..
005.	प्रशासनिक सेवाएं	..	..
006.	न्याय प्रशासन	..	..
008.	राजस्व	..	..
009.	वन	8	..
010.	विविध सामान्य सेवाएं	1	..
012.	अन्य कर	66,96,65	23,00,02
013.	आबकारी	..	..
014.	बिक्री कर	1,36,30,29	..
015.	पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3	..
016.	पुलिस	5,00	..
019.	लोक निर्माण कार्य	4,65,17,34	2,44,79
021.	सड़कें एवं पुल	1,39,55,20	12,59,37,89
022.	क्षेत्र का विकास	..	3,19
024.	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	..	..
025.	कोषालय व लेखा प्रशासन	..	..
026.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	1	..
027.	पेय जल योजना	3,97,68,26	20,04
028.	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	82,91,01	..
029.	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4,46,25,13	4
030.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,08,78,14	2,51,48,40
033.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		
	<i>दत्तमत</i>	67,44,40	39,62
	<i>प्रभारित</i>	1	..
034.	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	25,04,99,00	..
037.	कृषि	..	..
039.	पशुपालन एवं चिकित्सा	3,38,00,00	..
043.	खनिज	14,15	14,14,02
046.	सिंचाई	2,66,40,58	14,81,46
051.	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,10,00,06	3,19,10,86
	<b>दत्तमत</b>	<b>51,30,65,34</b>	<b>18,85,00,33</b>
	<b>कुल वसूलियां</b>		
	<i>प्रभारित</i>	<i>1</i>	..

शिशु

सारांश में उल्लिखित)

के अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों का अनुदान वार विवरण)

वास्तविक		बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
राजस्व	पूंजी	वृद्धि + कमी-	वृद्धि + कमी-
(₹ सहस्र में)			
13,98	..	+ 13,98	..
10,74	..	+ 10,74	..
8	..	+ 8	..
10,98	..	+ 10,98	..
16,59	..	+ 16,59	..
51,33,89	..	+ 51,33,81	..
..	..	- 1	..
10,37,24	12,54,56	- 56,59,41	- 10,45,46
50	..	+ 50	..
1,23,02,93	..	- 13,27,36	..
23	..	+ 20	..
1,78	..	- 3,22	..
3,87,44,97	15,77	- 77,72,37	- 2,29,02
1,16,24,29	10,12,37,69	- 23,30,91	- 2,47,00,20
..	4,55	..	+ 1,36
8,73,54	..	+ 8,73,54	..
4,13	..	+ 4,13	..
1,66	..	+ 1,65	..
2,19,88,19	89,53	- 1,77,80,07	+ 69,49
..	..	- 82,91,01	..
3,25,42,14	..	- 1,20,82,99	- 4
1,33,42,85	2,01,90,68	+ 24,64,71	- 49,57,72
60,36,17	38,41	- 7,08,23	- 1,21
61	..	+ 60	..
12,17,42,25	..	- 12,87,56,75	..
15,64	..	+ 15,64	..
2,84,51,74	..	- 53,48,26	..
1,56	33,62,71	- 12,59	+ 19,48,69
2,42,47,83	2,17,58,91	- 23,92,75	+ 2,02,77,45
1,22,84,78	2,63,93,39	+ 12,84,72	- 55,17,47
<b>33,04,30,68</b>	<b>17,43,46,20</b>	<b>- 18,26,34,66</b>	<b>- 1,41,54,13</b>
<b>61</b>	<b>..</b>	<b>+ 60</b>	<b>..</b>

© भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक  
**2021**

[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[agaerajasthan@cag.gov.in](mailto:agaerajasthan@cag.gov.in)

---